सप्तम माला, खंड 46, अंक 22 शुक्रवार, 23 मार्च, 1984/ 3 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 23 मार्च, 1984/3 चैत्र, 1906 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 41, पंक्ति 19, "4438/84" के स्थान पर "7999/84" पढ़िये।

पृष्ठ 44, पंक्ति 7, शीर्षक "सरकारी उपक्रमों द्वारा वर्ग " के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 6, "(विवरण पृष्ठ संख्या 48-49 पर देखिए)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 13, "1579437" के स्थान पर "13,79,437" पढ़िये।

पृष्ठ 78, पंक्ति 11, "20·3·84" के स्थान पर "22·3·84" पढ़िये।

पृष्ठ 97, पंक्ति 3, शीर्षक "डालर रैक्ट ऐट दिल्ली ऐट दिल्ली एयरपोर्ट" के स्थान पर "डालर रैकेट एट दिल्ली एयरपोर्ट" पढ़िये।

पृष्ठ 138, नीचे की पंक्ति में आरंभ में प्रश्न संख्या "4569" पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 16, "19·1·1969" के स्थान पर "19·7·1969" पढ़िये।

पृष्ठ 153, नीचे से पंक्ति 7, "1070-71" के स्थान पर "1970-71" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 6, शीर्षक में "हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड" पढ़िये।

पृष्ठ 157, पंक्ति 18, "3603" के स्थान पर "4603" पढ़िये।

पृष्ठ 159, नीचे से पंक्ति 3, माननीय सदस्य के नाम से पूर्व "प्रो०" पढ़िये।

पृष्ठ 177, पंक्ति 5, 8 में "पंजो" के स्थान पर "पूंजो" पढ़िये।

पृष्ठ 177, पंक्ति 20, शीर्षक में "फालत" के स्थान पर "फालतू" पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 2, सदस्य का नाम "श्री ए०नोलालोहितदसन नाडार" पढ़िये

पृष्ठ 183, पंक्ति 8, "8002/89" के स्थान पर "8002/84" पढ़िये ।

पृष्ठ 199, पंक्ति 5, शीर्षक में "कम" शब्द को लोप कीजिए ।

पृष्ठ 206, पंक्ति 12, "अध्यक" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये ।

पृष्ठ 207, पंक्ति 11, "12·96 म०प०" के स्थान पर "12·04" पढ़िये ।

पृष्ठ 209, नीचे से पंक्ति 5 व 4, "(डाक और तार)" के स्थान पर "(रक्षा सेवाएं)" और "7980/84" के स्थान पर "7981/84" पढ़िये ।

पृष्ठ 211, पंक्ति 18, शीर्षक में "के" के स्थान पर "से" पढ़िये ।

पृष्ठ 212, नीचे से पंक्ति 3, के ऊपर "लोक संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक, 1984" शीर्षक पढ़िये ।

पृष्ठ 216, पंक्ति 15 व 21, "(हिन्दुपुर)" के स्थान पर "निजामाबाद" और "रिसीवरों" के स्थान पर "रिसीवरों" पढ़िये ।

पृष्ठ 218, नीचे से पंक्ति 2, "संयन्त्र" के स्थान पर पर "संयंत्रें" पढ़िये ।

पृष्ठ 255, पंक्ति 14, "अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।

पृष्ठ 270, नीचे की पंक्ति "मानवीय" के स्थान पर "माननीय" पढ़िये ।

पृष्ठ 296, पंक्ति 6, "करनी" के स्थान पर "बरनी" पढ़िये ।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 46, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 23 मार्च, 1984/3 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 385, 386, 388, 390, 391, 393 से 395 और 397	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—203
तारांकित प्रश्न संख्या : 387, 389, 392, 396 और 398, से 404	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4427 से 4439, 4441 से 4487, 4489, से 4496, 4498 से 4518, 4520 4557, 4559 से 4578, 4580 से 4595, 4597 से 4644, और 4646 से 4659	
राष्ट्र के शहीदों —भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव के प्रति श्रद्धांजलि	203—204
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	207—211
राज्य सभा से संदेश	211—212
विधेयक पर अनुमति	212
लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	213
अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन—सभापटल पर रखे गए	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति	213
179वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	213
की गई कार्यवाही सम्बन्धी 80वां तथा 83वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक	214
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक	214
संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	
दूरसंचार उपकरण के निर्माण के बारे में वक्तव्य	214—216
डा० एम० एस० संजीव राव	
नियम 377 के अधीन मामले :	216—220
(एक) डभाई-प्रतापनगर-छोटा उदयपुर सकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	216
श्री अमर सिंह राठवा	
(दो) बाढ़ों को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों लोहित तथा दिहांग पर बांध बनाना	217
श्री विष्णु प्रसाद	
(तीन) भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा बिधान सभा सदस्यों की पेंशन की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता	217
श्री हरीश कुमार गंगवार	
(चार) मिदनापुर जिले में स्थित बैंकों द्वारा ऋण-वितरण प्रक्रिया को सुधारना और अधिक शाखायें खोलना	218
श्रीमती गीता मुखर्जी	
(पांच) तालचेर, उड़ीसा स्थित भारी जल संयंत्र में तनाव	218
श्री अजित बाग	

विषय	पृष्ठ
(छः) हानिकारक औषधियों के निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता	219
श्री के० लकप्पा	
(सात) गोआ के कालेज छात्रों की शिकायतें	220
श्री एडुआर्डो फैलोरी	
अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85	221—271
रक्षा मन्त्रालय	
श्री टी० एस० नेगी	221
श्री संतोष मोहन देव	223
श्री इन्द्रजीत गुप्त	226
प्रो० नारायण चन्द पराशर	234
प्रो० सैफुद्दीन सोज	237
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	242
डा० कर्ण सिंह	244
श्री बीजू पटनायक	255
श्री आर० वेंकटरामन	262
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	272
71वां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुरःस्थापित	272—274, 302
संविधान (संशोधन) विधेयक	272
(अनुच्छेद 130 में संशोधन)	
श्री के० लकप्पा	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	273
(धारा 11 में संशोधन, आदि)	
प्रो० मधु दण्डवते	
जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक	273
प्रो० मधु दंडवते	

विषय	पृष्ठ
लोकपाल विधेयक	273—274
प्रो० मधु दंडवते	
बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक	274
प्रो० मधु दंडवते	
दलबदल निवारण विधेयक	274
प्रो० सैफुद्दीन सोज	
संविधान (संशोधन) विधेयक	302
(अनुच्छेद 51 में संशोधन)	
श्री रतनसिंह राजदा	
हिन्दू धर्म ग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण तथा संशोधन) विधेयक— वापस लिया गया	274—302
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	275
श्री हरीश रावत	276
श्री अब्दुल रशीद काबुली	279
प्रो० अजित कुमार मेहता	280
श्री बी० के नायर	281
श्री बनारसी दास	283
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	284
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	292
पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जन-जातियों के लिये) आरक्षण विधेयक	302—303
श्री सूरज भान	
विचार करने का प्रस्ताव—(असमाप्त)	
श्री सूरज भान	302

लोक सभा

शुक्रवार 23 मार्च, 1984/3 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा म० पू० 11.05 पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नमस्कार महोदय, हमें केवल पांच मिनट की देर हुई।

अध्यक्ष महोदय : आपको या मुझे ?

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री विजयवर्गीय 1947-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य रहे।

वह 1948-51 के दौरान भूतपूर्व मध्य भारत राज्य की विधान सभा के भी सदस्य रहे और 1949-50 के दौरान राज्य के मुख्य मन्त्री रहे। वह 1954-66 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक पुराने स्वाधीनता सेनानी होने के नाते श्री विजयवर्गीय ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई साल जेल में रहे।

एक समाज सुधारक होने के नाते वह कई समाज कल्याण संगठनों से सम्बद्ध रहे और वह पद्-दलितों के उद्धार में विशेष रुचि लेते थे। वह 1940-48 के दौरान आल इण्डिया पियूपल कांफ्रेंस की स्थाई समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं।

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय का निधन 79 वर्ष की आयु में 16 मार्च, 1984 को इन्दौर में हुआ। हम उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ मिलकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेगी।

सदस्य खड़े होकर थोड़ी देर के लिए मृतात्मा के सम्मान में मौन धारण करेंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रिकाओं, पुस्तकों और छपी हुई सामग्री का रोका जाना

385. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात की जा रही उन समाचार-पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य छपी हुई सामग्री का नाम एवं संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पालम हवाई अड्डा, दिल्ली पर रोका गया है ;

(ख) इन्हें रोक लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारी सरकार के सेंसर नियमों को लागू करने के लिए सक्षम है ; और

(घ) फरवरी, 1984 में जर्मनी की साप्ताहिक समाचार पत्रिका "डेर स्पाईगेल" की प्रतियों को रोकने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) पालम हवाई-अड्डा सीमाशुल्क, दिल्ली ने पिछले तीन महीनों के दौरान, दिनांक 20 फरवरी, 1984 की "डेर स्पीगल" नामक एक पत्रिका की 64 प्रतियों की एक खेप के अतिरिक्त, भारत की सीमाओं की गलत-बयानी करने वाले 5 नक्शों तथा अयातुल्लाह खोमेनी-विरोधी तथा ईरान-विरोधी सामग्री वाले कुछ समाचार-पत्रों और इश्तहारों को रोका था। इस सामग्री का देश में आयात करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पत्रिका में भारत की सीमाओं की गलत-बयानी करने वाला एक नक्शा था।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों को, किन्हीं विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात-निर्यात पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अधीन लगाये गए विभिन्न प्रतिषेधों और प्रतिबन्धों को प्रवृत्त करना होता है।

(घ) दिनांक 20 फरवरी, 1984 की जर्मन न्यूज वीकली "डेर स्पीगल" की प्रतियां इसलिए रोकी गई थीं क्योंकि उस पत्रिका में एक ऐसा नक्शा था जिसमें भारतीय क्षेत्र की सीमाओं को गलत दिखाया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय प्रश्न का भाग (ग) यह था कि क्या सीमा शुल्क अधिकारी सरकार के सेंसर नियमों को लागू करने के लिए सक्षम हैं। इस भाग के उत्तर से इस प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं होता। इसमें जो कुछ कहा गया है वह यह है कि उन्हें विभिन्न प्रतिषेधों और प्रतिबन्धों को प्रवृत्त करने का अधिकार है। हम जानना चाहते हैं कि सामान्यतः सीमाशुल्क कर्मचारियों के सम्बद्ध उन यात्रियों से होता है जो विदेशों से आ रहे हैं और क्या वे अपनी उन वस्तुओं की घोषणा करते हैं अथवा नहीं जिन्हें वे देश में ला रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या वे सरकार के सेंसरशिप नियमों को लागू करते हैं अथवा नहीं। प्रश्न के इस भाग का और स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है

कि क्या सीमाशुल्क कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त हैं, और क्या उन्हें इन अधिसूचनाओं अथवा भारत सरकार के समय-समय पर जारी किए गए नियमों की जानकारी है जो सेंसरशिप के सम्बन्ध में अभी तक बनाए गए हैं। मैं अपने प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में भी पूछना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि अयातुल्ला खुमेनी विरोधी और ईरान विरोधी सामग्री वाले कुछ समाचार पत्रों और इश्तहारों को रोका गया था। वास्तव में अयातुल्ला खुमेनी विरोधी और ईरान विरोधी सामग्री क्या थी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे यहां ऐसी मेगजीनें और समाचार पत्र आते रहते हैं जिनमें राज्यों के अध्यक्षों अथवा विभिन्न देशों की सरकारों के विरुद्ध अनेकों प्रकार की सामग्री छपी रहती है। मैगजीनों और सावधिक पत्रिकाओं के आयात के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम क्या हैं। क्या यह सरकार की नीति है कि किसी सरकार के राज्य-अध्यक्ष की आलोचना करने वाली कोई भी चीज चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, उस पर देश में पाबन्दी लगायी जाती है।

वित्तमन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, सबसे पहले मैं इस स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि सीमाशुल्क कर्मचारी किसी प्रकार से इसमें हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान 3 महत्वपूर्ण सीमाशुल्क सम्बन्धी अधिसूचनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। एक अधिसूचना जो मार्च 1976 को जारी की गयी थी और दूसरी 2 मार्च 1960 को तथा तीसरी 22 सितम्बर, 1956 को और जिसमें सीमाशुल्क कर्मचारियों को इस प्रकार की पत्रिकाओं के बारे में कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया था। यह सच है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि उनके पास इस बात की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं है कि सामग्री वास्तव में आपत्ति जनक है अथवा नहीं। जहां तक मानव नक्शों और अन्य प्रकाशनों का सम्बन्ध है, उनके बारे में तो देखकर ही धारणा बनायी जा सकती है और यदि वे किसी सामग्री को देखकर यह समझते हैं कि इसमें कोई सन्देहजनक बात है तो इसके सम्बन्ध में प्रक्रिया यह है कि मामले को विदेश मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय को भेज दिया जाता है। विदेश मन्त्रालय विदेशी मामले के दृष्टिकोण से तथा हमारे दूसरे देशों के सम्बन्धों को देखते हुए इस पर विचार करता है और गृह मन्त्रालय इस मामले पर आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार करता है कि क्या यह सामग्री जन-जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली तो नहीं है अथवा यह विभिन्न सम्प्रदायों के बीच कोई दुर्भावना तो नहीं फैलाती ? इन दो मन्त्रालयों से सलाह ले लेने के बाद अन्तिम निर्णय किया जाता है। जहां तक प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है वह तो यह प्रक्रिया है जो मैंने बतायी है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है अर्थात क्या यह सिर्फ इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि कुछ आलोचनायें की जा रही हैं तो मेरा उत्तर है नहीं। यदि वह मामला अन्य देशों से सम्बन्धित है तो हम विदेश मन्त्रालय की सलाह पर काम करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ सामग्री अथवा टिप्पणियां अथवा लेख सामान्य आलोचना से परे होते हैं और जो किसी वर्ग विशेष को उकसाते हैं। माननीय सदस्य भी ऐसे कई लेखों को देख चुके होंगे। यदि विदेश मंत्रालय अथवा गृह मन्त्रालय जो भी उस मामले से संबंधित होते हैं उनके निर्णय के अनुसार कोई सामग्री विशेष, देश में नहीं आनी चाहिए तो उसे जब्त कर लिया जाता है। यदि वे समझते हैं कि इस सामग्री को मुक्त कर दिया जाए तो उन्हें मुक्त कर दिया जाता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, जहां तक 20 फरवरी, 1984 की जर्मन पत्रिका "डेर स्पीगल" का संबंध है जो मन्त्री महोदय के अनुसार इसलिए रोकी गयी थी क्योंकि इसमें ऐसा नक्शा था जिसमें

भारतीय क्षेत्रों की सीमाओं को गलत रूप में दिखाया गया था तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह गलती प्रत्यक्ष दिखायी देती थी जिसे सीमा शुल्क कर्मचारियों ने पकड़ लिया जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है अथवा उस नक्शे को गलत रूप से प्रस्तुत करने का कोई जान बूझकर प्रयास किया गया था और (ख) क्या यह सच नहीं है कि जब जर्मन वाइस चांसलर श्री हैलमेट कोल हमारे देश में आए थे तो उसके कुछ महीने पहले प्रधान मन्त्री ने इस प्रश्न पर उनसे बातचीत की थी क्योंकि यह मित्रतापूर्ण रवैया नहीं दर्शाता था और वास्तव में एक प्रैस सम्मेलन में जो मि० हैलमेट कौल द्वारा संबोधित किया गया था उस दौरान जब "डेर स्पीगल" के एक संवाददाता ने उनसे एक प्रश्न पूछा था तो उन्होंने यह बताया था कि मैं यह जानता हूं कि श्रीमती गांधी आपके बारे में तथा डेर स्पीगल के बारे में क्या सोचती हैं।

तो इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डेर स्पीगल के इस विशेष अंक को इसलिए रोका गया था क्योंकि इसमें पंजाब के बारे में लेख छपा था अथवा इसमें गलत नक्शा छपा होने के कारण जिसे सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा देख लिया गया था अथवा इससे भी कोई और बड़ी बात इसमें थी, जिसके कारण इसे रोका गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, प्रत्यक्षतः जो नक्शा छपा है वह दिखायी देगा ही और मैं सभा को यह जानकारी दे सकता हूं कि उस नक्शे में कश्मीर को विवाद ग्रस्त क्षेत्र दिखाया गया था जिसे हमने कभी भी स्वीकार नहीं किया। सारे देश ने उसे स्वीकार नहीं किया, संसद ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि जून, 1983 में भी किसी अंक में पहले भी इस प्रकार का नक्शा प्रकाशित हुआ था और यह फरवरी का अंक उसकी पुनरावृत्ति है। इसका अर्थ यह है क्या हमारे विरोध के बावजूद तथा कुछ कार्यवाही किए जाने के बावजूद कुछ समाचार पत्र अथवा कुछ लेखक अपनी धारणा को बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चय ही हम उस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकते। किसी पत्रिका विशेष के किसी व्यक्ति की पसन्दगी अथवा नापसंदगी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो राष्ट्रीय नीति का प्रश्न है। जब भी कभी नक्शे को गलत तरीके से छापा जाता है और विशेषकर भारतीय क्षेत्र की सीमाओं को समुचित रूप से नहीं दिखाया जाता है, हमने इसी प्रकार की कार्यवाही की है और वर्तमान कार्यवाही भी उसका एक अंग है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कि सभी प्रकार की सामग्री की हमारे देश में आयात होने की इजाजत नहीं दी जा सकती मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मानदण्ड हैं जो सेंसरशिप के मामले में लागू किए जाते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं परन्तु यह मंत्रालय की राय हो सकती है और वह हमारे देश की लोकतांत्रिक राय का द्योतक नहीं हो सकती। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई निष्पक्ष निकाय है जो इस मामले की जांच करे। यदि हां, तो आप ऐसा कब कर रहे हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य निष्पक्ष निकाय के बारे में क्या पूछना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि वे स्वयं ही इस निकाय में शामिल हो तो इस पर मैं विचार करूंगा। महोदय, आपको याद होगा कि 2 साल पहले एक इश्तहार जो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में था उससे देश में भारी तनाव व्याप्त हुआ था। लेखक ने अपनी राय व्यक्त करने का पूरा-पूरा कारण बताया था और ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो उस विचारधारा को उसी ढंग से सोचते हों। परन्तु प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने इस बात पर गौर किया कि उस इश्तहार की इस देश की अल्पसंख्यक

जनता के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होगी। इसलिए महोदय मैं इस सम्भावना के बारे में भी सोचता हूं और वास्तव में आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परन्तु हमें यहां पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती हैं। विभिन्न स्तरों पर परामर्श किए जाते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद हम कार्यवाही करते हैं। जहां तक विदेशी सम्बन्धों का प्रश्न होता है हम विदेश मन्त्रालय की सलाह पर काम करते हैं और जहां तक आंतरिक मामलों का सम्बन्ध होता है हम गृह मन्त्रालय की राय पर काम करते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पुस्तकों और मैग-जीन पार्सल द्वारा किसी को भेजी गयी थी और क्या उस व्यक्ति से यह जांच पड़ताल की गयी थी कि उसने ये कहां से खरीदी और उसका इन्हें खरीदने में क्या आशय था।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, हो सकता है कोई ग्राहक हो। यह हवाई जहाज से आने वाले पैकेट में आता है। जब भी यह हवाई जहाज द्वारा भेजे जाने वाले पैकेटों में आता है हम इसकी जांच करते हैं। जब ये सामान्य रास्ते से आ रही होती हैं तो इनकी तस्करी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन्हें नियमित माध्यमों से भेजा जा रहा है। इसलिए, इस बारे में कोई बात पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि हमें प्रलेखों की जांच करने के बाद यह पता चलता है कि इसे मुक्त किया जाना चाहिए तो हम इसे मुक्त कर देते हैं। यदि यह पाया जाता है कि इसे मुक्त नहीं किया जाता है और यदि इसे रोका जाना है तो इसे रोका जाएगा।

केन्द्रीय आयुध डिपो छिओकी, इलाहाबाद के वी० एस० डी० ग्रुप से क्राम्पटन व्हीलों की चोरी

*386. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आयुध डिपो, छिओकी, इलाहाबाद के वी० एस० डी० ग्रुप से जुलाई, अगस्त, 1983 में 1 लाख 40 हजार रुपये मूल्य के 10 क्राम्पटन व्हील और लगभग 1 लाख रुपये मूल्य की ट्यून मोटर चोरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जांच करने के बाद उक्त वस्तुओं को बरामद कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) केन्द्रीय आयुध डिपो छिओकी, इलाहाबाद से क्राम्पटन व्हील और ट्यून मोटर जैसा कोई सामान चोरी नहीं हुआ। लेकिन अगस्त, 1983 में इस डिपू से सेना के अनुपयुक्त वाहनों के 11 टेलविनियन 5 सेलफ स्टार्टर चोरी हो गए थे। इस सम्बन्ध में एक जांच अदालत बिठाई गई और दो व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई। स्टेशन कमांडर की शक्तियों के अन्तर्गत 586/-रुपये की क्षति विनियमित की गई।

श्री दया राम शाक्य : अध्यक्ष महोदय जिन वस्तुओं की चोरी के विषय में पूछा गया था, वह न देकर दूसरी वस्तुओं की जानकारी दी गई है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या डिपो के बाहर

के किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है या वहीं के किसी अधिकारी ने जांच की है ? वहां से क्राम्पटन व्हील और ट्यून मोटर चोरी हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह अधिकारी है कौन ? यह बात लाइट में आ जाने के बाद कोई आफ इन्क्वायरी कराई गई है कि क्या-क्या वस्तुएं चोरी हो गई हैं ?

श्री आर वेंकटरामन : जहां तक चोरी की गई वस्तुओं का सम्बन्ध है मैं अपने उत्तर में पहले ही यह बात कह चुका हूं जिन व्हीकलों को भंडार में रखा गया था इनके कतिपय पुर्जों की चोरी की गई है और उन पुर्जों का मूल्य 526/-रुपये है। स्टेशन कमांडर द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया था कि इस कार्य के लिए दो आदमियों को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पाया गया था कि वे लापरवाह थे। लेकिन वे स्वयं पुर्जों की चोरी के लिए दोषी प्रतीत नहीं होते हैं। अतएव, उन्हें कड़ी फटकार देकर कार्रवाई की गई थी।

श्री दया राम शाक्य : किसी भी विभाग में देखा यह जाता है कि सर्वोच्च अधिकारी किसी न किसी प्रकार अपने आपको बचा ले जाते हैं जब कि उनका सीधा हाथ इन घपलों में होता है। क्या मन्त्री जी के पास शिकायत आई है कि 1983 में सन आयल कंपनी, कलकत्ता से करोड़ों रुपये का माल मंगाया गया जो सब-स्टैंडर्ड था और मात्रा में भी कम था ? रिकार्ड में उसकी एन्ट्री हुई है और वह सारा माल आई० जी० एस० और सी० आई० एम०, कानपुर के द्वारा पास किया जाता है। वहां पर सूचना देकर जांच न कराई जाए, टैस्ट न कराया जाए और इस तरह से 90 लाख रुपये का घोटाला किया गया है, क्या इसकी शिकायत मन्त्री जी के पास आई है, उसके बारे में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित है, श्री शाक्य ? क्या यह वही डिपो है ?

श्री दया राम शाक्य : यह वही डिपो है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आप ऐसा समझते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, यह एक मिल प्रश्न है और वे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जानकारी इकट्ठी करूंगा तथा उसे उन्हें दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही है।

श्री भीकूराम जैन : मन्त्री महोदय ने जिक्र किया है कि क्राम्पटन व्हील कोई चीज नहीं है। असल में यह क्राउन व्हील है, यह बहुत भारी चीज है जो पीछे गाड़ी में डिफरैंशल में लगाई जाती है। मन्त्री जी ने माना है कि टेल पिनियन चोरी हुआ है। मेरा कहना यह है कि टेल पिनियन और क्राउन व्हील एक ही आइटम है अगर यह भारी चीज चोरी हो गई है तो आइन्दा वह चोरी न हो इसके लिए क्या किया गया है ? मन्त्री जी ने माना है कि स्टार्टर मोटर चोरी हुआ है। ट्यून मोटर भी भारी चीज है, जब यह चन्द चोरी हो गये हैं, यह जेब में डाल कर चोरी नहीं कर सकते, यह किसी कनाइवेंस के द्वारा ही चोरी हो सकते हैं। यह एक ही वस्तु है—टेल पिनियन अथवा क्राम्पटन व्हील। इस किस्म का रैपीटीशन न हो, इसका क्या प्रबन्ध किया गया है ? ये इतनी छोटी चीज नहीं है जिसे जेब में रखा जा सकता है। इसीलिए, इस बारे में क्या किया गया है ? इलाहाबाद सी० ओ० डी० में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्राम्पटन ग्रीव्ज एक फर्म है, उससे तो सम्बन्ध नहीं है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य का इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये पुर्जे उन खराब व्हीक्लों से चुराए गए थे जो डिपो के भण्डार में रखे गए थे और वे बेकार थे। इसलिए यदि किसी ने ये पुर्जे ले लिए हैं तो हमने एक जांच की थी और हमने यह पाया था कि इसके लिए दो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं क्योंकि उसने पर्यवेक्षण के काम में लापरवाही बरती थी। हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटक

*388. **श्री लक्ष्मण मलिक**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में विदेशी पर्यटकों को भारत में क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार भारत का एक पर्यटक गन्तव्य के रूप में संवर्धन एवं प्रचार के माध्यम से और देश में पर्यटकों के लिए उपलब्ध सेवा एवं आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार की नीति के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की एक नीति का बराबर अनुसरण करती रही है। पर्यटन के संवर्धन के बारे में सरकारी नीति के दिशानिर्देश और प्राथमिकताएं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 नवम्बर, 1982 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय पर्यटन नीति में व्यापक तौर पर बताई गई हैं। विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पर्यटन संवर्धन के क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर यूनिटों के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण करके, कम समृद्ध विदेशी पर्यटकों के लिए अनुपूरक आवास का प्रबन्ध करते हुए, आरामदेह और पर्याप्त हवाई और थल परिवहन सुविधाएं जुटाते हुए, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों पर सुविधाओं में सुधार करते हुए और पर्यटक स्वागत केन्द्र, सूचना बूथ एवं विभिन्न मार्गस्थ सुख-सुविधाओं जैसी अन्य सम्बन्धित आधारिक-संरचना संबंधी सहूलियतों की व्यवस्था करते हुए अनेक सुविधाएं जुटाई हैं। इन सुविधाओं की सतत पुनरीक्षा करने की एक प्रक्रिया है और विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक मार्केटों की विशिष्ट मांग तथा उनकी विशिष्ट अपेक्षाओं और पर्यटक केन्द्रों के अलग-अलग प्रवेश द्वारों पर यातायात की संख्या में परिवर्तन पर निर्भर करते हुए समय-समय पर सुविधाओं में सुधार किया जाता है।

विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े विश्व पर्यटक संगठन और अन्य देशों के अनुसार कैलेण्डर

वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर। 1983 के दौरान कुल 884,731 पर्यटक (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर) भारत आए और इस प्रकार 1982 की तुलना में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी, 1984 के दौरान आगमनों में दर्ज की गई वृद्धि 1983 के तत्संबंधी महीने की तुलना में 14.9% थी।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के विवरण को पढ़ लिया है। मैं सरकार द्वारा भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं, लेकिन यह सच है कि प्रचार पर्याप्त नहीं है। अतएव, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध पर्यटक क्षमताओं के बारे में विदेशों में पर्यटकों को स्पष्ट तथा अधिक जानकारी देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए इस बारे में क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री खुर्शीद आलम खां : समस्त विश्व में विदेशों में हमारे कार्यालय स्थित हैं जो इस देश में आने का इरादा रखने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम विभिन्न देशों के यात्रा, व्यापार तथा यात्रा के संचालकों के साथ सम्पर्क रखते हैं जहां से यातायात शुरू होता है और इस देश में पर्यटकों के आकर्षण के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है और इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है अथवा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया गया है।

श्री लक्ष्मण मलिक : विदेशी पर्यटक दो समस्याओं का सामना कर रहे है ; एक आवास के बारे में और दूसरी परिवहन के बारे में है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा राज्य पर्यटन विकास निगम को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का तेजी से निर्माण करने के लिए क्या विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं ? ऐसे होटलों के क्या नाम हैं जहां छठी योजना की समाप्ति से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाने की आशा है ? पर्यटकों की रुचि के स्थानों तथा नई दिल्ली के बीच पर्याप्त वायु मात्रा सुविधाएं शुरू करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न में और ज्यादा कुछ नहीं है। इससे सदन का समय अनावश्यक तौर पर बरबाद होगा।

अगला प्रश्न।

दिल्ली में भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक

*390. **डा० कृपा सिंह भोई** :
डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(ग) भारत-फ्रांस व्यापार पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद में दोनों देशों के केवल व्यापारिक प्रतिनिधि ही हैं। 30 जनवरी, 1984 को दिल्ली में हुई बैठक के बाद पारित संयुक्त वक्तव्य के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार के परिमाण को बढ़ाने तथा उसकी पद्धति का विविधीकरण करने, प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक सहयोगों तथा साथ ही तीसरे देशों की परियोजनाओं में निवेश तथा संयुक्त सहयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश थी।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय, मेरा प्रश्न काफी विशिष्ट था, अर्थात् क्या भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है ; यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं ; और भारत-फ्रांस व्यापार पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। प्रश्न छोटा-सा है। और जानकारी भी बहुत छोटी-सी है।

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे से मेल खाने वाले।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मेल खाने वाले नहीं।

मैं विस्तृत जानकारी चाहता हूं, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद का गठन केवल दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों को शामिल करके किया गया है। इस समय एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर तथा निजी व्यापार प्रबन्ध से निजी व्यापार प्रबन्ध के आधार पर भारत-फ्रांस व्यापार कुल कितनी मात्रा में किया जाता है ? 30 जनवरी, 1984 को दिल्ली में हुई बैठक के फलस्वरूप, भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की एक प्रैस विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसे 'हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया था और उसके अनुसार वे एक हजार मिलियन का व्यापार करने जा रहे थे और उनके प्रतिनिधियों को कुछ सन्देह हो रहा था भारत-फ्रांस सहयोग के बारे में हमारी औद्योगिक नीति में कोई अड़चन हो सकती है। इस आधार पर मैं उस निष्कर्ष के बारे में जानना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत इस संयुक्त परिषद ने निजी व्यापार प्रतिष्ठानों के बीच व्यापार की परिकल्पना की है जो 1000 मिलियन डालर की मात्रा का होगा ?

दूसरे, भारत की वे विस्तृत वस्तुएं कौन-सी हैं जिनका संयुक्त परिषद ने निर्यात करने का फैसला किया है, और वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें फ्रांस भारत को निर्यात करेगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ्रांस से 33 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 29 जनवरी तथा 5 फरवरी के बीच भारत का दौरा किया था। 30 जनवरी 1984 को एक बैठक हुई थी। यह संयुक्त व्यापार परिषद भी इस बात पर सहमत हो गई थी। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस ढंग से प्रयास किए जाने चाहिए कि आयात और निर्यात के बीच संतुलन को बनाए रखा जा सके। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया और अपनी यह सहमति कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक सहयोग के लिए

प्रबन्ध किए जा सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी तथा निवेश अन्तर्निहित हों।

उन्होंने अनेक क्षेत्रों का भी पता लगाया है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं अर्थात् इलैक्ट्रानिकी तथा पुर्जे, तेल परिशोधन उपकरण, दूर-संचार, अधिक रफ्तार वाले गियर हॉबिंग मशीनें 'रिप्पल' नियन्त्रण उपकरण, माइक्रो मीटर, 'ओडियो-मेगनैटिक टेप्स' 'ग्लास लिन्टड' उपकरण सामान उठाने-धरने वाले तथा 'कन्वेयिंग' उपकरण, आदि। खाद्य परिष्करण के उपकरण भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने इन मुख्य वस्तुओं के बारे में चर्चा की है और उनका पता लगाया है।

मेरे मित्र ने जिस एक और विषय के बारे में पूछा है वह दोनों देशों अर्थात् सरकार से सरकार तथा निजी व्यापारसे निजी व्यापार, के बीच व्यापार है। हमारे पास इनके अलग से आंकड़े नहीं हैं।

मैं 1980-81 के लिए कह सकता हूं कि निर्यात 146.94 करोड़ रुपए मूल्य के सामान का हुआ था जबकि 288.38 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान का आयात किया गया था। इसी प्रकार 1983-84 में सितम्बर तक 53.84 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात और 84.66 करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया गया था।

उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के सहयोग से शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या के बारे में भी पूछा था। इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं। मैं उन्हें बाद में दे सकता हूं।

डा० कृपासिंधु भोई : मन्त्री महोदय की जानकारी के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हुए व्यापार से 1,00 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है। अब जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं वे हैं निर्यात 146 करोड़ रुपए तथा आयात 220 करोड़ रुपए, अतः व्यापार अन्तर बहुत ज्यादा है।

दल के नेता श्री रोजर चल्यों न्येर्से ने यह आशंका व्यक्त की कि इस औद्योगिक नीति के कारण औद्योगिक सहयोग में कुछ अड़चनें हैं। उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण क्या है?

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने उत्तर में औद्योगिक सहयोग के बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत से निर्यात को दुगना करने हेतु वह कौन-सी चीजों का निर्यात करना चाहता है। विशेष तौर पर वे क्षेत्र कौन से हैं भारत और फ्रांस ने सहयोग करने का निर्णय किया है। और वे परियोजनाएं कौन-सी हैं जिन्हें बैठक में चर्चा के लिए लिया गया है।

श्री निहार रंजन लास्कर : माननीय महोदय ने पहला मुद्दा यही पेश किया है कि हमारे सामने कुछ अड़चनें थी जो सही नहीं है। फ्रांस की ओर से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। मैं ऐसे तथ्य पेश करूंगा जो इसे सिद्ध करेंगे। वर्ष 1983 में हमने सहयोग की 673 योजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनमें से 40 फ्रांसीसी थी। एक वर्ष में ही हमने ऐसा किया है यदि कुछ कठिनाइयां होती तो इस समय आंकड़े इस रूप में नहीं होते। अतः यह सही नहीं है। जो भी हो यदि कहीं-कहीं कुछ कठिनाइयां हैं तो हम उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं और उनकी अबाध गति बनाए रखना सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रांस को निर्यात किए जाने वाले सामान आमतौर से कपड़े, वस्त्र, दालें मंहगे और कम मंहगे जवाहरात, चमड़ा और चमड़े का सामान आदि हैं। हम फ्रांसीसियों के सहयोग से अपना फर्नीचर उद्योग भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय कपास निगम द्वारा गुजरात आदि में कपास की खरीद का रोका जाना

*391. **श्री अमर सिंह राठवा** :+

श्री नवीन रावणी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपास निगम ने गुजरात और देश के अन्य भागों में कपास की खरीद बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात के किसानों को अपने उत्पादों के निपटान के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसानों को और बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रुई उपज कर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष कपास की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित करती है। गुजरात में कपास की चालू कीमतें समर्थन कीमत की अपेक्षा काफी अधिक हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो कॉटन की कीमत चल रही है, उससे न तो कपास पकाने वालों को लाभ हो रहा है और न दवाई और खाद का भाव ही उनको मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक कॉटन कारपोरेशन आफ इण्डिया ने गुजरात में कितनी कपास खरीदी है, कितना खरीदने का अनुमान था और किस भाव में खरीदी है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : अभी तक भारत ने 30 मार्च, 1984 तक गुजरात से कपास की 8096 गांठें खरीदी हैं। कपास की प्रत्येक किस्म के लिए अलग-अलग समर्थन-मूल्य हैं। वर्ष 1983-84 में समर्थन मूल्य 547 था, किन्तु उत्पादक इसे बाजार मूल्य पर ही बेच रहे हैं जो बहुत ज्यादा है। जनवरी 1984 में यह 69% था। इसी प्रकार इसके लिए यह 540 है। जनवरी में वर्तमान बाजार मूल्य 619 से 622 तक है। अतः ये मूल्य समर्थन मूल्यों से बहुत ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : कॉटन कारपोरेशन का मैनेजमेंट बहुत पक्की है। अपनी जगह से हिलती नहीं है। यह टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के लिए है या किसानों के लिए — यह पूछ लीजिए।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, डा० कुरियन आनन्द डेयरी के चेयरमैन हैं। कॉटन कारपोरेशन, व्यापारी वर्ग और अधिकारी मिलकर किसानों के कपास के भाव में गठबन्धन कर लेते हैं। जिसकी वजह से किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। कम से कम जो 40 प्रतिशत भाव है, वह तो उनको मिलना ही चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कॉटन कारपोरेशन आफ इण्डिया किसके लिए है? जब किसानों को उचित भाव नहीं मिलेगा, तो देश की क्या हालत होगी?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कॉटन कारपोरेशन ऑक्शन के जरिए और सील्ड टैंडर के जरिए खरीद-बिक्री करता है। जहां पर मंडियां हैं, वहां पर खुले में खरीद करते हैं। इसलिए इसमें साझेदारी और हिस्सेदारी का सवाल नहीं उठता है। जहां तक भावों का सवाल है, इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी ने बता दिया है।

श्री मगन भाई बरोट : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि एक ओर यह निगम यार्न के निर्यात के लिए पूरी सुविधा नहीं दे रहा है जबकि इन परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ कपड़ा उद्योग को ही है? क्या माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि कपड़ा उद्योग इन परिस्थितियों के कारण प्राप्त लाभों से न तो अपने उपभोक्ताओं को ही लाभान्वित कर रहा है और न ही अपनी मिल के संचालन को भी इससे लाभान्वित नहीं करा रहा है? दूसरी ओर वे इन्हें बन्द ही कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस दृष्टि से विचार करने के लिए तैयार है कि लाभ वस्तुतः किसानों को मिले या ऐसी नीति के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को ही मिले उद्योगपतियों को नहीं, जैसा आजकल है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है। गत वर्ष की अपेक्षा इस समय मूल्य बहुत ज्यादा है यह केवल समर्थन मूल्यों से ही अधिक नहीं है वरन् तुलनात्मक अवधियों में भी वे गत वर्ष से अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में फसल खराब हो जाने के कारण ऐसा हुआ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, यह समस्या तो है ही। वस्तुतः यही समस्या है। आपने तो मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कपास की जितनी हमें आवश्यकता है उससे उपलब्धता थोड़ी कम ही है। अतः इसी स्थिति के कारण हमें यह देखना होगा कि यार्न के निर्यात के लिए हमें क्या कार्यवाही करनी होगी, जिसके बारे में माननीय सदस्य महोदय ने जिक्र किया था, वह यही है कि पहली बार सीजन के काफी शुरू में ही कपास का निर्यात किया गया था। किन्तु समग्र कमी का पता लगते ही तथा पंजाब, महाराष्ट्र में फसल के बरबाद हो जाने के बाद से निर्यात बिल्कुल रोक दिया गया क्योंकि स्थिति दुबारा अवलोकन करने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। जहां तक प्राप्त लाभ से अन्य को लाभान्वित करने का प्रश्न है इस समय कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि मूल्य कम है और इसीलिए प्राप्त लाभ से अन्य को लाभान्वित कराना आवश्यक है। यदि माननीय सदस्य यह स्पष्ट कर दें कि कपास-मूल्य के किस अंश से अन्य सम्बद्ध को लाभान्वित कराया जाना है तो उस पर विचार किया सकता है।

श्री मगन भाई बरोट : मैंने कहा था कि उपभोक्ता और किसानों और उपभोक्ता दोनों को ही लाभान्वित कराया जाए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि भारतीय कपास निगम जानबूझ कर बाजार में उस समय नहीं जाता, जिस समय खरीद शुरू होती है तथा उस समय जो अच्छी किस्म का कपास आता है उसे बिचौलिये खरीद लेते हैं, इससे लाचार होकर किसान को डिस्ट्रेस सैल करनी पड़ती है? क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किसान को इस डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए आपकी कारपोरेशन शुरू से काटन की खरीद करेगी? आप मार्केट को कन्ट्रोल करने और किसानों को सुविधा देने की बात करते हैं—मैं जानना चाहूंगा कि आप टोटल खरीद कितने परसेन्ट कर पाते हैं? यदि आप अधिक परसेन्टेज में खरीद नहीं कर पायेंगे तो फिर कन्ट्रोल कैसे होगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक काटन कारपोरेशन द्वारा शुरू से ही खरीद करने का सवाल है, उसकी कोशिश रहती है कि सीजन के शुरू से ही खरीद करे और वह लगातार खरीद करती है। जहां तक डिस्ट्रेस सेल का सवाल है, इस वक्त सपोर्ट प्राइस के ऊपर भाव चल रहे हैं इसलिए डिस्ट्रेस नहीं है। जहां तक हिस्सेदारी और साझेदारी की बात बतलाई गई है, मैंने कहा है कि कारपोरेशन आक्शन और सील्ड टेण्डर के माध्यम से खरीदती है इसलिए इसमें साझेदारीवाला प्रश्न पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ है और ध्यान में लाई जाती है तो कार्यवाही की जाती है।

जहां तक परसेन्टेज का प्रश्न है, प्रतिशत के रूप में तो हमारी जानकारी इस समय नहीं है लेकिन 75 से 80 लाख बेल्ज की प्रोडक्शन होती है उसमें से 1981-82 में 10,56 लाख बेल्ज खरीदी गई।

श्री सतीश अग्रवाल : इसका मतलब है दस प्रतिशत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप गणित हमसे अच्छा जानते हैं, आपसे मदद मिल गई।

1982-83 में 9.7 लाख वेल्स खरीदी गई। अगर प्रोडक्शन कहीं घट गई, तो टोटल बाइंग भी घट सकती है। इससे आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, आंकड़े हमने दे दिए हैं।

एयर इण्डिया द्वारा 1983-84 में खाड़ी मार्ग से अर्जित राजस्व में वृद्धि

*393. **श्री स्कारिया थामस** :

श्री वी० एस० विजयाराघवन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा 1983-84 में खाड़ी मार्ग से अर्जित राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

(ग) क्या अब खाड़ी क्षेत्र में हवाई जहाज के किराए कम करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में इस सैक्टर पर अर्जित किया गया कुल राजस्व नीचे दर्शाया गया है :

	भारत/खाड़ी (करोड़ रुपयों में)	अप्रैल/दिसम्बर, 1982 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
अप्रैल-दिसम्बर, 1983	232.13	+20%
अप्रैल-दिसम्बर, 1982	193.43	

(ग) जी, हां।

(घ) इस मार्ग के विमान किराये पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ द्वारा सहमति तथा सभी सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनुमोदन किया जाता है और यह अन्य एयरलाइनों द्वारा इस सैक्टर पर लिए जा रहे किराए के बराबर है। एयर इण्डिया अथवा सरकार किरायों में एकपक्षीय रूप से परिवर्तन नहीं कर सकते।

श्री स्कारिया थामस : खाड़ी देशों के यात्रियों तथा केरल के जिम्मेदार राजनैतिक नेताओं ने यह मांग की है कि खाड़ी क्षेत्र के लिए निर्धारित विमान किराया कम किया जाए। माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार 1983 में खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होने वाला राजस्व 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाड़ी देशों के यात्रियों में उन देशों में काम करने वाले मजदूरों की बहुतायत है—क्या सरकार सम्बन्धित देशों से परामर्श कर किराया करने के अनुरोध पर विचार करेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यह बात सभी को मालूम है कि एक स्तर पर हम किराये में परिवर्तन नहीं कर सकते जिन्हें आई०ए०टी०ए० से परामर्श कर तथा सम्बन्धित विभिन्न सरकारों की मन्जूरी प्राप्त करने के बाद निर्धारित किया गया है। वस्तुतः कुछ समय पहले अधिकांश सम्बन्धित सरकारों ने 4 प्रतिशत तक किराया बढ़ाना चाहा है, किन्तु हम इससे सहमत नहीं हुए। इसीलिए वे किराया नहीं बढ़ा पाए। जब तक सभी सरकारें और वहां सेवारत विमान सेवाएं किराया कम करने को सहमत नहीं तब तक एकपक्षीय स्तर पर किसी भी मार्ग पर किराया कम करना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

श्री स्कारिया थामस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एयर इण्डिया द्वारा अन्य क्षेत्रों में समान दूरी के लिए वसूल किया जाने वाला किराया कम है अथवा इसमें किसी अंश तक राजसहायता की सुविधा है और यदि हां, तो क्या खाड़ी देश के यात्रियों को भी वही रियायत दी जा सकती है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : प्रत्येक क्षेत्र में किराया आई०एस०टी०ए० और सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, जब तक सभी सरकारें उस किराए के लिए सहमत नहीं होतीं, एयर इण्डिया इस किराए को कम नहीं कर सकता। यह स्थिति मैंने बार-बार स्पष्ट की है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जब तक सभी सरकारें तथा सभी सम्बन्धित एयर लाइन्स इसके लिए

सहमत नहीं होतीं, इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

श्री ए० के० बालन : क्या इस किराए को कम करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा जैसाकि मैंने माननीय सभा को स्पष्ट किया है हमने इस बारे में तदनुसार स्पष्ट कर दिया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जो यात्री खाड़ी के देशों में जाते हैं, वह एअर इण्डिया को प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान करते हैं। वह सबसे अधिक पैसा देते हैं लेकिन एअर इण्डिया उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। इन अशिक्षित लोगों को बम्बई हवाई अड्डे पर अपनी सम्पर्क विमान सेवा प्राप्त करने, सीमा शुल्क देने के मामले में, और अन्य बहुत से स्थानों पर अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि अगर वह किराया कम नहीं कर सकते तो क्या एअर इंडिया और मन्त्रालय इन लोगों के लिए सीधी विमान सेवा चलाए जाने के बारे में विचार कर रहे हैं जिन्हें बम्बई जैसे बीच के हवाई अड्डों, गोआ से खाड़ी के देशों को जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम श्रमिक और राजस्व के रूप में अपना अधिक योगदान देते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने त्रिवेन्द्रम से सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराई है क्योंकि यहां से सबसे अधिक संख्या में लोग खाड़ी के देशों में आते-जाते हैं। गोआ से पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सर्व-सम्भव उपाय किए जाते हैं कि यात्रियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इण्डियन एअर लाइन्स में टिकटों की पुष्टि के बारे में इस समय थोड़ी कठिनाई है। लेकिन, जल्द ही कंप्यूटर प्रणाली लगा दी जाएगी तथा यह समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर खाड़ी के देशों में जाने वाले यात्रियों को किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि वह मुझे इसकी जानकारी दें। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे तथा इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कीलकों (फास्टनर्स) पर सीमाशुल्क समाप्त किए जाने का प्रभाव

*394. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 6 जनवरी, 1984 के 'बिजनैस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीलकों (फास्टनर्स) पर से शुल्क समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका और भारत के बीच कोई नया समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे भारत को किस सीमा तक लाभ होगा समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और पदनाम क्या हैं ; और

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत को किस सीमा तक वित्तीय लाभ होगा ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : अमरीका सरकार ने, जुलाई, 1980 में, कुछ औद्योगिक फास्टरों अर्थात काबलों, ढिबरियों तथा पेचों पर प्रतिकारी शुल्क लगा दिया था। इन मदों पर प्रतिकारी शुल्क समाप्त करने के लिए अमरीका सरकार से हुई बातचीत के फलस्वरूप, उन्होंने काबलों तथा ढिबरियों पर शुल्क को समाप्त कर दिया। शुल्क को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया। पेचों के सम्बन्ध में, अमरीका सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। इस सम्बन्ध में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

श्री के० ओबुल रेड्डी : महोदय, क्या माननीय मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वह इस बारे में अमरीका सरकार के साथ आगे कार्यवाही करेंगे क्योंकि पेचों पर शुल्क समाप्त करने के लिए उन्होंने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं तथा पिछले वर्ष जनवरी में एक अमरीकी दल आया था तथा उन्होंने यह आशंका व्यक्त की थी कि वह सबसीडी अथवा नकद सहायता दे रहे हैं जो राजसहायता के रूप में दी जा रही है लेकिन जब वह यहां आए तो वह आश्वस्त हो गए। उन्होंने देखा कि यह राजसहायता नहीं है लेकिन, नकद सहायता अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए है तथा मैं यह सोचता हूं कि जबकि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया लेकिन, उन द्वारा इस तरह सोचने से, पेच सम्बन्धी समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

श्री के० ओबुल रेड्डी : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय उन मदों पर निर्यात शुल्क समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे जिनका निर्यात भारत के निर्यातकर्ता इस कारण से कठिन मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में गिरावट आने के कारण उन्हें इनके लिए अन्य देशों के साथ काफी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यह मामला निर्यात शुल्क हटाए जाने से सम्बन्धित है। मैं यह सोचता हूं कि इस समय, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा।

पुर्तगाल से सोने के भण्डारों का अन्तरण

*395. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की स्वतन्त्रता के तत्काल पूर्व पुर्तगाल को अन्तरित किए गए सोने के भण्डारों को प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों का एक दल लिस्बन गया था ;

(ख) खाताधारियों की संख्या सोना आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की मात्रा एवं अन्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) अन्तरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गोवा, दमण एवं दीव के तत्कालीन पुर्तगाली क्षेत्रों की मुक्ति से पूर्व बांको नेशनल अल्टरामैरिनो (बी०एन०यू०) लिसबन (स्थित प्रधान कार्यालय, लिसबन) की गोवा स्थित शाखाओं द्वारा, बैंक के पास स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर उनकी जमानत पर स्थानीय नागरिकों को अनेकों ऋण प्रदान किए गए थे। गोवा की मुक्ति के कुछ दिन पूर्व, ऋणकर्ताओं आदि द्वारा निष्पादित मूल कागज-पत्रों सहित महत्वपूर्ण रिकार्ड तथा कागजातों के साथ-साथ इन स्वर्ण-आभूषणों तथा सुरक्षित रखी गई अन्य वस्तुओं को हटवाकर, लिसबन पहुंचा दिया गया था। ऋणों, आभूषणों की कीमत सोने के कुल वजन के सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुक्ति के समय गिरवी रखे गए आभूषणों की अनुमानित अंकित मूल्य (बुकवैल्यू) 16.33 लाख रु० थी। यद्यपि इन आभूषणों के विरुद्ध 6531 खातों में प्रदान किए गए ऋणों की राशि 9.85 लाख रुपए थी। यह सूचना, मूल कागज-पत्रों एवं रिकार्डों के सत्यापन के अध्यधीन है, जोकि बी०एन०यू०, लिसबन के कब्जे में हैं।

भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के पश्चा त बी०एन०यू० लिसबन से स्वर्ण आभूषणों तथा सुरक्षित रखी गई वस्तुओं को वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए। इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों सहित एक शिष्टमण्डल ने भी पुर्तगाल की यात्रा की थी। शिष्टमण्डल की बी०एन०यू० लिसबन के साथ जो बातचीत हुई, उसके अनुसरण में, स्वर्ण आभूषणों तथा कब्जे में रखी गई वस्तुओं की भारत वापसी के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक और बी० एन० यू० लिसबन के बीच अंतर बैंक करार करने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक को प्राधिकृत करने का निर्णय किया गया। प्रस्तावित करार की शर्तें और अन्य सम्बद्ध मामले दोनों बैंकों के बीच अभी तय किए जाने हैं।

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष जी, गोवा के स्वतन्त्र होने से पहले, गोवा के नागरिकों ने अपना सोना, सोने के जेवरात बी०एन०यू० बैंक में रखकर कर्जा लिया था। उस वक्त सोने की कीमत आज के सोने के मूल्य से बहुत कम थी। अब सोने की कीमत लाखों रुपये ऊंची है। गोवा के नागरिकों का यह हक है कि उनको उनका सोना वापिस मिले। ये लोग बैंक ब्याज की रकम भी टाइम पर देते आ रहे हैं। गोवा को स्वतन्त्र हुए 20-21 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आप और कितने समय तक इसके बारे में लोगों से इंतजार कराएंगे? सोना वापिस मिलने की निश्चित अवधि मन्त्री जी क्या बताएंगे?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : हमने पहले ही इस बारे में बातचीत की है तथा अब कुछ समझौता हो गया है। इसमें कुछ अधिक समय लगा है लेकिन माननीय सदस्या को उस घटना की पूरी जानकारी है। गोआ के मुक्त होने के पश्चात पुर्तगाल से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने में लगभग पन्द्रह वर्ष लगे। यह समस्त बहुमूल्य वस्तुएं एवं सोने के आभूषण लिस्बन ले जाए गए थे। स्वाभाविक है कुछ लोगों ने स्वयं लिस्बन में बैंक से सम्पर्क किया था। लेकिन, उनकी संख्या बहुत कम है लगभग 450 के करीब शिष्टमण्डल वहां पर 1982 में गया था। अब हम कुछ समझौता कर रहे हैं। मुझे यह आशा है कि हम शीघ्र ही इस मसले को हल कर लेंगे।

श्रीमती संयोगिता राणे : लोगों की संख्या कम हो गई फिर भी उनका सोना तो वहां पर है। उनकी संख्या का तो सवाल ही नहीं है। जिनकी रकम है उनको तो वापिस मिलनी चाहिए, उसका तो

उनको हक है। उसके बारे में मन्त्री जी क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें सोना वापिस नहीं मिलना चाहिए। मैं इसे वापिस दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं।

सिंडीकेट बैंक में हिन्दी का प्रयोग

*397. **श्री सत्यसाधन जटिया** :

+**स्वामी इन्द्रवेश** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ बैंकों को आदेश जारी किये गये हैं कि सिंडीकेट बैंक के कार्यकरण में हिन्दी के प्रयोग को रोका जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या बैंकों की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की अनुमति नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सम्भवत: प्रश्न का आशय सिंडीकेट बैंक की ईस्ट पटेल नगर शाखा के मण्डल प्रबन्धक द्वारा बैंक के कामकाज की भाषा के बारे में जारी किए गए कुछ अनुदेशों से है। बैंक ने सूचित किया है कि, मण्डल प्रबन्धक ने किसी गलतफहमी के कारण हिन्दी के प्रयोग के बारे में कुछ स्पष्टीकरणात्मक अनुदेश जारी किए थे। अब सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि ईस्ट पटेल नगर शाखा के मण्डल प्रबन्धक द्वारा उपर्युक्त अनुदेश रद्द कर दिए गए हैं। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि संबंधित अधिकारी को भविष्य में सतर्क रहने के समुचित आदेश दे दिए गए हैं और उक्त शाखा में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार बराबर काम किया जा रहा है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी और लिपिक संवर्गों की समस्त सीधी भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। इन बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में 4 वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और एक विवरणात्मक पत्र होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं इस प्रकार की होती हैं कि उनमें किसी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इनमें केवल एक अपवाद है जिसमें नामों और अंकों की तुलना करनी होती है। विवरणात्मक किस्म के प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना होता है और इसका उद्देश्य प्रत्याशी की अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। यद्यपि प्रत्याशियों को विवरणात्मक परीक्षा पास करनी होती है लेकिन उस पत्र के अंक योग्यताक्रम की सूची तैयार करते समय हिसाब में नहीं लिये जाते। लिपिकों की भर्ती के मामले में, इण्टरव्यू के समय प्रत्याशियों का स्थानीय भाषा का ज्ञान परखा जाता है।

जहां तक बैंकों द्वारा ली जाने वाली पदोन्नति परीक्षाओं का सम्बन्ध है, बैंकों को परीक्षा में हिन्दी माध्यम के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति देने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते परामर्श दिया गया है। इन अनुदेशों के अनुसरण में कई बैंकों ने अधिकारी तथा लिपिक संवर्गों में पदोन्नतियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी/स्थानीय भाषा के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे दी है।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह बड़ी चिन्ता की बात है जिस प्रकार से इस परिपत्र में लिखा है। यह पत्र इस प्रकार का है सभी कर्मचारियों को इस प्रकार के अनुदेश दिए गए हैं :

> "ऐसा अनुभव किया गया है कि कुछ कर्मचारी आंतरिक कार्य हिन्दी में कर रहे हैं जिससे रोजमर्रा के कार्य में काफी कष्ट हो रहा है। हमने अपने प्रधान कार्यालय से एक स्पष्टीकरण मांगा था। उपरोक्त स्पष्टीकरण के अब मिलने पर सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आंतरिक कार्य अंग्रेजी में ही किया जाए जब तक कि अगली सूचना न भेजी जावे।
>
> कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें एवं तदनुसार अनुसरण करें।"

···(**व्यवधान**)···

एक माननीय सदस्य : यह आफिशियल लैटर है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी, हां।

श्री सतीश अग्रवाल : कर्मचारियों को लिखा गया है कि आप अंग्रेजी में काम करें, हिन्दी में न करें और इसकी फोटो स्टेट कापी छपी है जो मेरे पास है। ···(**व्यवधान**)···

श्री सत्यनारायण जटिया : लोगों को यह कहा गया है, सारी जगह यह अनुदेश दिया गया है और यह स्थिति इस आधार पर हुई है ऊपर से अनुदेश मांगे गए, मांगने के बाद उसका स्पष्टीकरण हुआ उसके बाद यह आदेश दिया गया। तो इस प्रकार जो गलती की गई या जो कमी की गई, उसके बारे में आपने क्या ऐक्शन लिया, यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री से इसकी प्रमाणिकता की जानी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : यह परिपत्र 17 फरवरी, 1984 को जारी किया गया था। इसके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। इसे वापिस ले लिया गया था। अब स्थिति स्पष्ट है। इस समय इस प्रकार का कोई परिपत्र नहीं है हमने इसे रद्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस व्यक्ति के खिलाफ काई कार्यवाही की गई ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमने उसे चेतावनी दी है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : इसे शुरू में ही दबाना बेहतर होगा।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा प्रत्येक मंत्रालय में हो रहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे प्रश्न के (घ) में यह पूछा गया है कि क्या बैंकों की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की अनुमति नहीं है? उसके उत्तर में आप स्वीकार करते हैं कि विवरणात्मक किस्म के प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना होता है और इसका उद्देश्य प्रत्याशी की अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो समाप्त हो गया अब।

श्री सत्य नारायण जटिया : आगे लिखा है "कि कई बैंकों ने अधिकारी तथा लिपिक संवर्गों में पदोन्नतियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी। स्थानीय भाषा के "वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे दी है।" लेकिन बहुत से बैंक ऐसे हैं जहां राजभाषा अधिनियम का पालन नहीं किया जाता, यह चिन्ता की बात है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक ओब्जेक्टिव टाईप परीक्षा है। इसमें उत्तर देने होते हैं। वहां भी हम मानते हैं कि कुछ मामलों में—मैं यह मानता हूं—अंग्रेजी माध्यम है, हिन्दी नहीं, लेकिन यह ओब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में होता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें विकल्प दिया जाता है?

श्री जनार्दन पुजारी : जी, हां।

श्री मनीराम बागड़ी : मंत्री महोदय क्या यह विश्वास दिलाएंगे कि जिन कर्मचारियों ने यह हुकम मानने से इनकार किया और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया, उनसे जवाब तलब किया गया, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं होगा, उनका संरक्षण होगा जिन क्लर्कों और आफिसर्स ने हिन्दी में काम किया।

वित्तमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैंने पहले ही कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे है। अगर किसी प्रकार की कार्यवाही की जरूरत हुई तो उसे किया जाएगा। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इस सभा को यह सूचित कर रहा हूं कि न केवल हम, इस समय जिस प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं, उसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेंगे अपितु जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है हमने पहले ही इस बारे में एक विधान बनाने का निश्चय किया है जिससे कि आफिसर्स की नियुक्ति के लिए बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की जा सके। बैंकिंग सेवा भर्ती आयोग द्वारा जो भर्ती की जाती है उनमें हिन्दी भी···

श्री राम विलास पासवान : परीक्षा का माध्यम क्या है।

श्री प्रवण मुखर्जी : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं अभी बोल रहा हूं। अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : यह गलत है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को चुनौती देता हूं। मंत्री जी ने सभा की गलत जानकारी दी है। यह गलत है हिन्दी माध्यम नहीं है। केवल अंग्रेजी माध्यम है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने यह कहा है कि हिन्दी को अनुमति दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : मैं राजभाषा समिति का सदस्य हूं मुझे पता है क्या माध्यम है। केवल अंग्रेजी माध्यम है, हिन्दी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से शोर मत कीजिए। बात सुनिए।

श्री राम विलास पासवान : इस पर आधे घंटे की चर्चा रख दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हां, इस पर आधे घंटे की चर्चा रख दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में देखेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह हिन्दी अथवा अंग्रेजी की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह राष्ट्र भाषा की बात है। उन्हें किसी ने नहीं रोका है। इसके प्रति कोई अनादर भी नहीं हो रहा। लेकिन, यह राष्ट्र भाषा की बात है। अब प्रश्न काल समाप्त होता है। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्यात और आयात के लिए ग्रीन चेंनल प्रणाली आरम्भ किया जाना

*387. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात और आयात के लिए "ग्रीन चेंनल" प्रणाली आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

एयर इण्डिया द्वारा कुछ क्षेत्रों के लिए बोइंग-767 की खरीद करना

*389. **श्री कमल नाथ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने कुछ क्षेत्रों में अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोइंग-767 खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने विमान खरीदे जाने हैं और उन पर कितनी लागत आएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ग) इसकी भावी आश्यकताओं की पूर्ति के लिए एयर इंडिया द्वारा लिए जाने वाले विमानों की संख्या तथा प्रकार के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास-थंजावूर-कायाथार-त्रिवेन्द्रम वायु मार्ग का यातायात के लिए खोला जाना

*392. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग ने थंजावूर में सैनिक हवाई अड्डे को अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) क्या उक्त विभाग का तूतीकोरिन के पास कायाथार हवाई अड्डे को भी अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो मद्रास-थंजावूर-कायाथार-त्रिवेन्द्रम वायु मार्ग यातायात के लिए कब खोला जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) यह हवाई अड्डा नागर विमानन विभाग का है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत की थंजावूर तथा कायाथार को विमानसेवा से जोड़ने की कोई तात्कालिक योजनायें नहीं हैं।

गैर-सरकारी फर्मों द्वारा रेशम का आयात करने पर प्रतिबन्ध

*396. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी फर्मों द्वारा किए जाने वाले रेशम के आयात पर

प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रतिबन्ध कब तक लगाया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार केयल आल इंडिया सिल्क बोर्ड के माध्यम से रेशम के आयात का सारणीकरण करने और बुनकरों को इसका वितरण हैंडलूम कारपोरेशन के माध्यम से 'कार्ड प्रणाली के आधार पर करने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत गैर-सरकारी फर्मों के लिए कच्चे रेशम के आयात की अनुमति केवल निर्यातों के संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ प्रतिपूर्ति एवं अग्रिम लाइसेंसिंग योजनाओं के अन्तर्गत ही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) से (ङ) घरेलू बाजार के लिए बुनकरों तथा अन्यों की रेशम धागे की मांग सामान्यत: रेशम के स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की जाती है । निर्यात बाजार की कच्चे माल की आवश्यकताओं की अनुपूर्ति के लिए आर० ई० पी० तथा ए० एल० एस० नीति के अन्तर्गत रेशम के आयात की अनुमति दी जाती है । आमतौर पर स्वदेशी रेशम उद्योग, जोकि बहुत बड़ी संख्या में कृषक परिवारों के जीवनयापन का साधन हैं, के हित को देखते हुए रेशम के आयात को बढ़ावा नहीं दिया जाता । तथापि, स्वदेशी उत्पादन में कमी होने पर जैसा कि 1981-82 में हुआ केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से रेशम का आयात किया जाता है जो आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए सरणीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करता है । वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयातित रेशम का वितरण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सम्बद्ध राज्यों के हथकरघा उद्योगों के निदेशक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया ।

बैंकिंग-संगठन के ढांचे का पुनर्गठन

*398. **श्री सुधीर गिरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विस्तार के फलस्वरूप, बदली हुई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके अनुकूल बैंकिंग संगठन के ढांचे को पुनर्गठित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

बैंकिंग प्रणाली को जनता की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन बनाने के उद्देश्य के अनुरूप, भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में नई शाखाएं खोलकर बहुत तेजी से प्रगति की है । शाखाओं, कारबार के परिमाण आदि के विस्तार के साथ-साथ

बैंकों ने अपना उचित संगठनात्मक ढांचा भी तैयार किया है। ताकि विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। आयोजना, मूल्यांकन, जन-शक्ति आयोजन, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और शाखाओं पर नियंत्रण आदि के लिए समुचित तंत्र का विकास किया गया है। खास-खास प्रदेशों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए और राष्ट्रीय उद्देश्यों के साधन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के ढांचे की बराबर समीक्षा की जाती है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें

*399. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय सरकार से नौ राज्यों का 1984-85 के लिए 494.83 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देने की सिफारिश की है ताकि उनका पिछला राजस्व घाटा पूरा हो सकें ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान सहायता किन किन राज्यों को देने की सिफारिश की गई है और प्रत्येक को कितनी धनराशि देने की गई सिफारिश की है ;

(ग) क्या आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्र और राज्यों के बीच बिक्री-कर और सम्पदा शुल्क के बदले में आय-कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों, से होने वाली आय के बंटवारे की वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाए ;

(घ) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) उक्त अनुदान सहायता से नौ राज्यों का राजस्व घाटा किस सीमा तक पूरा हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

(ङ) आयोग की रिपोर्ट में, जो 9 दिसम्बर, 1983 को सभा-पटल पर रखी गई थी, यह बताया गया है कि आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें करने में क्या तरीका अपनाया गया था ।

विवरण

आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में जितना सहायता अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई

क्रम सं०	राज्य	(करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	आसाम	38.17
2.	हिमाचल प्रदेश	91.15

1	2	3
3.	जम्मू और कश्मीर	114.85
4.	मणिपुर	56.08
5.	मेघालय	40.27
6.	नागालैण्ड	81.12
7.	सिक्किम	11.96
8.	त्रिपुरा	53.34
9.	पश्चिम बंगाल	7.89
	जोड़	494.83

आयकर निर्धारितियों के लेखों की परीक्षा के लिए पेनल

*400. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2क) के अन्तर्गत आयकर निर्धारितियों के लेखों की परीक्षा के लिए कोई पेनल रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और लेखा-परीक्षकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) आयकर आयुक्तों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 (2क) के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा के लिए चार्टरित लेखाकारों की एक सूची तैयार करनी पड़ती है, ताकि अधिकारी उन मामलों को शीघ्रता से लेखा परीक्षा के लिए भेज सकें, जिनमें इस धारा के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।

कुछ आयकर आयुक्तों ने बताया है कि उन्होंने चार्टरित लेखाकारों की सूचियां बनाई हुई हैं। 41 आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में सूची में शामिल किए गए चार्टरित लेखाकारों की संख्या 109 है।

बैंकों द्वारा ऋणों पर लिए गए ब्याज की अधिक दर

*401. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर अधिक दर पर ब्याज वसूल किया जाता है ;

(ख) क्या यह ब्याज मासिक तथा तिमाही आधार पर वसूल किया जाता है और इस प्रकार यह ब्याज प्रति माह और प्रति तिमाही मूलधन बन जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार वसूल किया गया ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है, जो साहूकारों द्वारा वसूल किये जा रहे ब्याज की अपेक्षा अधिक है ;

(घ) क्या ब्याज वसूल करने की इस प्रणाली से उत्पादकता और ऋण लेने वालों की ऋण वापस करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ङ) क्या उन पर पड़े इस प्रकार के प्रभाव का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (छ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर का ढांचा देश के समूचे आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इसमें बैंकों के साधनों के प्रवाह पर नियन्त्रण रखने के प्रयोजन से विभिन्न क्षेत्रों के विकास की प्राथमिकता, बैंक के ऋण समर्थन से सहायता प्राप्त हिताधिकारियों के विशिष्ट वर्गों और वाणिज्यिक बैंकों के समस्त परिचालनों की अर्थक्षमता पर विचार किया जाता है। इस पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दरें ऊंची हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर ढांचे का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से लेकर 18 प्रतिशत की अधिकतम दर रखी गयी है जिस पर बड़े और मध्यम उद्योगों, थोक व्यापार आदि को दिए गये अग्रिमों पर ब्याज लिया जाता है। इन दरों के बीच कोई ऐसी योजनाएं भी हैं जिन्हें ब्याज की दर के मामले में रियायतें दी जाती हैं।

ऋणों की बकाया राशियों पर ब्याज प्रायः बैंकों द्वारा हर तिमाही आंका जाता है। कृषि ऋणों के मामले में बैंकों को ऐसे ब्याज का हिसाब छमाही के आधार पर अर्थात ऋण की वापसी अदायगी/ऋण की किस्त के समय से लगाए जाने का परामर्श दिया गया है। ब्याज की देय राशियां चालू देय राशियां होती हैं और उन्हें ऋणकर्त्ताओं को तभी चुकाना होता हैं जब वे देय हो जाती हैं। उन मामलों में जब चालू देय राशियां नहीं चुकायी जाती तो वे ऋणकर्त्ताओं के नाम बकाया राशियों का रूप ले लेती हैं जिन पर बैंकों को बाद को अवधियों का हिसाब लगाते समय ब्याज लेने का हक होता है। जमा राशियों के मामले में भी बैंक ब्याज आंकने की इसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

ऋणों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम तय करते समय बैंक इस प्रकार वित्त-पोषित धन्धों की आय अर्जित करने की क्षमता का भी ध्यान रखते हैं। चूंकि प्रत्येक किस्त के दो भाग होते हैं अर्थात् एक भाग मूलधन का और दूसरा भाग चालू देय ब्याज का, इसलिए ब्याज का हिसाब लगाने की प्रणाली से यह उपेक्षा की जाती है कि उसका उत्पादकता तथा ऋणकर्त्ताओं के ऋण चुकाने की क्षमता का कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज का हिसाब लगाने की प्रणाली का मूल्यांकन करने के

लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है लेकिन जिन मामलों में खास-खास ऋणकर्त्ता बैंकों के सम्मुख ऋण वापसी के कार्यक्रम के बारे में अपनी कठिनाइयां रखते हैं उनमें बैंक ऐसे अभ्यावेदनों पर जल्दी विचार करते हैं और प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर ऋण चुकाने के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करते हैं ताकि उसे ऋण कर्त्ताओं की ऋण वापसी की क्षमता के अनुरूप ढाला जा सके।

जीवन बीमा निगम के कार्यकरण और गठन को कारगर बनाना

*402. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण और गठन को कारगर बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसे कोई कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में 34 मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कारबार में वृद्धि और पालिसीधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवा सम्बन्धी कार्य-कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यचालन और ढांचे का सरल तथा सुचारू बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में किए गए उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) शाखा तथा कार्यालयों के आधारभूत ढांचे को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है तथा मुफस्सिल क्षेत्रों में शाखा कार्यालय खोलने पर बल दिया जाता है। ऐसे कई जिलों में, जहां पहले जीवन बीमा निगम की कोई शाखा नहीं थी, अब नई शाखाएं खोली गई हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमें की अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण वृत्तिक एजेंट योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में एजेंटों की भर्ती करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(3) पालिसी धारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी कार्य को डिवीजनल कार्यालयों से लेकर शाखा कार्यालयों को सौंपने सम्बन्धी विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिवीजनल और शाखा कार्यालयों के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि शाखा कार्यालय अपने आप में एक पूर्ण लेखा एकक बन सकें। यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कार्यक्रम

*403. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के बारे में गत तीन वर्षों में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भविष्य में पर्यटन के विकास के लिए क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) बाडमेर जिले में कैराडू मन्दिर को, जो कि प्राचीन संस्कृति कला एवं वास्तु-शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थानों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजस्थान में निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई : —

(1) जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने के लिए 1.65 लाख रुपये शेष राशि के रूप में।

(2) रणथम्बौर में वनगृह के विस्तार/नवीकरण के लिए 15.00 लाख रुपए।

(3) मेवाड़ कम्पलेक्स की मास्टर प्लानें तैयार करने के लिए 3.15 लाख रुपये।

(4) गदीसर टैंक, जैसलमेर, के विकास के लिए 3.40 लाख रुपए।

(5) राजस्थान की चुनी हुई झीलों पर नौकाओं के लिए 4.86 लाख रुपये।

(6) जैसलमेर में पर्यटक बंगले का विस्तार करने के लिए 4.00 लाख रुपये।

(7) महारणगढ़ किला, जोधपुर पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था जिसके लिए 1983-84 के दौरान 5.29 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

(8) 1981-82 और 1983-84 के दौरान मेले और त्योहारों के लिए 3.50 लाख रुपये रिलीज किए गए।

भारत पर्यटन विकास निगम ने जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में अपने होटलों/परिवहन यूनिटों के विस्तार/नवीकरण पर 47.09 लाख रुपये खर्च किए।

निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों के लिए कुछ अतिरिक्त स्कीमें भी अभिनिर्धारित की गई हैं और उनमें से कुछ को 1984-85 में और कुछ को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जाएगा।

आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य के लिए निर्धारित तीन यात्रा परिपथों में से किसी में भी बाड़मेर जिले को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने 1984-85 के दौरान कैराडू के पास एक विश्राम गृह का निर्माण करने और पर्यावरण सुधार के लिए 1.00 लाख रुपये का एक प्रावधान किया है।

हवाई अड्डों पर वी० आई० पी० लौंज का प्रयोग करने के पात्र व्यक्ति

*404. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन वर्गों के व्यक्ति हवाई अड्डों पर वी० आई० पी० लांजों का प्रयोग करने के पात्र हैं ;

(ख) क्या सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस बारे में पात्रता की जानकारी है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारी प्रक्रिया का पालन करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हवाई अड्डों पर वी० आई० पी० लाउंजों का उपयोग करने के लिए पात्र व्यक्तियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नागर विमानन विभाग द्वारा जारी किए गए सम्बन्धित परिपत्र की एक प्रतिलिपि प्रत्येक हवाई अड्डे के वी० आई० पी० कक्ष में टांगी गई है।

(ग) पात्र वर्गों को इस सुविधा की मनाही करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

हवाई अड्डों पर वी० आई० पी० लाउंजों का उपयोग करने के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची

1. राष्ट्रपति
2. उप राष्ट्रपति
3. प्रधानमन्त्री
4. विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष
5. विदेशों के राज्याध्यक्ष
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
7. लोक सभा अध्यक्ष
8. केन्द्रीय मन्त्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष
9. राज्य मन्त्री (केन्द्रीय सरकार)
10. उपमन्त्री (केन्द्रीय सरकार)

11. राज्यपाल

12. उप राज्यपाल/मुख्य आयुक्त

13. मुख्य मन्त्री

14. मंत्री/अध्यक्ष (राज्य सरकारों)/योजना आयोग के सदस्य

15. उप मन्त्री (राज्य सरकार)

16. संसद सदस्य

17. भारत में नियुक्त किए गए राजदूत तथा उच्चायुक्त

18. विदेशों के प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्ष

19. विदेशों के मन्त्री

20. भारत में सरकारी मेहमान के रूप में आने वाले सरकारी प्रतिनिधि-मंडल

21. भूतपूर्व राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति

22. अपने सम्बन्धित स्टेशनों पर महानगर परिषदों के मेयर

23. तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, अर्थात् थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, नौ सेना अध्यक्ष ।

24. राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश

25. भारत सरकार के सचिव तथा पदेन सचिव

26. राज्य विधान सभाओं के सदस्य

27. अपने सम्बन्धित स्टेशनों पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के शैरिफ

28. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन

29. महासचिव, ए० ए० आर० ओ०

30. सहायक महासचिव, ए० ए० आर० ओ०

31. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश

32. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य

33. वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य

34. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

35. भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक

36. सरकारी मेहमान के रूप में भारत आने वाले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के सरकारी प्रतिनिधि मण्डल

37. प्रो० नुरुल हसन, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद के उपाध्यक्ष (स्थिति-वैयक्तिक)

38. श्री आर० पी० खन्ना केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (स्थिति-वैयक्तिक)

39. श्री मोहम्मद यूनुस, व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष (स्थिति-वैयक्तिक)

40. थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के उप प्रमुख

41. सेना के कमांडर तथा वायु सेना एवं नौ सेना में उसके समकक्ष पद वाले अधिकारी

42. पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति

43. अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव

44. भारतीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपति

45. राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव

46. श्री डी० डी० साठे, अध्यक्ष, निर्यात प्रोत्साहन निगम

47. डा० (श्रीमती) मादुरी एन० शाह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग

48. राज्यों के भूतपूर्व राज्यपाल

49. कोई भी अन्य व्यक्ति जिससे सरकार वी० आई० पी० के समान व्यवहार करना चाहती है।

दिल्ली के निर्यात गृहों के विरुद्ध अभियोग चलाना

4427. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के तीन प्रमुख निर्यात गृहों के विरुद्ध निर्यात-प्रोत्साहनों के मामले में सरकार के साथ लाखों रु० के कथित धोखाधड़ी पूर्ण निर्यातों के समक्ष आयात लाइसेंस लेने के मामले में अभियोग चलाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सम्भवत: प्रश्न दिनांक 19-2-1984 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार पर आधारित है जिसका शीर्षक था "केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के तीन निर्यात सदनों द्वारा धोखेबाजी किए जाने के विरुद्ध अभियोग चलाना।" इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र), नई दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली इस आरोप की जांच करने के लिए दो नियमित मामले दर्ज किए कि मैं० टयूर एन्टरप्राजेज, 32, वीर नगर, जी० टी० रोड, दिल्ली ने जाली निर्यात दस्तावेजों को प्रस्तुत करके नकद मुआवज़ा सहायता के रूप में 84,050 रु० (तथा 3,36,200 रु० मूल्य के दो आर० ई० पी० लाइसेंस प्राप्त किए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से तीन अन्य फर्मों, अर्थात् मैं० अंकुर ट्रेडिंग कारपोरेशन, मैं० गुप्ता एजेन्टस, नई दिल्ली तथा मैं० जैन एन्टरप्राइजेज, गाजियाबाद से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों के शामिल होने का पता चला। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13-2-84 को मुख्य मेट्रोपाल्टिन मैजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में, इन फर्मों में से कुछेक से सम्बन्धित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए एक अभियोग पत्र दायर किया है। तथापि, इन फर्मों में से किसी को भी एक निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नियोरा घाटी में जल पूर्ति योजना स्थापित करने पर आपत्ति

4428. **श्री अमल दत्त** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियोरा घाटी में प्राकृतिक जलाशय से कलिम्पोंग और मिलिटरी वेस तक जल पूर्ति योजना स्थापित करने पर आपत्ति की थी ; यदि हां, तो आपत्ति के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कलिम्पोंग को तिस्सा से जल देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस समिति ने अन्तरिम या अन्तिम रूप से कोई रिपोर्ट या सुझाव प्रस्तुत किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नियोरा घाटी में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल के आधार पर पानी की सप्लाई की एक योजना पर विचार किया गया था लेकिन परिस्थितिकी आधार पर पर्यावरण विभाग ने इसको कार्यान्वित करने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त समूह की सिफारिशों के बारे में पर्यावरण विभाग के साथ इस समय विचार-विमर्श चल रहा है।

विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि से अर्जित विदेशी मुद्रा

4429. **श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा 1980 से भेजी गई धनराशि के जरिए मास-वार अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन लोगों ने यह अर्जित की है उनके कल्याण पर इसका कितने प्रतिशत खर्च किया गया है ;

(ग) विदेशी मुद्रा भेजने वालों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे भारतीयों को भारत वापस आने पर बम्बई, मद्रास, दिल्ली और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परेशान किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) चूंकि मौजूदा नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत विक्रेताओं (डीलरों) को 10,000 रुपए या उससे कम राशि की प्रेषणाओं के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विदेशों में काम कर रहे केवल भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई विदेशी मुद्रा के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, 1980 से जनवरी, 1984 के अन्त तक के निर्यात-भिन्न सकल प्राप्तियों के तुरत और अनन्तिम अनुमानों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं । ये आंकड़े निर्यात-भिन्न सकल प्राप्तियों के द्योतक हैं जो 'आन्तरिक प्रेषणाओं' से सम्बद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षों, अर्थात् (i) परिवार भरण-पोषण, (ii) अनिवासियों की बचतों (iii) प्रवासी अन्तरणों और (iv) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा नौवहन प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों आदि के फलस्वरूप प्राधिकृत विक्रेताओं के जरिए प्राप्त होती है ।

(ख) यह प्रेषणाएं अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने खातों में अथवा अपने आश्रितों को भेजी जाती हैं और इस प्रकार ये रकमें उनके अपने ही उपयोग में अथवा कल्याण के लिए काम में लाई जाती हैं ।

(ग) बोनस अथवा विभेदी विनिमय दर के रूप में प्रेषणाओं पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । किन्तु, अनिवासी (बाह्य) खातों तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा रकमों पर तुलनीय परिपक्वता वाली स्थानीय जमा राशियों पर स्वीकार्य दरों से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है । इन खातों में जमा रकमों पर अर्जित ब्याज आय-कर से मुक्त होता है । इन जमा रकमों में से भारत में दिए गए उपहार भी दान कर से मुक्त होते हैं ।

(घ) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि इन भारतीयों को भारत में वापस लौटने पर बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा किसी भी अन्य भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है । बल्कि दूसरी तरफ, उनके सामान की निकासी । (क्लीयरेंस) को तेज करने के सम्बन्ध में कई सुविधापूर्ण उपाय किए गए हैं ।

विवरण

विदेशी मुद्रा की सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों के तुरन्त तथा अनन्तिम अनुमानों को दर्शानेवाला महीने-वार विवरण

(करोड़ रुपए)

महीने	1980	1981	1982	1983	1984
जनवरी	400.47	563.10	346.60	502.80	448.00
फरवरी	285.58	316.79	405.89	406.06	
मार्च	311.42	411.06	485.27	564.73	
अप्रैल	308.66	430.06	286.83	577.64	
मई	232.16	305.58	410.56	650.33	
जून	223.12	331.72	417.13	648.42	
जुलाई	230.05	390.36	486.78	996.29	
अगस्त	599.13	363.19	431.80	684.67	
सितम्बर	689.04	393.73	408.62	721.24	
अक्टूबर	643.37	322.97	530.55	438.34	
नवम्बर	231.37	366.68	382.79	629.99	
दिसम्बर	312.91	426.52	420.18	729.17	
	4467.28	4621.76	5013.00	7549.68	

नोट—ये आंकड़े निर्यात-भिन्न सकल प्राप्तियों के द्योतक हैं जो "आन्तरिक प्रेषणाओं" से सम्बद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षों, अर्थात् (i) परिवार भरणपोषण ; (ii) अनिवासियों की बचतों, (iii) प्रवासी अन्तरणों और (iv) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा नौवहन प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों आदि के फलस्वरूप प्राधिकृत विक्रेताओं के जरिए प्राप्त होती हैं।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

4430. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शुरू की गई प्रायोजित योजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ग) इन योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए छठी योजना में कितनी केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है ; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा प्रदर्शित रुचि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) चाय के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड फिलहाल विभिन्न विकास योजनाएं जैसे चाय बागान, वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण तथा नवीकरण उपदान योजना तथा छोटे उपजकर्त्ताओं के लिए अन्य विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

(ग) छठी योजनावधि में चाय उद्योग के विकास के लिए 41 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है।

(घ) चाय एस्टेटों को चाय बोर्ड द्वारा सीधी सहायता प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी जाती है। परम्परागत चाय उत्पादक राज्यों में उत्पादन में वृद्धि दर्शायी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विलय का प्रस्ताव

4431. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विलय के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4011 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के विलय के प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) 16-12-1983 के प्रश्न संख्या 4011 के उत्तर में जो उल्लेख किया गया है, उसके अलावा अन्य किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-सोवियत संघ संयुक्त अन्तरिक्ष अभियान

4432. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में भारत-सोवियत संघ संयुक्त अन्तरिक्ष अभियान के लिए मुख्य दल के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) चयन करने वालों में कौन भारतीय विशेषज्ञ शामिल था ;

(ग) इस समय सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में से किसका चयन किया गया है ; और

(घ) क्या उस देश में प्रशिक्षण के दौरान दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री द्वारा प्राप्त अनुभव और जानकारी का पूरा उपयोग किए जाने के प्रयत्न किए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) मुख्य और वकल्पिक दलों के गठन के बारे में निर्णय ले लिया गया है ।

(ख) इन मुख्य और वैकल्पिक दलों में भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों का अन्तिम चयन वायुसेना चयन बोर्ड ने किया ।

(ग) स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मुख्य दल में हैं और विंग कमांडर रविश मल्होत्रा वैकल्पिक दल में ।

(घ) जी, हां ।

असिस्टेन्ट कलेक्टर आफ सेन्ट्रल एक्साइज नार्थ गुजरात डिवीजन के कार्यालय की स्थिति

4433. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में असिस्टेन्ट कलेक्टर आफ सेन्ट्रल एक्साइज नार्थ गुजरात डिवीजन का कार्यालय नार्थ गुजरात डिवीजन के लिए है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के उत्तरी गुजरात के मेहसाना, बनासकंठ, साबरकंठ जिलों के वजाय अहमदाबाद में होने के क्या कारण हैं ?

(ग) उत्तरी गुजरात के उपर्युक्त तीन जिलों में से किसी एक जिले में जहां पर उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित अधिकतम कार्य इस कार्यालय को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं, जबकि इस स्थानान्तरण से लोगों को अधिक सुविधाएं होंगी ;

(घ) इस कार्यालय के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् कितने जिले और तहसील आते हैं अथवा यह कार्यालय किस क्षेत्र के लिए है और यहां पर किस जिले से सम्बन्धित अधिकतम कार्य किया जाता है ; और

(ङ) क्या इस कार्यालय को उस जिले में जिससे सम्बन्धित अधिकतम कार्य यहां पर किया जाता है ; स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) उत्तरी गुजरात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंडल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अहमदाबाद जिले के सनन्द, घोत्का, धन्धुकावीरमगम तथा देहगम ताल्लुके, जिला गांधीनगर, सुरेन्द्र नगर जिले का दाहसडा ताल्लुका तथा पालनपुर और हिम्मतनगर (पुराने नाम साबरकांठा तथा बनास-कांठा) तथा मेहसाना जिले आते हैं। सहायक समाहर्ता का कार्यालय (मंडल कार्यालय) 1975 से अहमदाबाद में स्थित है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंसधारियों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रेंज कार्यालयों से ही मुख्यतः प्रतिदिन काम पड़ता है। इस मंडल के कलोल में तीन रेंज हैं तथा एक-एक रेंज काड़ी, मेहसाना, विसनगर, पाटन, सिंधुपुर, पालनपुर तथा हिम्मतनगर में है। कलोल, काडी तथा मेहसाना के अधिकांश बड़े केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्धारितियों के मुख्यालय भी अहमदाबाद में हैं। इसलिए इस मंडल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले व्यापार तथा उद्योग के लिए, सहायक समाहर्ता के कार्यालय को अहमदाबाद में ही रखना अधिक सुविधाजनक समझा गया है। इसके अतिरिक्त, मंडल में अधिकतम कार्य कलोल तथा मेहसाना जिले के काडी ताल्लुका से प्राप्त होता है जो अहमदाबाद के बहुत निकट है।

(ङ) सहायक समाहर्ता के कार्यालय को अहमदाबाद से अन्यत्र बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य

4434. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 1984, 1983 और 1982 की फसलों के लिए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा दूसरी तरह के तम्बाकुओं के न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित कर दिए हैं : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) (1) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग तथा सप्लाई की स्थिति को देखते हुए तथा विश्व बाजार में कीमतों की सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रेडों के फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की 1984 की फसल के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतों में 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की अनुमति दी गई है। यह कीमतें 1-4-1984 से लागू होंगी। यह वृद्धि 31 मार्च, 1984 को या उससे पहले तम्बाकू बोर्ड के पास हस्ताक्षरित तथा पंजीकृत निर्यात संविदाओं पर लागू नहीं होगी।

(2) (क) एल०बी०वाई० तथा एल०बी० वाई-2, एवं सहायक ग्रेडो,

(ख) एल०बी०वाई-2 तथा ब्राउन एवं सहायक ग्रेडों,

(ग) स्टेम तथा स्टैम्बिट्स जैसे ग्रेडों की न्यूनतम निर्यात कीमतों में परस्पर बेहतर सापेक्षता स्थापित करने के लिए, एल०बी० वाई-2 तथा सहायक ग्रेडों ब्राउन तथा सहायक ग्रेडों और स्टैम्बिट्स के सम्बन्ध में न्यूनतम निर्यात कीमतों में अधिक वृद्धि की अनुमति दी गई है।

(3) वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू की 1983 और 1982 की फसलों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(4) सन क्योर्ड वर्जीनिया, सन क्योर्ड तम्बाकू तथा सन क्योर्ड जुट्टी की 1983 के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें इन ग्रेडों की 1984 की फसलों पर लागू होंगी। इन किस्मों के तम्बाकू की 1983 तथा 1982 की फसलों के सम्बन्ध में न्यूनतम निर्यात कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) तम्बाकू बोर्ड की सिफारिशों पर पूरी तरह से गौर करने के बाद तथा तम्बाकू उपज-कर्ताओं को उचित कीमतें देने की आवश्यकता को देखते हुए और हमारी कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाए रखने के लिए, न्यूनतम निर्यात कीमतें निर्धारित की गई हैं।

(6) यह आशा की जाती है कि न्यूनतम निर्यात कीमतों के नए ढांचे के फलस्वरूप निर्यात आय अधिक से अधिक हो सकेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

4435. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंक वार और वर्षवार कितने ऋण का वितरण किया गया ;

(ख) इन बैंकों ने उसी अवधि के दौरान गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कितनी राशि के ऋण वितरित किए ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इन ऋणों की कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के कुल अग्रिम और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में हैं, वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार गोरखपुर जिले में सभी वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम क्रमशः 3645 लाख रूपए, 4588 लाख रुपए और 5669 लाख रुपए थे।

विवरण

निम्नलिखित वर्षों के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार अग्रिम तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

(करोड़ रुपए)

बैंक/बैंक समूह का नाम	कुल अग्रिम			प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम		
	1980	1981	1982	1980	1981	1982X
1	2	3	4	5	6	7
क. भारतीय स्टेट बैंक समूह	7690	9434	11098	2853	3730	4149
ख. राष्ट्रीय बैंक—20						
1. सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया	1546	1885	2164	494	723	818
2. बैंक आफ इण्डिया	1338	1532	1696	483	598	632
3. पंजाब नेशनल	1449	1763	2117	545	685	808
4. बैंक आफ बड़ौदा	1315	1560	1890	501	617	712
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	911	1139	1290	306	441	502
6. केनरा बैंक	1116	1384	1728	386	511	610
7. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	723	814	962	215	266	309
8. देना बैंक	473	548	618	170	200	226
9. सिंडीकेट बैंक	936	1168	1399	355	457	544
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	787	958	1115	278	353	420
11. इलाहाबाद बैंक	461	541	670	150	191	232
12. इण्डियन बैंक	576	678	728	184	228	250
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	463	533	617	186	220	229

1	2	3	4	5	6	7
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक	659	805	949	228	300	345
15. आंध्र बैंक	335	433	529	128	172	222
16. पंजाब एंड सिंध बैंक	377	472	518	135	199	199
17. न्यू बैंक आफ इण्डिया	256	330	375	79	111	123
18. विजया बैंक	232	261	340	79	95	122
19. कारपोरेशन बैंक	148	180	208	48	70	79
20. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	167	224	271	49	73	90
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़ क+ख	21958	26642	31282	7852	10240	11621

×अनन्तिम

त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा बढ़ाना

4436, **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च जीवन लागत, औद्योगिक विस्तार, पर्यटक और तीर्थ यात्रियों की संख्या आदि जैसे कारकों पर विचार करके भारत सरकार की 30 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या ओं० एम० एफ० 11016/क्यू/81/ई-11 (बी) के अनुसार जयपुर कोयम्बटूर जैसे शहरों का दर्जा बी-2 ग्रेड से बढ़ाकर बी ग्रेड कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा बी-2 से बी ग्रेड न किए जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम शहर का दर्जा अविलम्ब बी-1 ग्रेड में करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ख) इस मंत्रालय के दिनांक 30-4-1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 110616/2/81-संस्था.11 (ख) के अन्तर्गत उच्च जीवन निर्वाह लागत, ओद्योगिक विस्तार, पर्यटन और तीर्थ यात्रियों के आवागमन आदि जैसे विभिन्न कारणों से प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन के लिए जयपुर और कोयम्बटूर सहित आठ नगरों का दर्जा बी-2 श्रेणी से बढ़ाकर बी-1 श्रेणी कर दिया गया था। त्रिवेन्द्रम का इस प्रकार का दर्जा नहीं बढ़ाया गया,

क्योंकि वह इस बारे में अपनाए गए मानदण्डों को पूरा नहीं करता था। 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भी त्रिवेन्द्रम "बी-1" श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं है।

अम्बाला छावनी के सरकारी भवनों की ओर देय सर्विस चार्ज बिल का भुगतान लम्बित

4437. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन न किए जाने के कारण अम्बाला छावनी के सरकारी भवनों की ओर देय सर्विस चार्ज बिल का भुगतान लम्बित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आवश्यक धनराशि कब तक आबंटित करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित धनराशि शीघ्र आबंटन करने की कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक

4438. **श्री भीखाभाई** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों के नामों तथा उनकी अवधि ; और

(ख) इनमें से कौन-कौन से उपक्रमों के शीर्ष अधिकारी नहीं हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) यथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-1-1984 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों और अंशकालिक अध्यक्षों के नाम तथा उनकी सेवा अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 7999/8

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4438/84]

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 13 उद्यम हैं जिनमें इस समय पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक नहीं हैं। इन उद्यमों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-2

क्रमांक	पद/उद्यम का नाम
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
2.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०
3.	मुख्य कार्यपालक, होस्पिटल कंस्लटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लि०

क्रमांक	पद/उद्यम का नाम
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलायची व्यापार निगम
5.	प्रबन्ध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०
6.	प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डिवेल्पमेंट कारपो०
7.	प्रबन्ध निदेशक, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ने० टे० का० (प० बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
10.	प्रबन्ध निदेशक, एजूकेशनल कंस्लटेंट्स (इण्डिया) लि०
11.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कारपो०
12.	प्रबन्ध निदेशक, व्यापार मेला प्राधिकरल
13.	प्रबन्ध निदेशक, बीको लारी लि०

सूती धागे के निर्यातकों को नकद सहायता

4439. **श्री के० मालन्ना :**

श्री छोटूभाई गामित :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूती धागे के निर्यातकों को विदेशों में इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए नकद सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) इस सम्पूर्ण विषय पर बातचीत चल रही है ।

विदेशों को भेजा गया धन

4441. **श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में ऋण प्रभार, लाभांश, व्यक्तिगत वेतनों, आदि के रूप में भारत से विदेशों को प्रति वर्ष भेजे गए धन का मद-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डारों को प्रभावित करने वाली हमारी निर्यात आय में उसका प्रतिशत क्या है ; और

(ग) क्या भारत से विदेशी को भेजा जाने वाला धन वृद्धि पर है ; यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित भुगतान शेष के आंकड़ों के अनुसार, ऋण परिशोधन, लाभांश आदि के रूप में प्रेषणाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
I.	निर्यात से आय (करोड़ रुपए)	5555	6201	6576	7766
II. (क)	कुल ऋण परिशोधन (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन संबंधी अदायगियों को छोड़कर) (करोड़ रुपए)	730	806	917	937
(ख)	निर्यात आय के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण परिशोधन	13.14	13.00	13:94	12.07
III. (क)	लाभांश (करोड़ रुपए)	54	51	56	59
(ख)	निर्यात आय के प्रतिशत	0.97	0.82	0.85	0.76

वर्ष 1982-83 के लिए भुगतान शेष के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। विदेशी नागरिकों द्वारा की जाने वाली वेतन संबंधी प्रेषणाओं का ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता क्योंकि विदेशी मुद्रा नियंत्रण की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विदेशी नागरिकों को भारत में अर्जित वेतनों के बारे में सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(ग) हालांकि "अदृश्य मदों" के रूप में विदेशों को भारत से भेजी गई प्रेषणाओं की रकम में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है परन्तु इस प्रकार की प्राप्तियों में भी काफी वृद्धि हुई है। "अदृश्य" प्राप्तियों की रकम (अर्थात् प्राप्तियों में से अदायगियों को घटाने के बाद) उपर्युक्त वर्षों में क्रमशः 1571 करोड़, 2603 करोड़, 3749 करोड़ और 3303 करोड़ रुपए थीं।

कनाडा की खनन कम्पनियों द्वारा भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करना

4442. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की कुछ अग्रणी खनन कम्पनियों ने भारतीय फर्मों के साथ कुछ विशिष्ट संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कनाडा की कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) वर्ष 1984-85 में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित संयुक्त उद्यम खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा वर्ग IV के कर्मचारियों को स्कूटर ऋण

4443. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित कुछ सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने श्रेणी IV के कर्मचारियों को स्कूटर लेने के लिए 5,000 रु० से लेकर 7,000 रु० तक का ऋण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उन्हीं शर्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के इसी वर्ग के कर्मचारियों को इतना ही ऋण दिए जाने पर विचार करेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों का वेतन 500/- रु० मासिक या उससे अधिक है, वे स्कूटर खरीदने के लिए अग्रिम राशि दिए जाने के पात्र हैं। किन्तु, सुपात्र कर्मचारियों को इस प्रकार की अग्रिम राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वेतन की निर्धारित अधिकतम राशि में छूट दे सकते हैं। इसके लिए वेतन सीमा निर्धारित करने का कारण यह है कि उससे कम वेतन पाने वाला व्यक्ति सामान्यतः स्कूटर रखने का खर्च वहन नहीं कर सकता है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की यह वेतन सीमा परिशोधित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन मिलों को घाटा

4444. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा कितनी कपड़ा मिलें चलाई जा रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा चलायी जा रही मिलें घाटे में चल रही हैं, यदि हां, तो नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को इसकी स्थापना के बाद से हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस समय एन० टी० सी० 22 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध अधिग्रहण के अलावा 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों का संचालन कर रहा है।

(ख) इन मिलों के लाभ-हानि के वर्षवार ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राष्ट्रीयकृत मिलें	प्रबन्धाधीन मिलें
1974-75	(—) 29.99	—
1975-76	(—) 59.86	—
1976-77	(—) 51.53	(—) 1.07
1977-78	(—) 47.82	(—) 1.51
1978-79	(—) 18.31	(—) 1.06
1979-80	(—) 16.74	(—) 1.32
1980-81	(—) 18.57	(—) 1.88
1981-82	(—) 11.24	(—) 15.90
1982-83	(—) 78.50	(—) 17.87
1983-84 (अन) (अप्रैल 83 से जनवरी 84 तक)	(—) 71.50	(—) 20.62

(ग) घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. अधिकांश मिलों में पुरानी तथा अविकसित मशीनरी।
2. बिजली की कमी के कारण अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग।
3. श्रमिक बल का आधिक्य।
4. रुई तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमतों में वृद्धि।
5. महंगाई भत्ते में वृद्धि से वेतन में वृद्धि ; तथा
6. कपड़ा तथा यार्न बाजार में मंदी।

(घ) इन मिलों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं :

1. जहां आवश्यक हो संयंत्र मशीनरी का आधुनिकीकरण एवं अधिष्ठापित क्षमता का विस्तार।

2. बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल जैनेरेटिंग सैट लगाना।

3. कार्यभार तथा श्रमिक बल का युक्तियुक्तरण।

4. उत्पादन के पैटर्न का विधीकरण।

उत्तर प्रवेश के गाजीपुर जिले में बैंकों की शाखायें खोला जाना

4445. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में विभिन्न बैंकों की शाखाएं खोले जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा किन स्थानों पर शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में मन्जूरी प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे जनवरी, 1983 से 19 मार्च, 1984 तक के दौरान बैंकों से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के 5 केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने सादत रेलवे स्टेशन पर शाखा खोलने के लिए आवेदन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मुहम्मदाबाद, जमानिया, सैयदपुर और मनियारे में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेन्सी के वास्ते आवेदन किया था। चूंकि ये आवेदन उचित क्रम में नहीं थे, इसलिए बैंक को इन्हें निर्धारित फार्मेट पर फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

भारतीय होटल मालिकों द्वारा विदेशों में निवेश

4446. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय होटल मालिकों का, जिन्होंने विदेशों में होटल स्थापित किए हैं तथा प्रत्येक मामले में उनकी ईक्विटी पूंजी, तकनीकी जानकारी की शर्तों के अनुसार निवेश, जनशक्ति तथा उपकरण और विदेशी सहयोग, यदि कोई है, ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन देशों में होटल स्थापित किए गए हैं उनकी सरकारों की कितनी ईक्विटी शेयर पूंजी है ;

(ग) सरकार को उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार इन भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत को कितना लाभ भेजा गया है ; और

(घ) इन होटल मालिकों द्वारा विदेशों में अर्जित लाभ का दुरुपयोग रोकने तथा विदेशों में जमा सारी धनराशि पर निगरानी और जांच रखने के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (Laid on the Table (48-49) पर रखा गया)

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और लेखा-परीक्षित लाभ-हानि लेखे जो कि निदेशकों द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने होते हैं जिससे उन पर निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति के लिए चयन

4447. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सशस्त्र सेना मुख्यालयों के कितने सिविलियन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये पद परिचालित किए गए थे और यदि हां, तो चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) एक बार प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करके आने पर कितने व्यक्तियों को पुन: प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ;

(घ) कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के आदेश क्या हैं और क्या उन आदेशों का पालन किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारी इस प्रकार बार-बार प्रतिनियुक्ति पर जाने की व्यवस्था कैसे कर लेते हैं ?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले पांच वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन विभिन्न परियोजनाओं, मन्त्रालयों/विभागों में कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए उनकी सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर यथा-संशोधित वित्त मन्त्रालय के 4 मई, 1961 के का०ज्ञा०सं० एफ० 10/24-ई०-III/60 में दी गई हैं।

(ख) सामान्यत: प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित सभी परिपत्रों को कर्मचारियों में परिचालित किया जाता है और पात्र आवेदकों के नाम मांगकर्ता विभागों को भेजे जाते हैं जो उनका चयन करते हैं।

(ग) मांगकर्ता मन्त्रालयों/विभागों द्वारा चयन किए जाने पर पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल सात कर्मचारी दूसरी बार प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए।

विवरण

भारतीय होटल मालिकों द्वारा विदेशों में निवेश के बारे में 23-3-1984 को पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न सं० 4446 के सम्बन्ध में संलग्न विवरण

भारतीय होटल मालिकों के नाम	विदेश	निवेश				भारतीय रुपयों में भारत भेजा गया लाभ	
		भारतीय होटल मालिकों का ईक्विटी शेयर	विदेशी सरकारों का ईक्विटी शेयर	तकनीकी जानकारी के लिए	उपकरण के लिए		
ओबराय होटल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	(I) साऊदी अरब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5,82,751	2,50,000/- एस०आर०के०ईक्विटी निवेश में से पूंजी में परिणत
						1,42,915	भारत भेजा गया
						5,39,607	रायल्टी
	(II) आस्ट्रेलिया	75,000 ए $	शून्य	शून्य	शून्य	5,20,498	सदस्यता फीस
	(III) यू० के०	75,000 £	—	—	—	—	
	(IV) नेपाल	1.83,412 एन०रु०	—	—	—	52,68,034	सदस्यता फीस
						20,13,793	तकनीकी जानकारी के लिए फीस ईक्विटी पूंजी में से पूंजी में परिणत

भारतीय होटल कम्पनी (ताज ग्रुप)	(I) श्रीलंका	0.75 मिलियन यू०एस०$	—	3.00 मिलियन यू०एस०$ (निर्माणाधीन होटल)	—
	(II) यू०एस०ए०	40,000 यू०एस०$	—	—	— (होटल अभी चालू नहीं हुआ है)

(घ) और (ङ) सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण से सम्बन्धित अनुदेश भाग (क) में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए हैं और इनका पालन किया जाता है।

विवरण-I

पिछले पांच वर्षों अर्थात 1979 से 1983 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों का ब्यौरा

समूह	प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों की संख्या (वर्षवार)					
	1979	1980	1981	1982	1983	कुल
समूह 'क'	—	1	3	3	2	9
समूह 'ख'	11	14	25	51	28	129
समूह 'ग'	12	18	43	35	25	133
समूह 'घ'	—	2	2	1	3	8
कुल	23	35	73	90	58	279

विवरण-2

1979 से 1983 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों का ब्यौरा—संगठनवार

संगठन	कर्मचारियों की संख्या
1	2
1. तट रक्षक मुख्यालय	74
2. सलाल जल विद्युत परियोजना लिमिटेड, ज्योतिपुरम्	12
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	05
4. सीमेंट नियन्त्रक का कार्यालय	09
5. एशियाई खेल समारोह/गुटनिरपेक्ष सम्मेलन	45

1	2
6. केन्द्र राज्य सम्बन्ध समिति	04
7. इतिहास अनुभाग, रक्षा मन्त्रालय	09
8. विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास	11
9. भारत के महापंजीकार	10
10. सीमा सुरक्षा बल	04
11. महानिदेशक, विशेष सीमांत बल	04
12. योजना मन्त्रालय	04
13. दिल्ली प्रशासन	04
14. परियोजना प्रबन्ध ग्रुप, रक्षा मन्त्रालय	04
15. अन्य मन्त्रालय/विभाग जहां प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या 4 से कम थी	80
कुल	279

निर्यात निरीक्षण परिषद के कार्यालयों में चिकित्सा बल

4448. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, निर्यात निरीक्षण परिषद के अन्तर्गत कार्यालयों में कार्यालय-वार चिकित्सा बिलों की मद में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा बिलों के सम्बन्ध में निचली श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों को भारी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

वर्ष 1981 से 1983 के दौरान (श्रेणी क तथा ख के) अधिकारियों को 10,12,965 रु० की

राशि का भुगतान किया गया, जबकि (श्रेणी 'ग' तथा 'घ' के) कर्मचारियों को 31,83,538 रु० का भुगतान किया गया ।

विवरण

वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में चिकित्सा बिलों के लिए किए गए भुगतान का विवरण

(इकाई रुपयों में)

	1981	1982	1983
बम्बई	1,73,779	2,57,475	2,84,799
कलकत्ता	5,28,257	5,59,469	5,44,269
कोचीन	86,649	78,720	1,60,978
दिल्ली	3,79,284	5,37,432	3,28,957
मद्रास	40,013	53,984	60,434
	12,10,982	14,87,080	15,79,437

1981, 1982 तथा 1983 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद में चिकित्सा बिलों के किए गए भुगतान का विवरण

(इकाई रुपयों में)

	1981	1982	1983
निर्यात निरीक्षण परिषद	43,497	48,348	27,159

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

4449. **श्री अजित बाग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष भत्ते और 25 प्रतिशत आवास भत्ते आदि के रूप में विशेष सुविधाएं देने के आदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भी मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कार्यरत अपने कर्मचारियों को

ये सुविधाएं देने का विचार है क्योंकि बस्तर जिले की वर्तमान स्थिति का उन पर भी उसी रूप में प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आदिवासी इलाकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपयुक्त योग्यता, क्षमता और कार्य-कुशलता वाले व्यक्तियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक विशेष भत्ता और अन्य सुविधाएं मन्जूर की हैं।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिए प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित भत्तों और सुविधाओं की उन्हें स्वीकृति देना न्यायोचित नहीं पाया गया है।

मारुति सुजुकी कार के लिए आयातित एकक

4450. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मन्त्री मारुति सुजुकी कार के लिए आयातित एकक के बारे में 2 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 के उत्तर के सम्बन्ध में तथा बम्बई सीमा शुल्क गृह द्वारा बीजकों तथा विपत्रों की प्रविष्टि की जांच के सन्दर्भ में तथा जांच किए गए इन दस्तावेजों के आधार पर तथा सुजुकी कारों, वेन तथा बम्बई पत्तन पर सी० के० डी० अवस्था में अन्य पुर्जों के माडलों के आयातों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों, वेन तथा अन्य पुर्जों का सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष घोषित पोत पर्यंत निःशुल्क तथा लागत भाड़ा/लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है ; और

(ख) जांच के अधीन दस्तावेजों की वस्तुओं के सम्बन्ध में वास्तव में क्या शुल्क लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु एककों को ऋण सुविधा

4451. **श्री ईरा मोहन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम क्या हैं जो उन लघु एककों को केवल 60 प्रतिशत ऋण सुविधा देते हैं जिनके परियोजना रिपोर्ट और पूंजी निवेश विवरण मन्जूरशुदा हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि परियोजना रिपोर्ट और पूंजी निवेश विवरण मन्जूर हो जाने के बाद पहली ही बार में पूरा ऋण दिया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम०कृष्ण) : (क) और (ख) लघु उद्योगों को दिए जाने

वाले ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत आते हैं और बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे एककों से ऋण प्रस्ताव प्राप्त करते समय वे मोटे तौर पर परियोजना की अर्थक्षमता का ही ध्यान रखें और उनकी आवश्यकता पर आधारित जरूरतों को देखते हुए ऋण सुविधाएं मन्जूर करें। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि कार्यशील पूंजी सीमाओं की मन्जूरी देते समय, एक परिचालन भाग की आवश्यकताओं का उदारतापूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इनसे 10 से 25 प्रतिशत तक आकस्मिकता राशि ऋण स्वीकृति के साथ ही जोड़ दी जानी चाहिए जो किसी अप्रत्याशित आकस्मिकता की स्थिति में संवितरित कर दी जाए। सरकार को तमिलनाडु के उन बैंकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो इन एककों की आवश्यकताओं के 60 प्रतिशत तक ऋण सहायता देते हैं।

किसी अन्य नगर में स्थित बैंक से चैक/बैंक ड्राफ्ट का भुगतान प्राप्त करने में विलम्ब

4452. **श्री आर० एन० राकेश:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक नियमों के अनुसार ग्राहक द्वारा एक नगर में बैंक में जमा कराए गए चैक ड्राफ्ट का किसी अन्य नगर में स्थित बैंक से भुगतान प्राप्त करने में सामान्यत: कितना समय लगता है ;

(ख) क्या आजकल बैंकों द्वारा किसी अन्य नगर में स्थित बैंक से चैक/बैंक ड्राफ्ट का भुगतान प्राप्त करने में 15 दिन से एक महीने तक का समय लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किसी ग्राहक द्वारा एक नगर में बैंक में जमा कराये गये चेक/ड्राफ्ट का किसी अन्य नगर में स्थित बैंक से भुगतान प्राप्त करने में लगने वाले अधिकतम समय के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है। बैंक द्वारा किसी जमा कराये गये चेकों/ड्राफ्टों का भुगतान प्राप्त करने में प्राय: जो समय लगता है वह अन्य नगरों में बैंकों की उन शाखाओं की अवस्थिति पर निर्भर करता है जिनसे यह भुगतान प्राप्त करना होता है। बैंक बाहरी चेकों/ड्राफ्टों के भुगतान सम्बन्धी अपनी सेवाओं को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर भी, कुछ मामलों में ऐसे भुगतानों को प्राप्त करने में एक महीने से अधिक समय लग जाता है। बैंकों को बहुत से चेकों का भुगतान प्राप्त करना होता है उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाने के कारण भी देर होती है।

समाशोधन गृह के परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने, क्षेत्रीय संग्रह केन्द्र खोलने, और अधिक समाशोधन गृह खोलने तथा हवाई भाड़ा सेवाओं जैसे यथासम्भव उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इन उपायों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, कार्यकारी दल की सिफारिश पर, दीर्घविधिक उपाय के रूप में चेकों के सम्बन्ध में यन्त्रीकृत प्रक्रिया करने के लिए एम०आई०सी०आर० प्रौद्योगिकी को अपनाना स्वीकार कर लिया है।

बैंक ड्राफ्ट जारी करने/हुंडियां और चैक भुनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कमीशन

4453. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** बैंक ड्राफ्ट जारी करने/हुंडियां और चैक भुनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कमीशन के बारे में 15 अक्तूबर, 1982 में अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जालौर जिले (राजस्थान) में पर्यटन केन्द्रों की घोषणा

4454. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जालौर जिले में अनेक ऐसे ऐतिहासिक किले और मंदिर हैं जिन्हें अभी तक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जालौर किले, सुन्दीजी का मन्दिर बघवाजी आदि स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों के माध्यम से राजस्थान राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 3 यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं। जिनमें 20 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं। तथापि, जालौर जिला अभी यात्रा परिपथों का हिस्सा नहीं बन पाया है ।

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण योजना

4455. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अपने अधिकारियों को लन्दन कार्यालय और एस०पी०बी०टी० कालेज, बम्बई में प्रशिक्षण देती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ग्राह्यता मानदण्ड सहित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रशिक्षण योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए ग्राह्यता मानदण्ड एवं सेवा-अनुभव और आयु में उपयुक्त छूट दी जाती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) लन्दन और एस० पी० बी० टी० कालेज, बम्बई में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों ने 1978 से अब तक चयन में क्षेत्रवार और वर्षवार भाग लिया ; और

(च) लन्दन और बम्बई में प्रशिक्षण हेतु अगला बैच भेजने की अनुमानित तारीख क्या है तथा सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की चयन-क्षेत्रवार संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि बम्बई में एस०पी०बी०टी० कालेज के नाम से उसका एक स्टाफ कालेज है जिसमें मुख्य रूप से कनिष्ठ और मध्य प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों को बैंकों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं के अलग-अलग पाठ्यक्रमों का कक्षाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकारियों का चयन उनके द्वारा वर्तमान में किये जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाता है।

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 1982 के वर्ष के बाद से हर वर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए छः कनिष्ठ प्रबन्ध वेतनमान-I के अधिकारियों को लन्दन स्थित अपने कार्यालय में भेजता है। लन्दन में प्रशिक्षण के लिए पात्रता का मापदण्ड यह है कि अधिकारी की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच उसे स्नातक होना चाहिए(व्यावसायिक अर्हता अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है)और उसने कम-से-कम अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा की हो। सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने यह सूचित किया कि एस० पी० बी० टी० कालेज, बम्बई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आयु और वरिष्ठता के मामले में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों को यह परामर्श दिया गया है कि वे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।

(ङ) प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978 से 1983 के दौरान एस०पी०बी०टी० कालेज में सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के अधिकारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अनुसूचित जातियों के अधिकारी	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी	सामान्य श्रेणी के अधिकारी
1978	अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं	अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं	1205*
1979	—तदेव—	—तदेव—	1071*
1980	15	—	946
1981	17	—	921
1982	9	—	885
1983	26	6	1267

* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों सहित। प्रदेश/क्षेत्रवार ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

लन्दन में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी अधिकारी सामान्य वर्ग के थे।

(च) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसका जुलाई, 1984 में अधिकारियों के बैच को लन्दन कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए भेजने का प्रस्ताव है और इस बैच के लिए प्रत्याशियों का निर्धारण किया जा रहा है। वर्ष 1984 में एस०पी०बी०टी० कालेज, बम्बई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1275 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है। बैंक के पास विभिन्न प्रदेशों/क्षेत्रों के चुने गये अथवा चुने जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

लोह अयस्क के निर्यात के सारणीकरण को समाप्त करना

4456. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या वाणिज्य मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा खनिज व्यापार निगम उड़ीसा खनन निगम का, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यों में सहायता करने तथा उसे समर्थन देने में असफल रहा है जैसा कि 8 फरवरी, 1984, के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लोह निर्यात की सारणीकरण समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि उड़ीसा ने प्रस्ताव किया है ; और

(घ) क्या खनिज धातु तथा व्यापार, निगम, उड़ीसा खनन निगम के नाम पर लोह निर्यात हेतु जापान से मिले परक्षण आर्डर को पूरा नहीं कर सका है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। वास्तव में खनिज व धातु व्यापार निगम, उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन को उसकी खानों में उत्पादित होने वाले लोह अयस्क के निर्यात में सहायता दे रहा है।

(ग) जापान, दक्षिण-कोरिया, ताईवान तथा पश्चिम यूरोप को गोवा मूल के लौह अयस्क का निर्यात मार्गीकृत है। तथापि, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को केवल बिहार/उड़ीसा में खनन उद्योग के व्यापक सामाजिक-आर्थिक हितों में सीधे निर्यात क्रयादेश मगाने की अनुमति दी गई है। इस पर सहमत हुई है कि लौह अयस्क के निर्यातों के लिए उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सीधी प्राप्त की गई पूछ-ताछों/पेशकशों को खनिज व धातु व्यापार निगम को भेज दिया जायेगा, जिन पर मार्गीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए सौदा करने तथा संविदाओं पर हस्ताक्षर करने का उत्तरदायित्व होगा। उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्राप्त किए गए सभी क्रयादेशों को इस आधार पर प्रोसेस किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। जापान के लिए लगभग 8,000 मे० टन के परीक्षण क्रयादेश आधार पर उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित लोह अयस्क फरवरी, 1984 में निर्यात किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मधुबनी के विरुद्ध शिकायतों और उसकी कार्यविधि के बारे में जांच

4457. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** बिहार में मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की चत्रा-गोब्रीड़ा, विष्णुपुर और मनहोन शाखाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 24 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मधुबनी के विरुद्ध शिकायतों तथा इसके द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि के बारे में सर्वांगीण जांच इस बीच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या ब्यौरा है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार की जांच अथवा कम से कम नमूना सर्वेक्षण बिहार के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में भी किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की छतरा, गोबरूरा, विष्णुपुर और मनमोहन शाखाओं के बारे में सरकार को प्राप्त उन शिकायतों की विस्तृत जांच का काम हाथ में लेने के लिए कहा गया था जिनमें असंवितरित ऋणों की वापसी अदायगी की किस्तों के नोटिस जारी किए जाने, झूठे नलकूपों के लिए ऋणों का संवितरण किए जाने और उपर्युक्त शाखाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में आरोप लगाए गए थे। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक से प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। बैंक ने बताया है कि उनके द्वारा की गयी जांच में झूठे नलकूपों का आरोप सिद्ध नहीं होता। मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 5 शाखाओं द्वारा नलकूपों के लिए स्वीकृत 14 प्रस्तावों में से 12 नलकूप चालू हालत में पाए गए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋण के अंतिम उपभोग की जांच के बाद खंड अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता भी जारी कर दी गयी बताई जाती है। एक मामले में ऋणकर्ता ने ऋण राशि नकद संवितरण पर जोर दिया और इसलिए उसका वित्त-पोषण नहीं किया जा सका और दूसरे मामले में बड़े नलकूप का लगाया जाना सफल नहीं हुआ। जहां तक असंवितरित ऋणों की वापसी अदायगी की किस्तों के नोटिस जारी किए जाने का सम्बन्ध है, यह बताया गया कि ऐसा केवल एक ही मामला था जो स्टाफ की असावधानी के कारण हुआ। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक ने पटना स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को उस क्षेत्र के कुछ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्ययन करने के लिए कहा है ताकि सभी सम्बन्धितों के नाम उचित मार्ग निर्देश जारी किए जा सकें।

दिल्ली और इलाहाबाद के बीच दैनिक विमान सेवा

4458. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार दिल्ली और इलाहाबाद के बीच दैनिक विमान सेवा चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) दिल्ली तथा इलाहाबाद के बीच सप्ताह में तीन बार की एच० एस०-748 सेवा पर फिलहाल पेश की गई क्षमता वर्तमान यातायात मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करती है । अत: वर्तमान सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

4459. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का कुछ प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋण कर्त्ताओं को दी जाने वाली ऋण सहायता को बढ़ाने के लिए कहा गया है । लेकिन ऐसी धनराशियां अनुसूचि जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप पैमाने पर निर्भर करती हैं । ऐसी गतिविधियों के अर्थक्षम क्षेत्रों की योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है जिनमें आमतौर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के ऋणकर्त्ता कार्यरत होते हैं या जिनमें उन्होंने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है या जिनमें उन्होंने कुछ विशेषज्ञता प्राप्त की होती है । इसके अलावा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत कमजोर वर्गों की एक स्थूल धारणा बनायी गयी है जिसमें छोटे और सीमांतिक किसान भूमिहीन मजदूर, बटाई-दार, शिक्मी किसान, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधि-कारी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी और कारीगर तथा कुटीर और ग्राम उद्योग शामिल हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके कुल प्राथ-मिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कम से कम 25% हिस्सा इस वर्ग को मिलना चाहिए । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के हिताधिकारियों पर

दिए जाने वाले जोर से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं को मिलने वाले बैंक ऋणों में कई गुणा वृद्धि हो जाने की आशा की है। इस दिशा में किए जाने वाले उपायों के परिणाम-स्वरूप अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रअग्रिमों की बकाया रकमों में जून 1979 में 169 करोड़ रु० से सितम्बर 1983 में 717 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है।

रक्षा अनुसंधान और संगठन द्वारा बनाए गए भौतिक और भूभौतिक समुद्री विज्ञान सम्बन्धी उपकरण

4460. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1983-84 के दौरान भौतिक और भूभौतिक समुद्री विज्ञान सम्बन्धी अनेक उपकरण बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उक्त अवधि में समुद्री विज्ञान सम्बन्धी कितने उपकरण बनाए गए हैं ; और

(ग) उक्त मामले में रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद का 1984-85 का कार्यक्रम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० पी०सिंह देव) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोग-शालाओं ने कुछ भौतिक और भू-भौतिक समुद्रविज्ञान सम्बन्धी यन्त्रों के प्रयोगशाला माडलों का डिजायन और उत्पादन किया है लेकिन यह काम अपने ही उपयोग तथा नौसेना द्वारा उपयोग के लिए 1983-84 से पहले किया गया था।

(ख) इन डिजाइनों को निर्माण के लिए क्रमिक के आधार पर उद्योगों को हस्तांतरित किया गया। इनमें एक्सपेंडेबल बेथीथरमोग्राफ, सोनिक रे प्लाटर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसपोंडर आदि शामिल हैं। प्रयोगशाला में उपयोग की मदें प्रयोगशालाओं में ही बनाई गई। ये मदें हैं—तरंग मापी, ज्वार मापी और तरंग रिकार्डर।

(ग) 1984-85 और उसके बाद के कार्यक्रम ये होंगे—नौसेना के प्रयोग के लिए वैज्ञानिक समुद्रविज्ञान अनुसंधान और डिजाइन कार्यक्रम जारी रखना और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विकास विभाग, भारतीय मौसम विभाग आदि जैसे अन्य संस्थानों के साथ समुद्रीविज्ञान सम्बन्धी कार्य-क्रमों में सहयोग करना।

निरीक्षण महानिदेशालय में सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए संवर्ग पुनरीक्षण

4461. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के 20 अप्रैल, 1981 के पत्र संख्या 1333/डी० (प्रोजेक्ट)/81 का उद्देश्य सैनिक कार्मिकों के खाली पदों को सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों से भरना था ताकि वर्तमान

असंतुलन को दूर किया जा सके और उच्च स्तर पर संवर्ग पुनरीक्षण के लिए लम्बित सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों को अधिक खाली स्थान दिए जा सकें।

(ख) क्या निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सैनिक अधिकारियों की तुलना में सिविलियन वैज्ञानिकों के लिए भविष्य में कम अवसर होने के कारण संवर्ग पुनरीक्षा जरूरी है ;

(ग) क्या सिविलियनों के संवर्ग पुनरीक्षण की अनदेखी कर दी गई है और सैनिक अधिकारियों के संवर्ग पुनरीक्षण की घोषणा कर दी गई है जिसमे वर्तमान असंतुलन और बढ़ गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों की शिकायत है कि निरीक्षण महानिदेशालय सैनिक अधिकारियों को अधिमानता दी जाती है ?

रक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) निरीक्षण महानिदेशालय के सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों से उनकी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले थे। अप्रैल 1981 में यह आन्तरिक निर्णय लिया गया था कि अस्थायी तौर पर जहां तक सम्भव हो पात्र सिविलियन अफसरों को सेना अफसरों के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सविलियन वैज्ञानिक अफसरों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए दिसम्बर 1981 में निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के पदों को सिविलियन अफसरों और सेना अफसरों के बीच बांटा गया था ; यह काम इन अफसरों के सम्पूर्ण संवर्ग की समीक्षा करने से पूर्व एक अन्तवर्ती उपाय के रूप में किया गया था। फलस्वरूप कुछ उच्च स्तर के पदों को अब सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों के लिए नियत कर दिया गया है। सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों के लिए नियत कर दिया गया है। सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों और सेना अफसरों दोनों के संवर्ग की समीक्षा का कार्य साथ साथ किया गया है। सेना अफसरों के संवर्ग की समीक्षा का कार्य अभी पूर्ण हुआ है जबकि सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों के काडर का कार्य अन्तिम चरण में है।

रक्षा मंत्रालय में नियुक्त नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

4462. **श्री के० बी० एस० मणी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में नैमित्तिक मजदूरों को कतिपय निश्चित दिनों तक काम करने के बाद स्वतः नियमित कर दिया जाता है ; यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ;

(ख) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में उन नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान नियमित किया गया है ;

(ग) उन नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जो दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहें हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उनको नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध पदों की संख्या और कर्मचारियों की पात्रता के आधार पर नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। कोई समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस बात पर निर्भर करता है कि कितने पद उपलब्ध हैं और कितने नैमित्तिक कर्मचारी पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

"बृजभूमि" में कुण्डों, सरोवरों, घाटों का संरक्षण

4463. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** 6 दिसम्बर, 1983 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृजभूमि परिक्रमा क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई योजना, जो इस क्षेत्र की इस पुरातात्विक विरासत के संरक्षण की तात्कालिक जरूरत जाहिर करती है, पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) पर्यावरण विभाग में स्थापित की गई समन्वय उप-समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या बृजभूमि में कुछ कुण्डों, सरोवरों, घाटों तथा छतरी आदि की ऐसी खस्ता हालत है कि उनके संरक्षण के लिए प्रस्तावित तन्त्र उन्हें बचाने में समर्थ नहीं हो सकेगा और यदि हां, तो उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(घ) यात्रियों के लिए पड़ावों के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में कोई कार्य यदि अब तक प्रारम्भ हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) बृजभूमि पर्यावरण विकास योजनाओं के आधार-स्वरूप के अन्तर्गत आने वाले विशिष्ट कार्यों सम्बन्धी विस्तृत प्रस्तावों की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है। इस क्षेत्र में पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्मारकों की स्थिति पर एक सर्वेक्षण कराने का भी प्रस्ताव है ताकि समुचित रूप से उनका परीक्षण और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

कोचीन में अवैध औषधियों का व्यापार

4464. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में अवैध औषधियों का बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है और न्यूजर्सी के समुद्र तट पर अमेरिका के प्राधिकारियों ने हाल ही में एक तस्करी-विरोधी अभियान में

कोचीन से बाहर भेजी गई 100 मिलियन डालर की नशीली औषधियों को पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने नशीली वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम और तत्सम्बन्धी गिरोह का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण : (क) से (ग) माननीय सदस्य ने शायद अमेरिका के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 2-11-1983 को "हेट्टी मिशेल" नामक जलयान से पकड़ी गई हशीश का हवाला दिया है। राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा की गई प्रारम्भिक छानबीन से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि कोचीन से हशीश का तस्कर-निर्यात हुआ था। कोचीन में पिछले दो वर्षों के दौरान नारकोटिक औषध-द्रव्यों के पकड़े गए मामलों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि कोचीन में गैर-कानूनी औषध-द्रव्यों का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है।

इस मामले में क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क रहते हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके तस्करी-निवारण के समुचित उपाय किए जाते हैं। औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ घनिष्ठ सहयोग भी स्थापित किया जाता है। समुचित कार्रवाई के लिए मामले की सतत समीक्षा की जाती रहती है।

सरकार द्वारा नियन्त्रण हटाना

4465. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन अथवा मूल्य संबंधी सरकारी विनियमों से मुक्त क्षेत्रों तथा कम्पनियों में प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी प्रकार के नियन्त्रणों को हटाने तथा उद्योग और व्यापार को स्वतः पनपने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि उत्पादकों को नये विचार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़े तथा वे अपने उत्पादों में सुधार ला सकें, जो इस समय बहुत घटिया किस्म के हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

न्यूयार्क से बम्बई तक की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयर इण्डिया द्वारा गोमांस दिया जाना

4466. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :

श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया न्यूयार्क से बम्बई तक की अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में गोमांस की आपूर्ति करता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार भारत की धार्मिक भावनाओं और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एयर इण्डिया की सभी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में गोमांस की आपूर्ति को बन्द कराने के लिए कदम उठाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। यह सच है कि एयर इण्डिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की व्यंजन सूचियों में यात्रियों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भोजन के रूप में गोमांस का भोजन भी सम्मिलित है।

(ख) एयर इण्डिया विश्व के विभिन्न भागों में अनेक देशों के लिए प्रचालन करती है तथा इसके यात्री विभिन्न राष्ट्रिकताओं, जातियों, धार्मिक विचारों तथा खान-पान आदतों वाले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन परम्परा को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की खानपान की पूर्ति करने के लिए, भारतीय, यूरोपीय तथा चीनी जैसे विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। अपनी मांसाहारी व्यंजन सूचियों में, एयर इण्डिया वैकल्पिक तौर पर मीट/मछली की तस्तरियां अवश्यमेव प्रस्तुत करती है। एयर इण्डिया भारत में किसी स्टेशन से गोमांस नहीं उठाती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, इस परम्परा को बन्द करना एयर इण्डिया के हित में नहीं होगा।

घटिया स्तर का जय साबुन

4467. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयल मिल्स कम्पनी ने हाल में 435.34 टन साबुन को घटिया स्तर का घोषित किया था और विकास आयुक्त को इसे 'कांडला फ्री ट्रेड जोन' क्षेत्र से बाहर हटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे सम्बन्धित नियम क्या हैं ; और

(ग) घटिया किस्म के साबुन की प्रति टिकिया कीमत कितनी है और उसे फुटकर बाजार में किस कीमत पर बेचा जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां। मैं० टाटा आयल मिल्स कम्पनी ने घरेलू खपत के लिए 'जय' ब्रांड साबुन की 453.33 मे० टन मात्रा की क्लियरेंस को मंजूरी देने के लिए, जिसे निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निर्यात न किए जाने योग्य प्रमाणित किया गया था, विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से निवेदन किया था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 37 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अध्याय-5क के प्रावधानों के अनुसार घरेलू खपत के लिए समुचित शुल्क का भुगतान करके घटिए स्तर के माल को हटाने के लिए क्षेत्र की मूल्यांकन समिति द्वारा आवश्यक अनुमति दे दी गई थी।

(ग) उक्त साबुन का शुल्क सहित कारखाने से निकलते समय का मूल्य (सभी शुल्कों सहित) प्रति टिकिया 1.90 रु० निर्धारित किया गया जो कि मैं० टाटा आयल मिल्स द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची के

अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादित उसी प्रकार की क्वालिटी के उत्पाद के कारखाना से बाहर निकलते समय के मूल्य के बराबर है। जिस खुदरा कीमत पर यह वास्तव में बेचा जाता है वह उस समय उपलब्ध नहीं है।

कम्पनियों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान न किया जाना

4468. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक कितनी कम्पनियों ने उत्पादन शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) ऐसी चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध सरकार क्या दांडिक कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) उत्पादन शुल्क की वसूली और अदायगी का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जो निर्माताओं के कारखानों से शुल्क्य माल की निकासी पर निर्भर करता है। किन्तु, जब उत्पादन शुल्क देयता, वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि के बारे में विवाद होने के कारण उत्पादन शुल्क्य माल की निकासी के समय शुल्क संबंधी देनदारी का पूरी तरह से निर्वाह किया जाता है, तब देय शुल्क बकाया शुल्कों की श्रेणी में आ जाते हैं।

दिनांक 29-2-84 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया देय राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है सभापटल पर रख दी जाएगी। तथापि, इस किस्म के विवादों में ऐसी कई कम्पनियां अन्तर्ग्रस्त हैं, जिनकी तरफ काफी बड़ी मात्रा में शुल्क की राशि बकाया पड़ी है। ऐसी कम्पनियां देश-भर में फैली हुई हैं। अतः सूचना एकत्र करने, उसका सम्पादन करने और उसे प्रस्तुत करने में लगने वाला समय और श्रम संभवतया आनुपातिक रूप से काफी अधिक होगा।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि की वसूली करने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, बकाया शुल्क-राशि की वसूली के लिए समय-समय पर प्रशासनिक विधिक और अन्य उपाय किए जाते रहते हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं—न्यायालयों में अथवा अर्ध-न्यायिक निकायों में विचाराधीन पड़े जिन विवादास्पद मामलों में मांगों की वसूलियां स्थगित कर दी गई थीं, उन्हें शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के उपाय करना ; और जो मांगें विवादास्पद नहीं हैं उनके प्रवर्तन के सम्बन्ध में समझाने-बुझाने अथवा डराने-धमकाने सम्बन्धी कार्रवाई करना।

सहायता प्राप्त कम्पनियों की बिक्री सम्बन्धी कार्यनिष्पादन

4469. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने देश में कुछ सहायता प्राप्त कम्पनियों की बिक्री सम्बन्धी कार्यनिष्पादन का नमूना सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता प्राप्त कितनी कम्पनियों की बिक्री सम्बन्धी कार्यनिष्पादन का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही सहायता प्राप्त कम्पनियों की बिक्री सम्बन्धी कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक ऋण और निदेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) सहायता प्राप्त अलग-अलग कम्पनियों का सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी नमूने के तौर पर भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की 417 सहायता प्राप्त कम्पनियों के वर्ष 1982-83 के तुलन पत्रों में प्रकाशित आंकड़े संकलित किए गए थे। इस प्रकार के अध्ययन के प्रारम्भिक परिणामों के अनुसार इन 417 कम्पनियों की (उत्पाद-शुल्क घटाने के बाद) कुल बिक्री में जो 1981-82 में 16,597 करोड़ रुपये थी, 1982-83 में 1766 करोड़ रुपये (10.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सरकारी क्षेत्र की कुछ कपड़ा मिलों को बन्द करने का प्रस्ताव

4470. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ कपड़ा मिलों को बन्द करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि

4471. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और कौन से महीनों में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी ;

(ग) क्या हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और हवाई अड्डों की क्षमता में कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है और यदि क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)और (ख)जी, हां। कैलेण्डर वर्ष 1983 के दौरान, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 68.21 लाख यात्रियों का वहन किया गया जोकि 1982 के आंकड़ों के मुकाबले 10.6% वृद्धि का द्योतक है। अधिकतम संख्या में यात्रियों का वहन दिसम्बर तथा मई, 1983 के महीनों में किया गया।

(ग) से (ङ) यातायात में वृद्धि तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विमान क्षेत्रों पर अंतस्थ सुविधाओं के विस्तार का कार्य चरणबद्ध तरीके से आरम्भ किया जा रहा है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

उच्च तकनीकी वाले विमानों की देख-रेख और मरम्मत की गुणवत्ता में गिरावट

4472. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1984 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वायु सेना मुख्यालय के प्रसाली मूल्यांकन निदेशालय (डी० एस० ई०) द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारतीय वायुसेना के इन्जीनियरों के मनोबल पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप उच्च तकनीक वाले विमानों की देख-रेख और मरम्मत की गुणवत्ता में गिरावट की जांच की गई है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने 26-2-84 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार देखा है। लेकिन यह तथ्य नहीं है कि भारतीय वायुसेना के इन्जीनियरों का मनोबल गिरा है या उनके द्वारा की गई सेवा में किसी प्रकार की गिरावट आई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय कपड़े का सोवियत संघ को निर्यात

4473. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1984 के 'बिजनेस स्टेंडर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत संघ का प्रस्ताव है कि भारतीय वस्त्र के निर्यात को सोवियत टेक्सटाइल मशीनरी के आयात के साथ सम्बद्ध किया जाए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यातक इस नये प्रस्ताव से प्रसन्न नहीं है। यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि सोवियत संघ के साथ हाल ही में 1984 में किए गए समझौते के अन्तर्गत निर्यात आर्डर पर एक सीमा तक लागू नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर बातचीत चल रही है या जिनको अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारत से वस्त्र मदों के अपने आयातों को अपनी वस्त्र मशीनरी के निर्यात के साथ सम्बद्ध करने के लिए सोवियत पक्ष द्वारा हाल ही में कोई प्रस्ताव किए जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, 1981 में उन्होंने अपने सामान्य वार्षिक आयातों के अलावा, प्रतिवर्ष 500 मिलियन मीटर सूती वस्त्रों की खरीद के लिए एक सुझाव दिया। उस समय, भारत को वस्त्र मशीनरी तथा कपास की सप्लाई करने के सुझाव का उल्लेख किया गया।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का लाभ/हानि

4474. **श्री आर प्रभु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के दौरान सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कितना-कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के परिणाम (लाभ/हानि) इतनी जल्दी नहीं आंके जा सकते हैं।

पूर्ति मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछले जमा आरक्षित खाली पद

4475. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में पिछले काफी पद जमा हो गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछले बकाया खाली पदों को भरने का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। श्रेणी-1 से श्रेणी-4 के वर्गीकरण को संशोधित किया गया है और क्रमशः ग्रुप 'ए' ग्रुप 'बी' ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और महालेखा नियन्त्रक, क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रुप 'ए' पदों के बारे में और पूर्ति विभाग का मुख्य लेखा नियन्त्रक का कार्यालय ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पदों के बारे में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

पूर्ति विभाग के भर्ती के नियन्त्रण के अधीन ग्रुप 'ए' ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों के बारें में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित योग्य/अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, इन श्रेणियों के पदों में पिछले बकाया खाली पद हैं।

(ख) जी, हां, । कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) पिछले बकाया खाली पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विभागों तथा उपक्रमों की कपड़े की आवश्यकता

4476. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की कुल कितनी आवश्यकता है तथा विभाग-वार तथा उपक्रम-वार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन विभागों तथा उपक्रमों की कपड़े की सारी आवश्यकता को पूरा करने में राष्ट्रीय कपड़ा निगम पूरी तरह से सक्षम है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कुछ और कपड़ा मिलों को शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) जहां तक सम्भव होगा राष्ट्रीय वस्त्र निगम सरकारी विभागों को टैक्सटाइल फैब्रिक्स की सप्लाई करेगा। उन मामलों में जहां राष्ट्रीय वस्त्र निगम उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा, वे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत उसकी अधिप्राप्ति कर सकेंगे।

शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण

4477. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक हवाई अड्डे का निर्माण रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र में केवल शिमला ही किसी राज्य की ऐसी राजधानी है जिसे हवाई मार्ग से नहीं जोड़ा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या शिमला में एक हवाई अड्डे का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शिमला के निकट, जब्बर हट्टी में स्थल को समतल करने का कार्य 1981-82 में प्रारम्भ किया था। इसे मार्च, 1983 में स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि निधियां उपलब्ध होने तथा योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय से अपेक्षित अनुमति मिल जाने पर, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय हवाई अड्डे का और विकास करेगा। परियोजना के लागत-प्राक्कलन तैयार करने के लिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उक्त स्थल के विकास के लिए अपेक्षित बाकी बचे भू-कार्य का सर्वेक्षण करें।

(ग) जी, हां।

स्टेट बैंक आफ मैसूर में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

4478. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि स्टेट बैंक आफ मैसूर निम्नतम पद से उच्चतम पद पर पदोन्नित करने के मामले में आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीधी भर्ती वाले सभी संवर्गों और सभी आन्तरिक पदोन्नित संवर्गों में रिक्तियां पीछे से चली आ रही हैं ;

(ग) पीछे से चले आ रहे रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या बैंक के प्रबन्धक, अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ मैसूर अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजानि संघ (पंजीकृत), बंगलौर से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उनसे पत्र व्यवहार करते रहे हैं ; और

(ड) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एस० एम० कृष्ण) : (क) स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि वह सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ मैसूर सूचित किया है कि लिपिकीय/अधिकारी संवर्ग में कुछ रिक्त स्थान अभी भरे जाने हैं और बैंक इन स्थानों को भरने के लिए उपाय कर रहा है।

(घ) और (ड) बैंक में एक सम्पर्क अधिकारी है जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को देखता है।

दिल्ली में निर्माणाधीन नया विमानपत्तन

4479. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक नया विमानपत्तन निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यात्रियों तथा विमान कम्पनियों के लिए यह कितना उपयोगी होगा ?

पर्यटन और नागर मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा सामान अन्तस्थ परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) नए परिसर के अक्तूबर, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) यह परियोजना प्रारम्भ में 63.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगस्त, 1980 में स्वीकृत की गई थी। निर्माण सम्बन्धी वस्तुओं की कीमतों से अत्यधिक वृद्धि हो जाने के परिणाम-स्वरूप, प्रारम्भिक अनुमानित लागत के काफी बढ़ जाने की सम्भावना है।

(घ) नए अंतस्थ भवन में प्रति वर्ष 33 लाख यात्रियों को सम्भालने की क्षमता होगी तथा व्यस्ततम घंटों में 3300 यात्रियों को सम्भालने की क्षमता होगी। इसमें यात्रियों के निपटान, जांच, स्वास्थ्य, आप्रवासन तथा सीमा-शुल्क के लिए अधिक काउंटर होंगे और सामान के शीघ्र निपटान के लिए बड़े वाहक पट्टों की व्यवस्था होगी। ऐसी आशा है कि नया परिसर चालू होने के बाद, अंतस्थ भवनों में भीड़-भाड़ की समस्या समाप्त हो जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई ब्रांच लाइसेंसिंग नीति

4480. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई ब्रांच लाइसेंसिंग नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकों की कितनी शाखाएं हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कई विकास खंडों में किसी भी बैंक की शाखा नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में बैंकों की शाखायें खोले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का जोर इस बात पर है कि बैंक शाखाओं के उचित स्थानिक विवरण को सुनिश्चित करते हुए गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की उप-लब्धता में सुधार किया जाए। इस नीति का उद्देश्य मार्च 1985 के अन्त तक (1981 की जनगणना के आधार पर) सभी जिलों के अर्ध-शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 17000 जनसंख्या के पीछे, औसतन, कम से कम एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करता है।

(ख) और (ग) 30 सितम्बर, 1983 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 977 शाखाएं कार्यरत थीं। अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत मार्च, 1985 तक औसतन 17000 जनसंख्या के पीछे एक शाखा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 553 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 21 ऐसे खण्ड हैं जहां पर अभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। इन खण्डों की अपनी समस्याएं हैं, भू-भाग बहुत कठिन है और आधारभूत सुविधाओं, आदि की भी कमी है लेकिन फिर भी इन खण्डों में बैंक शाखाएं खोलने के मामले पर राज्य सरकारों और सम्बद्ध लीड बैंकों द्वारा सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

आभूषण निर्यातकों को सोना देने की योजना

4481. श्री जगपाल सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आभूषणों का निर्यात करने वालों को सोना देने की योजना पुन: शुरू कर दी है ; यदि हां, तो यह योजना किस तारीख से शुरू की गई है। शुरू किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यह सोना किन श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा और किस आधार पर दिया जाएगा तथा उन्हें कितनी मात्रा में सोना रखने की अनुमति दी जाएगी और क्या यह सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो यह सीमा कितने लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी तथा सोना रखने की सीमा किस अवधि तक के लिए बढ़ाई जाएगी तथा इस सम्बन्ध में किन-किन मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है ;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले सोने में शुद्धता की प्रतिशतता क्या होगी ; और

(घ) आभूषण निर्यातकों को प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सोना वितरित किया जाएगा और इस बारे में अन्य तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 15 फरवरी, 1984 को एक प्रैस-विज्ञप्ति जारी की जिसमें स्वर्ण आभूषण प्रतिपूर्ति योजना के फिर से आरम्भ करने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की गई है जो पहले अगस्त, 1978 में आरम्भ की गई थी लेकिन जनवरी, 1980 में निलम्बित कर दी गई थी।

इस नई नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है और उनकी शीघ्र घोषणा की जायेगी।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

4482. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों के विकास के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा जारी रखने के लिए केन्द्र से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) 1983-84 के लिए सभी राज्यों के आयोजनागत परिव्यय को तैयार करते समय उनके लिए पूरी वित्त-व्यवस्था राज्यों के अपने संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता द्वारा की गई थी। इसलिए राज्यों को अपने विकासात्मक परिव्यय के लिए वित्त व्यवस्था करने से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्राप्तियों के प्रवाह तथा व्यय की गति में अस्थाई असन्तुलनों के कारण ओवरड्राफ्ट उत्पन्न होते हैं। जहां ओवर-ड्राफ्ट निरन्तर हुए हैं, वहां ओवर-ड्राफटों को कम करने/समाप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गए ऋण की बकाया राशि

4483. **श्री रामलाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य की ओर केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक से तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की इस बकाया राशि का ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य-सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं और बैंकों को ब्याज के रूप में कितनी धन-राशि अदा की जा रही है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ज्वाइंट साइफर ब्यूरो (जे० सी० बी०) में विभागीय उम्मीदवारों द्वारा तकनीकी सहायकों के रिक्त पद

4484. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **रक्षा मन्त्री** ज्वाइंट साइफर ब्यूरो (जे० सी० बी०) में विभागीय उम्मीदवारों द्वारा तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों के बारे में 4 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सं० ए० 25209/सी० ए०ओ ०/पी०-2 दिनांक 11 नवम्बर, 1983 के अनुसार,

प्राधिकारियों ने 80 प्रतिशत सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए तकनीकी सहायकों के आवेदन पत्रों को अन्यत्र भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) क्या प्राधिकारियों को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि वर्ष 1966 से मार्च 1983 तक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए 137 तकनीकी सहायकों में से, 55 तकनीकी सहायकों ने त्याग पत्र दे दिए हैं और भर्ती नियमों में 20 प्रतिशत कोटा होने के कारण वर्तमान पद पर 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के पात्र होते हुए भी पदोन्नति नहीं मिलती है ;

(ग) पहले के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कोटे की 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत और सीधी भर्ती के लिए 20 प्रतिशत न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। कार्यरत तकनीकी सहायकों के आवेदन पत्रों को अन्यत्र नियुक्ति के लिए भेजने के सम्बन्ध में 11-11-1983 के नोट सं० ए०/25209/सी० ए० ओ०/पी०-2 द्वारा सी० एस० आर० (खण्ड-1) के अनुच्छेद 67 के अन्तर्गत दी गई स्थिति में मात्र नियुक्ति करने वाले कार्यालय के ध्यान में लाई गई है।

(ख) फीडर ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक की सेवा वाला ऐसा कोई भी विभागीय उम्मीदवार नहीं है जिसको अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया हो।

(ग) संयुक्त बीजांक ब्यूरो तकनीकी सहायक पद के भरती नियम 25-10-80 को घोषित किए थे। ये नियम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मई, 1979 में जारी किए गए मार्ग-दर्शन सिद्धान्तों के अनुरूप बनाए गए थे। इन नियमों के अनुसार फीडर ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों के मामलों में उच्च ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के तीन से पांच गुने उम्मीदवारों के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में फीडर ग्रेड में प्राधिकृत पदों की संख्या केवल 53 है जबकि विभागीय पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 28 है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन आकर्षण के लिए मोतीहारी का विकास

4485. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्व चम्पारण जिले का मुख्यालय मोतीहारी एक सुन्दर झील के किनारे पर स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार का विचार इस झील के

किनारों पर उद्यानों का विकास करके इसका एक सुन्दर स्थल के रूप में विकास करने का है ताकि नेपाल जाने वाले हजारों लोग यहां पर विश्राम कर सकें ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) मोतीहारी जो बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले का मुख्यालय है, बिहार राज्य में पर्यटन आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित तीन "यात्रा परिपथों" में शामिल किए गए केन्द्रों मे से एक केन्द्र है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास मोतीहारी के विकास के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

तूफान और भारी वर्षा पर नजर रखने के लिए भुज में राडार स्टेशन की स्थापना

4486. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बार-बार आने वाले तूफानों और भारी वर्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने भुज में एक राडार स्टेशन स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भुज में राडार स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) भुज में एक अधिक शक्तिशाली चक्रवात पता-सूचक राडार के प्रति-स्थापन का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

(ग) भुज में राडार में प्रतिस्थापन में लगभग दो वर्ष लगने की सम्भावना है। एक स्थल का चुनाव कर लिया गया है तथा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। राडार के निर्माण के लिए मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, (भारत सरकार का एक उद्यम) को आदेश दे दिए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

कटिहार जूट मिल के अधिग्रहण के बाद सरकार द्वारा देय प्रभार

4487. **श्री डूगर लाल बैठा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार जूट मिल के अधिग्रहण के पश्चात सरकार द्वारा अदा किए

जाने वाले मिल पर विभिन्न प्रकार अधिग्रहण के बाद काफी समय बीत जाने पर भी अभी तक लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन्हें अदायगी की जानी है उनके नामों सहित राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कई जूट व्यापारियों को उपर्युक्त मिल को जूट की पूर्ति किए जाने के लिए दिए गए वह अभ्यावेदनों के बावजूद अदायगी नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके दावों पर विचार हेतु दावा आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और जूट व्यापारियों को किस तारीख तक अदायगी कर दिए जाने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क)केन्द्रीय सरकार ने कटिहार जूट मिल्स, कटिहार का अधिग्रहण नहीं किया है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मुख्य रूप से कैल्सियम कार्बोनेट युक्त संगमरमर पट्टियों का आयात

4489. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य रूप से 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक कैल्सियम कार्बोनेट युक्त संगमरमर पट्टियों का आयात करने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो आयात करने के आदेश किस तारीख को जारी किए गए हैं और कितना आयात किया गया और आयात करने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपरोक्त आयात की अनुमति बाजार में बिक्री के लिए दी गई थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) सभी व्यक्तियों द्वारा शुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत संगमरमर/संगमरमर की पट्टियों के आयात की अनुमति है । इस प्रयोजनार्थ कोई आयात लाइसेंस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है ।

आयातित संगमरमर किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है ।

राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रिक्त पद

4490. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस समय निदेशकों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) वे किस-किस तारीख से रिक्त हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त बैंकों में निदेशकों के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में निदेशकों के रिक्त स्थानों की संख्या और उन तारीखों का ब्यौरा दिया गया है जब से ये स्थान रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में रिक्त स्थानों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके रिकार्डों के अनुसार 27 बैंकों में, अध्यक्षों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित अतिरिक्त निदेशकों को छोड़कर 209 निदेशकों की मौजूदा संख्या में से निदेशकों के 107 स्थान खाली हैं। ये स्थान मुख्यत:, 15 फरवरी, 1984 से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 क में (2क) (1) नामक एक नई उपधारा जोड़ दिए जाने के कारण खाली हुए हैं। गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार और कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यवस्थित अगली वार्षिक साधारण सभा की बैठक में नए निदेशकों का निर्वाचन होने तक बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 10 क के उपबन्धों के अनुसार नए व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में सहयोजित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों के रिक्त स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	प्रतिनिधि हित	रिक्त स्थानों की संख्या	कब से रिक्त
1	2	3	4	5
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कर्मकार	1	×
2.	बैंक आफ इण्डिया	कर्मकार	1	×
3.	पंजाब नेशनल बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	1.8.79
		3. किसान	1	10.5.83
4.	बैंक आफ बड़ौदा	कर्मकार	1	×
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	1.2.84

1	2	3	4	5
6.	केनरा बैंक	कर्मकार	1	×
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	1.1.83
8.	देना बैंक	कर्मकार	1	×
9.	सिंडीकेट बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	2.11.81
		3. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक	1	26.2.84
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	कर्मकार	1	×
11.	इलाहाबाद बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. जमाकर्ता	1	20.3.84
12.	इण्डियन बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	1.4.82
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1. कर्मकार	1	×
		2. जमाकर्ता	1	30.6.82
14.	इण्डियन ओवरसी बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. किसान	1	14.6.82
		3. बैंक के गैर कर्मकार	1	3.9.81
15.	आंध्र बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
16.	कारपोरेशन बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
		4. किसान	1	21.10.83
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया (जारी)	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
		4. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	1	13.12.83

1	2	3	4	5
18.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
		4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1	10.10.83
19.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
20.	विजया बैंक	1. कर्मकार	1	×
		2. बैंक के गैर कर्मकार	1	×
		3. बैंक के कर्मकार	1	×
		4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध	1	× ×अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय 22.3.84 को समाप्त हो रहा है। इस पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

× सरकार द्वारा यह पद अभी तक नहीं भरा गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों में बढ़ता हुआ असन्तोष

4491. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री के० अर्जुनन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत पर्यटन विकास निगम में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है और कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं व मुअत्तल किया गया है।

(ख) इनका वर्ष-वार, एकक-वार, डिवीजन-वार, होटल-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम में असन्तोष बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम में असन्तोष दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य पूर्व के देशों को चावल, अरहर की दाल और चीनी का निर्यात

4492. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के देशों के साथ चावल, अरहर की दाल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात हेतु हाल ही में कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस निर्यात के कारण उन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री पी० ए० संगमा : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पटना और अन्य स्थानों में पांच-तारा होटल

4493. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटना और अन्य पर्यटक स्थलों पर पांच-तारा होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछड़े पर्यटक स्थलों को "ताज" और "कुतुब" जैसे पर्यटक स्थलों की बराबरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद अलिम खां) : (क) और (ख) बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और गोआ में पांच सितारा श्रेणी के 16 होटलों को अनुमोदन दिया गया है और ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। पटना में पांच सितारा होटल का निर्माण करने के बारे में प्राइवेट अथवा पब्लिक सेक्टर से कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले प्रयासों के जरिए पर्यटक केन्द्रों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। यात्रा परिपथों का विकास करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें से 41 यात्रा परिपथ पहले ही निर्धारित कर लिए गए हैं।

विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना

4494. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने इन दो योजनाओं का लाभ उठाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश यात्रा योजना और पड़ौसी देशों की यात्रा योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी यात्रा योजना	पड़ौसी देशों की यात्रा योजना
1981	1,26,391	16,558
1982	94,189	13,826
1983	1,27,235	52,750

विवरण

विदेश यात्रा योजना (एफ टी एस) और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना (एन टी एफ) का ब्यौरा

विदेश यात्रा योजना	पड़ोसी देशों की यात्रा योजना
1. योजना : भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति (विदेशी राष्ट्रिकों को छोड़ कर जिनमें वे नेपाली राष्ट्रिक भी शामिल हैं जो भारत में रह रहे हों लेकिन स्थायी निवासी न हों) चाहे वह कितनी ही आयु का क्यों न हो, दो कैलेंडर वर्षों में एक बार विदेश यात्रा (नेपाल और भूटान को छोड़ कर) करने का पात्र है और इस यात्रा के लिए 500/- अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा दी जाएगी।	भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति (विदेशी राष्ट्रिकों को छोड़ कर जिनमें वे नेपाली राष्ट्रिक भी शामिल हैं जो भारत में रह रहे हों लेकिन स्थायी निवासी न हों), चाहे वह कितनी ही आयु का क्यों न हों, निम्नलिखित समूह के देशों में किसी एक देश अथवा अधिक देशों अर्थात् बंगलादेश, बर्मा, मलेशिया, मालदीव द्वीप समूह, मारीशस, पाकिस्तान, सिशली द्वीप समूह और श्री लंका की 1-1-1981 से आगे के दो कैलेंडर वर्षों की प्रत्येक द्विवार्षिक अवधि में एक बार यात्रा करने के पात्र है और उसे इस यात्रा के लिए 250/- अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा दी जाएगी।
2. पात्रता : ऐसी यात्रा के लिए उस व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट तथा किसी एयर-लाइन अथवा जहाजी कंपनी के जरिए भारत में बुक कराया गया वापसी यात्रा टिकिट होना चाहिए।	ऐसी यात्रा के लिए उस व्यक्ति के पास वैध पास-पोर्ट तथा किसी एयरलाइन अथवा जहाजी कंपनी के जरिए भारत में बुक कराया गया वापसी यात्रा टिकिट होना चाहिए।

विदेश यात्रा योजना और पड़ौसी देशों की यात्रा योजना का उपयोग एक साथ किसी एक यात्रा में नहीं किया जा सकता। विदेश यात्रा योजना और पड़ौसी देशों की यात्रा के अंतर्गत जारी की गई विदेशी मुद्रा को निर्यात संवर्धन तथा अन्य व्यावसायिक कारणों से संबंधित विदेशी यात्रा और हज यात्रा के साथ मिलने की अनुमति दी जाती।

नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वितरित किया गया ऋण

4495. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 1983-84 के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों लोगों को कुल कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गये तथा उसमें से कितने प्रतिशत धन-राशि के ऋण अल्मोड़ा जिले में वितरित किए गए ;

(ख) क्या उक्त बैंक द्वारा अलमोड़ा में वितरित किए गए ऋण की धनराशि बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैंक द्वारा इस जिले में पर्याप्त धनराशि के ऋण वितरित करने को सुनश्चित किये जाने के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि इस सुविधा का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों को मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 मार्च, 1983 को हुई थी। दिसम्बर, 1983 के अंत तक ग्रामीण बैंक ने पात्र ऋणकर्ताओं को कुल 2.95 लाख रुपये के ऋण संवितरित किये, जिनमें से 2.70 लाख रुपए (91.5 प्रतिशत) के ऋण अल्मोड़ा जिले के लाभानुभागियों में बांटे गये।

(ख) और (ग) यद्यपि नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए ऋणों में अल्मोड़ा जिले का हिस्सा किसी भी तरह कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर बैंक के कार्यों का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा इजरायल के साथ व्यापार

4496. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैर-सरकारी कम्पनियां इजरायल की अपनी समकक्ष कम्पनियों के साथ व्यापार कर रही हैं ; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उनके साथ प्रतिवर्ग कितने मूल्य का व्यापार हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार कम्पनी-वार व्यापार का हिसाब नहीं रखती।

अमरीका के सातवें बेड़े के "यू० एस० एस० व्हीपल" द्वारा कोचीन बंदरगाह की यात्रा

4498. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

प्रो० रूपचन्द पाल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सातवें बेड़े के "यू० एस० एस० व्हीपल" ने 17/18 फरवरी को कोचीन बंदरगाह का दौरा किया था ;

(ख) क्या उक्त पोत को वहां लगभग 24 घंटे के लिए लंगर डालने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी नौसेना के पोतों को अन्य भारतीय बंदरगाहों पर भी इस प्रकार की सुविधाएं दी हैं ; और

(घ) क्या ऐसा करना गुट-निरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है;

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अमेरिका सहित किसी भी देश को विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आपसी सहमति के आधार पर मित्र देशों के युद्धपोत इस तरह के सामान्य दौरे करते हैं। इस तरह सामान्य दौरों को रोकने की गुट-निरपेक्षता सिद्धान्तों में कोई बात नहीं है।

कोयला तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा उससे राजस्व प्राप्ति की आशा

4499. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक विवरण व्यवस्था के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान इस मूल्य वृद्धि के कारण कितने राजस्व के प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) वर्ष 1984-85 के बजट के परिणामस्वरूप संभावित कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार ने इस वर्ष जनवरी में कोयले के मूल्यों में वृद्धि करते हुए, घर में खाना पकाने के ईंधन के रूप में प्रयोग में लाये जाने वाले सोफ्ट कोक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की। चावल के निर्गम मूल्य में 16 जनवरी, 1984 से वृद्धि की गई और लेवी चीनी निर्गम मूल्य में पहली फरवरी, 1984 से वृद्धि की गई।

(ख) प्रशासित मूल्यों में वृद्धि से सरकार को कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोल्डन टोबेको कम्पनी के संबंध में कराई गई जांच

4500. **श्री आर० मुथुकुमारन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्डन टोबेको कम्पनी के सम्बन्ध में की गई विभिन्न जांचों और मारे गए छापों के क्या परिणाम निकले तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) गोल्डन टोबेको कम्पनी द्वारा कर बचाने और कर-अपवंचन के संबंध में लम्बित जांच का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने गोल्डन टोबेको कम्पनी को उसके द्वारा देय उत्पाद-शुल्क के बारे में मांग भेजी है ; यदि हां, तो इस प्रकार की सभी मांगों का क्या ब्यौरा है और क्या कम्पनी ने देय राशि का भुगतान कर दिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि उनके जांचों के बावजूद गोल्डन टोबेको कम्पनी कानून के अनुसार देय राजस्व से राजकोष को वंचित करने के उद्देश्य से सिगरेटों की अपनी ब्रांड के पैकेटों पर, बाजार में बेची जा रही अन्य ब्रांडों के मूल्यों की तुलना में, अत्यंत कम मूल्य अंकित करके सिगरेट बेच रही है ; और

(ङ) क्या सरकार ने गोल्डन टोबेको कम्पनी द्वारा अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने और उनका वितरण करने हेतु अपनाए गए तरीकों का कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार लगता है, तब इस शुल्क के निर्धारण और वसूली के संदर्भ में निर्धारिती की मूल्य तथा वितरण प्रणाली प्रासंगिक हो सकती है। अब सिगरेटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार दर से नहीं लगता है। इस समय यह शुल्क निश्चित है। इस प्रकार के निश्चित शुल्क-खण्ड दिनांक 4-8-1983 की अधिसूचना सं० 211/83-के० उ० शु० में यथापरिभाषित सिगरेटों के "समायोजित बिक्री मूल्य" से संबंधित हैं। ऐसी कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि सिगरेटों की खुदरा बिक्री उन पर मुद्रित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर की जा रही है। सिगरेटों के पैकेटों पर अंकित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर सिगरेटों की बिक्री करना, मानक बाट और माप (पैकेट-बन्द जिन्स) नियम, 1977 के उपबन्धों का उल्लंघन करना है। इन नियमों के प्रवर्त्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। यह बताया गया है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

इस कम्पनी द्वारा अथवा किसी अन्य सिगरेट कम्पनी द्वारा मूल्यनिर्धारण और वितरण हेतु

अपनाई जाने वाली प्रणालियों का अलग से अध्ययन करने का कोई प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक कि ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा जाए अथवा इस समय की जा रही जांच-पड़ताल से यह पता नहीं चले।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा बोनस के लिए मांग

4501. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने बोनस की मांग की है और आंदोलन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें बोनस न देने के क्या कारण हैं जबकि अन्य बैंकों के कर्मचारियों को बोनस देना स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में कब तक निर्णय करने और कर्मचारियों की मांग मान लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों को भी दूसरे अन्य बैंकों की भांति बोनस आदायगी अधिनियम 1965 के अधीन उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से सांविधिक बोनस अदा किया जाता है अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने एक औद्योगिक विवाद उठाया था और ग्राहक बोनस के तौर पर दो महीने के मूल वेतन अदा किये जाने की मांग की थी। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनल, मद्रास ने हाल ही में कर्मचारियों के पक्ष में एवार्ड दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त ट्रिब्यूनल के एवार्ड को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ फैडरेशन ने उच्च न्यायालय में एवार्ड को चुनौती दिये जाने के भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय के विरुद्ध 1 मार्च, 1984 को एक दिन की हड़ताल की आह्वान किया था। मामला न्यायाधीन है।

केरल में अधिक भूमि पर रबड़ की खेती करना

4502. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों से केरल में रबड़ की खेती अधिक भूमि पर होने लगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी अधिक भूमि पर रबड़ की खेती की गई ;

(ग) क्या यह वृद्धि योजना में निर्धारित लक्ष्यों के बराबर है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें योजनानुसार वृद्धि करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री : **(श्री पी० ए० संगमा)** : (क) जी, हां।

(ख) रबड़ के अन्तर्गत क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि 1980-81 में 8,900 हेक्टेयर, 1981-82 में 9,700 हैक्टेयर, 1982-83 में 8,200 हेक्टेयर तथा 1983-84 में 8,000 हेक्टेयर रही।

(ग) छठी योजना में निर्धारित क्षेत्र वृद्धि से यह वृद्धि अधिक रही।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता

4503. **श्री एन० के० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंककारी संस्थाओं द्वारा जमानत की कोई मांग किए बिना बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता के आसान भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : इसका आशय सम्भवत: उद्योग मन्त्रालय द्वारा 1983 की तैयार की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते स्व-रोजगार योजना से है, योजना के अधीन ऋण सहायता के निर्विघ्न प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. बैंकों से कहा गया है कि वे योजना के अधीन उच्च अधिकारियों के पास भेजे बगैर शाखा प्रबंधकों को ऋण मंजूर करने के समुचित विवेकाधिकार दें ;

2. शाखा प्रबन्धक इनकी प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर प्रस्तावों का निपटान करें ;

3. योजना के कार्यान्वयन में पेश आ रही समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी स्तरों पर समीक्षा करने के लिए बैठकें की गई हैं ; और

4. बैंकों से कहा गया है कि वे राज्य स्तर पर बैंकर्स समिति तथा जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करें तथा बैंकवार/शाखावार लक्ष्य प्राप्ति निश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को इस बारे में अनुदेश जारी किए हैं।

अप्रैल, 1983 तक अपनी शाखायें खोलने के लिए अनुज्ञप्ति/लाइसेंस प्राप्त सरकारी बैंक

4504. **श्री ईरा वेलायुधन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम क्या है जिनके पास अप्रैल 1983 तक 5946 केन्द्रों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए अनुज्ञति/लाइसेंस थे ;

(ख) क्या इन सभी केन्द्रों पर अब तक इन बैंकों की शाखाएं खुल चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की अवधि अप्रैल 1982 से मार्च, 1985 तक की है। मार्च 1983

के अन्त की उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास कार्यालय खोलने के 5477 लाइसेंस/आबंटन पत्र थे। बैंकवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बैंक समूह	31-3-83 तकके लाइसेंसों/आबंटनों की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	463
2. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	169
3. 20 राष्ट्रीयकृत बैंक	1286
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3559
जोड़ 1 से 4 तक	5477

अप्रैल से जून 1983 तक की अवधि में जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, इन बैंकों द्वारा 727 कार्यालय खोले गए। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अप्रैल-जून 1983 की अवधि के दौरान खोले गए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यालयों की संख्या को दर्शानेवाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोले गए कार्यालयों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	100
2. असम	10
3. बिहार	26
4. गुजरात	45
5. हरियाणा	27
6. हिमाचल प्रदेश	10

1	2
7. जम्मू और कश्मीर	12
8. कर्नाटक	47
9. केरल	20
10. मध्य प्रदेश	60
11. महाराष्ट्र	49
12. मणिपुर	1
13. मेघालय	1
14. उड़ीसा	21
15. पंजाब	35
16. राजस्थान	45
17. सिक्किम	4
18. तमिलनाडु	57
19. उत्तर प्रदेश	124
20. पश्चिमी बंगाल	23
21. दिल्ली	8
22. गोवा, दमन और द्वीप	1
23. पांडिचेरी	1
कुल	727

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा राजस्थान के आदिवासी कृषकों को ऋण

4505. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पंजाब नेशनल

बैंक की ग्रामीण शाखाओं पर आदिवासी कृषकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने से इंकार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में जांच करने तथा ऋण न देने वाले बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है ताकि प्रधान मन्त्री के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की ग्रामीण शाखाएं राजस्थान में आदिवासी किसानों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने से इन्कार कर रही हैं ।

जब कभी बैंकों की राय में अनियमतताओं के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच की जाती है।

कटे-फटे तथा गले करेंसी नोट

4506. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस समय बैंक ऐसे नोट जारी कर रहे हैं जिन्हें बाजार में स्वीकार नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से लोगों को भारी असुविधाएं हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे और कटे-फटे नोटों की बजाय ऐसे नोट जारी करने के बारे में विचार किया है, जिन्हें आसानी से स्वीकार कर लिया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) करेंसी की सभी तिजोरियों (चैस्टस) को नए तथा फिर से जारी किए जा सकने वाले नोट जारी किए जाते हैं चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों अथवा शहरी क्षेत्रों में । तथापि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कभी-कभी जारी न किए जा सकने योग्य नोट जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में बैंकों को इस प्रकार के नोट जारी न करने के निर्देश दिए जाते हैं। गन्दे नोटों को बदलने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सुविधाएं प्राप्त हैं।

सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-योजना कार्यक्रम

4507. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं स्व-नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ;

(ख) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें सहायता दी गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रक्रिया में कितना अंशदान किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) अपना रोजगार चलाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा देश भर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है।

2. इस तरह की एक सहायता योजना यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को व्यापार-कार्यों के लिए मनोनीत किया जाता है। उन्हें जय जवान स्टाल, मदर डेरी, दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ और उर्वरक, सीमेंट आदि की एजेंसियों के आबंटन के लिए मनोनीत किया जाता है।

3. उन्हें सेना के उपयोग से हटाए गए वाहन आबंटित करके व्यापार क्षेत्र में परिवहन संबंधी कार्यों में लगने में सहायता दी जाती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र-कोयला उद्योग में कोयला ढोने की कम्पनियों/सहकारी समितियां भी स्थापित की गई हैं। उन्हें टाइपराइटर और डुप्लीकेटर भी दिए जाते हैं जिससे वे अपना टाइप/साइक्लोस्टाइल का काम शुरू कर सकें।

4. हाल ही में शुरू की गई "पैक्सेम" (भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने के लिए तैयार करना) योजना के अन्तर्गत, जिसे अभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्रयोगात्मक आधार पर चलाया जा रहा है, भूतपूर्व सैनिकों (तथा निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कार्मिकों) को अपना रोजगार चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा विचार है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर वे अपना लाभकर काम शुरू कर सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। आशा है अपने उपयुक्त काम-धन्धे चलाने के लिए उन्हें बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन इस योजना में बैंक ऋणों पर ब्याज में रियायत देने की भी व्यवस्था है ! यह रियायत छात्रवृत्ति और योजना चलाने का खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

5. "पैक्सेम" योजना के अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए और भी कई प्रशिक्षण योजनाएं हैं जिनके आधार पर वे खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं और वेतन पर रोजगार पा सकते हैं तथा अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं में कार्मिक प्रबन्ध और औद्योगिक सम्बन्ध तथा औद्योगिक उद्यमी, कृषि एवं फार्म आधारित प्रशिक्षण शामिल है।

6. विवरण 1 से 5 में इन योजनाओं का स्वरूप और उनके अधीन जिन भूतपूर्व सैनिकों को सहायता दी गई उनके नाम दिए गए हैं।

विवरण-1

कैलेण्डर वर्ष 1981, 1982, और 1983 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को थल सेना के फालतू 'ख' वाहनों का आबंटन

क्र० सं०	राज्य का नाम	1981	1982	1983
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	18	16
2.	असम	6	5	4

1 2	3	4	5
3. बिहार	11	16	15
4. चण्डीगढ़	15	10	8
5. दिल्ली	127	75	81
6. गुजरात	5	4	4
7. हरियाणा	145	125	106
8. हिमाचल प्रदेश	16	7	6
9. जम्मू और कश्मीर	126	40	36
10. कर्नाटक	8	8	6
11. केरल	74	106	92
12. मध्य प्रदेश	23	11	9
13. महाराष्ट्र	17	11	8
14. मणिपुर	4	3	2
15. मेघालय	10	5	4
16. मिजोरम	11	3	2
17. नागालैण्ड	1	3	1
18. उड़ीसा	2	10	5
19. पांडिचेरी	—	—	1
20. पंजाब	90	57	41
21. राजस्थान	139	66	57
22. सिक्किम	—	—	1
23. तमिलनाडु	24	14	19
24. त्रिपुरा	1	—	—
25. उत्तर प्रदेश	163	160	103
26. पश्चिमी बंगाल	22	14	10

विवरण 2

पिछले तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों, और कार्यरत कार्मिकों को ट्रैक्टरों का आवंटन

राज्य का नाम	1981	1982	1983	योग
पंजाब	26	20	16	62
हरियाणा	35	23	19	77
हिमाचल प्रदेश	01	03	01	05
उत्तर प्रदेश	25	21	31	77
राजस्थान	169	68	85	322
जम्मू और कश्मीर	—	02	01	03
कर्नाटक	01	—	—	01
महाराष्ट्र	—	01	03	04
मध्य प्रदेश	02	02	05	09
गुजरात	02	01	—	03
आन्ध्र प्रदेश	—	—	01	01
दिल्ली	02	01	02	05
कुल जोड़	263	142	164	569

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों को टाइपराइटरों/डुप्लीकेटरों का आवंटन

राज्य का नाम	1981	1982	1983	योग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	08	02	03	13
असम	—	01	01	02

1	2	3	4	5
बिहार	—	—	01	01
हरियाणा	20	16	20	56
हिमाचल प्रदेश	04	01	03	08
जम्मू और कश्मीर	01	02	05	08
केरल	18	08	18	44
कर्नाटक	07	03	05	15
मध्य प्रदेश	05	04	03	13
महाराष्ट्र	15	07	09	31
मणिपुर	01	—	—	01
उड़ीसा	01	02	02	05
पंजाब	09	07	11	27
राजस्थान	03	03	01	07
उत्तर प्रदेश	44	57	46	147
चण्डीगढ़	02	03	05	10
तमिल नाडु	04	06	08	18
त्रिपुरा	01	—	—	01
पश्चिमी बंगाल	01	—	01	02
कुल योग	145	122	141	409

विवरण-4

1979 से 1982 तक फर्टिलाइजर डीलर राशि का आवंटन

राज्यों का नाम	आर०सी० एफ०	एफ०सी० आई०	एन०एफ० एल०	एच०ई० सी०	बिक्री	योग
आंध्र प्रदेश	—	16	—	—	4	20
बिहार	—	17	—	5	—	22
दिल्ली	—	—	—	—	1	1
गुजरात	11	—	—	—	—	11
हरियाणा	—	—	12	—	—	12
कर्नाटक	5	—	—	—	—	5
केरल	12	—	—	—	—	12
महाराष्ट्र	61	—	—	—	—	61
उड़ीसा	—	—	—	3	—	3
मध्य प्रदेश	—	12	—	1	—	13
पंजाब	—	—	42	—	—	42
राजस्थान	—	—	2	—	—	2
तमिलनाडु	14	—	—	—	—	14
उत्तर प्रदेश	—	58	—	—	2	60
पश्चिमी बंगाल	—	—	—	3	—	3
कुल जोड़ ।	103	103	56	12	7	281

विवरण-5

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और गरीब तथा, निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को जय जवान स्टालों का आबंटन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	32
बिहार	—
हरियाणा	45
जम्मू और कश्मीर	5
केरल	—
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	42
मेघालय	—
राजस्थान	3
असम	8
गुजरात	3
हिमाचल प्रदेश	12
कर्नाटक	15
मध्य प्रदेश	1
मणिपुर	6
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	1

1	2
पंजाब	5
तमिलनाडु	200
उत्तर प्रदेश	31
अरुणाचल प्रदेश	—
दिल्ली	94
सिक्किम	—
त्रिपुरा	2
पश्चिम बंगाल	42
मिजोरम	3
गोवा, दमन और दिव	1
पांडिचेरी	—

कृषि-आधारित निर्यातों के लिए भारतीय वाणिज्य मंडल की योजना

4508 **श्री बाबा साहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य मंडल ने कृषि आधारित निर्यातकों के लिए किसी योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय वाणिज्य मंडल ने निर्यात सम्बन्धी ऋण पर ब्याज की दर कम करने का सुझाव दिया है ;

(ग) भारतीय वाणिज्य मण्डल ने क्या अन्य सुझाव दिये हैं ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का परिसंघ कृषि सम्बन्धी मदों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सुझाव देता रहा है । इन सुझावों में निर्यातों पर लगने वाली ब्याज दर को घटाने के लिए प्राप्त अभ्या-

बेदन शामिल हैं जोकि दुर्लभ स्रोत स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं है। तथापि, इस सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के परिसंघ से हाल ही में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"डालर रैंक्ट ऐट दिल्ली ऐट दिल्ली एयरपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4509. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1984 के इण्डियन एक्सप्रैस में छपे समाचार "डालर रैंक्ट ऐट दिल्ली एयरपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर डालरों की कमी और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं और इनमें गैर सरकारी लीडरों के संलग्न होने की सम्भावना के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का पालम हवाई अड्डे से भारतीय स्टेट बैंक के सभी कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने और वहां पर उनके लिए अल्प कार्य काल निर्धारित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार को सूचित किया है कि विदेश जाने वाले केवल भारतीय निवासियों को भारत से बाहर जाते समय अधिक से अधिक 200 रु० की राशि विदेशी मुद्रा में बदलने दी जाती है। बैंक को विदेश जाने वाले ऐसे सभी यात्रियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा के सभी अधिकृत डीलरों के नाम जारी प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार, नकद भारतीय मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा देनी होती है। यद्यपि निवासी भारतीय यात्रियों को भारतीय मुद्रा को अपनी इच्छानुसार मुद्रा में बदलवाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक को अत्यधिक कमी के कारण अमेरिकी डालर देने, विशेषकर छोटे मूल्य वर्ग के डालर देने में कठिनाई हो रही है। बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से (छोटे मूल वर्ग के) अमेरिकी डालर खरीद रहा है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की इजाजत से अमेरिकी डालर करेंसी नोट, विशेष रूप से छोटे मूल्य वर्ग के डालर करेंसी नोटों का आयात कर रहा है।

आमतौर पर पालम हवाई अड्डे के एक्स्चैंज ब्यूरो में विदेशी मुद्रा की खरीद की अलग-अलग रसीदें जारी की जाती हैं। लेकिन इकट्ठे यात्रा करने वाले परिवार/ग्रुप के मामले में लेन-देन में जल्दी करने के लिए सामूहिक रसीद दिये जाने की रियायत दी गई है। इन सामुहिक रसीदों में सभी यात्रियों का ब्यौरा नोट किया जाता है और साथ ही साथ बैंक के अधिकारी उनके बोर्डिंग टिकटों की भी जांच करते हैं। बैंक समय-समय पर अचानक निरीक्षण भी करते हैं जिनमें वरिष्ठ अधिकारी पालम में अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये लेन-देनों की विश्वसनीयता की भी जांच करते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक में छोटे मूल्य वर्गों के भारतीय नोटों और सिक्कों की पर्याप्त व्यवस्था है ताकि यात्रियों को शेष रकम वापस की जा सके।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना से विदेशी मुद्रा के किसी घोटाले में गैर-सरकारी लीडरों के अंतर्ग्रस्त होने की बात सिद्ध नहीं होती।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे अधिकारियों को 3 वर्ष और क्लर्क कर्मचारियों को 5 वर्ष के बाद स्थानांतरित कर दिया करें। अलबत्ता, पालम हवाई अड्डे के एक्स्चेंज ब्यूरो पर नियुक्ति के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। एक्स्चेंज ब्यूरो के कर्मचारियों की ड्यूटी हर महीने रात की पारी से दिन की पारी में या/और आगमन से रवानगी के काउंटरों पर नियमित रूप से बदल दी जाती है। चूंकि इस काम में विभिन्न देशों की मुद्रा में काम करने के ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए ब्यूरो के सुचारु संचालन के हित में यह व्यवहारिक नहीं समझा जाता कि सभी अधिकारियों का एक साथ ही स्थानांतरण कर दिया जाए।

उच्चशक्ति प्राप्त रक्षा परिषद की स्थापना

4510. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक उच्च शक्ति प्राप्त रक्षा परिषद की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू निगम का गठन

4511. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तम्बाकू निगम गठित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्त मंत्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों के लिए नियमित पद

4512. **श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में पिछले ऐसे नैमित्तिक श्रमिक हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 29 फरवरी, 1984 तक सेवा के 240 दिन पूरे कर लिए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 21 मार्च के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014 (4)/77 स्था० (सी) और 5 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4914

(3)/88 स्था० (सी) के अन्तर्गत 240 दिन की न्यूनतम अवधि पूरा करने वाले कुछ नैमित्तिक श्रमिकों को बैंकिंग डिवीजन में तदर्थ आधार पर श्रेणी "घ" में नियुक्त किया गया है जबकि उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना था ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी रही है और उन्हें कब तक नियमित आधार पर नौकरी दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्त मंत्रालय (मुख्यालय संस्थापन) में ऐसे नैमित्ति श्रमिकों की संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन पूरे कर लिए हैं, 29 फरवरी, 1984 की स्थिति के अनुसार 66 हैं।

(ख) और (ग) दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की सेवाओं को, इस विषय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों, के अनुसार अर्थात् नैमित्ति श्रमिक की पात्रता तथा नियमित रिक्त पदों के उपलब्ध होने की शर्त के अधीन नियमित किया जाता है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 19-2-80 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49016/3/79-संस्था० (ग) के अनुसार इस मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में नैमित्ति श्रमिकों के रूप में पहले से नियुक्त पांच व्यक्तियों को 1980 तथा 1981 में उन पदों पर तदर्थ चपरासियों के रूप में नियुक्त किया गया था जो शैक्षणिक अर्हता प्राप्त समूह "घ" कर्मचारियों के अल्प-अवधि के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के, ग्रेड में पदोन्नत हो जाने के कारण खाली हो गए थे। उन्हें नियमित किए जाने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 21 मार्च, 979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014(4)/77-संस्था० (ग) तथा 5-1-1984 के कार्यालय ज्ञापन सं० 49014(3)/83-संस्था० (ग) को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में पुरी में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एक आधुनिक धर्मशाला का निर्माण किया जाना

4513. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने पुरी, उड़ीसा में एक आधुनिक धर्मशाला के निर्माण का काम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस धर्मशाला के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) आई० टी० डी० सी० के पास उड़ीसा के अन्तर्गत पुरी में एक धर्मशाला के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय यात्री आवास विकास समिति जो पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, के पास उड़ीसा के अन्तर्गत पुरी में 10.42 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक यात्रिका स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

पर्यटकों का विवेकानन्द शिला स्मारक तक सुगमतापूर्वक आना जाना

4514. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी के पास विवेकानन्द शिला स्मारक का विकास पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है ;

(ख) क्या स्मारक की यात्रा करने वाले पर्यटकों को स्थानीय मछुआरों के दुर्व्यंव्हार के कारण परेशानी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि इस महत्वपूर्ण स्मारक तक की यात्रा सुगमता और सुरक्षापूर्ण की जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आते हैं। कभी-कभी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि पर्यटकों को स्मारक तक जाने में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा है। तथापि यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अतर्गत आता है। और इसकी निस्संदेह वे ही देख-भाल करते हैं।

गुजरात में कार्यरत सभी विमानपत्तनों के लिए वायुदूत सेवा

4515. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में "वायुदूत" सेवाओं का विस्तार करने के लिए सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में कार्यरत सभी नौ विमानपत्तनों को इण्डियन एयरलाइंस अथवा "वायुदूत" सेवाओं से परस्पर जोड़ने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उपयुक्त सभी विमानपत्तनों में कब तक इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स गुजरात में अहमदाबाद, केशोद, भावनगर, भुज, जामनगर पोरबन्दर, राजकोट और बडोदरा स्टेशनों के लिए प्रचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, कांडला को एक वायुदूत सेवा द्वारा बम्बई के साथ जोड़ दिया गया है। गुजरात में कार्यरत नौ स्टेशनों को परस्पर जोड़ने का फिलहाल कार्यक्रम नहीं है।

मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि

4516. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग लोगों को कितनी कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(ग) उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है जिनको यह धनराशि वितरित की गई है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशियों के वितरण करने के लिए बैंक कर्मचारियों पर दबाव डाला जाता है तथा उनका घेराव किया जाता है तथा इसमें अवांछित तत्व सम्मिलित रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा धनराशि के समुचित वितरण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा 1980-81 से 1982-83 तक के तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में जुटाए गए कुल सावधि ऋणों की राशि 164 करोड़ रुपये थी। रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की बकाया राशि 273 करोड़ रुपये थी।

आंकड़े सूचित करने की प्रणाली में उन व्यक्तियों के विवरणों से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन बैंक ऋण सुलभ कराए गए हैं।

यद्यपि किसी विशेष कार्यक्रम के अधीन ऋण देने के वास्ते बैंक कर्मचारियों पर दबाव डालने का इक्का दुक्का मामला हो सकता है लेकिन सरकार को इस किस्म की किसी आम शिकायत की कोई जानकारी नहीं है।

बैंकों से आशा की जाती है कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन सभी मामलों की पूरी जांच और छानबीन के पश्चात् ही मंजूरी दें।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे हिताधिकारियों के निर्धारण में मदद देने तथा समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समुचित रूप से कार्यान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता करने के लिए खंड स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करें।

इण्डियन एयरलाइन्स और थाई विमानों का भोपाल में बीच आकाश में टकराना

4517. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एयरलाइन्स और थाई विमानों की भोपाल में बीच

आकाश में लगभग टकरा जाने की घटना की ओर दिलाया गया है (दिनांक 25 जनवरी, 1984 का टाइम्स आफ इण्डिया) ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं तथा इस लापरवाही घटना की जांच के परिणाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान उस प्रैस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो दिनांक 25-1-84 नई दिल्ली के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुई।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स तथा थाई विमानों के बीच आकाश में लगभग टकरा जाने की कोई घटना नहीं हुई। परन्तु 16 जनवरी, 1984 को एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें मंदसौर (म० प्र०) के ऊपर उड़ान स्तर 300 पर बम्बई से दिल्ली की इण्डियन एयरलाइन्स की एयरबस उड़ान 181 तथा कैथे पैसिफिक बी-747 विमान के बीच पृथककरण समय में कमी हो गई थी। इस घटना की जांच की गई है जिससे यह पता चलता है कि दो विमानों के बीच पृथककरण का समय 15 मिनट के निर्धारित समय से कम था। तथापि, बीच आकाश में टकरा जाने का कोई खतरा नहीं था क्योंकि दोनों विमानों के बीच 15 मील से भी अधिक की दूरी थी तथा दोनों में से किसी भी विमान ने उपेक्षापूर्ण कार्यवाही नहीं की थी।

भारत से पान के पत्तों के निर्यात पर पाकिस्तान द्वारा लगाई गई पाबन्दियां

4518. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने हमारे देश से पाकिस्तान को पान के पत्तों के निर्यात पर पाबन्दी लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इन पाबन्दियों को हटाने हेतु विदेश मन्त्रालय के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) जबकि सरकार को विशेषतौर पर पान के पत्तों के आयात के सम्बन्ध में पाकिस्तान में हाल में किए किन्हीं उपायों की जानकारी नहीं है, पाकिस्तान व्यापार निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों की मार्फत आयात को छोड़कर किन्हीं आयातों की अनुमति न देने की पाकिस्तानी नीति अभी भी जारी है। सरकार ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ अनेक अवसरों पर दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार पुनः स्थापित करने के मामले को उठाया है परन्तु बातचीत अनिर्णायक रही है।

पश्चिमी अफ्रीका के देशों की भारतीय औषधियों और फार्मुलेशन खरीदने की इच्छा

4520. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों ने भारतीय औषधियों और फार्म्युलेशन खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और उन्हें कितने मूल्य की औषधियां और फार्म्युलेशन बेचे जाने की आशा है ;

(ग) उन देशों से औपचारिक प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे ; और

(ग) इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जनवरी, 1984 में रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमण्डल की कुछ पश्चिमी अफ्रीकी देशों अर्थात् कैमरुन, गैबान, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, मारिटेनिया, सेनेगल और अपर वोल्टा की यात्रा के दौरान औषधियों और भेषजों के निर्यात् की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया । इन देशों ने इन उत्पादों के आयात में रुचि दिखाई । इसके पहले कि ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा सकें और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके और सम्पर्क तथा जानकारी का आदान-प्रदान आवश्यक है ।

खाड़ी क्षेत्र और त्रिवेन्द्रम्/कोचीन के बीच किराये ढांचे में संशोधन

4521. **श्री ई० के० इम्बीचीबावा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी क्षेत्र से कोचीन और त्रिवेन्द्रम् जाने वाले विमान यात्रियों को बम्बई और दिल्ली की तुलना में अधिक किराया देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो किराए की इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, हां ।

(ख) किरायों में अन्तर, दूरी में अन्तर के कारण है ।

शतप्रतिशत निर्यात वाली यूनिटें

4522. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शतप्रतिशत निर्यात वाली कितनी यूनिटें हैं ;

(ख) उद्योग का ब्यौरा क्या है और इन यूनिटों द्वारा किन मदों का निर्यात किया जाता है ;

(ग) उपर्युक्त का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत 31-12-1983 तक 44 एकक स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों से उद्योगवार आंकड़े

1. इन्जीनियरी	12
2. वस्त्र	9
3. रसायन पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ	12
4. खाद्य तथा कृषि	3
5. इलैक्ट्रानिक्स	2
6. चमड़ा	1
7. खनिज पदार्थ तथा अयस्क	1
8. विविध	4
योग	44

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों का अवस्थापन विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. बिहार	1
3. चण्डीगढ़	2
4. गोआ	1
5. गुजरात	4

6. हरियाणा		3
7. जम्मू तथा काश्मीर		1
8. कर्नाटक		5
9. महाराष्ट्र		8
10. उड़ीसा		1
11. पंजाब		1
12. तमिलनाडु		6
13. उत्तर प्रदेश		6
14. पश्चिमी बंगाल		4
	योग :	44

पुणे छावनी महाराष्ट्र में भवन निर्माण के लिए "फलोर स्पेस इन्डेक्स"

4523. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे छावनी महाराष्ट्र में भवनों के निर्माण के लिए कितने फलोर स्पेस इन्डेक्स की अनुमति दी गई है और 1979 से 1983 तक प्रतिवर्ष कितने नये भवन बनाए गए ;

(ख) कितने भवनों को "फलोर स्पेस इन्डेक्स" की अनुमति से अधिक की अनुमति से अधिक की अनुमति दी गई और 1979-1983 में छावनी बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे ; और

(ग) क्या ऊंचे भवनों के लिए "फलोर स्पेस इन्डेक्स" के अधिक की मंजूरी देने के दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पुणे छावनी के लिए फर्श क्षेत्र का ब्यौरा अनुबन्ध "क" और "ख" में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गए—देखिए संख्या एम० टी० 8000/84]

1979 से 1983 तक बनाई गई नई इमारतों की संख्या इस प्रकार है :—

1979	—5
1980	—5

1981	—4
1982	—4
1983	—41

(ख) 24 दिसम्बर, 1983 तक फर्श क्षेत्र की जगह से सम्बन्धित कोई विनियम नहीं थे। छावनी बोर्ड ने ऐसा कोई नक्शा पास नहीं किया है जिससे फर्श क्षेत्र नियमों का उल्लंघन होता है।

1979 से 1983 के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं :—

अध्यक्ष

1979	—ब्रिगेडियर टी० आर० मल्होत्रा
1980 से 1981	—ब्रिगेडियर एम० एम० चोपड़ा
1981 से 1983	—ब्रिगेडियर वी० वी० घावले
1983 से आगे	—ब्रिगेडियर एस० के० डे

उपाध्यक्ष

1979 से फरवरी 1981	—श्री एस० वी० गनला
फरवरी, 1981 से दिसम्बर 1981	—श्री प्रकाश केदारी

बोर्ड का गठन दिसम्बर, 1981 से बदल दिया गया था इसलिए तब से कोई उपाध्यक्ष नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे काजू का आयात

4524. **श्री ए०के० बालान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय कच्चे काजू का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक कितने कच्चे काजू का आयात किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार

कच्चे काजू का आयात करती है। ये वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक), निर्यात सदनों/व्यापारिक सदनों तथा भारतीय काजू निगम द्वारा आयात किए जा सकते हैं।

(ख) तथा (ग) 1979-80 से 1982-83 के दौरान आयातित कच्चे काजू की मात्रा नीचे दर्शायी गई है—

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)
1979-80	24222
1980-81	16280
1981-82	16057
1982-83 (अनन्तिम)	896

अहीर रेजीमेंट की स्थापना

4525. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से कुमाउ रेजीमेंट में अहीरों की संख्या में कमी आई है ;

(ख) क्या इस कमी से सेना के जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या अहीर रेजीमेंट की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। सरकार की नीति यह है कि जाति और समुदाय के आधार पर नई रेजीमेंटें नहीं बनाई जाएं।

अधिकारियों को स्टेनोग्राफर की सेवा उपलब्ध कराना

4526. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री अधिकारियों को स्टेनोग्राफर की सेवा उपलब्ध कराने के बारे में 29 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अब स्टेनोग्राफरों के वेतनमान निर्धारित कर दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वेतनमान निर्धारित करने में तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफरों और केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफरों की सेवा शर्तों के बीच भारी विषमता के दूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, जबकि तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि वे दोनों सेवाएं एक दूसरे के बराबर हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सशस्त्र/सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में अधिकारियों को आशुलिपिकीय सहायता के लिए मानक तय करने के प्रश्न पर विचार किया गया है लेकिन ऐसा करना संभव नहीं पाया गया है।

(ग) आशुलिपिक के लिए कार्य का भार सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठनों में सेना कार्मिक के काम के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होता है। परन्तु विभिन्न अफसरों द्वारा अपेक्षित आशुलिपिक सहायता की मुख्यालयों/संगठनों से संबद्ध स्थाई स्थापना समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों आशुलिपिकीय सहायता का मानक तय करने के मामले में विलम्ब का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

तृतीय वेतन आयोग ने सशस्त्र सेना मुख्यालयों के आशुलिपिकों और केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिकों के वेतनमानों और आशुलिपिकों के विभिन्न ग्रेडों में समानता की सिफारिश की थी जिसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

उच्च स्तरीय सरलीकरण (फेसिलिटेशन) समिति के निदेश पद

4527. **श्री जी० भूपति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च स्तरीय सरलीकरण (फेसिलिटेशन) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निदेश पद क्या हैं ;

(ख) क्या यह समिति हवाई अड्डों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के स्वरूप और उनकी सीमा की जांच भी करेगी यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक समिति की जितनी बैठकें हुई हैं और समिति की रिपोर्ट कब मिलने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हवाई, समुद्री तथा सड़क परिवहन के क्षेत्रों में सरलीकरण सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिए पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय द्वारा 20 दिसम्बर, 1968 को सरलीकरण पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह एक स्थायी समिति है। समिति का गठन निम्न प्रकार है—

नागर विमानन सचिव	—	अध्यक्ष
पर्यटन के महानिदेशक	—	सदस्य
नागर विमानन के महानिदेशक	—	सदस्य
केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क बोर्ड के सदस्य (सीमा-शुल्क)	—	सदस्य
गृह मन्त्रालय के संयुक्त सचिव	—	सदस्य
महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—	सदस्य
निदेशक, विनिमय तथा सूचना, नागर विमानन विभाग	—	सदस्य-सचिव

(ख) सरलीकरण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ऐसे विमान क्षेत्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जांच करती है जहां अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालन करती हैं।

(ग) अब तक सरलीकरण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की चौदह बैठकें हो चुकी हैं। यह एक स्थायी समिति है जिसका गठन अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के सहयोग से सरलीकरण की समस्याओं से निपटने के प्रयोजन के लिए किया गया है। इस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय वायुसेना के उच्च शक्ति प्राप्त राकेटों की चोरी

4528. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

डा० ए०यू० आजमी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गोहाटी और अलीपुर द्वार के बीच रास्ते में भारतीय वायु सेना के उच्च शक्ति प्राप्त कई राकेटों की चोरी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) 13 फरवरी, 1984 को एक वायु-सेना यूनिट द्वारा विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों को बक्सों में बन्द करके डिब्रूगढ़ से अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया था जो डिब्रूगढ़ से 3 बजे अपराह्न चला। इस सामान के साथ रक्षक के रूप में वायुसैनिक भी थे। वायुसेना कार्मिकों ने रेलवे अधिकारियों के सामने इन वैगनों को बंद किया और फिर रेलवे अधिकारियों ने वायुसेना कार्मिकों के सामने उन वैगनों को सील किया। यह रेलगाड़ी 15 फरवरी,

1984 को लगभग 11.45 बजे रात नए बंगाईगांव से चली। वैगनों के ताले और सील इस स्टेशन से चलते समय ठीक हालत में थे। यह रेलगाड़ी 16 फरवरी, 1984 को लगभग 00.20 बजे बासुगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। इस स्टेशन पर एक वायुसैनिक रक्षक ने देखा कि एक वैगन जिसमें विस्फोटक सामग्री थी, को सील टूटी हुई थी और उसका पैडलॉक गायब था। इसमें तीन बक्सों को देखने पर मालूम हुआ कि 18 राकेट गायब थे। यह मामला तुरन्त रेलवे अधिकारियों को रिपोर्ट किया गया और नए बंगाईगांव रेलवे स्टेशन फोर्स पोस्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 19 फरवरी, 1984 को रेलवे पुलिस कार्मिकों ने दो राकेट देखे जो इस रेलवे यार्ड से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक नदी के पास दो टुकड़े करके फेंके हुए थे। 23 फरवरी, 1984 को नदी में एक राकेट पाया गया। तबसे कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और अधिकांश राकेटों के टूटे हुए हिस्से बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारी जांच जारी रखे हुए हैं। वायुसेना अधिकारियों ने भी जांच अदालत के आदेश दिए हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा कार्यालयों को बन्द किया जाना

4529. **श्री नवीन रावणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी कुछ ऐसी विदेशी कम्पनियां शेष हैं, जिन्होंने भारत में अपना कारोबार बन्द कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत में उनके कार्यालय या प्रतिष्ठान बने हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां है तथा अपना कारोबार बन्द करने के बाद इतने लम्बे समय तक उनके द्वारा भारत में अपने कार्यालय बनाए रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है जिस तक वे भारत में अपने कार्यालय बन्द कर देंगे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) से (ग) जो कम्पनियां अपना कारबार बन्द कर रही हैं उनके नामों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। अब ये कम्पनियां किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक क्रियाकलापों में संलग्न नहीं हैं। इन कम्पनियों का देश में अपने कारबार को बन्द करने का कार्य विभिन्न दौरों में है। कम्पनी को पूर्ण रूप से कारबार बन्द करने से पहले, कई प्रकार की कानूनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ मामलों में कर सम्बन्धी मामले न्यायालयों तथा/अथवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन पड़े हुए हैं। इसलिए, कार्य बन्द किए जाने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

विवरण

उन कम्पनियों के नामों की सूची जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) के अन्तर्गत जारी किए निर्देशों के अनुसार अपने अनिवासी हिताधिकारी को कम करके 40 प्रतिशत तक ले आने की बजाए, भारत में अपने क्रियाकलापों को बन्द करने का विकल्प अपनाया है :

जो अब बन्द हो चुकी है : 31 दिसम्बर, 1983 के अनुसार

1. ए० जोनसन एण्ड कं०, इंडिया, क०ए०बी० कलकत्ता
2. एण्ड्रू चालमर्स (आई) लि०, गुंटूर

3. बेकर पार्किंग इंटरनेशनल लि०, बम्बई

4. बुंगे एण्ड कं० लि०, कलकत्ता

5. कोलम्बिया ग्राफोफोन कं० आफ इंडिया प्रा० लि०, कलकत्ता

6. एली लिली एण्ड कं० आफ इण्डिया इंक, बम्बई

7. वैन रीस इण्डिया, बी०वी०, कलकत्ता

जो अभी बन्द होनी है

1. कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली

2. कंसोलिडेटेड न्यूमेटिक टूल कं० लि०, बम्बई
(जो अब शिकागो न्यूमेटिक होल्डिंग्स कं० लि० के नाम से विख्यात है।

3. आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नई दिल्ली

4. नेसल्स; प्राडक्टस (आई० लि०,) नई दिल्ली

5. सिलभेट्टा० टी० सीड कं० लि०, कलकत्ता

6. टोरेंस एण्ड सन्स लि० मद्रास

7. वेडल (इण्डिया) लि०, कलकत्ता

डिमांड ड्राफ्टों में घोटाला

4530. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने बम्बई में हाल ही में डिमांड ड्राफ्टों के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार को वर्ष 1983-84 में अब तक डिमांड ड्राफ्ट के घोटालों सम्बन्धी कितने मामलों का पता चला है और इसमें कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(घ) पूरे देश में इस प्रकार के घोटालों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग ने 13-2-84 को बम्बई में उन 15 सर्राफों के मामले में तलाशियां लीं जो ऐसे ड्राफ्ट भुनाते थे जिनमें

लेखा-बाह्य लेन-देन होने का सन्देह था तथा प्रथम दृष्ट्या लगभग 12.26 लाख रुपये की लेखा-बाह्य नकदी और बैंक ड्राफ्ट पकड़े। बैंक खातों तथा सावधि जमा रकमों पर प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करके लगभग 8.6 लाख रुपये की रकमों को अवरुद्ध कर दिया गया है। दो बैंक लाकर सील कर दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान 25-7-83 को इसी प्रकार की तलाशियां ली गई थीं और 33.05 लाख रुपये की नकदी/बैंक ड्राफ्ट पकड़े गये थे तथा लगभग 18.49 लाख रुपये की बैंक में जमा रकम अवरुद्ध की गई थी।

(घ) यह प्रस्ताव है कि इन ड्राफ्टों को रद्द करने के लिए समय-समय पर ऐसी तलाशियां लेना जारी रखा जाए। ऐसा करने से इस प्रकार की गतिविधियों पर निवारक प्रभाव पड़ेगा।

चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4531. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 के दौरान चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध निष्क्रिय रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान विदेशों को कुल कितनी चांदी निर्यात की गई है ; और

(ङ) प्रतिबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए तथा चांदी की अवैध तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। सिल्वर बुलियन, चांदी की चादरों तथा प्लेटों जिनमें रोलिंग के पश्चात विनिर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है के निर्यात पर फरवरी, 1979 से रोक है।

(ख) से (ङ) प्रतिबन्ध में छूट देकर चांदी के किसी भी वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार को जानकारी है कि चांदी एक ऐसी मद है जिसकी कि देश से तस्करी की जा सकती है। तस्करी में अन्तर्ग्रस्त असामाजिक तत्व की गतिविधि की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य प्राधिकारियों के निकट सहयोग से समुचित तस्करी विरोधी उपाय किए जा रहे हैं। सीमाशुल्क विभाग की निवारक तथा गुप्त मशीनरी को कमजोर क्षेत्रों में मानव-शक्ति तथा उपस्कर द्वारा प्रबलित कर दिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4532. **श्री भीखा भाई : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 1 जनवरी, 1984 को अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की कुल कितनी संख्या थी तथा इनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु उनके लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित करने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार की केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या नीति है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्त मन्त्रालय के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) गृह मन्त्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा ग्रेड I (अवर सचिव) पर भी लागू होते हैं अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या के क्रमशः 15 प्रतिशत और 7-1/2 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षित रिक्त पदों को सम्पूर्ण सचिवालय के आधार पर भरा जाता है और न कि इन्हें मन्त्रालय/विभाग-वार।

जहां तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी विशेष परीक्षा का आयोजन करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों का सम्बन्ध है इन आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की कमी होने पर एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिवों) के लिए अप्रैल, 1984 में विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल

4533. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जनजाति के निदेशकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक बैंक के निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ख) यद्यपि राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों में इन बैंकों के निदेशक मण्डलों में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है तथापि वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार इन बैंकों के प्रत्येक बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कम-से-कम एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयास करती रहती है। फिलहाल 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 18 बैंकों के निदेशक मंडलों में से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक-एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है ।

अन्य दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उन व्यक्तियों की सूची जो इन बैंकों के निदेशक मण्डलों में निदेशक के रूप में सेवारत हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित निदेशकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	बैंक का नाम	निदेशक का नाम	क्या अनु०जाति/अनु० जनजाति से सम्बन्धित है
1	2	3	4
1.	आंध्र बैंक	श्री खुशी राम	अनुसूचित जाति
2.	बैंक आफ इण्डिया	श्री जयदेव बाघेल	अनुसूचित जनजाति
3.	पंजाब नेशनल बैंक	डा० भानु प्रसाद पांड्या	अनुसूचित जाति
4.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री भाग सिंह	,,
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्रीमती जमुना सोलंकी	,,
6.	केनरा बैंक	डा० एन० डी० कामले	,,
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	श्री होरेन जोन्स आर जीन	,,
8.	देना बैंक	श्री कालिदास परमार	अनु० जा०/ज०जा०
9.	सिंडीकेट बैंक	डा० ईश्वर जीतचवान	अनुसूचित जाति
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	डा० के० डी० वासव	अनुसूचित जनजाति

1	2	3	4
11.	इलाहाबाद बैंक	श्री दिनेश चन्द्र बर्मन	अनुसूचित जाति
12.	इण्डियन बैंक	श्री ए० पोन्नुदुरै	अनुसूचित जनजाति
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री रमेश जीवन बांसोड	अनुसूचित जाति
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री राम चरण	,,
15.	कारपोरेशन बैंक	श्री टी० बाबू मास्टर	,,
16.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	श्री दौलत राम नेगी	अनुसूचित जनजाति
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	,,
18.	विजया बैंक	श्री के० पी० बस्तवार	अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जरूरतों के लिए विशेष बैंक

4534. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री प्रताप बाघ :

श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जरूरतों के लिए एक विशेष बैंक खोलने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कब से काम करना शुरू कर देगा ; और

(घ) इस बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूरी की जाने वाली वित्तीय जरूरतों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों में निवेश

4535. **श्री रेणुपद दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्तीय संस्थानों ने पश्चिम बंगाल के औषध एककों सहित विभिन्न रुग्ण औद्योगिक एकक में अब तक कितनी पूंजी निवेश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक रुग्ण गैर-सरकारी औषध एकक, "दे-से-केम" में 90 लाख रुपये से अधिक निवेश किया है, जिसकी वसूली सम्भव नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस आधार पर पश्चिम बंगाल के अन्य रुग्ण एककों सहित इस औषध एकक के प्रबन्ध को हाथ में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) दिसम्बर, 1982 के अन्त में पश्चिम बंगाल में स्थित 48 रुग्ण एककों के नाम अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत कुल 108.12 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) मैसर्स दे-से-केम लि० में ऋणों और ईक्विटी के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अन्तर्ग्रस्तता प्रश्न में बताई गई राशि से बहुत कम है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 29(1) के उपबन्धों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार, विकास बैंक के अलग-अलग संघटकों के कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत ब्यौरा नहीं बताया जा सकता। अतः मैसर्स दे-से-केम के कार्यों से सम्बन्धित सूचना नहीं दी जा सकती।

(ग) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने से पहले उनके राष्ट्रीयकरण पर तभी विचार किया जाता है जब उनके पुनरुद्धार की अन्य सभी सम्भावनाओं का पता लगा लिया जाए और ऐसा तय किया जाता है यदि एकक सम्भावित रूप से सक्षम हो और राष्ट्रीयकरण करना जनहित में न हो।

थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4536. **श्री ए० के० राय : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्धारण हेतु प्रत्येक मद का क्या अंशदान है ;

(ख) थोक मूल्य सूचकांक निर्धारण पर प्रत्येक मद का क्या अंशदान है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक का भिन्न-भिन्न प्रभाव रहा ; और

(घ) यदि हां, तो इस भिन्नता वाली मदों के मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) माननीय सदस्य सम्भवतः दोनों मूल्य सूचकांकों के संघटकों और भारांश आरेख (डायग्राम) का, उल्लेख कर रहे है। थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1970-71=100) में देश की 360 वस्तुओं के 1288 बाजार भावों को शामिल किया जाता है। अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) में 50 केन्द्रों के सूचकांकों का भारित औसत होता है जिसमें लगभग 120 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के विभिन्न वस्तु समूहों का भारांश और अन्य मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :

I. अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 = 100)

दिसम्बर 1982 और दिसम्बर 1983 के बीच

वस्तु	भारांश (प्रतिशत)	प्रतिशत परिवर्तन	प्रतिशत अंशदान
सभी वस्तुएं	100.00	10.1	100.0
खाद्य वस्तुएं और खाद्य उत्पाद	43.12	16.8	61.5
प्राथमिक वस्तुएं (खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त)	11.87	6.8	9.6
ईंधन, पावर, बिजली तथा लुब्रीकेण्ट	8.46	5.5	7.6
विनिर्मित उत्पाद (खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त)	36.55	6.1	21.3

II. अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100)

सामान्य सूचकांक	100.00	12.5	100.0
खाद्य	60.92	13.5	69.7
पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीले पदार्थ	4.79	12.2	4.5
ईंधन और बिजली	5.77	12.0	7.1
आवास	6.26	10.7	2.6
कपड़े, बिस्तर और जूते आदि (फुटवीयर)	8.54	7.0	5.2
विविध	13.72	11.9	11.0

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली मुद्रा से होने वाली अदृश्य आय

4537. **श्री ए० के० राय :** क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान भेजी गई विदेशी मुद्रा से प्रति वर्ष कितनी अदृश्य आय हुई ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल निर्यात आय में अदृश्य आय का कितना भाग है ;

(ग) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली मुद्रा में कमी आ रही है तथा इसमें आगे और भी कमी होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) ऐसा माना जाता है कि विदेशों से भेजी गई प्रेषणाओं से होने वाली आय का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीयता के या भारत मूल के अनिवासियों द्वारा भेजी जाने वाली प्रेषणाओं और उपहारों एवं दान तथा प्रवासी अन्तरण प्राप्तियों जैसे प्रयोजनों के लिए विदेशों से भेजे गए अन्य अन्तरणों से है। वर्ष 1977-78 से 1981-82 (अब तक उपलब्ध) तक के पांच वर्षों के दौरान, भुगतान शेष के आंकड़ों के चालू खाते में दर्ज की गई निजी अन्तरण प्राप्तियां, जिनमें ये सब प्रेषणाएं शामिल हैं, इन वर्षों में दर्ज की गई निर्यात आय सहित निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई हैं :—

वर्ष	निजी अन्तरण प्राप्तियां*	निर्यात (नौतलपर्यन्त नि:शुल्क)*	1 और 2 का अनुपात (प्रतिशत)
		(करोड़ रुपए)	
1977-78	917.3	5,433.5	16.9
1978-79	943.8	5,554.9	17.0
1979-80	1472.1	6,201.4	23.7
1980-81	2129.7	6,576.4	32.4
1981-82	2082.9	7,765.5	26.8

* इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पी० एल० 480 टाइटिल-II कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली प्रत्यावर्ती प्रविष्टियां (अनुदान) शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ) निजी अन्तरण प्राप्तियां तेजी से बढ़ने के बाद 1981-82 में अपेक्षाकृत कम हो गई थीं। लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते जिनसे 1981-82 की इस कमी को गिरावट की प्रवृत्ति का प्रारम्भ होने का सूचक माना जाए।

मन्त्रालय में कम्प्यूटर प्रणाली का शुरू किया जाना

4538. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कम्प्यूटर प्रणाली शुरू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा कम्प्यूटर टर्मिनल कब चालू किया गया ;

(ग) कम्प्यूटर टर्मिनल चालू करने के बारे में क्या विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) मन्त्रालय में 9 मई, 1983 को एक की-टू-टेप वीडियो टर्मिनल स्थापित किया गया था।

(ग) तथा (घ) कम्प्यूटर आधारित प्रबन्ध जानकारी प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए निम्नोक्त परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं :—

1. वाणिज्य मन्त्री द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय में अधिकारियों को दिए गए कार्य ;
2. मद-वार कार्यवाही कार्यक्रम जिसमें वाणिज्य मन्त्रालय के सभी प्रभाग शामिल हैं तथा
3. राज्य सरकारों तथा जनता के प्रतिनिधियों से प्राप्त सन्दर्भ ।

भारत-पश्चिम जर्मनी के बीच आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार

4539. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच किन-किन क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग स्थापित किया गया है ;

(ख) उक्त सहयोग की मदें क्या-क्या हैं तथा यह आर्थिक सहयोग कितनी अवधि के लिए किया गया है ; और

(ग) भारत-पश्चिम जर्मनी आर्थिक सम्बन्धों की स्थापना और विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारत तथा पश्चिम जर्मनी सतत आधार पर व्यापार व उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम जर्मनी को निर्यात होने वाली हमारी प्रमुख मदें हैं, सूती माल, कालीन, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, हस्तशिल्प की वस्तुएं, चाय तथा मूल्यवान और अर्धमूल्यवान रत्न, जबकि पश्चिम जर्मनी से हमारे आयात हैं, मशीनरी, लोहा तथा इस्पात, रसायन तथा भेषजीय उत्पाद, इलेक्ट्रो तकनीकी माल तथा परिवहन उपस्कर। भारत-पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार के लिए उपाय, जिनमें विपणन प्रयास तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान शामिल है, बनाए रखे गए हैं तथा उन्हें तीव्र किया गया है।

औद्योगिक एककों के प्रबन्धक मंडल में शामिल करने हेतु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निदेशकों का विशेषज्ञ संवर्ग

4540. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास बैंक की अपने द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों के प्रबन्ध मंडल में शामिल करने हेतु निदेशकों के एक विशेषज्ञ संवर्ग बनाने की योजना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसने अपनी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ग) विशेषज्ञ संवर्ग के लिए क्या अर्हताएं और अनुभव निर्धारित किया गया है ; और

(घ) क्या इस संवर्ग से व्यक्तियों को संबंधित एककों के लिए नामित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के निदेशक मण्डलों में निदेशक नामित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सरकार द्वारा जारी मार्ग निदेशों के अनुसार उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची बना रखी है। वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ तकनीकी और वित्तीय अधिकारी गैर-सरकारी जाने माने और अनुभवी व्यक्तियों चार्टर्ड लेखाकारों, लागत लेखाकारों, श्रमिक सम्बन्धों में विशेषज्ञों और इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों में से उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में से एक या अधिक क्षेत्र की विशेषज्ञता के अनुसार लोगों को इस सूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है। सामान्यतः अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सहायता प्राप्त संस्थाओं के निदेशक मण्डल में इस सूची से गैर-सरकारी निदेशक नामांकित करती हैं। सरकार ने 1-3-84 को वित्तीय संस्थाओं के नाम अनुदेश जारी किए है कि उन्हें संस्थाओं के अधिकारियों का एक अलग विभाग/कक्ष स्थापित करना चाहिए जिसका एक मात्र और पूर्ण-कालिक काम कम्पनियों के निदेशक मण्डल में संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना हो और जहां संस्थाएं एक से अधिक नामित निदेशक चाहती हों, वहां गैर-सरकारी व्यक्तियों को निदेशक मण्डल में केवल अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नामित निदेशक नियुक्त किया जा सकता है।

दक्षिण भारतीय होजरी निर्माता एसोसिएशन का ज्ञापन

4541. **श्री डी० एस० ए० शिव-प्रकाशम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय होजरी निर्माता एसोसिएशन के सदस्यों ने जनवरी 1984 में कपड़ा आयुक्त को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लासकर) : (क) जी, हां ।

(ख) दक्षिण भारतीय होजरी विनिर्माता एसोसिएशन ने अपना ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ जो अन्य बातें शामिल की वे हैं—होजरी उद्योग का सर्वेक्षण, आधुनिकीकरण के लिए रियायती सहायता रियायती शुल्क के अन्तर्गत मशीनरी के आयात की अनुमति, संयुक्त प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना, एन० टी० सी० द्वारा होजरी यार्न की सप्लाई, अलग होजरी निर्यात संवर्धन परिषद्, सोवियत तथा अन्य पूर्वी संघ यूरोपीय देशों को निर्यात में सहभागिता, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में होजरी प्रकोष्ठ की स्थापना, आदि, आदि ।

(ग) वस्त्र आयुक्त ने अभ्यावेदन की जांच की है और होजरी उद्योग के सर्वेक्षण का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया है । जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, ये यूनिट लघु क्षेत्र के लिए लागू रियायती वित्त की विद्यमान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं । होजरी विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित मशीनरी की बहुत मदों को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात की पहले ही अनुमति है । इसी प्रकार, एन० टी० सी० के विभिन्न यूनिट अपेक्षित यार्न की सप्लाई की स्थिति में हैं जिसके लिए होजरी विनिर्माता को अपने क्षेत्रों में एन० टी० सी० यूनिटों से सम्पर्क करना पड़ेगा । होजरी क्षेत्र के लिए अलग से एक निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में अलग से प्रकोष्ठ बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के हित की देखभाल पहले ही वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जा रही है ।

दिल्ली से अहमदाबाद और वापस अतिरिक्त बोइन्ग सेवा

4542. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष 1984 के दौरान दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली तक अतिरिक्त बोइन्ग सेवा उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं नहीं उठता ।

रुई का आयात

4543. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के लिए रुई का आयात करने हेतु कोई समझौता किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत किस किस्म की रुई का और किस देश से आयात किया गया तथा आयात की गई रुई का मूल्य क्या था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में कपास की अच्छी पैदावार हुई है और इसी कारण गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के पास कपास का भारी स्टाक जमा पड़ा है ; और

(घ) यदि हां तो वर्ष 1984-85 के लिए रुई का आयात/निर्यात करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान रुई की फसल के कम होने की संभावना है। वर्तमान वर्ष के दौरान 78 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान है जबकि गत वर्ष का अनुमानित 83 लाख गांठों का था।

(घ) देश में मांग तथा सप्लाई की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर रुई के निर्यात/आयात के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

केपोलेक्टम के आयात के लिए ब्राजील के साथ राज्य व्यापार निगम का सौदा

4544. **श्री सुशली भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील से 2 करोड़ रुपए मूल्य के केप्रोलेक्टम के आयात के बारे में राज्य व्यापार निगम के हाल के सौदे ने नायलोन निर्माताओं के दिमाग में बड़ी आशंकाएं पैदा कर दी हैं ;

(ख) नायलोन निर्माताओं द्वारा असंतोष व्यक्त करने के बावजूद राज्य व्यापार निगम द्वारा परम्परागत बाजार के स्थान पर ब्राजील से सामग्री आयात करने को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने का सरकार का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम अधिक प्रतियोगी कीमतें प्राप्त करने और साथ ही वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केप्रोलैक्टम के सप्लाई आधार को विस्तृत करने के प्रयत्न कर रहा है। परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम द्वारा कैप्रोलैक्टम की सप्लाई के लिए मांगें गए टैण्डर (जनवरी-मार्च, 1984) के उत्तर में ब्राजील की एक कम्पनी को आर्डर दिया गया था, जहां माल लाभकारी कीमत (सी० आई० एफ० आधार पर) और अधिक लाभकारी शर्तों पर उपलब्ध था। राज्य व्यापार निगम नाइलोन यार्न की कताई करने वालों से सहयोग प्राप्त कर रहा है जोकि कैप्रोलैक्टम में वास्तविक प्रयोक्ता हैं और जोकि नए/अतिरिक्त स्रोतों से कैप्रोलैक्टम स्वीकार करने के लिये इस

आधार पर उदासीन हैं कि ऐसे स्रोतों द्वारा आफर की जाने वाली सामग्री उनके द्वारा न तो प्रयोग की गई है और न ही उनके द्वारा विगत में परीक्षण किया गया है।

(ग) उपरोक्त स्पष्ट किए गए तथ्यों को देखते हुए जांच की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण औद्योगिक एककों में बैंकों की निरुद्ध धनराशि

4545. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे, मध्य और बड़े दर्जे के कितने रुग्ण औद्योगिक एककों की ओर बैंकों की धनराशि निरुद्ध पड़ी है और निरुद्ध धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) उन सब से बड़े एककों के नाम क्या हैं जिनमें सबसे अधिक धनराशि निरुद्ध पड़ी है और प्रत्येक में कितनी धनराशि निरुद्ध पड़ी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जून, 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के पोर्ट फोलियों में बड़े, मझौले और लघु रुग्ण एककों की संख्या तथा उनकी और बैंक अग्रिमों की बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि
बड़े रुग्ण एकक (जिनमें से प्रत्येक 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि के बैंक ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहा था)	435	1728.95
मझौले रुग्ण एकक	1020	176.14
लघु रुग्ण एकक	26,973	393.67

(ख) सरकार की यह नीति है कि बैंकों को औद्योगिक एकक की रुग्णता तथा ऐसे एककों की अर्थक्षमता के अभ्ययन एवं वित्तपोषण का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगा लेना चाहिए जिन्हें कि संभावित रूप से अर्थक्षम माना गया है। तदनुसार बैंक एककों की दशा सुधारने और उनके देयों की अदायगी करने की दृष्टि से अर्थक्षम रुग्ण एककों के मामले में पुनरोद्धार के कार्यक्रम तैयार करते हैं। अक्षम रूग्ण एककों के मामले में, बैंकों द्वारा अग्रिमों की वापसी अदायगी, प्रतिभूतियों और वैधानिक उपचारों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाता है। इन उपायों से बैंकों को अपनी बकाया राशियों की वापसी अदायगी में पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सफलता प्राप्त होती है।

(ग) बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों के अनुसरण में तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले उपबंधों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती और इसलिए बड़े रुग्ण एककों के नाम तथा उनके द्वारा देय बैंक अग्रिमों की बकाया राशि प्रकट नहीं की जा सकती।

वर्ष 1981, 1982 और 1983 में निर्यात किए गए तम्बाकू की मात्रा

4546. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष 1981, 1982 और 1983 में कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का तम्बाकू निर्यात किया गया ;

(ख) भारत से तम्बाकू आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) देश में तम्बाकू उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) तम्बाकू उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है ;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान हुए अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु०)
1981 (अ)	104,862 टन	190.26
1982 (अ)	97,887 टन	204.08
1983 (अ)	83,488 टन	168.95

अ=अनन्तिम

(ख) ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, जापान, बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, नीदरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया तथा मिस्र भारतीय तम्बाकू के प्रमुख बाजार हैं।

(ग) भारत में तम्बाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य है ; आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु।

(घ) भारत तम्बाकू उगाने वाला तीसरा बड़ा देश है इसका उत्पादन विश्व तम्बाकू उत्पादन का लगभग 8% से 10% बैठता है।

(ङ) जी हां। चूंकि धूम्रपान विरोधी अभियानों, ऊंचे करो आदि की वजह से खपत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है इसलिए निर्यातों में वृद्धि के लिए विश्व स्थिति इस समय अनुकूल नहीं है।

(च) उत्पादन बढ़ाने के लिए तम्बाकू की उन्नत किस्मों के बीजों तथा बीजांकुरों की सप्लाई,

किसानों की प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित तम्बाकू की किस्म कर उत्पादन करने के लिए उस समुचित क्षेत्रों में विकसित करके, प्रदर्शनियों में भाग लेकर, बाजार सर्वेक्षण करके तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडल आदि भेजकर प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों की उत्पादन क्षमता

4547. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक कपड़ा मिल की 1 मार्च 1984 को, वित्तीय तथा उत्पादन संबंधी स्थिति क्या है ; और

(ख) सरकार का वित्तीय संस्थानों द्वारा विनोद एण्ड विमल मिल्स को मंजूर किए गए ऋणों और अनुदानों की स्थिति क्या है और उस तारीख को उनकी देयता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चांदी का निर्यात

4548. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चांदी के निर्यात पर वर्ष 1979 में लगाए गए प्रतिबन्ध के बावजूद न्यूयार्क के चांदी के प्रमुख व्यापारी हैण्डी एण्ड हार्षर के अनुमान के अनुसार वर्ष 1983 के दौरान भारत से लगभग 250 लाख औंस चांदी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भेजी गयी है, जैसा कि कलकत्ता के बिजनेस स्टैन्डर्ड के 19 फरवरी, 1984 के अंक में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या इस प्रकार के निर्यात के लिए सरकार ने स्वीकृति दी थी ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें जहाजों से भेजने की अनुमति कैसे दी गई ; और

(घ) चांदी के इस व्यापार से सम्बन्धित प्रमुख भारतीय निर्यातकों के नाम क्या हैं और क्या उन्होंने इस निर्यात से प्राप्त लाभ पर आयकर तथा अन्य कर अदा किए थे ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ख) सिलकर बुलियन, चांदी की चादरों तथा प्लेटों जिनमें रोलिंग के पश्चात् विनिर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, के निर्यात पर फरवरी, 1979 से रोक है। प्रतिबंध में छूट देकर प्रतिबंधित चांदी के किसी भी वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा धन एकत्र किया जाना

4549. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा पूंजी बाजार से शेयरों और

डिबेन्चरों की शक्ल में धन एकत्र करने की लागत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने किसी भी स्तर पर इसके कारणों का अध्ययन किया है और इस सम्बन्ध में विभिन्न क्रियाओं पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) निवेश के आधार को विस्तृत करने और अधिक शेयरधारियों को शामिल करने के उद्देश्य से नए इक्विटी शेयर जारी करने के स्थान पर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा "राइट शेयर" जारी करने की हाल ही की प्रवृत्ति के मूल कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या इस प्रकार की प्रथा से कम्पनी के अपने हाथों में तथा इसके मौजूदा शेयर होल्डरों के पास अधिक शक्तियां केन्द्रित हो जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) बाजार में पूंजी जुटाने पर जो लागत आती उसका सम्बन्ध मुख्य रूप से इन मदों से है, अर्थात् :—(i) विवरण-पत्रों तथा आवेदन-पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन ; (ii) हामीदारी कमीशन ; (iii) आढ़त ; (iv) आवेदन पत्रों को प्राप्त करने तथा सम्भालने से सम्बन्धित बैंक प्रभार ; (v) आवंटन तथा धन वापसी आदि आदेशों को प्रेषित करने का डाक व्यय ; (vi) प्रचार जैसे कि अखबारों में विज्ञापन देना तथा सम्मेलनों आदि में ; (vii) निर्गम प्रबंधकों तथा रजिस्ट्रारों का शुल्क ; (viii) कानूनी प्रभार ; तथा (ix) लेखापरीक्षकों की फीस कुछ वर्षों से व्यय की इन सभी मदों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप धनराशियां जुटाने की लागत भी बढ़ गई है ।

(ग) तथा (घ) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनियों के विद्यमान शेयर होल्डरों को आधिकारिक आधार पर शेयर जारी किए जाने की अनुमति है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें ऐसे "अनुवर्ती निर्गमों" तथा "आधिकारिक निर्गमों" का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों को अनुमोदन दिया गया था। उन आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि आधिकारिक निर्गमों में अनुचित वृद्धि हुई है ।

विवरण

अनुवर्ती निर्गमों तथा आधिकारिक निर्गमों का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदन दिए गए ।

	अनुमोदित कुल अनुवर्ती निर्गम		कुल अनुवर्ती निर्गमों में से आधिकारिक निर्गम	
		(करोड़ रुपए)		(करोड़ रुपए)
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1981	117	70.03	43	20.14
1982	128	110.39	41	29.72
1983	101	113.16	32	36.94

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के ऋणों की बिक्री दरों में वृद्धि

4550. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार के अनेक ऋणों की बिक्री दरों में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई वृद्धि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां। नए केन्द्रीय ऋणों के जारी होने पर रिजर्व बैंक, प्रचलित विमोचन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, इनकी बिक्री-दरों में आमतौर पर संधोशन करता है।

21 फरवरी, 1984 से जो अन्तिम वृद्धि की गई थी, वह 5 पैसे से 30 पैसे तक की गई थी।

इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं का भारत के विभिन्न स्थानों तक विस्तार

4551. **श्री नवीन रावणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1983 के दौरान अपनी सेवाओं का देश के विभिन्न भागों तक विस्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिमी क्षेत्र में आरम्भ की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके अन्तर्गत लाए गए स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) 1984 के दौरान देश में सेवाओं के विस्तार के बारे में इसका क्या कार्यक्रम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1983 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान, इण्डियन एयरलाइन्स ने केवल नासिक को अपने मार्ग-तंत्र में जोड़ा। यह सेवा प्रारम्भ में सप्ताह में चार बार के आधार पर 1-11-83 से शुरू की गई थी जिसे 14-1-84 से एक दैनिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया।

(ग) नासिक की सेवा के अतिरिक्त, इण्डियन एयरलाइन्स ने 2 जनवरी, 1984 के एच०एस-748 विमान से दिल्ली-जयपुर-कोटा-जयपुर-दिल्ली सैक्टर पर एक सेवा आरम्भ की है। यह सप्ताह में चार दिन प्रचालन करती है।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान सेवाओं का विस्तार करने सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण

4552. **श्री नवीन रावणी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चालू वर्ष में जिलावार कितने व्यक्तियों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मिला है ; और

(ख) गुजरारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आंकड़ा सूचना पद्धति से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के लिए दिए गए बैंक ऋणों के सम्बन्ध में जिलावार सूचना प्राप्त नहीं होती ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में सितम्बर, 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया अग्रिमों के बैंकवार आंकड़ों के केवल तुरन्त अनुमान उपलब्ध हैं । राज्य वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रमों में से एक है चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1984 तक गुजरात में 1,16,413 हिताधिकारियों को कुल 3011.82 लाख रुपए के ऋण दिए गए । (ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं)

बम्बई में अधिगृहीत 13 मिलों के प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम का नया सहयोगी संस्थान बनाया जाना

4553. **श्री नवीन रावणी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बम्बई में हाल में अधिगृहीत 13 मिलों के प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एक सहयोगी संस्थान का सृजन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ; और

(ग) इन मिलों को पुन: आरम्भ करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और वे कब से काम करना आरम्भ कर देंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) इन मिलों के प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक नए अनुषंगी निगम की स्थपना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) एक मिल के अतिरिक्त इन सभी मिलों को पुन: आरम्भ कर दिया गया है। मशीनरी की स्थिति के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे

हैं। तथापि, सम्पूर्ण क्षमता को फिर से सक्रिय करने के लिए इन मिलों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक होगा।

आगरा और वाराणसी का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटक

4554. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने विदेशी पर्यटकों ने आगरा और वाराणसी का भ्रमण किया ;

(ख) क्या सस्ते दरों पर आवास व्यवस्था करके विदेशी पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या आगरा और वाराणसी में जनता यात्री निवास किस्म के होटल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री खुर्शीद आलम खां):(क)विदेशी पर्यटकों के आंकड़े देश की बाबत एकत्र किए जाते हैं और रखे जाते हैं न कि शहरों अथवा क्षेत्रों की बाबत।

(ख) हालांकि आवास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि मूल-निवास के देश में प्रयोग-योग्य आय (डिस्पोजेबल इन्कम), हवाई किरायों, पर्यटक अभिरुचि के आकर्षणों/वस्तुओं और इनके आसपास के क्षेत्र सहित मेजबान देश की छवि और परिवहन तथा अन्य सुविधाओं एवं आवास जैसी बहुत सी बातों पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) यह समझा जाता है कि वाराणसी में इस समय उपलब्ध आवास पर्याप्त है। जहां तक आगरा का सम्बन्ध है, सस्ते आवास की पेशकश करने वाले यूथ होस्टल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

"नो कट एण्ड ड्राइ मैथड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4555. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 फरवरी, 1984 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रैस" नई दिल्ली में "नो कट एण्ड ड्राइड मेथड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों के व्यय में दस प्रतिशत की कटौती करने के सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या तरीका निकाला गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में कुछ अशुद्धियां हैं। 1983-84 के दौरान व्यय में कटौती 5 प्रतिशत आयोजना

गत व्यय और 3 प्रतिशत आयोजना-भिन्न व्यय के लिए है। ऐसा अनुमान लगाने के लिए कोई आधार नहीं है कि मंत्रालय आवंटित की गई राशि से अधिक खर्च कर सकते हैं।

चेज मेनहेट्टन बैंक की शाखाएं खोलना

4556. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेज मेनहेट्टन बैंक भारत में अपने कार्य में विस्तार करने तथा यहां अपनी शाखाएं खोलना चाहता है ;

(ख) क्या इस बैंक को भारत में अर्जित किसी भी लाभ को अपने देश में भेजने की अनुमति है, यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) सरकार इस बैंक को अन्य क्या-क्या सुविधाएं देगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) हाल में चेज मेनहेट्टन बैंक के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत में भारत में अपने बैंक की शाखाएं खोलने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस समय भारत में इस बैंक का बम्बई में प्रतिनिधि कार्यालय है विशुद्ध रूप से सम्पर्क कार्यालय है और कोई बैंकिंग कारोबार नहीं करता। इसलिए प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई लाभ अर्जित किए पाने का सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सरकार का भारत में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय को कोई विशेष सुविधाएं देने का कोई इरादा नहीं है।

कॉफी की खेती के लिए राज्यों को सहायता

4557. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कॉफी की खेती बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में कालाहांडी जिले में भूमि और जलवायु कॉफी की खेती के अनुकूल है ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में कालाहांडी जिले में कॉफी की खेती के लिए 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों में, जहां कहीं सम्भव है, कॉफी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी बोर्ड की मार्फत ऋण तथा उपदान उपलब्ध करा रही है। कॉफी बोर्ड ने अभी तक अपनी सेवाएं कर्नाटक,

केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों में दी है।

उड़ीसा के कलाहांडी जिले की मिट्टी तथा जलवायु कॉफी की खेती के लिए अनुकूल है। कॉफी बोर्ड कोरापुट स्थित अपने प्रदर्शन फार्म और जयपुर स्थित विस्तार सेवा केन्द्र की मार्फत कलाहांडी जिले में विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहा है। व्यय की दृष्टि से कालाहांड़ी जिले में दी गई विस्तार सेवाओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि, बोर्ड ने कोरापुट स्थित काफी प्रदर्शन फार्म तथा जयपुर स्थित विस्तार सेवा केन्द्र के लिए निम्नलिखित खर्च किया है :—

वर्ष	राशि
1980-81	1,60 लाख रु०
1981-82	1,62 लाख रु०
1982-83	1,49 लाख रु०

शीत लहर के कारण अफीम की फसल को हुए नुकसान का अनुमान

4559. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फरवरी, 1984 के दौरान शीत लहर के कारण अफीम की फसल को अनुमानतः राज्य-वार कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) विभिन्न राज्यों और जिलों में इस फसल को हुए नुकसान के आधार पर प्रति हैक्टेयर न्यूनतम उत्पादन में कितनी छूट दी गई है ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने उपर्युक्त नुकसान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया है और उनके द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में शीत लहर की वजह से और उत्तर-प्रदेश में ओला-वृष्टि की वजह से पोस्त की खेती के खराब होने की रिपोर्ट मिली हैं। कितनी क्षति हुई है, इसके बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसलिए इस समय क्षति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) हरेक वर्ष के लिए तैयार किए जाने वाले लाइसेंसिंग सिद्धान्तों में इस प्रकार की क्षति के मामलों के सम्बन्ध में राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। क्षति की मात्रा को देखते हुए यथापेक्षित ढील देने के बारे में निर्णय, आगामी फसल वर्ष अर्थात 1984-85 के लिए लाइसेंसिंग सिद्धांतों के तैयार करते समय लिया जायेगा।

(ग) पोस्त की फसल की क्षति के बारे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पोस्त-काश्तकारों से और साथ ही इन क्षेत्रों के कुछ माननीय सांसदों, विधायकों और अन्य व्यक्तियों से अभ्या-

वेदन प्राप्त हुए हैं। सहायता के तौर पर, फसल की क्षति का सत्यापन करने, आगामी फसल के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु अहंक पैदावार की मात्रा में ढील देने आदि के लिए मुख्य रूप से अनुरोध किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण

4560. **श्री नरायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 में कितने ऋण जारी किए हैं ;

(ख) क्या पूर्ण राशि के ऋण लिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक ऋण से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और ऐसे प्रत्येक ऋण के लेने वाले व्यक्तियों/संस्थानों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) 1980-81 से फरवरी, 1984 तक भारत सरकार द्वारा जारी किए गये ऋणों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। ये ऋण पूर्णतः चुकता हो गए थे।

इन ऋणों में सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों, जीवन बीमा निगम, भविष्य निधियों आदि द्वारा अभिदान किया जाता है। चूंकि ये प्रतिभूतियां अन्तरणीय होती हैं इसलिए इनका स्वामित्व स्थान नहीं होता, बल्कि समय-समय पर बदलता रहता है।

विवरण

बाजार ऋणों का ब्यौरा

वर्ष		ऋण		राशि
				(करोड़ रुपए)
1980-81	+	6 %	1986	254.02
		6-1/4%	1989	125.00
		6-3/4%	1994	272.43
		6-1/2%	1990	581.67
		7-1/4%	1998	281.48
		7-1/2%	2010	1456.22
			जोड़	2970.82

वर्ष		ऋण			राशि
1981-82	+	6 %	1985		320.30
		6-1/4%	1987		415.89
		6-3/4%	1991		382.72
		7 %	1994		169.95
		7-1/4%	1997		120.13
		7-1/2%	2001		304.28
		8 %	2011		1477.89
				जोड़	3191.16
1982-83	+	6-1/4%	1996		233.26
		6-1/4%	1992		559.92
		6-1/4%	1989		144.46
		7-3/4%	2002		64.56
		8-1/4%	2005		664.79
		8-3/4%	2010		500.21
		9 %	2013		1998.87
				जोड़	4165.57
1983-84	++	7-3/4%	1991		740.21
(फरवरी		8-1/4%	1995		598.68
1984 तक)		9-1/2%	2008		456.38
		10 %	2014		2332.18
				जोड़	4127.45

+मुद्रा और वित्त के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की 1980-81 से 1982-83 तक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया रिपोर्ट आन करैसी एण्ड फाइनेंस) के अनुसार।

++भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार।

"झा फार रिव्यू आफ पब्लिक सैक्टर प्राइसिंग पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4561. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष ने सरकारी क्षेत्र की मूल्य निर्धारण नीति पर नये सिरे से विचार करने के लिए कहा है ताकि अकुशलता के लिए यह बहाना न बनाया जा सके जैसा कि दिनांक 10 जनवरी, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में झा फार रिव्यू आफ पब्लिक सैक्टर प्राइसिंग पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सुझाव पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा जनता के निरन्तर शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उनकी मूल्य निर्धारण नीति पर भी विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) प्रबन्ध विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा उन्नत वित्तीय प्रबन्ध के विषय पर 9 जनवरी, 1984 को आयोजित कार्यक्रम में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री एल० के० झा ने अपने उद्घाटन भाषण में सरकारी तथा सार्वजनिक उद्यमों में वित्तीय प्रबन्ध के आर्थिक आयामों की चर्चा की थी। उनके सुझावों को तथा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के समय-समय पर प्राप्त होने वाले सुझावों को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

सरकारी वस्तुओं, खासतौर से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों (चाहे वे सरकारी क्षेत्र में उत्पादित हों अथवा निजी क्षेत्र में) पर कड़ी नजर रखती है तथा उपभोक्ताओं के हित तथा अर्थव्यवस्था के समग्र दीर्घावधिक हित की रक्षा करने की दृष्टि से, जहां आवश्यक जाता है, उचित कार्यवाही करती है।

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

4562. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक श्रेणी-I में श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कार्यरत कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनकी प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) क्या इन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की नियुक्ति में सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

संवर्ग	कुल सं०	अनुसूचित जातियों की सं०	कुल सं० का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों की सं०	कुल सं० का प्रतिशत
पर्यवेक्षक स्टाफ	1818	51	2.8	35	1.9
लिपिकीय संवर्ग	3940	838	21.3	446	11.3
अधीनस्थ स्टाफ	986	128	12.9	90	9.1

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के मामले में वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के माध्यम से दुर्लभ मुद्रा का देश से बाहर जाना और देश में आना

4563. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 1981, 1982 और 1983 में देश से बाहर गई और देश में आई दुर्लभ मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के पटना जिले में फुलवारी शरीफ में बिहार काटन मिल्स का बन्द होना

4564. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जिले में फुलवारी शरीफ में बिहार काटन मिल्स 1981 से बन्द पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक हजार कर्मचारी और उनके आश्रित भुखमरी के कगार पर हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों को, पिछले कई महीनों से उनकी मजूरी की हजारों रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार से उक्त कारखाने का अधिग्रहण करने की सिफारिश की है ;

(ङ) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) फुलवारी शरीफ, पटना का बिहार काटन मिल्स, जिसमें लगभग 500 कर्मचारी हैं, 20-7-1982 से बन्द पड़ा है ;

(ख) तथा (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रबंधकों द्वारा दिए गए बंदी नोटिस में यह कहा गया कि सयंत्रों, मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री के बाद धनराशि का इन्तजाम होते ही कर्मचारियों को उनके सभी कानूनी भुगतान कर दिए जायेंगे। मिल, बिहार राज्य वित्त निगम के अधिकार में है क्योंकि इसकी बिक्री की जानी थी।

(घ) तथा (ङ) जी, हां, राज्य सरकार ने लिखा है कि एकक के पुनर्वास तथा पुनरुद्धार के लिए उनके पास न तो धनराशि है और ना ही सुविज्ञता है तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इसका प्रबंध हाथ में लिए जाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

(च) वस्त्र आयुक्त को निदेश दिया गया है कि वे वित्तीय संस्थानों से विचार-विमर्श करके एकक की क्षमता के बारे में एक अध्ययन करें।

डनलप फैक्टरी द्वारा मारूति के लिए निर्मित टायरों पर उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर

4565. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मन्त्री** डनलप फैक्टरी द्वारा मारूति के लिए निर्मित टायरों पर उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों के बारे में 2 दिसम्बर, 1983 के अतारंकित प्रश्न सं० 1766 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डनलप और अन्य टायर निर्माताओं द्वारा मारूति कारों के लिये अब तक कितने टायरों का उत्पादन किया गया है और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आज तक मारूति को सप्लाई करने की स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) इस प्रकार के टायरों पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क और अन्य करों की दरें हैं और इस प्रकार स्वीकृत टायरों का कारखाना-मूल्य और संख्या क्या है और डनलप तथा अन्य निर्माताओं द्वारा मारूति टायरों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और आय करों की कितनी धनराशि अदा की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कम्पनियों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों के पद

4566. **श्री प्रीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की नौ सहायक कम्पनियों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों के सभी नौ पदों के लिए सुपात्र अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु सभी प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हाल ही में विज्ञापन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा नियुक्ति के लिए अब तक कम-से-कम नौ उपयुक्त अभ्यार्थियों के नाम की तालिका की सिफारिश कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा फरवरी, 1984 के प्रथम सप्ताह में हुए साक्षात्कार के उपरान्त सुपात्र अभ्यार्थियों के अधिक नामों की तालिका बनाने तथा प्रत्येक पद के लिए कम-से-कम दो अथवा तीन नामों को तालिका में रखने सम्बन्धी सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने से सरकारी उद्यम चयन बोर्ड को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि० की सहायक कम्पनियों में मुख्य कार्यपालकों के पदों के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये थे। यद्यपि, ऐसी 9 सहायक कम्पनियां हैं, फिर भी 4-2-1984 को सरकारी उद्यम चयन मण्डल की बैठक के समय कपड़ा विभाग ने अन्दाजा लगाया था कि अगले एक वर्ष के दौरान नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि० की सहायक कम्पनियों में मुख्य कार्यपालकों की सम्भवत: केवल 4 से 5 रिक्तियां ही होने वाली हैं। सरकारी उद्यम चयन मंडल ने नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गये 8 नामों की एक नामिका सरकार को भेजकर इन रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी। अन्य 16 व्यक्तियों, जो सरकारी उद्यम चयन मण्डल के समक्ष उपस्थित हुए थे, को इन पदों पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं समझा गया था।

(ग) यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी उद्यम चयन मण्डल प्रत्येक पद के लिये कम-से-कम दो अथवा तीन नामों की सिफारिश करे।

भूतपूर्व सैनिकों से कल्याण के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति

4567. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति/पेनल का गठन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम तथा कार्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की एक समिति का गठन किया जायेगा तथा समिति के गठन की संभावित तिथि तथा कार्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के वास्तविक गठन और कार्यों से सम्बन्धित सरकारी पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 8001/84]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4568. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य को सहायता देने वाले बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं लोगों को उचित सहयोग प्रदान नहीं कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन बैंकों को क्या दिशा-निर्देश भेजने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई की सहमत योजना के अनुसार समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम में सहायता प्रदान की जाती है और विभिन्न बैंकों/संस्थाओं तथा उनकी शाखाओं के बीच इनका आबंटन किया जाता है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश में 1980-81 से 1982-83 तक के तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कुल सावधि ऋण 164.21 करोड़ रुपये के थे और इनमें 7,79,731 लोगों को लाभ पहुंचा । इस कार्यक्रम में अधीन मध्य प्रदेश में 1983-84 (जनवरी, 1984 तक) के दौरान जुटाए गए कुल ऋणों की रकम 58.31 करोड़ रुपये थी और हिताधिकारियों की संख्या 1,91,390 (आंकड़े अनन्तिम) थी ।

जब भी बैंकों को किसी कार्यक्रम के अनियमित कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तब समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उसकी जांच की जाती है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे हिताधिकारियों के निर्धारण में मदद देने तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता करने के लिए खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों की स्थापना करें ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा स्वयंसेवी विकास दल के गठन की योजना

(4567) **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रों के विकास में सहायता देने और देहातियों के मार्ग निदेशन तथा ऋण की अदायगी में उन्हें प्रेरित करने के लिए स्वयंसेवी विकास दल के गठन की योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस एम कृष्ण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण लोगों के बीच "ऋण के माध्यम से विकास" के पांच सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए सेवा विस्तार के तौर पर "विकास वालिन्टियर वाहिनी" की स्थापना की है। ये पांच सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार हैं : (i) विज्ञान तथा तकनीक की समुचित प्रणालियों के अनुसार (ii) ऋण की शर्तों ऋणों का प्रयोग (तकनीकी आर्थिक आयाम) का पूरी तरह से पालन किया जाए ; (iii) काम को वांछित कार्य कुशलता के साथ किया जाए जिससे उत्पादकता और आय में इष्टतम वृद्धि प्राप्त की जा सके, (iv) ऋण के द्वारा प्राप्त अतिरिक्त आय कुछ हिस्से की निश्चय ही बचत की जानी चाहिए ; (v) ऋण की किस्तों की वापसी अदायगी समय तथा नियमित रूप से की जानी चाहिए ताकि उस राशि का फिर से उपयोग किया जा सके।

विकास वालिन्टियर वाहिनी में अनिवार्यत: छोटे किसान, ग्राणीण शिल्पकार तथा कम साधनों वाले ऐसे अन्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने "ऋण के माध्यम से विकास" के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक अमल किया है। किया जाना चाहिए।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा बनाये गये मानक नियम

4570. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 12 तथा 16 के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में नियमों को प्रत्यायोजित विधान की श्रेणी में रखा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में कोई "मानक नियम" बनाये गये हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम सरकार के अभिकरण अथवा माध्यम बने हुए हैं ; उनके कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 12 एवं 16 के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) सांविधिक नियमों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में नियम अधीनस्थ विधान के रूप में होंगे, क्योंकि ये नियम ऐसे निगमों की संस्थापना करने वाली संविधि के अधीन बनाये जाते हैं। किन्तु कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित किसी कम्पनी अथवा सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी प्रभुत्व सम्पन्न कार्य करने अथवा शक्तियां रखने वाली नहीं मानी जाती

हैं। अतः ऐसी कम्पनियों अथवा सोसाइटियों द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों अथवा उपविधियों को कानून अथवा अधीनस्थ विधान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए एक ऐसे कार्यदल ने आचरण एवं अनुशासन सम्बन्धी आदर्श नियम तैयार किये हैं, जिनमें सरकारी उद्यम कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय ने इन आदर्श नियमों को विभिन्न सरकारी उद्यमों में परिचालित किया है, ताकि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उनमें यथावश्यक घटा-बढ़ी करके उन्हें अपना लें।

रुग्ण एककों के सम्बन्ध में नरसिम्हा समिति की सिफारिशें

4571. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिम्हा समिति ने यह अपेक्षा की है कि सरकारी वित्त संस्थानों को उन कम्पनियों के मौजूदा प्रबन्धकों को पूरा समर्थन देना चाहिए जो अधिग्रहण के प्रयासों अथवा आंतरिक अस्थिरीकरण का सामना कर रही हैं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को दिए अपने अन्तिम प्रतिवेदन में यह कहा है कि कुछ सरकारी वित्तीय संस्थानों को, अपना मत व्यक्त करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अंशधारियों सहित सभी लोगों के लिए लाभप्रद तरीके से अपने कार्यों का संचालन किया, कम्पनी के रिकार्ड पर भी विचार करना चाहिए ;

(ग) नरसिम्हा समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) नरसिम्हन समिति का यह मत है कि अधिग्रहण के प्रयासों/आंतरिक अस्थिरीकरण के मामलों में वित्तीय संस्थाओं का रवैया मौजूदा प्रबन्धकों को समर्थन प्रदान करना होना चाहिए यदि, उनके विचार में मौजूदा प्रबन्धकों का, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा आचरण रहा हो जो शेयरहोल्डरों सहित सभी सम्बन्धित के लिए लाभप्रद हो।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों के विभिन्न पहलुओं से है जिनमें परिवर्तनीयता खंड और नामित निदेशकों की भूमिका विषयक नीति भी शामिल है। सरकार ने, परिवर्तनीयता खंड और नामित निदेशकों के विषय में समिति की सिफारिशों के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं के नाम पहली मार्च 1984 से प्रभावी उपयुक्त मार्ग निर्देश जारी कर दिए हैं।

'पोकेट' यात्राओं पर नेपाल द्वारा प्रतिबन्ध

4572. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में विदेशी पर्यटन एजेंटों के कार्यकलापों पर लगाए गए प्रतिबन्ध का मामला उठाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इन प्रतिबन्धों से भारत में पर्यटन व्यापार, जिसके अन्तर्गत दो दशकों से भारत और नेपाल के बीच "पोकेट" यात्रा का प्रबन्ध होता रहा है, के लिए कठिनाइयां पैदा होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार द्वारा 7 जनवरी, 1984 को घोषित नई नीति का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या मुद्दा नेपाल सरकार के सामने उठाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(च) क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इस सरकार का विचार अन्य क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (छ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन

4573. **श्री बी० बी० नेसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में विकास दर में तेजी से गिरावट को देखते हुए व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन का विचार तीसरे विकास दशक के शेष वर्षों के लिए नीति निर्धारण करते समय इन देशों के सामने अत्यधिक अनिश्चितता पहलू को ध्यान में रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन की कोई बैठक बुलाई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(घ) इससे भारत और विकासशील देशों को कहां तक लाभ होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) तृतीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास दशक नीति (आई० डी० एस०) में आई० डी० एस० की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की व्यवस्था है । अंकटाड के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर आई० डी० एस० की समीक्षा तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में अधिकारियों के उच्च स्तरीय अन्त: सरकारी समूह की बैठक 30 जनवरी से 10 फरवरी, 1984 तक हुई । बैठक में विकासशील देशों ने नीति सम्बन्धी उपायों के समायोजन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव रखे ताकि आई० डी० एस० का सामयिक तथा प्रभाव-

शाली कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। वार्ताओं पर कोई निर्णय नहीं हो सका तथा व्यापार और विकास बोर्ड के 13वें विशेष सत्र के दौरान उनके जारी रहने की आशा है। जिस सीमा तक समुचित उपाय किए जाएंगे तथा आई० डी० एस० के लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरे किए जाएं, भारत सहित सभी विकासशील देश लाभान्वित होंगे।

सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो, छिओकी, इलाहाबाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में फर्जी व्यक्तियों की नियुक्ति

4574. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1979 में सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो, छिओकी, इलाहाबाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त 31 पदों पर भर्ती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के वास्तविक उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने के बजाए, इन जातियों के फर्जी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी ;

(ग) क्या कुछ जाली प्रमाणपत्र भी पकड़े गए हैं और यदि हां, तो जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा कितने प्रमाण पत्रों को जाली घोषित किया गया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि निर्यात के अंश में कमी

4575. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 की तुलना में वर्ष 1982-83, में भारत के कुल निर्यात में तथा विश्व कृषि निर्यात में, कृषि निर्यात का अंश घट कर कम रह गया था ;

(ख) यदि हां, तो कमी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है हमारे कुल निर्यातों तथा साथ ही कृषि सम्बन्धी निर्यातों में कुल मिलाकर पर्याप्त वृद्धि हुई है हालांकि उनकी प्रतिशतता में गिरावट आई है :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	भारत के कुल निर्यात	भारत के कृषि सम्बन्धी उत्पाद	कुल निर्यातों में कृषि सम्बन्धी निर्यातों की प्रतिशतता
1968-69	1358	445	32.8%
1982-83	8834	2325	26.30%

विश्व के कृषि सम्बन्धी निर्यातों में हमारा अंश 1973 में 1% से कम था। यह बढ़कर 1975 में 1.3% हो गया परन्तु हाल के वर्षों में गिरकर 1 प्रतिशत से कुछ कम हो गया है।

(ग) कृषि सम्बन्धी तथा कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के उपयुक्त प्रोत्साहन तथा सहायता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है। ऐसी चुनिन्दा वस्तुओं अथवा उत्पादों की सूची अभिज्ञात करने का प्रस्ताव है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उत्पाद शुल्क की वसूली

4576. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983-84 के दौरान उत्पाद-शुल्क की वसूली निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1983 के अन्त तक कुल कितने उत्पाद-शुल्क की वसूली की गई तथा वर्ष के दौरान वसूली का अनुमान कितना है तथा निर्धारित लक्ष्य से इसमें कितनी कमी होने की सम्भावना है ; और

(ग) 31 मार्च, 1983 तथा 31 दिसम्बर, 1983 को उत्पाद-शुल्क की कितनी राशि बकाया थी तथा इस प्रकार बकाया राशि के जमा हो जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान उत्पादन शुल्क की वसूली की रकम बजट अनुमानों से काफी कम होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा-शुल्क वसूली में कमी

4577. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से अक्तूबर 1983 तक के पहले सात महीनों की सीमा-शुल्क वसूली को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक वसूली लक्ष्यों के दूसरे वर्ष की तुलना में काफी कम रह जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम रह जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्त वर्ष 1982-83 के लिए 4996.60 करोड़ रु० के बजट अनुमानों की तुलना में शुद्ध सीमाशुल्क राजस्व की वास्तविक वसूली 5045.18 करोड़ रु० हुई थी। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं रही थी।

अप्रैल से अक्तूबर 1983 तक के दौरान शुद्ध सीमाशुल्क राजस्वी की वसूली के आधार पर, वर्ष 1983-84 में वास्तविक वसूली लक्ष्यों से काफी कम रह जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिक सरणीकरण एजेंसियां

4578. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों सहित विभिन्न कृषि और अन्य खाद्य उत्पादकों के निर्यात के संवर्धन के लिए राज्य व्यापार निगम के नमूने की अधिक सरणीकरण एजेंसियों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पेंशन की बकाया राशि का भुगतान

4580. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पेंशन की बकाया राशि के भुगतान में अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप पेंशन में संशोधन करने तथा बकाया राशियों की अदायगी करने से सम्बन्धी

आदेश सिविल पेंशन भोगियों के मामले में 22.10.1983 को और रक्षा पेंशन-भोगियों के मामले में 22.11.1983 तथा 3.12. 1983 को जारी किए गए थे। सभी सम्बन्धितों को अतिशीघ्र अदायगी करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। लेकिन, इसमें अन्तर्ग्रस्त बहुत अधिक संख्या को देखते हुए इस कार्य को पूरा करने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण

4581. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई आयात नीति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एवं (ख) वर्ष 1984-85 के लिए आयात तथा निर्यात नीति तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा इलायची बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाना

4582. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा इलायची बोर्ड काफी लम्बे समय से बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा निगम में मुख्य कार्यकारी का पद अभी तक नहीं भरा गया है। तथापि नवम्बर, 1980 से इलायची बोर्ड के अध्यक्ष पदासीन हैं।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद इस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा सका। तथापि, इस पद को यथा-शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इलायची का उत्पादन और निर्यात

4583. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इलायची का उत्पादन काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कितनी इलायची का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) इलायची के उत्पादन में कमी गत दो सीजनों के दौरान केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के राज्यों में अभूतपूर्व गम्भीर सूखे के कारण रही ।

(ग) 1983-84 (अप्रैल-फरवरी), 1984 के दौरान इलायची का निर्यात 242 मे० टन का था जिसका मूल्य 5.01 करोड़ रु० था ।

बैंकों की शाखाओं की संख्या

4584. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1969 में राष्ट्रीकरण के समय बैंकों की कितनी शाखाएं थीं ; और

(ख) इस समय (एक) शहरी क्षेत्रों तथा (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग शाखाओं की संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) 19 जुलाई, 1969 और 30 सितम्बर, 1983 को वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार वितरण नीचे दिया गया है ;

केन्द्रों की श्रेणी	शाखाओं की संख्या जैसा कि	
	19-1-1969	30-9-1983
ग्रामीण	1860	23216
अर्ध शहरी	3344	9086
शहरी	1456	5615
महानगरीय पत्तन नगर	1661	4821
कुल	8321	42738

बैंक ऋणों की वसूली

4585. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋणों की किस्तों की वसूली का वार्षिक औसत 35 से 40 प्रतिशत तक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बैंक ऋणों को पूरी तरह वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से केवल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की अतिदेयता की सूचना प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग तुलना में वसूली का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

जून 1981	52.9
जून 1982	52.6 (अनन्तिम)
जून 1983	53.3 (अनन्तिम)

बैंक अपनी वसूली को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। वसूली सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए बैंक संवितरण के बाद निगरानी, लगातार आग्रह, पर्यवेक्षण, राज्य सरकार की मशीनरी सहयोग अदालती कार्रवाई जैसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय कर रहे हैं।

उत्तम दर्जे के और रोग रहित पशुधन तथा मांस का निर्यात

4586. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के प्रयोजन से वैज्ञानिक तरीके से पशुधन के विकास तथा मांस परिष्करण संबंधी कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उत्तम दर्जे के और रोग-रहित पशुधन तथा मांस के लिए निर्यात के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) उच्च क्वालिटी के तथा रोग मुक्त पशुधन तथा मांस का निर्यात करने के लिए वर्तमान क्वालिटी नियन्त्रण उपायों को कड़ा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यात से पूर्व कम से कम 21 दिन तक पशुओं के संगरोध के लिए तथा उनके टीका लगाने के लिए संगरोध केन्द्रों की स्थापना करने का विनिश्चिय किया गया है। मांस तथा पशुधन के निर्यात के लिए अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण भी शुरू किया है।

निर्यात संवर्धन के लिए ए० टी० ए० कारनेट प्रणाली अपनाना

4587. **श्री के० राममूर्ति** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 42 देशों ने मुख्य रूप से निर्यात संवर्धन के लिए ए० टी० ए० कारनेट प्रणाली अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय से इस योजना की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 15 मार्च, 1984 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 50 देशों ने ए० टी० ए० कारनेट सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) अभिसमय के अन्तर्गत सीमाशुल्क, कर आदि से मुक्त रूप में माल के स्थायी आयात की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) अभिसमय में भारत के शामिल होने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारत और अन्य देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना

4588. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** भारत और सोवियत संघ के बीच पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा दिए जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान 1. फ्रांस 2. ताइवान 3. अमरीका 4. सोवियत संघ 5. ब्रिटेन 6. पूर्वी जर्मनी 7. पश्चिमी जर्मनी 8. जापान 9. थाइलैंड 10. जनवादी चीन से क्रमशः कितने पर्यटक भारत आए ;

(ख) क्या इन देशों से पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बड़ी है, या कम हुई है ; और

(ग) भारत और इन देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1982 और जनवरी से अक्तूबर, 1983 (नवम्बर-दिसम्बर की अवधि के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं) की अवधि के दौरान इन देशों से पर्यटक आगमन इस प्रकार हैं :—

देश	1982	1983 (जनवरी-अक्तूबर)	%अन्तर
1	2	3	4
फ्रांस	59,267	42,202	—14.2
ताइवान	307	240	+56.9

1	2	3	4
यू० एस० ए०	86,806	72,737	+7.4
यू० एस० एस० आर०	13,687	11,757	+17.1
यू० के०	120,772	99,966	+12.1
पूर्व जर्मनी	1,275	791	—21.7
पश्चिमी जर्मनी	49,610	38,657	—0.1
जापान	29,103	22,278	—3.3
थाइलैंड	11,472	6,924	—27.1
जनवादी चीन	2,107	1,293	+27.0

+1982 की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में।

विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों द्वारा भारतीय पर्यटन की संभाव्यता को प्रोजेक्ट करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटक कार्यालय एयरलाइनों, यात्रा प्रचालकों, मीडिया के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं; भारतीय संध्याओं, सेमिनारों का आयोजन करते हैं; प्रचार एवं विपणन संबंधी अन्य कार्य करते हैं।

गैर-सरकारी फर्मों द्वारा रेशम का आयात

4589. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की गैर-सरकारी फर्में विदेशों से रेशम का आयात कर रही हैं, जबकि उनके पास ऊन आयात करने के लाइसेंस हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये फर्में, राज्यवार, किन-किन स्थानों पर हैं और उन फर्मों ने कितने मूल्य के रेशम का आयात किया है और इसे वे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बुनकरों को किस मूल्य पर बेचते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1983-84 की आयात नीति में "कच्ची ऊन" का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अध्यधीन है। अतः इसके आयात के लिए किसी विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसके फलस्वरूप, रेशम के आयात के लिए कच्ची ऊन के लिए लाइसेंसों के उपयोग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, बूलन सामान का निर्यात करने पर आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत बूल टाप्स,

बूल वेस्ट तथा वूलन यार्न के आयात की अनुमति है। उत्पादक निर्यातक, नीति के अनुसार अपनी फैक्ट्रियों में प्रयोग के लिए अपेक्षित कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों की किन्हीं भी मदों के आयात के लिए पृष्ठांकित ऐसे आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस पृष्ठांकन के आधार पर, अन्य मदों के साथ-साथ कच्चे रेशम का आयात किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रकार से पृष्ठांकन के बाद आयात लाइसैंसों को "अहस्तांतरणीय" बना दिया जाता है और वास्तविक प्रयोक्ता शर्तें के अध्यधीन कर दिया जाता है। अतः इस प्रकार के लाइसैंसों द्वारा आयात किए गए सामान को दूसरों को नहीं बेचा जा सकता।

उपर्युक्त सुविधा के अन्तर्गत किए गए आयातों के राज्यवार तथा फर्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

रक्षा सेवाओं के पेंशन भोगियों की शिकायतें

4590. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षा सेवाओं के सेवा-निवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी कठिनाइयों विशेषकर 1970 से पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार सभी श्रेणी के पेंशन भोगियों के लिए एक समान नीति का पालन करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार पेंशन के भुगतान पहले से ही ले लिए गए निर्णय के आधार पर करने का है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) पेंशनरों और उनकी संस्थाओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1-4-1979 पेंशन की दरें इससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के मामलों में भी लागू की जाएं और यह कि 10-9-70 से घोषित संशोधित से पहले सेवा निवृत्त रक्षा पेंशनरों (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति-उपदान से पूर्व के मामले) की पेंशनें कम कर दी गई हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यही निर्णय दिया था कि 1-4-79 से लागू पेंशन फार्मूला (ताकि उस तारीख से घोषित पेंशन दरें) सभी पर लागू किया जाये चाहे उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। इस मन्त्रालय ने जो आदेश जारी किए हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हैं। इस प्रकार, सभी पेंशनरों के मामले में, चाहे उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, पेंशन का हिसाब लगाने में उस फार्मूले को समान रूप से अपना लिया गया है। परन्तु इन आदेशों में यह व्यवस्था है कि अगर नया फार्मूला लागू करने से किसी पेंशनर की पेंशन कम हो जाती है तो उसकी मौजूदा पेंशन बनाए रखी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में घाटा

4591. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में बढ़ते घाटे पर गहरी चिन्ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1983 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का घाटा करीब 200 करोड़ रुपए का हो गया ;

(ग) यदि हां, तो इसमें अधिकांश घाटा ऋण की वसूली न हो पाने के कारण हुआ जिसे अधिकारियों द्वारा मजबूर होकर बट्टे खाते में डालना पड़ा ;

(घ) यदि हां, तो इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को होने वाले भारी घाटे के अन्य कारण क्या हैं ;

(ङ) घाटा कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(च) सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का घाटा किस सीमा तक कम करने में सफल हुई है ; और

(छ) राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनवरी, 1984 के अन्त तक कुल कितना घाटा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार उन्हें 1980, 1981 और 1982 के वर्षों में क्रमशः 55.94 करोड़ रुपए, 64.47 करोड़ रुपए और 77.56 करोड़ रुपए का लाभ हुआ अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों को घाटा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों से उनके कुल लाभों के प्रकाशित आंकड़ों से वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है। वर्ष 1983 के आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दानापुर छावनी बोर्ड का कार्य-काल बढ़ाना

4592. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दानापुर छावनी बोर्ड का तीन वर्ष का कार्य-काल समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसका कार्य काल बढ़ाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है ; और

(घ) सरकार का विचार इसके लिए चुनाव कब तक कराने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। छावनी बोर्ड का कार्यकाल 14-9-1983 तक बढ़ाया गया था।

(घ) इस समय चुनाव के बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती। इसलिए छावनी बोर्ड के गठनों में 14-3-1984 से छः महीने के लिए या नियमित बोर्ड का गठन होने तक के लिए परिवर्तन किया गया है।

बैंकों के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति

4593. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक की बिहार राज्य में स्थित शाखाओं/स्थानीय मुख्यालयों की लेखा-परीक्षा के लिए बिहार से बाहर के लेखा-परीक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस प्रकार नियुक्त किए गए लेखा-परीक्षकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा लेखा-परीक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समान सूची बनाई गई है जिसमें अर्हताओं, व्यावसायिक अनुभव और फर्म में भागीदारों की संख्या आदि के सम्बन्ध में निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर लेखा परीक्षक रखे जाते हैं। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते समय बैंक क्षेत्रीय बातों पर भी ध्यान रखते हैं और जहां तक सम्भव हो स्थानीय या निकट के स्थानों के लेखा परीक्षक नियुक्त करते हैं। चूंकि बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या भारतीय रिजर्व बैंक की सूची में बिहार के चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों की संख्या से कहीं अधिक है इसलिए बिहार से बाहर के लेखा परीक्षक नियुक्ति किए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के पटना स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय की 1983 की लेखा परीक्षा के लिए बिहार की ही लेखा परीक्षा फर्म को रखा गया है।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की 1983 की लेखा परीक्षा के लिए बिहार से बाहर की जिन लेखा परीक्षा फर्मों को काम सौंपा गया है, उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अग्रणी (लीड) बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों में वित्तीय सहायता

4594. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में अग्रणी (लीड) बैंक काम कर रहे हैं तथा क्या झाबुआ जिले के निवासियों को जिले में लीड बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक) द्वारा निर्मित वार्षिक ऋण योजना के अनुसार, निर्धारित क्षेत्रों में, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या झाबुआ जिले में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उक्त ऋण योजना के अनुसार निर्धारित क्षेत्रों में ऋण मामले तैयार करके जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, झाबुआ के माध्यम से दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में

अग्रणी बैंक कार्यरत हैं। बैंक आफ बड़ौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो झाबुआ जिले का अग्रणी बैंक है, 5 और 6 दिसम्बर, 1983 को जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में झाबुआ जिले की वार्षिक कार्य आयोजना पर 5.17 करोड़ रुपये के लक्ष्य के बजाय 5.27 करोड़ रुपये उपलब्धि का अनुमान लगाया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न में जिस ढंग से सूचना पूछी गई है आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

हल्दी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4595. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल हल्दी (एक खाद्य वस्तु) 15 रुपये से लेकर 18 रुपये तक प्रति किलोग्राम के दर से बेची जा रही है जबकि दो तीन वर्ष पहले इसका मूल्य 2 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम था ; और

(ख) क्या उनका मन्त्रालय हल्दी के निर्यात पर रोक और इसके मूल्यों पर नियन्त्रण लगायेगा जिससे कि यह आवश्यक वस्तु लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981-83 के दौरान हल्दी की थोक कीमतों के मासिक सूचकांक दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) हल्दी का निर्यात देश के अन्दर हल्दी के कुल उत्पादन का 5 प्रतिशत से भी कम है। निर्यातों की इतनी छोटी मात्रा का घरेलू बाजार व कीमतों पर प्रभाव नगण्य है।

विवरण

हल्दी की थोक कीमतों के मासिक सूचकांक

(आधार=1070-71=100)

1970-71

हल्दी

माह	1981	1982	1983
1	2	3	4
जनवरी	113.3	101.9	188.5
फरवरी	125.4	120.9	206.4
मार्च	126·2	127.8	243.8

1	2	3	4
अप्रैल	121.7	131.2	267.2
मई	118.7	118.9	307.1
जून	101.2	127.5	291.4
जुलाई	100.2	150.8	284.4
अगस्त	99.9	152.4	287.0
सितम्बर	99.2	165.4	291.1
अक्तूबर	98.0	178.5	297.3
नवम्बर	101.3	171.2	389.8
दिसम्बर	96.9	177.0	383.0

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की सिफारिशें

4597. **श्री मनोहर लाल संनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद ने क्या सिफारिशें की हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : आर्थिक सलाहकार परिषद ने मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण के उपायों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं तथापि प्रधानमन्त्री और परिषद के सदस्यों के बीच 9 जनवरी, 1984 को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी।

सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों पक्षों में कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, और बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, अधिक मात्रा में खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल जारी करना ; खाद्यान्न और खाद्य तेलों का आयात करना ; और नकदी प्रारक्षित अनुपात में क्रमिक समायोजन द्वारा प्रणाली में विद्यमान नकदी बाहुल्य को समेटना शामिल हैं। बजटीय घाटे को उचित सीमा में रखने के लिए जनवरी, 1984 में सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए थे।

लक्षद्वीप में हैलीकाप्टर सेवाएं

4598. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में हैलीकाप्टर सेवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का लक्षद्वीप में हैलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो इस प्रकार की सेवा कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) लक्षद्वीप में कोई नियमित हेलीकाप्टर सेवायें प्रचालन नहीं कर रहीं। तथापि, व्यक्तियों तथा सामान को शीघ्र ही द्वीप समूहों से मुख्य भूमि पर ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

(ग) नियमित हेलिकॉप्टर सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वायुदूत के महाप्रबंधक द्वारा अपने सरकारी पद का दुरुपयोग

4599. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सतीश अग्रवाल :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री विगम्बर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 फरवरी, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें बताया गया है कि एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के भूतपूर्व कार्यकारी सहायक और इस समय वायुदूत के महाप्रबन्धक ने फिल्म कलाकार तथा उसके एक मित्र को, अपने साथ ले जाकर एयर इंडिया के अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है और इस प्रकार एयर इण्डिया को भारी नुकसान पहुंचाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई जांच करायी गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप की प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हेलीकाप्टर सेवा

4600. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के लिए हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

वायुदूत सेवा के लिए छोटे विमान बनाने हेतु हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स का प्रस्ताव

4601. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने वायुदूत सेवा द्वारा अपेक्षित ऐसे छोटे विमानों का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें 24 आदमियों के बैठने की व्यवस्था थी और प्रत्येक जहाज की लागत दो करोड़ रुपये से कम थी फिर भी लगभग 19 आदमियों के बैठने की व्यवस्था वाले जर्मनी के छोटे विमान 'डोनियर' का आयात करने का फैसला किया गया है और इस प्रकार के 150 विमानों की कीमत विदेशी मुद्रा में लगभग 350 करोड़ रुपये होगी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पूरे तथ्य क्या हैं और स्वदेशी प्रस्ताव को नामंजूर करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम फैसला क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) 30 सीट वाले एक यात्री विमान का डिजायन बनाने और विकास करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से जुलाई, 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ स्थानों पर विदेशी सहायता की आवश्यकता थी । विमान के डिजायन बनने और विकास कार्य पूर्ण होने के बाद विमान के प्रथम उत्पादन में लगभग 7 वर्ष का समय लगा । रक्षा सेवाओं के साथ-साथ वायुदूत की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए 19 सीट वाला एक डारनियर विमान शुरू करने का निर्णय लिया गया था और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ऐसे प्रथम विमान का उत्पादन 1985-86 में करेगा । 30 सीट वाले विमान के लिए डिजायन-सहयोग देने का भी करार में उल्लेख है ।

एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा समेत सही लागत का पता रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही चल सकेगा ।

चुंगी समाप्त किया जाना

4602. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चुंगी समाप्त करने की सलाह दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने चुंगी समाप्त कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) भारत सरकार चुंगी शुल्क को समाप्त करने के पक्ष में है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, सितम्बर, 1980 में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस पर विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने इस बैठक में कहा था कि चुंगी को समाप्त करना राज्यों के हित में है और क्रमिक स्तरों पर इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि पहले कदम के रूप में, चुंगी उन स्थानों पर समाप्त की जाए, जिनकी आबादी दो लाख से कम है।

(ख) अण्डमान-नीकोबार द्वीप-समूह, गोवा, दमन और द्वीव तथा पांडिचेरी के संघ-शासित क्षेत्रों में चुंगी लगाई जाती है। चूंकि चुंगी स्थानीय निकायों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए संघ-शासित क्षेत्र के प्रशासन चुंगी के स्थान पर राजस्व के वैकल्पिक साधन का विकास करने की सम्भावना का पता लगा रहे हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा कोई चुंगी नहीं लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने क्रमशः मई, 1975, अप्रैल, 1979 और अप्रैल, 1982 में चुंगी समाप्त कर दी थी।

4603 **राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में ऋण जमा अनुपात**

3603. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक में ऋण जमा का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशियों को जुटाने में कमी आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण/जमा अनुपात के उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि 1983 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा वृद्धि की दर 14.6 प्रतिशत थी जबकि 1982 में यह 17.6 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 1983 को समाप्त वर्ष के लिए जमा वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वाणिज्यक बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जमाराशियां जुटाए जाने पर कई बातों का प्रभाव पड़ा है जैसे उन क्षेत्रों के लोगों की बचत करने की क्षमता, बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास, राज्य सरकार की नीति और उनके संगठनों की बैंकों में अपने चालू अधिशेष रखने की नीति आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार ऋण जमा अनुपात दिसम्बर, 1982 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऋण/जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	**72.2**
1. हरियाणा	74.7
2. हिमाचल प्रदेश	44.3
3. जम्मू एंड कश्मीर	40.3
4. पंजाब	45.1
5. राजस्थान	67.9
6. चण्डीगढ़	169.8
7. दिल्ली	83.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**39.4**
1. असम	40.5
2. मेघालय	24.5
3. मणिपुर	47.9
4. नागालैंड	47.0
5. त्रिपुरा	56.9
6. अरुणाचल प्रदेश	20.1
7. मिजोरम	19.9
8. सिक्किम	16.6
पूर्वी क्षेत्र	**55.3**
1. बिहार	39.8

1	2
2. उड़ीसा	70.7
3. पश्चिम बंगाल	60.3
4. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	28.8
मध्य क्षेत्र	49.3
1. मध्य प्रदेश	57.7
2. उत्तर प्रदेश	46.4
पश्चिमी क्षेत्र	74.4
1. गुजरात	53.3
2. महाराष्ट्र	85.2
3. गोवा, दमन व दीव	39.1
4. दादरा व नगर हवेली	105.4
दक्षिणी क्षेत्र	78.3
1. आन्ध्र प्रदेश	71.3
2. कर्नाटक	78.9
3. केरल	65.1
4. तमिलनाडु	90.9
5. पांडिचेरी	60.6
6. लक्षद्वीप	10.5
कुल जोड़	67.5

सरकारी वित्तीय संस्थानों को उच्चतम औद्योगिक-गृहों से देय बकाया राशि

4604. **रूप चन्द पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1984 को 20 बड़े औद्योगिक गृहों पर सरकारी वित्तीय संस्थानों की कुल कितनी धनराशि (औद्योगिक गृह-वार) बकाया थी ; और

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान 20 बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों की देय धनराशि की क्या स्थिति थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल; बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना

4605. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई ; और

(ख) इसी अवधि में अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 (जून तक) की अवधि के दौरान सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार खोली गई शाखाओं की संख्या के उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1981, 1982 और 1983 (जून तक) की अवधि के दौरान सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार खोली गई शाखाओं की संख्या को दिखाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवधि के दौरान खोले गए कार्यालयों की संख्या		
	1981	1982	1983 (जून तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	271	183	149
असम	58	82	21
बिहार	427	320	70
गुजरात	107	101	80

1	2	3	4
हरियाणा	71	61	39
हिमाचल प्रदेश	36	29	34
जम्मू एंड कश्मीर	109	30	20
कर्नाटक	158	159	84
केरल	91	71	34
मध्य प्रदेश	303	313	103
महाराष्ट्र	278	195	94
मणिपुर	3	4	1
मेघालय	7	10	3
नागालैंड	6	5	—
उड़ीसा	228	131	32
पंजाब	90	69	54
राजस्थान	170	101	76
तमिलनाडु	225	127	91
त्रिपुरा	5	2	—
उत्तर प्रदेश	532	572	202
पश्चिम बंगाल	226	169	42
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	4	6	1
चण्डीगढ़	5	7	2
दादरा व नगर हवेली	—	—	—

1	2	3	4
दिल्ली	43	28	12
गोवा, दमन व दीव	5	3	1
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	—	3	—
पांडिचेरी	4	2	1
सिक्किम	5	1	4
जोड़	3467	2784	1250

सेना के एक मेजर से हशीश का पकड़ा जाना

4606. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर सबसे अधिक मात्रा में पकड़ी गई हशीश के मामले में सेना का एक मेजर संबद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) पालम हवाई अड्डे पर दिनांक 10-1-1984 को पकड़ी गई 657 किलोग्राम हशीश के सम्बन्ध में की गई जांच-पड़ताल के दौरान एक आर्मी मेजर के नाम का जिक्र किया गया है। चूंकि मामले में अभी जांच-पड़ताल जारी है, इसलिए इस समय और ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

इंजीनियरी सामान के निर्यात के लक्ष्यों का पूरा न होना

4607. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश के इन्जीनियरी सामान के निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1983-84 के पहले 9 महीनों के इन्जीनियरिंग माल के निर्यातों के रुख के आधार पर यह सम्भव

है कि इन्जीनियरी निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रह सकती है। इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1. अंतर्राष्ट्रीय कीमत वापसी योजना, 1981 को जारी रखना तथा उसका परिवर्द्धन करना। 23 सितम्बर, 1983 से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर इस्पात उपलब्ध कराने की योजना में कच्चा लोहा शामिल किया गया है।

2. बिजली, संचार तथा परिवहन आदि में अवस्थापना सम्बन्धी रुकावटों के बारे में उपचारात्मक कार्यवाही हेतु अलग-अलग प्राधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।

3. इन्डोनेशिया को निर्यात करने के बारे में एक कार्यशाला इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने 24 अक्तूबर, 1983 को आयोजित की।

4. नवम्बर, 1983 में, तीसरे देशों की परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारों के लिए सं० रा० अमरीका में एक भारतीय-अमरीका सम्मेलन आयोजित किया गया।

5. घरेलू विद्युत उपकरणों सम्बन्धी भारत-पश्चिम यूरोप की एक कार्यशाला 5 से 11 दिसम्बर, 1983 को आयोजित की गई।

6. भारतीय और विदेशी कम्पनियों को साथ लेकर बसूली सम्मेलन आयोजित किये गए।

7. पहले के निर्यात सम्वर्धन सम्मेलनों तथा व्यापार मेलों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई। इसी प्रकार की गतिविधियों को भविष्य में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किया गया लोह-अयस्क

4608 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अब तक (वर्ष-वार) विभिन्न देशों को लौह-अयस्क की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1984-85 में लौह-अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में कुल कितने टन लोह-अयस्क का निर्यात होने की संभावना है ; और

(ङ) लोह-अयस्क के निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) :—

छठी योजना के दौरान भारत से लौह अयस्क के देशवार निर्यात
(पीलेट्स को छोड़कर)

मात्रा : मिलियन मे टन (अनन्तिम)

देश	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (फरवरी, 84 तक)
1	2	3	4	5
जापान	14.12	16.49	15.38	13.41
द० कोरिया	2.20	3.06	2.78	2.88
ताइवान	0.09	0.03	0.01	0.10
इटली	—	0.26	0.39	0.35
टर्की	—	—	—	0.06
सोवियत रूस	2.02	—	—	—
रुमानिया	3.04	4.09	1.92	2.15
चैकोस्लोवाकिया	0.35	0.36	0.11	0.12
हंगरी	0.11	0.06	0.02	0.03
पूर्वी जर्मनी	0.46	0.68	0.61	0.67
यूगोस्लाविया	0.56	0.33	—	—
बल्गारिया	—	0.09	0.11	0.11
पाकिस्तान	0.05	0.11	0.15	0.13
सऊदी अरब	0.04	0.11	0.05	0.12
आबूधवी	0.015	0.06	0.10	—

1	2	3	4	5
दुबई	0.10	0.06	0.08	0.08
इराक	—	—	0.10	0.13
मलयेशिया	0.04	0.03	0.02	0.04
उ० कोरिया	0.13	0.03	—	—
चीन	—	—	—	—
जोर्डन	—	—	0.02	—
कुल योग	23.46	25.85	21.96	20.38
मूल्य (करोड़ रु०)	294	386	397	367

(ग) से (ङ) जी, हां। नये बाजारों में लौह अयस्क के निर्मातों का विविधीकरण करने के प्रयास किये गए हैं और गत तीन वर्षों में मलयेशिया, सऊदी अरब डी० पी० आर० के०, पाकिस्तान आदि के बाजारों में लौह अयस्क को पहुंचाया गया है।

1993-84 के लिए सहमत 6 मिलियन डी० एल० टी० के फर्म शिपिंग कार्यक्रम के आधार पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए जापानी स्टील मिलों के साथ तय करार की शर्तों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम वित्तीय वर्ष 1984 के लिए 8 मिलियन डी० एल० टी० का लदान करने के लिए पक्की वचन बद्धताएं करने में सफल हुआ है। दक्षिण कोरिया जैसे अन्य प्रमुख खरीदारों के साथ बातचीत को इस महीने के दौरान अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1984-85 के दौरान 273 करोड़ रु० मूल्य के 16 मिलियन टन लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऐसी आशा है कि 1984-85 के दौरान गोआ के निर्यातक लगभग 9 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात करेंगे।

उत्तर प्रदेश से कालीनों का निर्यात

4609. **श्री जैनुल बशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात से उत्तर प्रदेश को कितनी विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय हुई ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग के संवर्द्धन की योजयाओं पर कितना वार्षिक पूंजीनिवेश किया गया ;

(ग) कालीन उद्योग के संवर्द्धन के लिए कौन-कौन सी योजनायें शुरू की गई हैं, और

(घ) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात आंकड़े क्षेत्रवार नहीं रखे जाते ।

(ख) गत तीन वर्षों में वार्षिक केन्द्रीय निवेश निम्नोक्त प्रकार रहा :—

1980-81	रु० 2.17 करोड़
1981-82	रु० 2.29 करोड़
1982-83	रु० 2.07 करोड़

(ग) कालीन बुनाई में बुनकरों को प्रशिक्षित करने हेतु एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया ।

(घ) योजना के आरम्भ किए जाने से लेकर अब तक लगभग 50.000 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

1983-84 के दौरान निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति

4610. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1983-84 वर्ष के लिए 10,500 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल से दिसम्बर, 1983 तक उक्त लक्ष्य की प्राप्त सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1983-84 तक वर्ष के लिए 10,453 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान भारत के कुल निर्यात 6,858.32 करोड़ रु० के हुए जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान, 6,118.35 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे, इस प्रकार, इस बात के बावजूद कि हमारी बहुत सी वस्तुओं और विनिर्मित माल के निर्यातों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण कठोर बना रहा है, हमारे निर्यातों में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है ।

विदेशी मुद्रा की आय

4611. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वास्तविक विदेशी मुद्रा आय प्रति वर्ष कम होती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में 1974-75 से 1983-84 तक प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की इस आय में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई मुद्रा भी शामिल है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने प्रतिवर्ष कितनी विदेश मुद्रा भेजी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) और (ख) निवल विदेशी मुद्रा आय की राशि का पता देश के विदेशी मुद्रा भण्डार के स्तर और उसमें होने वाली घट-बढ़ की स्थिति से चलता है । वर्ष 1974-75 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) के वर्षवार आंकड़े तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई घट-बढ़ की मात्रा निम्न प्रकार से हैं :—

मार्च के अन्त में	विदेशी मुद्रा भण्डार (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़
1974-75	610.5	+ 29.7
1975-76	1491.7	+ 881.2
1976-77	2863.0	+ 1371.3
1977-78	4499.8	+ 1636.8
1978-79	5219.9	+ 720.1
1979-80	5163.7	— 56.2
1980-81	4822.1	— 341.6
1981-82	3354.5	— 1467.6
1982-83	4265.3	+ 910.8
1983-84 (फरवरी, 1984 के अन्त में)	5129.0	+ 863.7

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई प्रेषणोंओ सहित सभी प्रकार के विदेशी लेन-देन के परिणामस्वरूप होती है । विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े अलग से इस समय उपलब्ध नहीं हैं, चूंकि विशेष रूप से वर्तमान

नियमों के अन्तर्गत, 10,000 रुपए और उससे कम राशि की भेजी गई मुद्रा का ब्यौरा विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया जाना आवश्यक नहीं है।

"डोरमियार-228" वायुयान के उत्पादन के लिए भारत और डोरमियार लि० जर्मनी के बीच समझौता

4612. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और डोरमियार लि० (एक जर्मन-कम्पनी) 'डोरमियार-228' वायुयान के उत्पादन पर सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सिविल और रक्षा प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में डोरनियर-228 विमान के लाइसेंस उत्पादन के वास्ते संघीय जर्मनी गणराज्य के मैसर्स डोरनियर जी० एम० बी० एच० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अन्तर्गत डोरनियर विमान के निर्माण के लिए तकनालाजी का पूर्ण अन्तरण तथा 30 सीटों वाले सवारी विमान के लिए डिजाइन सहयोग, मौजूदा वैमानिकी प्रणालियों में सुधार तथा मौजूदा विमानों के अधिकतम भार-वाहन क्षमता में वृद्धि के लिए व्यवस्था है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से पहला विमान 1985-86 में तैयार होकर मिल जाएगा।

चाय उद्योग रुग्णता

4613. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चाय उद्योग रुग्णता का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) इस उद्योग की सहायता करने और रुग्णता समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चाय उद्योग की दीर्घाविधि सुदृढ़ता एवं विकास के लिए चाय बोर्ड ने चाय उत्पादन में सुधार के लिए अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखा है, जैसे कि चाय रोपण वित्त योजना, चाय मशीनरी और सिंचाई योजना, पुनर्रोपण तथा नवीकरण उपदान योजना और छोटे उपजकर्ताओं के लिए अन्य विकासात्मक योजनाएं। इसके अतिरिक्त रुग्णता के लक्षणों के लिए बोर्ड, चाय एस्टेटों पर

गहरी निगरानी रखता है और चाय अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे मामलों पर कार्यवाही करता है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक गृहों को ऋणों की मंजूरी

4614, **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर किए गए ऋण की कुल धनराशि का बहुत बड़ा भाग औद्योगिक गृहों को, जैसा कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में परिभाषित है, दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 से अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के वर्षों के दौरान इस प्रकार सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में से बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा लिए गए ऋणों की राशि का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क), (ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 1980-81 से 1982-83 (अप्रैल-मार्च) तक पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों (एम० आर० टी० पी०) को जो वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित की उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूर की गई सहायता एम०आर०टी०पी०	सभी कंपनियां	सभी कम्पनियों के मुकाबले एम० आर० टी०पी० कम्पनियों को मंजूर/वितरित सहायता का प्रतिशत
1980-81	331.46	1003.68	33.0
1981-82	247.33	1063.58	23.3
1982-83	282.85	1151.38	24.8
	संवितरित सहायता		
1980-81	266.68	619.74	43.0
1981-82	280.65	814.81	34.4
1982-83	236.96	951.23	24·9

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से मिलने वाले ऋण में कमी

4615. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा गत वर्ष उदार शर्तों पर वितरित किए गए कुल ऋण में से भारत को केवल 40 प्रतिशत ऋण ही मिला ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों के दौरान भारत का हिस्सा 28 प्रतिशत कम कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आने वाले वर्षों में इसमें 20 प्रतिशत की और कमी होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की कटौती का वर्तमान परियोजनाओं और शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के शुरू होने से लेकर विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1981 तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए वचनों की राशि, इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सभी देशों को ऋणों के सम्बन्ध में दिए गए कुल वचनों की राशि के लगभग 40 प्रतिशत बैठती है।

(ख) विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1982 और 1983 में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए वचनों के अनुसार उसके द्वारा दिए गए सहायता वचनों की कुल राशि के क्रमश: 35.5 प्रतिशत और 31.8 प्रतिशत के बराबर थी।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास साधनों की उपलब्धता में आयी कमी को देखते हुए तथा ऋण लेने वाले समुदाय में वृद्धि होने के कारण भारत के हिस्से में और अधिक कमी होने की संभावना है।

(घ) विदेशी सहायता हमारे निवेश कार्यक्रमों के वित्तपोषण का अपेक्षाकृत एक छोटा भाग है, फिर भी, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि विदेशी साधन आवश्यक परिणाम में बराबर उपलब्ध होते रहे।

सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक कपड़े अथवा अन्य उत्पादों की सप्लाई न होना

4616. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्धकों को बाजार में प्रतियोगिता कर पाने में उनके असफल रहने पर उनको प्रताड़ित करने की बजाए सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम से ही कपड़ा खरीदने के निर्देश दिये हैं तथा इस प्रकार प्रमुख प्रबन्धकों की सुरक्षा प्रदान किया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्धक सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक कपड़ा अथवा अन्य उत्पादों की सप्लाई कर सकेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का प्रबन्ध पूरी तरह से बदला जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने एन० टी० सी० के सम्बन्ध में अपनी 40वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सस्ते कपड़े का उत्पादन करने के सामाजिक दायित्व को देखते हुए तथा एन० टी० सी० द्वारा उठाई गई हानियों को देखते हुए, जिनकी पूर्ति अन्ततः सरकार द्वारा कर दी गई, सरकार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एन० टी० सी० से सारा कपड़ा खरीदने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । इस पृष्ठ भूमि में यह विनिश्चय किया गया कि प्रतिरक्षा या डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा (अन्य विभागों के लिए) खरीदे जाने वाले सभी किस्मों के सूती/ऊनी वस्त्रों को उस सीमा तक जितने एन० टी० सी० से उपलब्ध हों, एन० टी० सी० से एकल निविदा आधार पर खरीदे जाने चाहिए ।

भारी घाटे में चल रही कपड़ा मिलों के कार्यकरण की जांच करने हेतु पैनल का गठन

4617. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने हाल में एक पैनल का गठन किया है जो नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत भारी घाटे में चल रही कपड़ा मिलों के कार्यक्रम की जांच करेगा ;

(ख) यदि हां, तो पैनल के सदस्यों और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) घाटे में चल रही कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ;

(घ) ये मिलें कब से घाटे में चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उपरोक्त दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (च) निम्नलिखित आठ राष्ट्रीयकृत एन० टी० सी० मिलों, जिन्हें बहुत कमजोर समझा गया है के कार्यचालन का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है जिसमें ये शामिल हैं : वस्त्र विभाग, सरकारी उद्यम ब्यूरो, योजना आयोग, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कम्पनी) के अधिकारी तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सम्बन्धित सहायक निगमों के अध्ययन-सह-प्रबन्ध निदेशक :—

1. इंदौर माल्वा यूनाइटिड मिल्स, इन्दौर।

2. कल्याणमल मिल्स, इन्दौर।

3. स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लौर मिल्स, इन्दौर।

4. हीरा मिल्स, उज्जैन।

5 मैसूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर।

6. सैंट्रल काटन मिल्स, हावड़ा।

7. लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर।

8. आजम जाही मिल्स, वारंगल।

अध्ययन दल से अपनी रिपोर्ट 1 अगस्त, 1984 से पहले पेश करने को कहा गया है।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए हैलीकाप्टरों की खरीद

4618. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टरों अतिरिक्त के पृथक् हैलीकाप्टरों की खरीद का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिमी बंगाल में वायुदूत की अपर्याप्त सेवा

4619. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में वायुदूत सेवा मांग की अपेक्षा अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) काफी स्टेशनों के लिए वायुदूत सेवा का विस्तार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पर तो मूलभूत आधार-संरचनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। वायुदूत फिलहाल देश में 18 स्टेशनों के लिए प्रचालन कर रही है। इसके पूर्वी क्षेत्र के प्रचालन कलकत्ता के आस-पास केन्द्रित हैं तथा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार को शीघ्र ही विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। वायुदूत के प्रचालन इसके वर्तमान विमानों की संख्या के अनुरूप किए जा रहे हैं।

(ग) नये डोरनियर विमान के प्राप्त हो जाने पर, जिसके 1984 की दूसरी छमाही में प्राप्त होने की आशा है, वायुदूत सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसी दौरान विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रचालनों की आर्थिक साध्यता का पता लगाने के लिए, यातायात सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

चाय का उत्पादन

4620. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय का उत्पादन बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चाय का औसतन कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए यह उत्पादन पर्याप्त है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) 1981 से 1983 के दौरान चाय के वार्षिक उत्पादन का औसत अनुमान 570 मिलियन कि० ग्रा० है।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) फिलहाल चाय बोर्ड चाय के लिए घरेलू बाजार के सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है।

प्याज और आलू का निर्यात

4621. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान प्याज और आलू के निर्यात से कुल कितनी राशि अर्जित की और कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) किन देशों को इनका निर्यात किया गया था ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार प्याज अथवा आलू का निर्यात नहीं करती इसलिए प्याज अथवा आलुओं के निर्यात से सरकार को कोई आय नहीं होती। प्याज का निर्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन की मार्फत सरणीबद्ध है और आलू के निर्यात की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत खुली छूट है।

1983-84 (अप्रैल—83—जनवरी, 84) के दौरान प्याज और आलुओं के निर्यात के कुल मूल्य नीचे दर्शाए गए हैं :—

	(मूल्य लाख रु० में) (अनन्तिम)
प्याज	2,919
आलू	5
योग	2,924

(ख) जबकि प्याज स० अ० अमीरात (दुबई), मलेयेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सोवियत संघ, कुवैत, सऊदी अरब, मॉरिशस आदि को निर्यात की जाती है, आलू मुख्य रूप से ओमन, मलयेशिया और सैचल्स को निर्यात किए जाते हैं।

(ग) अप्रैल—83—जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान प्याज तथा आलू के दिशा-वार निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्रा एम टन में

(एफ० ओ० बी० मूल्य लाख रु० में)

(क) 1-4-83 से 31-1-84 के दौरान प्याज के निर्यात

स्थान	मात्रा	मूल्य
मलयेशिया	33,319	778.40
सिंगापुर	12.503	284.57
	45,822	1062·97

स्थान	मात्रा	मूल्य
सोवियत संघ	5,748	129.55
दुबई	55,883	1005.70
कुवैत	4,588	66.59
साल्लाह	300	6.19
बहरीन	1,990	37.37
शाजहि	1,310	25.49
डामम	2,243	31.93
दोहा	400	8.70
जद्दाह	1,194	17.96
मसकट	60	1.15
कतार	100	1.80
द० अरब	364	7.57
	68,432	1210.45
श्रीलंका	7,830	179.35
पाकिस्तान	8,064	230.15
सैचल्स	325	44.55
माल्दीव	880	23.25
बंगलादेश	50	1.56
मॉरिशस	1150	17.53
रि-सूबिअरेल	40	1.12
नेपाल	1,421	18.50
	19,760	516.01
कुल योग	1,39,762	2918.98

ख. 1-4-1983 से 31-1-1984 के दौरान आलू का निर्यात

स्थान	मात्रा	मूल्य
ओमन	150	2.61
मलयेशिया	100	1.00
अन्य	48	1.36
	298	4.97

मूंगफली के तेल का निर्यात

4622. **श्री विरधाराम फुलवारिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेल का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो निर्यातक फर्मों के और जिन देशों को इसका निर्यात हो रहा है उनके नाम क्या है और इससे सरकार को प्रति वर्ष कितनी आमदनी हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल के निर्यात के कारण देश में मूंगफली के तेल की कमी हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मूंगफली के तेल के निर्यात पर रोक है और इस मद के निर्यात के लिए किसी फर्म को अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस

4623. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि में से जमा राशियों पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उसकी प्रतिशतता को बढ़ाने और अंशदान और जमाराशि को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बोनस मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां। सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी समूची जमा राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है, यदि उन्होंने पूर्व-वर्ती तीन वर्षों में अपने भविष्य निधि खाते से कोई राशि न निकाली हो।

(ख) प्रोत्साहन बोनस की दर का पुनरीक्षण हर वर्ष, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज की दर का वार्षिक पुनरीक्षण किए जाने के समय, सभी सबम्द्ध बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

राजपत्रित कर्मचारियों को गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की वेतन पंजी में सम्मिलित करना

4624. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज आदि तथा समय की बचत के लिए राजपत्रित कर्मचारियों को गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की वेतन पंजी में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मार्च, 1976 के मास के वेतन से केन्द्रीय सरकार के सिविल मन्त्रालयों/विभागों तथा डाक-तार विभाग के राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का आहरण संबद्ध आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा संस्थापन वेतन बिलों पर पहले ही से किया जा रहा है जैसा कि अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में होता है, इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी द्वारा उसके अपने बिलों के आहरण की पद्धति समाप्त हो जाती है। रक्षा सेवाओं के सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों और क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे उत्पादन एककों में रेलवे कर्मचारियों के मामले में भी इसी प्रकार की कार्यविधि को अपनाया जा रहा है। लेकिन, रेलवे बोर्ड के कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों के बिल अलग-अलग तैयार किये जाते हैं तथा संबद्ध अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न विभागों द्वारा फालतू वस्तुओं की बिक्री

4625. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बेची गई फालतू वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य क्या है तथा अभी बेचे जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा क्या है तथा इस समय स्टाक में पड़ी इस प्रकार की वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है ;

(ख) अभी तक स्टाक में पड़ी इस प्रकार की मात्रा क्या है जिनके बिक्री अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं ; लेकिन जिनको अभी मूर्त रूप नहीं दिया गया है ; और

(ग) स्टाक में यह कब से पड़ी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क)मंत्रालयों/विभागों को, 50,000 रु० तक के अंकित मूल्य की फालतू वस्तुओं के निपटान की व्यवस्था करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें इस निपटान की रिपोर्ट इस विभाग/पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को

करना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान, निपटान की गई फालतू वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित है :—

वस्तुओं का अंकित मूल्य	वस्तुओं का बिक्री मूल्य
1981-82	
64.10 करोड़ रु०	23.39 करोड़ रु०
1982-83	
83.94 करोड़ रु०	32.32 करोड़ रु०

दिनांक 31-1-84 को, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को रिपोर्ट की गई, निपटान के लिए बकाया फालतू वस्तुओं का अनुमानित मूल्य 12.84 करोड़ रु० है।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या और बिक्री मूल्य, जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गये हैं, लेकिन जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

	लाट्स	बिक्री मूल्य
पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	33	32.36 लाख रु०
पूर्ति और निपटान निदेशालय, बम्बई	59	47.32 लाख रु०
पूर्ति और निपटान निदेशालय, कलकत्ता	75	4.15 लाख रु०
पूर्ति और निपटान निदेशालय, मद्रास	7	1.79 लाख रु०
	जोड़	85.62 लाख रु०

(ग) सबसे पुराना मामला वर्ष 1979 का है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटक गृहों के स्थापना स्थल

4626. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटक गृह स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) निगम द्वारा उनमें से प्रत्येक से कितना लाभ अर्जित किया गया है ; और

(ग) क्या उनमें से किसी को घाटा हुआ है और यदि हां, तो प्रत्येक को कितना घाटा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम किसी पर्यटक गृह का परिचालन नहीं करता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा निस्तप्त अभ्रक खेपों को लगाने की स्वीकृति न दिया जाना

4627. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निस्तप्त अयस्क अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक की आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट (ङ) के अन्तर्गत आती है ;

(ख) क्या किसी फर्म या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में निस्तप्त अभरक की किसी खेप का निर्यात किया है ;

(ग) क्या कलकत्ता में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास बाहर भेजे जाने वाली निस्तप्त अयस्क की खेप पड़ी हुई है ;

(घ) निस्तप्त अभरक की इस खेप का निर्यात करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन खेपों की स्वीकृति देने का निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी निर्यातकों और खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान निर्यात किया गया धातु

4628. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत को धातु और धातु से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए वर्ष 1984-85 में क्रयादेश दिए और उन धातुओं और धातु से बनी वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) भारत ने वर्ष 1983-84 के दौरान गैर-सरकारी निर्यातकों और खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से विभिन्न किस्मों की कितनी धातुओं का निर्यात किया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान धातु तथा धातु निर्मित वस्तुओं के निर्यातों के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त क्यादेशों के ब्यौरे सरकार को सूचित करना अपेक्षित नहीं है। 1984-85 के दौरान अब तक धातु निर्मित वस्तुओं के लिए संविदाएं न किए जाने की स्थिति की सूचना इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद को दी गई है क्योंकि ऐसी मदों के लिए संविदाएं समय समय पर सामान्य तौर पर अल्पकालिक आधार पर डिलीवरी करने के लिए की जाती हैं।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक द्वारा संकलित रूप में 1983-84 (सितम्बर, 83 तक) के दौरान गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों प्रकार के अभिकरणों द्वारा लोहा तथा इस्पात, धातु निर्मित उत्पादों लोहा तथा इस्पात के अलावा और लोहा तथा इस्पात की वेस्ट तथा स्क्रैप धातु के निर्यात के अनन्तिम आंकड़े निम्नलिखित अनुसार है :—

	मूल्य (लाख रुपये)
(क) लोहा तथा इस्पात	2213
(ख) धातु निर्मित उत्पाद लोहा तथा इस्पात के अलावा	9128
(ग) लोहा तथा इस्पात की वेस्ट तथा स्क्रैप धातु	18 (अठारह)

बिहार में देवघर में हवाई पट्टी को शीघ्र पूरा किया जाना

4629. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में देवघर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और सीधी पटना देवघर कलकत्ता हवाई सेवा यात्रियों और पर्यटकों के लिए किफायती सिद्ध होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि देवघर में हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा है जिस पर 40 लाख रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं और अब काम रुका हुआ है क्योंकि शेष अनुमानित धनराशि के लिए आवंटन नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त हवाई पट्टी के शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए बजट में धन की व्यवस्था करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बिहार में देवघर उन 28 स्टेशनों में से नहीं है जिन्हें पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार में परामर्श से सुनिश्चित किया है। इण्डियन एयरलाइन्स/वायुदूत की देवघर के लिए विमान सेवा का प्रचालन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) देवघर में बिहार राज्य सरकार की एक अच्छे मौसम की हवाई पट्टी मौजूद है। नागर

विमानन विभाग ने इस हवाई अड्डे पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेलों में वर्ष 1981-82 के दौरान लाभ और घाटा

4630. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-83 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेलों में हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रगति मैदान में प्रबन्ध और आयोजन पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना खर्च होता है और टिकटों की बिक्री से औसतन प्रतिदिन कितनी आमदनी है ; और

(ग) यदि प्रगति मैदान के मेलों से कोई लाभ नहीं होता है, तो सरकार निरर्थक खर्च को बन्द करने के लिए उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की गतिविधियों से ज्ञात होता है कि यह प्राधिकरण वित्तीय जीवन क्षमता की ओर बराबर प्रगति करता रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	व्यय की तुलना में आय की अधिकता
1980-81	(—) 14.50
1981-82	(—) 8.99
1982-83	(+) 29.88

(ख) प्रति दिन का औसत व्यय/आय तथा टिकटों की बिक्री से प्रतिदिन की औसत आय नीचे दी गई है :—

वर्ष	व्यय रु०	टिकटों की बिक्री सहित आय रु०	टिकटों से हुई आय रु०
1980-81	61,192.00	51,285.00	1,957.00
1981-82	1,17,642.00	1,34,281.00	7,019.00
1982-83	1,24,308.00	1,00,902.00	6,268.00

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको ऋणों के लिए गारंटी देने के सम्बन्ध में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

4631. **श्री नीला लोहित नागर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में हुडको ऋणों के लिए गारन्टी देने के विरुद्ध बैंकों को निर्देश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के निर्देश देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके कारण आवास बोर्डों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को हो रही कठिनाइयों का सरकार को पता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार के अनुदेश वापिस लेने के निर्देश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 जनवरी, 1983 को बैंकों के नाम ये अनुदेश जारी किए कि वे उन मामलों को छोड़कर, जिसमें उन्हें अल्पावधि के लिए एक ऐसी अन्तरिम गारन्टी देनी हो जो बाद में स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में बदल जानी हो, "हुडको"/राज्य आवास बोर्डों के पक्ष में गारन्टियां न दें। ये अनुदेश मूलत: बैंकों की आकस्मिक देनदारियों सम्बन्धी वचनबद्धताओं को देखते हुए उनके हितों की रक्षा करने के विचार से जारी किए गए थे।

"हुडको" और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रमों में रत राज्य स्तरीय अन्य संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी, 1984 को बैंकों को राज्य स्तरीय संस्थाओं को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में "हुडको" के पक्ष में गारन्टियां देने की अनुमति दे दी है लेकिन शर्त यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ गारन्टी की अवधि "हुडको" द्वारा दिए गए ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि के साथ समाप्त हो जाए। किन्तु यह अवधि 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैंटीन कर्मचारियों को फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में खपाया जाना

4632. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कैंटीन कर्मचारियों को 22 अक्तूबर, 1980 को फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में खपाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उनकी सेवा शर्तें प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं और यदि उन्हें प्रकाशित किया गया है तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी 22 अक्तूबर, 1980 के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी पेंशन की अदायगी किस प्रकार की गई है ;

(घ) 22 अक्तूबर, 1980 से पूर्व की उनकी सेवाएं वर्तमान सेवा में किस आधार पर शामिल की गई हैं ; और

(ङ) उनके वेतनमान में रह गए थोड़े से अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फैक्टरी अधिनियम की धारा 46 के अधीन स्थापित कैंटीनों के कर्मचारी 22 अक्तूबर, 1980 से सरकारी कर्मचारी घोषित किए गए हैं।

(ख) इनकी सेवा शर्तों आदि से सम्बन्धित तारीख 7-10-1983 के पत्र की प्रति अनुबन्ध "क" पर रखी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 8002/89] 84

(ग) और (घ) इन स्थायी कैंटीनों के कर्मचारी 22 अक्तूबर, 1980 से सरकारी कर्मचारी घोषित किए गए हैं इसलिए पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन जिन कर्मचारियों की 22-10-1980 के बाद मृत्यु हुई/होती है उनके परिवारों को परिवार पेंशन मिलेगी। 22-10-1980 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या एकत्र की जा रही है।

22-10-1980 से पहले की गई सेवा इन कर्मचारियों को कर्मचारी घोषित किए जाने के बाद की सेवा में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मंत्रालय की जानकारी में इनके वेतनमानों में किसी तरह की विसंगति नहीं आई है।

वाणिज्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव ग्रेड में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

4633. **श्री भीखा भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिव ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; और

(ग) अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव ग्रेड में पदोन्नतियों में आरक्षण के अन्तराल को पूरा करने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क)

	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अनुभाग अधिकारी	105	16	1
डेस्क अधिकारी	18	2	—
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव/समकक्ष पद धारण करने वाले ग्रेड-I अधिकारी	34	9	3

(ख) एवं (ग) अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव ग्रेड में नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई प्रवर सूचियों के आधार पर की जाती हैं तथा उस विभाग द्वारा प्रवर सूची तैयार करते समय आरक्षण किया जाता है।

सौ रुपए के नोट का विमुद्रीकरण

4634. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौ रुपए के जाली नोटों को समाप्त करने के लिए सौ रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सौ रुपए के सभी जाली नोटों का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों या उसकी एजेंसियों में जिन जाली नोटों का पता चलता है उन्हें जब्त कर लिया जाता है और जांच के लिए पुलिस को भेजा जाता है। पुलिस प्राधिकारी अपने आप भी जाली नोटों को पकड़ते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और आगे जांच करते हैं। जब कभी जाली नोट अधिक मात्रा में पाये जाते हैं या इनके परिचालन में होने का संदेह होता है, रिजर्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों को, और इनकी मार्फत करेंसी चेस्टों और सरकारी क्षेत्रों को विशेष रूप से सचेत करने के लिए हिदायतें जारी करता है।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर "रनवे" को चौड़ा करना तथा अन्य सुविधाएं

4635. **श्री सकारिया थोमस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर इस समय बोइन्ग 707 आदि जैसे बड़े विमान नहीं उतर सकते ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां रनवे को चौड़ा करने तथा अन्य सुविधाएं देने का है ताकि ये विमान वहां उतर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। बोइन्ग 707 विमान त्रिवेन्द्रम के लिए प्रचालन कर सकते हैं।

(ख) और (ग) धावनपथ की लम्बाई तथा चौड़ाई हाल ही में बढ़ाई गई थी।

कृषि उत्पादन की प्रकृतियों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशें

4636. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1 मार्च, 1983 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वित्त प्रणाली के कार्यकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

4637. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त प्रणाली के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर में गठित की गई पुनरीक्षण समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं ; और

(ख) उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) समिति का गठन इस प्रकार है :—

प्रो० सुखमय चक्रवर्ती	अध्यक्ष
श्री एस० पी० चिताले	सदस्य
डा० आर० के० हजारी	सदस्य
डा० एफ० ए० मेहता	सदस्य
डा० श्री रंगाराजन	सदस्य

समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

1. योजनाबद्ध विकास के मूल उद्देश्यों के सन्दर्भ में मौद्रिक प्रणाली के ढांचे और उसके कार्यचालन की आलोचनात्मक समीक्षा करना।

2. मौद्रिक नीति और अन्य नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय नीति और सरकारी ऋण व्यवस्था के बीच पारस्परिक क्रिया का मूल्यांकन करना, जहां तक कि इनका संबंध मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता से है।

3. मौद्रिक और ऋण नीति के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन उनसे ऋण प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के सन्दर्भ में करना। इस सन्दर्भ में, बैंकिंग क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और असंगठित क्षेत्र के बीच सम्बन्धों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

4. मौद्रिक और ऋण नीतियों के निर्माण और कार्यचालन में सुधार के लिए उपाय सुझाना और ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का सुझाव देना जिनमें नीति सम्बन्धी विभिन्न साधनों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

5. ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिन्हें मौद्रिक और ऋण नीति को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए समिति संगत समझती है।

समिति से जून, 1984 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि अभी तक समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थशास्त्रियों के पैनलों का गठन

4638. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित अर्थशास्त्रियों के चार पैनलों की उनके गठन के समय से (एक) दीर्घ आर्थिक प्रणाली (माक्रोइकनामिक सिस्टम) (दो) उद्योग तथा औद्योगिक वित्त (तीन) कृषि तथा ग्रामीण विकास और (चार) भुगतान सम्बन्धी सन्तुलन पर विचार-विमर्श करने के लिए अब तक कितनी बैठकें बुलाई गई हैं ; और

(ख) इन पैनलों के सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इन चार पैनलों के अर्थशास्त्रियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अर्थशास्त्रियों के 4 पैनलों में अर्थशास्त्रियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) समष्टि आर्थिक प्रणाली पैनल

(i) डा० एस० बी० गुप्ता

(ii) डा० ए० के० बागची

(iii) डा० के० कृष्णामूर्ति

(iv) डा० वी० के० चेट्टी

(v) डा० आर० जे० मोदी

(vi) डा० एस० पाल

(vii) डा० पी० आर० ब्रह्मानन्द

(viii) प्रो० एन० रथ

(ix) डा० आई० जेड० भट्टी

(x) डा० वी० एस० चित्रे

(xi) डा० सी० टी० कुरियन

(xii) डा० आर० राधाकृष्णन

(xiii) प्रो० के० ए० नकवी

(2) उद्योग और औद्योगिक वित्त पैनल

(i) डा० एल० सी० गुप्ता

(ii) डा० के० एल० कृष्णा

(iii) डा० रमेश भाटिया

(iv) डा० (श्रीमती) ईशर आहलुवालिया

(v) डा० जे० सी० सन्देशरा

(vi) प्रो० अमिय के बागची

(3) कृषि और ग्रामीण विकास पैनल

(i) डा० जी० एस० भल्ला

(ii) डा० गुणवन्त देसाई

(iii) श्री एस० गुहान

(iv) डा० सी० एच० शाह

(v) श्री जी० वी० के० राव

(vi) डा० एस० एस० कहलोन

(4) भुगतान शेष पैनल

(i) डा० जी० सी० डी० कोस्टा

(ii) डा० एम० दत्ता चौधरी

(iii) डा० वी० आर० पंचमुखी

(iv) डा० (कुमारी) एस० के० वर्गीस

समष्टि आर्थिक प्रणाली, उद्योग और औद्योगिक वित्त और भुगतान शेष के पैनलों से पहले ही एक-एक बैठक हो चुकी है, लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास पैनल की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पैनलों द्वारा दिए गए सुझावों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोट कर लिया है।

बैंक जमा राशियों के सम्बन्ध में कार्य दल की सिफारिशें

4639. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक जमा राशियों के सम्बन्ध में कार्य दल की सिफारिशें अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय विचाराधीन हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों पर कब तक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) बैंक जमा राशियों संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 प्रति० वार्षिक ब्याज वाली सावधि जमा की एक नई श्रेणी शुरू की है, स्थिर जमा राशियों के बदले ऋण लेने और ऐसी जमा राशियों को समय से पूर्व निकालने की शर्तें उदार बना दी गई हैं, दैनिक जमा योजना खातों की शेष रकमों को स्थिर जमा राशियों में बदलने की और मृतक जमा कर्ताओं के चालू खातों की शेष रकमों पर ब्याज की अनुमति दे दी गई है और उन संस्थाओं को बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दे दी गई है जिन पर आय कर नहीं लगता।

कार्यकारी दल की अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध ग्राहक सेवा, अनिवासी जमा राशियों, कुछ बैंकों द्वारा उनके आकार और श्रेणी तथा शाखा लाइसेंसिंग नीति के आधार पर लिए जाने वाले ब्याज की

विभेदी दरों से है। ये सिफारिशें सतत प्रकार की हैं और रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन पर उत्पन्न होने वाली स्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

यात्री कारों/वैनों पर लगने वाला उत्पादन

4640. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1000 से कम की यात्री कारों/वैनों पर लगाए जाने वाले उत्पादन शुल्क की दर क्या है तथा इस समय इस प्रकार के वाहनों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) सितम्बर, 1983 और फरवरी, 1984 के बीच देश में इस प्रकार की कारों के निर्माण पर कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया/वसूल किया गया तथा इसी अवधि में प्रत्येक कारखाने में कितने वाहनों का निर्माण किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुड़गांव स्थित मारुति कारखाने से कितनी कारों, वैनों तथा चिकअप्स का निर्माण हुआ और प्रत्येक प्रकार के वाहन पर कुल कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया तथा उत्पादन शुल्क के आकलन के लिए प्रत्येक प्रकार के वाहन का घोषित मूल्य कितना-कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग)

वाहन की किस्म	निकासी किए गए वाहनों की संख्या	वसूल हुए उत्पादन शुल्क की रकम (रुपये)
कार	502	29,64,937.50

उपर्युक्त वाहनों के सम्बन्ध में, प्रति कार शुल्क (मूल उत्पादन शुल्क) की रकम 5625/- जमा विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत है। मारुति कारों पर उदग्रहणीय शुल्क विशिष्ट शुल्क होने की वजह से उत्पादन शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कोई घोषित मूल्य अपेक्षित नहीं होता है।

(क) 1000 सी०सी० से कम की क्षमता वाली कारों/वैनों पर उदग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरें इस प्रकार हैं :—

विवरण

1. 1200 घन सैंटीमीटर से अनधिक की इन्जिन क्षमता वाली पेट्रोल-चालित सैलून कारें	मूल उत्पादन शुल्क 1	विशेष उत्पादन शुल्क 2
(I) टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल के लिए अपेक्षित सैलून कारें	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत जमा चार हजार सात सौ पच्चास रुपए प्रति कार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत

(II) अन्य	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत जमा नौ हजार पांच सौ रुपए प्रति कार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत
2. 1500 घन सैंटी मीटर से अनधिक की इन्जिन-क्षमता वाली डीजल-चालित सैलून कारें		
(I) टैक्सियों के रूप में हेतु अपेक्षित सैलून कारें	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत जमा सात हजार सात सौ रुपए प्रति कार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत
(II) अन्य	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत जमा 14,000 रु० प्रति कार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत
3. 1000 घन सैंटीमीटर से अनधिक की इन्जिन-क्षमता वाली ईंधन मितव्ययी मोटर कारें "ईंधन मितव्ययी मोटर-कार" शब्दावली का अभिप्राय ऐसी मोटर कार से है, जिसके बारे में, रक्षा मन्त्रालय के वाहन अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठान, अहमद नगर (महाराष्ट्र) अथवा भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा किये गए परीक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि वह मोटर कार एक लिटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर से कम नहीं चलती है ।	5625 रुपये प्रति कार	मूल उत्पादन शुल्क का 5 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त भारी उद्योग विभाग के दिनांक 28-12-83 के आदेश एस०ओ० 932 (अ) के अनुसार मूल्यानुसार 1/8 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और उसकी वसूली उपकर के रूप में 1-1-84 से की जा रही है ।

ऐसे वाहनों के मौजूदा उत्पादक कारखानों के नाम :—

1. सिपानी आटोमोबाइल्स लि०, बंगलौर ।

2. मारुति उद्योग लि०, गुड़गांव, हरियाणा ।

3. स्टेण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, मद्रास ।

(ख) 1000 घन सैंटीमीटर से कम की क्षमता वाली यात्री कारों/ वैनों के उत्पादक कारखानों के नाम	सितम्बर, 83 से फरवरी, 84 तक की अवधि के दौरान निकासी किये गये वाहनों की संख्या	लगाया गया/वसूल हुआ उत्पादन शुल्क रुपये
1. सिपानी आटोमोबाइल्स लि० बंगलौर	185	10,92,656.25
2. मारुति उद्योग लि० गुड़गांव, हरियाणा	502	29,64,937.50
3. स्टेण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, मद्रास	1	12,510.65

विकसित देशों के साथ भारत के व्यापार में कमी

4641. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-दक्षिण वार्ता और गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अपील के बाद विकासशील देशों से निर्यात स्वीकार करने के मामले में विकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में प्रत्यक्ष तौर पर कोई परिवर्तन हुए हैं ;

(ख) क्या विकसित देशों द्वारा अपनाए गए संरक्षणात्मक उपायों को किसी भी रूप में उदार बनाया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1983 के दौरान विकसित देशों के साथ हमारे निर्यात व्यापार में कमी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) विकसित देशों की व्यापार नीतियों में उनके बाजारों में विकासशील देशों के निर्यातों के लिए स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ) अप्रैल-सितम्बर, 1983 (वह अवधि जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) के लिए व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि समग्र रूप से विकसित देशों को हुए हमारे निर्यातों में 1982 की उसी अवधि की अपेक्षा वृद्धि हुई है ।

पर्यटकों के लिए सिमलीपाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में सर्वेक्षण

4642. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यटन विकास के उद्देश्य से पुरी जिले की चिलका झील, मयूरभंज जिले में सिमलीपाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 1981 में बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से स्थानीय (रेजिडेंशियल) और भ्रमणशील (माइग्रेट्री) दोनों प्रकार के पक्षियों का एक सर्वेक्षण कराया गया था। बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील में पक्षियों का एक अन्य सर्वेक्षण किया जा रहा है।

पर्यटन सम्भाव्यता को पहचानते हुए, उड़ीसा के समुद्रतट पर पुरी, कोणार्क, गोपालपुर समुद्रतट और चिल्का झील जैसे स्थानों को यात्रा परिपथों में पर्यटकों के लिए आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने के लिए शामिल किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में विभाग का इन स्थानों पर निम्नलिखत स्कीमें प्रारम्भ कीं/प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है :—

(1) 36.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सिमलीपाल में एक वनगृह का निर्माण।

(2) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ पुरी में एक 3-स्टार होटल के लिए एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना और कोणार्क में समुद्रतट कुटीरें।

(3) 3.49 लाख रु० की अनुमानित लागत पर कोणार्क में एक टायलेट ब्लाक का निर्माण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव।

(4) चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं शुरू करना।

(5) पुरी में एक धर्मशाला।

(6) चिल्का झील के लिए एक क्रूज बोट जुटाने का प्रस्ताव है।

(7) तम्बुओं में कुछ आवास जुटाने का भी प्रस्ताव है।

(8) ललितगिरि और उदयगिरि में प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव है।

(9) जहां तक मेले और त्यौहारों के बारे में स्कीमों का सम्बन्ध है, नौका पर्व के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

4643. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं और उनका मन्त्रालय कितने जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ; और

(ग) इन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं कब तक खुलने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एस० एम० कृष्ण) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। मुजफ्फरनगर जिले में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अभी हाल में उत्तरप्रदेश के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। यद्यपि इस प्रकार के प्रस्तावों पर कार्रवाई के पूरा होने का ठीक-ठीक समय बताना सम्भव नहीं है, लेकिन इन बैंकों के अगले वित्त वर्ष के दौरान स्थापित हो जाने की आशा है।

पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

4644. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य में कुछ नए पर्यटक सर्किट हाउस खोलने का विचार है ;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान खोले गये प्रत्येक तथा खोले जाने वाले प्रत्येक पर्यटक सर्किट हाउस में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि व्यय की जानी है ;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अपने होटल खोलने की सलाह दी जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त स्थानों पर आधुनिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1983-84 के दौरान पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश को, केन्द्रीय सहायता की मन्जूरी दी है :—

1. वाराणसी घाटों और उनके वातावरण का विकास	21.50 लाख रु०
2. फतेहपुर सीकरी में भूमि का अधिग्रहण और ट्यूबवैल के लिए बोरिंग	12.07 लाख रु०
3. मेलों और त्योहारों का आयोजन	0.50 लाख रु०
4. लखनऊ और वाराणसी में गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन	0.13 लाख रु०

(ख) और (ग) सर्किट हाउसों का निर्माण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। 1984-85 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग का भी राज्य में किन्हीं पर्यटक गृहों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम को विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर होटल निर्माण करने की नीति स्थान की पर्यटन सम्भाव्यता, उसकी वित्तीय व्यवहार्यता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ङ) आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए और पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु वाणिज्यिक गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की देखभाल 2 विशेष अभिकरणों यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा की जाती है। ये दोनों निगम एक-मुश्त दौरों का आयोजन करते हैं और इन क्षेत्रों में विविध होटल स्थलों पर विश्राम-गृह और रेस्तरां चलाते हैं। इस समय पर्यटक बंगलों, पर्यटक कुटीरों, स्वागत केन्द्रों और मार्गस्थ सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ओरई में केन्द्रीय भण्डार की स्थापना

4646. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ओरई में केन्द्रीय भण्डार की स्थापना कब की गई थी तथा जनवरी, 1984 तक किराए की कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) भण्डारों द्वारा प्राप्त तथा बेचे गए तैयार कालीनों का मूल्य तथा उनकी मात्रा क्या है ;

(ग) क्या प्राप्त किए गए कालीनों तथा उनकी बिक्री की संख्या की कोई जांच की गई है और क्या कोई कमी आधिक्य ध्यान में आया है, तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ओरई में दिसम्बर, 1978 में केन्द्रीय भण्डार स्थापित किया गया। जनवरी, 1984 तक दिए गए किराए की कुल राशि 1.10 लाख रु० थी।

(ख) भण्डार में 20.67 लाख रु० के 3941 तैयार कालीन प्राप्त किए गए। कोई बिक्री नहीं हुई।

(ग) एवं (घ) भण्डार में कालीनों का वास्तविक निरीक्षण किया गया और कुछ आधिक्य पाया गया आधिक्य के कारणों की जांच करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की मिलों का कार्यकरण

4647. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की 15 मिलें भारी घाटे में चल रही हैं और उनमें उत्पादन उनकी क्षमता से कम हो रहा है ;

(ख) क्या इनका मुख्य कारण रुई, कोयला, रसायन, फालतू पुर्जे और जेनरेटरों के लिए डीजल की सप्लाई न होना है ;

(ग) क्या बंगाल में लक्ष्मी और रामपुरिया मिल में लगाई गई कुछ कीमती मशीनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है ; और

(घ) यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) प० बंगाल की एन० टी०सी० मिलें (14 राष्ट्रीयकृत तथा एक प्रबन्धित मिल) घाटे में चल रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुई की अपर्याप्त सप्लाई, स्टाकों के उठान में मन्दी, नियमित तथा बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई में कटौती आदि कारणों से इन मिलों को अपनी क्षमता के उपयोग में मामूली कटौती करनी पड़ी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं :—

1. विभिन्न उपलब्ध चैनलों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जा रही है ;

2. नकद घाटे की सीमा तक कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है ;

3. अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है ;

4. ऋण सीमाओं में बढ़ोतरी के लिए बैंकों से सम्पर्क किया जा रहा है ;

5. उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध के लिए प्रबन्ध को अनुषंगी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है ;

6. स्टाक समाप्त करने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं ।

रुई के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4648. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से रुई के निर्यात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) विदेशी मुद्रा के घाटे को देखते हुए इस कार्यवाही का क्या औचित्य है ; और

(ग) स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न किस्मों की कपास के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) रुई का निर्यात सरकार द्वारा समय-समय पर देश में मांग और सप्लाई स्थिति और कीमत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। देश में रुई की सभी किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस समय निर्यात के लिए रुई की और रिलीजें नहीं की जा रही हैं ।

(ग) रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के प्रमुख रुई उपजकर्ता राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित गहन रुई विकास कार्यक्रम चल रहा है ।

डब्लू० जी० फोर्ज एण्ड इलाइड इण्डस्ट्रीज में वित्तीय संस्थानों के शेयर

4649. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "डब्लू० जी० फोर्ज एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज" जो सरकार को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण सप्लाई करने वाला एक प्रमुख इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रतिष्ठान है और जिसमें 3000 से अधिक कर्मचारी हैं, के सामने बन्द होने का संकट आ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी में सार्वजनिक वित्तीय प्रतिष्ठानों के काफी शेयर हैं और इसके निदेशक मण्डल में शामिल उनके नामित निरर्थक सिद्ध हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के इक्विटी शेयर कितने प्रतिशत हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कितने निदेशक हैं ;

(घ) क्या इस कम्पनी के कर्मचारी सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण किए जाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स डब्लू० जी० फोर्ज एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि० (डब्लू० एफ० जी०) बन्द होने वाली है।

(ख) और (ग) इस कम्पनी की शेयर पूंजी से सरकारी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का हिस्सा 31.8 प्रतिशत है और इस समय कंपनी के निदेशक मंडल में 5 नामित निदेशक हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के नामित निदेशक काफी सक्रिय रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार रुग्ण एककों के अधिग्रहण से पहले उनके राष्ट्रीयकरण पर तभी विचार किया जाएगा जब उनके पुनरुत्थान की अन्य सभी सम्भावनाओं का पता लगा लिया जाएगा और केवल उसी हालत में उनका राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया जाएगा यदि एकक संभावित रूप से अर्थक्षम हो और राष्ट्रीयकरण किया जाना जनहित में हो। डब्लू० जी० एफ० को अर्थक्षम एकक नहीं समझा गया है।

दक्षिण राज्यों के हथकरघा मंत्रियों का मद्रास में हुआ सम्मेलन

4650. श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के हथकरघा मंत्रियों का एक सम्मेलन इस वर्ष फरवरी में मद्रास में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार-विनिमय किया गया उसका ब्यौरा क्या है और उस केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० सगंमा) : (क) 25 फरवरी, 1984 को मद्रास में वाणिज्य उप मंत्री की अध्यक्षता में चार दक्षिणी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के हथकरघों के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक हुई।

(ख) बैठक में हथकरघों से विकास के सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। उनमें कुछ नीचे दी गई हैं :—

(1) बुनकरों को यार्न की सप्लाई के लिए प्रबन्ध ;

(2) हथकरघा बिक्री पर छूट तथा जनता कपड़ा योजना के लिए उपदान ;

(3) हथकरघों के लिए करघा-पूर्ण तथा करघा पश्चात सेवा सुविधायें ;

(4) चल रही योजना स्कीम ; तथा

(5) कतिपय हथकरघा उत्पादों के लिए आरक्षण नीति।

भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि देश में हथकरघों के तीव्र और सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी संभव कदम उठाये जायेंगे।

केरल के जायफल उत्पादकों की ओर से अभ्यावेदन

4651. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के जायफल उत्पादों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें जायफल उत्पादकों को अपने उत्पादकों को, जायफल के दामों में गिरावट आने के कारण बेचने में हो रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए जायफल का आयात बन्द करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। केरल जायफल उपजकर्ता एसोसियेशन ने जायफल के आयात के लिए नीति में परिवर्तन हेतु अभ्यावेन दिया है।

(ख) 1984-85 की आयात तथा निर्यात नीति बनाई जा रही है। अतः इस समय कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धन-राशि

4652. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

श्री ई० के० इम्बीचीबाबा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि के अभाव में कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धन-राशि देने का है क्योंकि इसका प्रस्ताव पिछले 20 वर्षों से लम्बित पड़ा है और उत्तरी केरल के लोग इसके प्रति बड़े उत्सुक हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। स्थल के विकास तथा ग्रेडिंग के कार्य सहित परियोजना का प्रथम चरण संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है।

(ख) 14.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह परियोजना दो चरणों में प्रारम्भ की जा रही है। स्थल के विकास तथा ग्रेडिंग के कार्य सहित परियोजना का प्रथम चरण संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है तथा इसके अप्रैल/मई, 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है। परियोजना का

दूसरा चरण, जिसमें धावनपथ, एप्रन, टैक्सीपथ, तकनीकी ब्लॉक, टर्मीनल ब्लॉक तथा आधार संरचनात्मक सुविधाओं आदि का प्रावधान सम्मिलित है, विकसित स्थल उपलब्ध होने के तत्काल बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा । सम्पूर्ण परियोजना को मार्च, 1987 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं।

प्राकृतिक रबड़ का कम उत्पादन और आयात

4653. **प्रो० पी० जे० कूरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का वर्षवार आयात किया गया और प्रत्येक वर्ष में इसकी आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० सगंमा) : (क) प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए मांग की आकलन के आधार पर राज्य व्यापार निगम ने गत चार वर्षों में निम्नलिखित मात्रा का आयात किया।

वर्ष	आयात
1980-81	9,250 मे० टन
1981-82	42,750 मे० टन
1982-83	30,050 मे० टन
1983-84 (20-3-84 तक)	32,200 मे० टन

(ख) गत चार वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का वर्ष-वार उत्पादन निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	उत्पादन
1980-81	1,53.100 मे० टन
1981-82	1,52.870 मे० टन
1982-83	1,65.850 मे० टन
1983-84	1,68.000 मे० टन (अनुमानित)

(ग) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं :

(1) रबड़ बागान विकास योजना जिसके अन्तर्गत लघु उपज कर्ताओं को 5000 रुपए प्रति हैक्टेयर और बड़े उपज कर्ताओं को 3000 रुपए प्रति हैक्टेयर का नकद उपदान दिया जाता है।

(2) रोपण सामग्री की लागत के लिए प्रयुक्त निर्धारित उर्वरकों की आधी लागत और भू संरक्षण उपदान के रूप में 150 रुपए प्रति हैक्टेयर के अतिरिक्त सहायता उन मोटे जोतधारियों के लिए जिनके पास रबड़ की खेती के अन्तर्गत 6 हैक्टेयर से अधिक भूमि न हो।

(3) उपज कर्त्ताओं को ऋण पर 3 प्र० श० तक का ब्याज उपदान।

(4) निशुल्क सलाह तथा विस्तार सहायता।

विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने और स्टेट के बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए उठाए गए कदम

4654. **श्री ईरा अनवारासु : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने निर्यात से सम्बन्धित सभी उत्पादों के लिए विपणन पद्धति को मजबूत बनाने और स्टेट के बिचौलियों की भूमिका कम करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) कृषि निर्यातों के सम्बन्ध में अस्थिर नीति को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय बागान फसलों के उत्पादन तथा विपणन के लिए उत्तरदायी है। काफी के सम्बन्ध में, काफी बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन को अधिग्रहित किया जाता है जो कि बाद में घरेलू तथा निर्यात विपणन की व्यवस्था करता है। चाय, रबड़ तथा इलायची के सम्बन्ध में इनसे सम्बन्धित वस्तु बोर्ड उत्पादकों तथा निर्यातकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

(ख) सरकार कृषि उत्पादकों के सम्बन्ध में एक स्थिर निर्यात नीति का अनुसरण करने के महत्व को समझती है। तथापि आवश्यक वस्तुओं के मामले में निर्यात हितों की अपेक्षा घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

केन्द्र और राज्यों द्वारा केवल हथकरघा क्षेत्र से कपड़े की खरीद के लिए एकत्र निविदा प्रणाली

4655. **श्री ईरा अनवारासु : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास आयुक्त (हथकरघा) के सुझाव पर केन्द्र और राज्यों द्वारा केवल हथकरघा क्षेत्र से कपड़े की खरीद के लिए एकत्र निविदा प्रणाली के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्रासरील्ड हैंक यार्न के लिए शुल्क में दी जा रही छूट का विद्युत करघा उद्योग द्वारा उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार की खरीदारियों का सम्बन्ध है, सीमित निविदा प्रणाली शुरू करने के बारे में सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्रास रील्ड हैंक यार्न को दी गयी शुल्क रियायत केवल उन खरीदारियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें पंजीकृत हथकरघा के विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन द्वारा की गई हो तथा ऐसी सहकारी समिति अथवा संगठन जैसा भी मामला हो इसका भुगतान अपने स्वयं के बैंक खाते में चेक द्वारा किया जाता है।

मैसर्स ग्वालियर रेयन द्वारा स्वर्ण मिश्रित 'स्पिनलेट्स' की बिक्री

4656. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 26 जनवरी, 1984 के 'न्यु ऐज' समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि बिड़ला की एक फर्म मैसर्स ग्वालियर रेयन, जिसकी मिल में स्पिनलेट्स में 112 किलो और 224 ग्राम सोना है, इस प्रकार का सोना बेच रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने सरकार को सोने के बारे में कोई सूचना दी है और यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सोना बेचने से पूर्व सरकार की पूर्वानुमति भी प्राप्त की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 की धारा 16 के अन्तर्गत कम्पनी ने 1974 से कुल 108 स्वर्ण मिश्रित तन्तु ग्रन्थियों (स्पिनेरेट्स) की घोषणा की है। तन्तु ग्रन्थियों की अघोषित मात्रा के लिए स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(ग) कम्पनी द्वारा अभी तक स्वर्ण मिश्रित किसी तन्तु ग्रन्थि को बेचे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमालय की दुर्लभ जड़ी-बूटियों की तस्करी

4657. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व देशों को हिमालय की ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की तस्करी बहुत बढ़ गई है जिसमें नशीले तत्व बताये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) ऐसी दुर्लभ हिमालयी जड़ी-बूटियों की तथाकथित तस्करी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनमें स्वापक तत्व होते हैं। बहरलाल तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सर्तक रहते हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित करके तस्करी-निवारण हेतु उचित उपाय किए जाते हैं। सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इस सम्बन्ध में पूरा-पूरा सहयोग दिया जाता है। उचित कार्यवाही हेतु इस विषय की सतत समीक्षा भी की जाती है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुन का उत्पादन

4658. **श्री अजित बाग** :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मन्त्री** हिन्दुस्तान लीवर्स द्वारा साबुन के उत्पादन के बारे में 11 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5193 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार्यकलापों (आधुनिक) प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य-कलापों का परिशिष्ट एक और दो, शीर्षों के अन्तर्गत किस प्रकार तालिकाबद्ध किया गया है जब साबुन के उत्पादन में किसी खाद्य तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता और गैर खाद्य तेल के सम्बन्ध में सरकार परम्परागत तथा खनिज तेलों पर आधारित साबुन के उत्पादन के बारे में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखती ; और

(ख) क्या उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अपनी विदेशी बहुतायत ख्याति को बनाए रखने का पात्र है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) सम्भवतः माननीय सदस्यों द्वारा परिशिष्ट 2 का उल्लेख करने का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के सम्बन्ध में है जिनमें अद्यतन प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाया जाता है। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार-बारी उत्पादन से सम्बन्धित तथ्य तथा आंकड़े दिनांक 15-4-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7415 के उत्तर में दे दिए गए थे। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रयोजन के लिए इसके कारबारी उत्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संसाधित त्रिग्ले-सेराइडस से प्राप्त सम्पूर्ण उत्पादन को तथा

अपने निजी आबद्ध उपभोग के लिए साबुनीकरण से उपलब्ध 50 प्रतिशत उत्पादन को ऐसा उत्पादन मान लिया जाता है, जिसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है। कारबारी उत्पादन के आंकड़े चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा विधिवत सत्यापित हैं और जांच के बाद रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत हैं।

समुद्र तट पर स्थापित किए गए रडार स्टेशन

4659. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न समुद्र तटों पर कितने रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं ;

(ख) सरकार ने तूफान, बाढ़ और अन्य मौसम सम्बन्धी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आठ अधिक शक्तिशाली चक्रवात पता-सूचक राडार प्रतिस्थापित किए हैं—छः पूर्वी तट पर तथा दो पश्चिमी तट पर।

(ख) और (ग) चक्रवात पता-सूचक राडारों के अतिरिक्त, चक्रवातों, उनके घनत्व तथा अन्य मौसम प्रणालियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है :—

(i) गातानुगतिक मौसम चार्ट

(ii) इनसैट-1 बी सहित, ध्रुव परिक्रामक तथा भू-स्थिर उपग्रहों, से उपग्रह चित्र।

चक्रवात की गति तथा तूफानों के वेग की भविष्यवाणी करने के लिए अभिकलित्र तकनीकों का भी विकास किया गया है। अब ये प्रचालन-रत हैं।

बाढ़ की भविष्यवाणियां केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों द्वारा जारी की जाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग इस प्रयोजन के लिए विभिन्न नदी स्रवण-क्षेत्रों के बारे में भारी वर्षा सम्बन्धी चेतावनियां देता है।

12.02 म० प०

राष्ट्र के शहीदों—भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के प्रति श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : मैं निम्नलिखित संकल्प सभा के समक्ष रख रहा हूं ;

"यह सभा राष्ट्र के शहीदों, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जिन्हें 1930 में आज के दिन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा फांसी दी गई थी और जो गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक

धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी भारत में अपनी आस्था घोषित करते हुए भारत माता की स्वधीनता की खातिर कुर्बान हो गए थे, के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।"

मैं आशा करता हूं कि इसमें सभा मेरे साथ है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, आइए हम इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता :

शहीदों का चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही अन्तिम निशां होगा,

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने हमारा सुझाव माना, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका धन्यवाद।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : लोहिया जी के जन्म दिन के लिए भी हमने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : वह जन्म दिन है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जलियां वाला बाग के शहीदों का भी जिक्र करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, गृह मन्त्री के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय मुझे विधि मन्त्री द्वारा भेजा गया एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं उसे पढ़ा है। मैंने इसके प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया है और इसे युक्तिसंगत नहीं पाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह केवल एक पक्ष है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं । ये मेरा निर्णय है। लेकिन आप किसी भी समय मेरे साथ विचार-विमर्श के लिए आ सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, क्या मैं आपके साथ विचार-विमर्श कर सकता हूं ;

अध्यक्ष महोदय : हां, किसी समय।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में हिन्दी के लिए सिर्फ दो-तीन एजेंसीज हैं। उसमें से एक समाचार भारती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बता दीजिए, मैं करवा दूंगा ।

मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जब राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया है तो लोकसभा में क्यों नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुनिए । आप बोलते बहुत ज्यादा हैं। बोलने की हिम्मत भी चाहिए और सुनने की क्षमता भी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस पर हाउस में डिसकशन करवा दूंगा ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती'''।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पर करवा दूंगा ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था दिल्ली के बारे में। यहां मन्त्रियों को भी पूंजीपति बैंकों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। पुजारी जी को धमकी दी गई है'''।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि मैं फैक्ट्स मंगवाकर इस पर बात करूंगा । यह विशेष मसला है। खासतौर से जो तनदेही से ईमानदारी से काम करता है, किसी कामचोर को पकड़े और वह उल्टा आंखें दिखाए तो उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। यह देश हित में नहीं है। मुझे हमदर्दी है। अच्छा काम करते रहिए । दुनियां में बदमाश से डरेंगे तो वे ज्यादा सिर उठाते जाएंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस :**

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार नहीं कर सकते। ये राज्य सरकार का काम है हम इसे नहीं ले सकते। ये राज्य विधान सभा के लिए है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मेरे पास दो सौ-सौ के नोट हैं, जो नकली हैं।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए।

···(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : देश की मुद्रा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?

···(व्यवधान)

अध्यक महोदय : मैंने सुन लिया है। मुझे दे दीजिए। मैं इनको दिखवा लूंगा।

···(व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया : इसमें नम्बर नहीं छपा हुआ है।**···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने गंगवार जी को बोलने के लिए कह दिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) महोदय, ये उन्हें मिले कैसे?

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) कुकिंग गैस के डीलर हिन्दुस्तान भर में**···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कालिंग अटेशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। इसमें सुनने लायक कुछ नहीं। ये एक प्रश्न है जो मेरे विचारार्थ दिया गया है और मैं इसे देखूंगा।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपको कभी मना नहीं किया। मेरे पास आकर डिसकस कर लीजिए। कोई समस्या ही नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: मैंने प्रिविलेज मोशन दिया था। सदन में बिजली के बिलों के बारे में आधे घन्टे की चर्चा हुई जबकि न्यूज में एक शब्द भी नहीं कहा गया। ऐसा लगता है कि बिजली और रेडियो अधिकारियों की मिली-भगत है।...(**व्यवधान**)

श्री राम स्वरूप राम (गया) मैंने रूल 193 के तहत एक नोटिस दिया है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में यहां बात नहीं हो सकती। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मामला है। इस को यहां पर नहीं सुना जा सकता। आपके मेम्बर भी तो बी० ए० सी० में प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी आप आकर के बात कर लीजिए।

...(**व्यवधान**)

12.96 म० प० 12.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वायु निगम अधिनियम 1953 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1983

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां): मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एयर इण्डिया कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1983, जो 14 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच० ओ०/66-1 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) अधिसूचना संख्या एच० पी० डी० ओ० 2/4502 जो 7 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जिसके द्वारा फैक्टरी कर्मकारों और फैक्टरी से भिन्न कर्मकारों दोनों के लिए अनुशासन और अपील संबंधी स्थायी आदेशों की अनुसूची-एक में, जो 25 नवम्बर, 1961 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए**, एल० टी० संख्या-7974/84]

(2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत, वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि 1005 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, एल० टी० संख्या-7975/84]

वर्ष 1982-83 के लिए चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, 1982-83 के लिए उक्त परिषद की वार्षिक रिपोर्ट तथा ये सभी पत्र सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य तथा तथा 1981-82 के लिए काफी बोर्ड की सामान्य निधि के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): महोदय, श्री निहार रंजन लास्कर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए, संख्या एल० टी० 7976/84]

(3) कॉफी बोर्ड की सामान्य निधि के वर्ष 1981-82 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के शुद्धि-पत्र* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी०-7977/84]

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) : गांव-तिखवा, जिला फर्रुखाबाद, यू० पी० में जहरीली शराब पीने से सौ से अधिक लोग मारे गए हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन मोशन के रूप में स्वीकार कर लिया है और सोमवार को डिसकशन हो रहा है।

श्री छोटे सिंह यादव : बगैर शोर मचाए सुनवाई नहीं होती।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कम्युनिकेशन गेप नहीं रखना चाहिए।

*लेखा परीक्षण 16 दिसम्बर, 1983 को सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 1984-85 के लिए गृह मन्त्रालय में की अनुदानों की विस्तृत मांगें

गृह मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : मैं गृह मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदान ब्योरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी०-7978/84]

31-3-83 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली वित्तीय निगम का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संघ सरकार (डाक और तार) तथा संघ सरकार (रक्षा सेवायें) विनियोग लेखाओं (डाक और तार) आदि के प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री एस० एम० कृष्ण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, दिल्ली वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी०-7979/84]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (डाक और तार)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी०-संख्या 7980/84]

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (डाक और तार)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी०-7980/84]

(4) वर्ष 1982-83 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक और तार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 7982/84]

(5) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1982-83 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 7983/84]

बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के आधीन अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 144 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 145 (अ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7984/84]

टैक्सटाइल्स कमेटी बम्बई का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता का 1980-81 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण दर्शाने वाला वक्तव्य आदि।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) :

(1) टैक्सटाइल्स कमेटी, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7985/84]

(3) (एक) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7986/84]

12.08 म० प०

राज्य सभा के सन्देश

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देना चाहता हूं :—

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 21 मार्च 1984 की अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 1981 के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि यह सदन लोक सभा से सिफारिश करता है कि वह मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति में श्री मोहम्मद युसुफ के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।"

2. मैं यह अनुरोध करता हूं कि लोक सभा उक्त प्रस्ताव से अपनी सहमति तथा

संयुक्त समिति में नियुक्त लोक सभा के सदस्य के नाम से इस सदन को सूचित करे।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1984 को पारित पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984, जिसे सिफारिश के लिए राज्य सभा को भेजा गया था, को वापिस भेजने का तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में उन्हें लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 180 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा द्वारा 15 मार्च 1984 को पारित पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1984, जिसे सिफारिश हेतु राज्य सभा को भेजा गया था, को वापिस भेजने का तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में उन्हें लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को सिफारिशों के लिए भेजा गया था—वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोजन विधेयक, 1984 को—जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को सिफारिशों के लिए भेजा गया था—वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

विधेयक पर अनुमति

महासचिव : मैं वर्तमान सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक, 1984 सभा पटल पर रखता हूं जिसके बारे में पिछली बार 29 फरवरी 1984 को सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

12.10 म० प०

अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री अनादि चरणदास (जाजपुर) : मैं, अनु जातियों और अनु जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरों की निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) जनवरी, 1984 के दौरान समिति के अध्ययन दल एक की कलकत्ता/अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मद्रास की यात्रा के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(दो) जनवरी, 1984 के दौरान समिति के अध्ययन दल दो की कोचीन/लक्षद्वीप द्वीपसमूह और मंगलौर की यात्रा के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

———————

12.11 म० प०

लोक लेखा समिति

179वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 सम्बन्धी संघ सरकार (सिविल) विषयक अग्रिम रिपोर्ट के पैरा 36 के बारे में लोक लेखा समिति का 179वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

12.12 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी 80वां और 83वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्न प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के बारे में समिति के 72वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 80वां प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक निगम के बारे में समिति के 65वें प्रदिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 83 वां प्रतिवेदन।

———————

12.13 म० प०

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री रामप्रसाद अहिरवार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना और पशु-चिकित्सा व्यवसायों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री राम प्रसाद अहिरवार : अध्यक्ष महोदय, पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों की स्थापना और पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसवत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख (खण्ड 1 और 11) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.15 म० प०

दूर संचार उपकरण निर्माण के बारे में वक्तव्य

दूर संचार उपस्करों का विनिर्माण-शत प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण से छूट

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : हमारे देश में संचार के क्षेत्र में तेजी से अत्यधिक और महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत है। संचार औद्योगिक विकास की रीढ़ है और यह भी जरूरी है कि इसे ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जाए। हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए टेलीफोनों के अलावा, टेलेक्स, आंकड़ा संचार, इलेक्ट्रॉनिक डाक, प्रतिकृति जैसे संचार के अन्य महत्वपूर्ण रूपों तथा विभिन्न अन्य प्रकार की संचार प्रणालियों को हमारे देश में तेजी से विकसित करने की आवश्यकता होगी।

इस क्षेत्र में हमारे सामने आने वाली समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या हमारे देश में उपस्करों का अभाव होना है और इसलिए पर्याप्त मात्रा में आयात करने की जरूरत होती है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि संचार उपस्करों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से की जाए।

2. औद्योगिक नीति विषयक संकल्प, 1956 की अनुसूची "क" के अन्तर्गत, जिसमें उद्योगों की

सूची दी गई है, और जिनके भावी विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य की है, निम्नलिखित प्रविष्टि दी गई है ;

"टेलीफोन तथा टेलीफोन कैबल, तार तथा बेतार के उपकरण (जिसमें रेडियो रिसीवर सेट शामिल नहीं है) ।"

अनुसूची "क" में की गई इस प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए इन मदों, अर्थात् टेलीफोन तथा सम्बद्ध उपस्करों का विनिर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में ही किया जा सकता है। किन्तु औद्योगिक नीति विषयक संकल्प में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय हितों का तकाजा होने पर निजी मालिकाना की वर्तमान यूनिटों के विस्तार की अनुमति दी जाए अथवा नई यूनिटों की स्थापना में राज्य द्वारा निजी उद्यमों का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया जाए ; किन्तु इस बात का सुनिश्चय करना जरूरी है कि नीति विषयक मार्गदर्शन देने और उपक्रमों के प्रचालनों पर नियन्त्रण रखने की अपेक्षित शक्ति राज्य के पास ही रहे।

पहले निजी क्षेत्र के सहयोग की अनुमति अपवाद के रूप में दी जाती थी और औद्योगिक नीति विषयक संकल्प में दी गई प्रविष्टि का अर्थ यह लगाया जाता रहा है कि संचार विषयक सभी उपस्करों का विनिर्माण केवल केन्द्र, अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए। किन्तु प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति और सुनिश्चित टर्मिनल इन्टरफेसों सहित दूरसंचार उपस्करों का अधिकाधिक मानकीकरण होने के साथ-साथ, यह आवश्यक समझा गया है कि इनमें से कुछ उपस्करों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से चुनिन्दा आधार पर निजी उद्यमों का सहयोग प्राप्त किया जाए और साथ ही कुछ वस्तुओं के विनिर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र में दी जाए। इससे उस स्थिति से बचा जा सकता है जब हम बाद में या तो आवश्यक मूलभूत उपस्करों का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाएं अथवा ऐसे उपस्करों का आयात करने लगे अथवा संचार क्षेत्र की उचित मांग की पूर्ति करने में असमर्थ हों।

चूंकि प्रणाली की कार्यकुशलता तथा उसका स्थायित्व उपस्करों की विशिष्टियों, उनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा उनके गुण-धर्मों पर निर्भर करता है। अतः न केवल आन्तरिक संचार प्रणाली विषयक आवश्यकताओं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय संचार प्रणाली विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्टियों का निर्धारण बहुत सतर्कतापूर्वक करने की जरूरत होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी संगठनों द्वारा विनिर्मित उपस्करों को नेटवर्क में स्वीकृति प्रदान करने से पहले अत्यन्त कठोर विशिष्टियों, परीक्षण कार्यविधियों तथा प्रणाली की किस्मों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। किटों तथा उप-संयोजनों के आयात पर आधारित प्रौद्योगिकी का बारम्बार आयात करने की प्रवृत्ति से भी सतर्क रहने के उपाय करने होंगे, खासकर निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए मार्ग प्रशस्त करने के सन्दर्भ में तो यह और भी सटीक होगा।

कई और क्षेत्रों में खासकर स्विचन तथा ट्रांसमिशन उपस्करों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की केन्द्रीकृत खरीद की पद्धति अपनाई जाएगी और औद्योगिक उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट नीतियों का अनुसरण करें।

ऊपर मोटे तौर पर उल्लिखित विभिन्न कार्यकलापों को एक राष्ट्रीय संचार योजना में समाहित किया जाएगा जिसमें उद्देश्यों को सुस्पष्ट किया जाएगा, विशेषकर कम से कम इस दशक के लिए तो

अवश्य ही। मात्रात्मक आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करने के अलावा, प्रौद्योगिकीय विकास को भी पूरी तरह मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि न केवल सिविल, रक्षा अपितु रेलवे तथा अन्य क्षेत्रों में ये हमारे संचार नेटवर्क के विकास का आधार बनेंगे, ताकि प्रयुक्त किए जाने वाले उपस्करों के बीच एकरूपता भी बनी रहे।

सभी संगत मुद्दों पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने निर्णय किया है कि :

1. संचार के क्षेत्र के लिए स्विचन तथा ट्रांसमिशन उपस्करों के विनिर्माण के लिए निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त किया जाए जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत शेयर केन्द्र/राज्य सरकारों के हों तो अधिक से अधिक 49 प्रतिशत शेयर निजी पार्टियों के हों। इसकी अनुमति औद्योगिक नीति विषयक संकल्प, 1956 में पहले ही दी गई है।

2. अंशदाताओं के परिसर में लगाए जाने वाले दूरसंचार उपस्करों, जैसे कि टेलीफोन उपकरण, पी० ए० बी० एक्स०, टेलीप्रिन्टर, आंकड़ा संचार उपस्कर आदि के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की अनुमति दी जाए।

12.18 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री राम गोपाल रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने जो पढ़ा है वह हमारी समझ में नहीं आया।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) इन उद्यमों से सरकारी क्षेत्र में बनने वाले सामान को वह निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे रहे हैं।

डा० एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि प० बंगाल सरकार फिलिप्स के साथ संयुक्त क्षेत्र में कार्य कर रही है।

प्रो० रूप चन्द पाल : टेलिफोन रिसीवर्श अथवा टैलेक्स उपकरणों के लिए यह समझौता नहीं है।

———————

नियम 377 के अधीन मामले

'एक' डमाई-प्रतापनगर-छोटा उदयपुर संकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री अमर सिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र जिला बड़ौदा तहसील छोटा उदयपुर का रहने वाला हूं। यह क्षेत्र रेल की स्थिति से बहुत पिछड़ा हुआ है।

अब इस क्षेत्र का उद्योगीकरण किया जा रहा है, मगर रेल सुविधा न होने के कारण यहां के

निवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान आने-जाने में तथा सामान भेजने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस क्षेत्र में नेरोगेज लाइन जो डमोई प्रतापनगर द्वारा छोटा उदयपुर पर स्थित है, उसकी सेवा ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है। न उसका समय ठीक है जिसके कारण वहां के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां के निवासियों की यह मांग है कि इस रेल मार्ग को ब्राडगेज में बदला जाए तथा इसको इन्दौर तक बढ़ाया जाये ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र को इस बदलती दुनिया के साथ जोड़ा जाए। जिससे वहां के लोगों को आने-जाने तथा अपनी उपज को सही ठिकाने पर ले जाने में सुविधा हो। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भी रेल मंत्रालय को कई बार लिखा है कि इस नैरोगेज लाइन को ब्राड गेज में जल्दी से जल्दी बदला जाए और एक रेलगाड़ी को अहमदाबाद से वाया बड़ौदा, प्रतापनगर, दमोई छोटा उदयपुर से इन्दौर, मध्यप्रदेश मंड़ी तक चलाया जाए जिससे यहां की जनता को लाभ होगा।

(दो) बाढ़ों को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां लोहित तथा विहंग पर बांध बनाना

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जिससे असम की जनता को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है जो पूरे असम से लखीमपुर और धुबरी तक जाती है। यह असम की जीवनदायिनी नदी है परन्तु मानसून में यह दुख की नदी बन जाती है। प्रति वर्ष इसके बाढ़ का पानी पूरी घाटी की 10 करोड़ रुपए से अधिक की फसल नष्ट करता है।

यद्यपि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जा चुका है, निधियों की नमी के कारण इसका कार्यकरण काफी धीमा रहा है असम की जनता को समृद्ध बनाने के लिए असम पर बांध बनाने की सख्त आवश्यकता है।

असम सरकार ने दिहंग और सुमनसिरी पर दो बांधों के सर्वेक्षण और सिविल निर्माण पर लगभग दस करोड़ रु० व्यय किए हैं परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना पर चल रहे कार्य की गति तेज नहीं है। यदि इन दो बांधों का काम पूरा हो जाता है तो उससे केवल बाढ़ पर ही नियंत्रण ही नहीं होगा वरन् पूरे उत्तरी भारत को बिजली मिलेगी।

इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड समस्याओं पर तथा असम की जनता की आवश्यकताओं पर और अधिक ध्यान दे तथा सरकार बोर्ड को यह निदेश दे कि लोहित, कामेंग और दिलंग में तथा असम में ब्रह्मपुत्र की उग्र सहायक नदियों पर बांध बनाए जिससे कि बाढ़ का खतरा कम से कम किया जा सके तथा वहां शांति और समृद्धि हो।

(तीन) भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की पेंशन की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व संसद-सदस्यों को रेल में

निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं है। राजनैतिक जीवन में संसद सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व निभाने के पश्चात् भी जनता के हित में सांसद न रह जाने पर भी उन्हें देश के विभिन्न भागों में जाना आना पड़ता है, जो स्वाभाविक है। इस समय निःशुल्क यात्रा का प्रावधान न होने के कारण उन्हें कठिनाई होती है। इसी प्रकार यदि कोई सांसद किसी राज्य विधान सभा का सदस्य रहा हो, तो सांसद के रूप में चुने जाने से पहले उसे विधायक के रूप पेंशन मिल रही हो, तो सांसद बनने पर उसकी वह पेंशन बन्द हो जाती है तथा वह सांसद न रहने पर केवल एक ही स्थान की पेंशन का अधिकारी है। विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य दूसरे प्रकार के हैं तथा सांसद के रूप में दूसरे प्रकार के। अतः दोनों पदों पर न रहने पर प्रत्येक को प्रत्येक को दोनों पेंशन मिलनी चाहिए। मंहगाई प्रति-वर्ष बढ़ने के कारण यह भी आवश्यक है कि भूतपूर्व सांसदों को 300 रुपए के स्थान पर 500 रुपए तथा 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया जाए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(चार) मिदनापुर जिले में स्थित बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया को सुधारने तथा वहां अधिक-शाखाएं खोलना

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय प० बंगाल के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय बैंकों ने 1983 में केवल 7.85 करोड़ रु० का निवेश किया जबकि 39.31 करोड़ रु० का लक्ष्य था जो कि लक्ष्य का केवल 19.98 प्रतिशत है।

लक्ष्य की 39.31 करोड़ रु० की राशि में से 27.59 करोड़ रु० का निवेश कृषि में किया जाना चाहिए था जो कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है। परन्तु इस क्षेत्र के लिए 4.74 करोड़ रु० मंजूर किए गए थे। औद्योगिक क्षेत्र का लक्ष्य 6.11 करोड़ रु० है परन्तु मंजूरी केवल 79 लाख रु० है। अर्थात् लक्ष्य का केवल 13% है। इससे जिले का आर्थिक विकास पिछड़ा रह गया तथा जिले के किसान और बेरोजगार युवकों को आसानी से ऋण नहीं मिल रहा है।

अनु जातियों और अनु जनजातियों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में यही दयनीय स्थिति है। पिछले वर्ष के दौरान 2900 मामलों में से केवल 890 मामलों में मंजूरी दी गई। लंबित मामलों में से 660 मामले युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के पास पड़े हैं जो कि क्षेत्र का प्रमुख बैंक है तथा 290 मामले भारतीय स्टेट बैंक के पास हैं। यह भी रिपोर्ट है कि अनु जातियों और अनु जनजातियों के कुछ मामलों में मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि उन्हें 500 रु० के ऋण के लिए भी कोई गारंटी देने वाला नहीं मिला। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार 2500 रु० तक के ऋण के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएं जिससे कि इस स्थिति में परिवर्तन हो, लक्ष्य को पूरा किया जा सके, किसानों, बेरोजगार युवको अनु जाति के आवेदकों ऋण दिए जाने में सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया जा सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिले में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोली जाए।

(पांच) तालचेर (उड़ीसा) स्थित भारी जल संयंत्र में तनाव

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : महोदय तालचेर (उड़ीसा) स्थित हैवी वाटर प्लांट के कर्मचारियों

तथा प्रबन्ध कार्मियों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने 28-2-84 को लाठी चार्ज किया। कुछ समय से औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा कोयला खानों के दैनिक कार्यों तथा मजदूर संघों के विवादों में भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हस्तक्षेप बढ़ रहा है। परन्तु तालचेर की घटना तो और ही है। प्रबन्धकों ने स्वयं 28 फरवरी को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ० आई० आर० दर्ज करवाया है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उन पर ज्यादती कर रहा है। अचानक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जांच पड़ताल की नई संशोधित प्रक्रिया शुरू कर दी जिसके कारण यह गड़बड़ हुई। जब मजदूरों इस नई प्रकिया से उत्तेजित नहीं हुए तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मामूली से मसले पर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने परियोजना के द्वार से श्रमिकों को साइकिल पर चढ़ कर जाने के लिए मना कर दिया तथा यह जोर दिया कि वह अपनी साइकिल के साथ चलें। इस प्रस्ताव के हटा लेने के बाद भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने एक अधिकारी को धक्का देकर परियोजना प्राधिकारियों की तौहीन की तथा कुछ श्रमिकों पर लठियां चलाई जिसमें कि 14 श्रमिक घायल हो गए। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परियोजना अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि वह तालचेर व अन्य स्थानों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हटा लें ताकि हैवी वाटर प्लांट, तालचेर में शांति कायम हो सके।

(छः) हानिकारक औषधियों के निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय यह सूचना मिली है कि ऐसे 1200, फार्मुलेशन हैं। जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हुए भी देश में कैमिस्टों की दुकानों से यहां बेचे जा रहे हैं। जनता इनके हानिकर प्रभाव से वाकिफ नहीं है तथा कैमिस्टों व डाक्टरों दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहा है।

लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वदेशी व बहुदेशीय औषध निर्माता कम्पनियां कई ऐसी दवाइयों का उत्पादन करके बेच रही है जो कि मरीजों के लिए हानिकारक हैं।

यद्यपि जीवन रक्षक दवाइयों की काफी कमी है परन्तु देश में कुल 1500 फार्मुलेशन बनाए जाते हैं। उनमें से कई फार्मुलेशनों की बिक्री पर विदेशों में प्रतिबंध है।

यद्यपि सरकार ने पिछले वर्ष कुछ औषधियों के तैयार किए जाने पर प्रतिबंध हो लगाया था परन्तु उस आदेश के क्रियान्वयन के लिए सरकारी मशीनरी कारगर नहीं हैं कई राज्यों में दवाइयों की देख-रेख के लिए बहुत सीमित कार्मिक हैं तथा उनकी प्रयोगशालाएं दवाइयों की किस्म जांचने के लिए पूरी तरह उपकरणों से सज्जित नहीं हैं। इन परिस्थितियों में प्रतिबंधित दवाइयां भी बिक रही हैं।

इसलिए ऐसे कारगर कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि हानिकर दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगे। इस उद्देश्य से पूरे देश में कानून लागू करने वाले तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। जनता के सूचनार्थ जन संचार के माध्यम से यह प्रचार किया जाना चाहिए कि कौन सी दवाइयों पर प्रतिबंध लगा है तथा उनका प्रयोग किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो। मैं विशेष रूप मैं इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने

एक विशेष अनुरोध किया था। जब सदस्यों का नाम सूची में हो, उस समय उन्हें सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए।

(सात) गोआ के कालेज छात्रों की शिकायतें

श्री एडआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : आप मुझे पिछले सप्ताह के इन्तजार का इनाम दे रहें हैं।

महोदय, बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गोआ के कालेजों के छात्र फीस में 100 प्रतिशत वृद्धि किए जाने पर आन्दोलन कर रहे हैं। यह वृद्धि बहुत ही अधिक है और इससे छात्रों और उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह आन्दोलन गोआ में विश्वविद्यालय की स्थापना न किए जाने और संघ राज्य क्षेत्र में पाठ्यक्रम में समुद्री विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों को को शामिल न किए जाने जैसी विद्यार्थियों की दीर्घकालिक शिकायतों को लेकर भी किया जा रहा है, जो इस प्रकार है :—

1. भारत सरकार ने कई वर्ष पहले गोआ में विश्वविद्यालय के गठन की स्वीकृति दी थी। तथापि गोआ विश्वविद्यालय विधेयक को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण इस विश्व-विद्यालय की अभी तक स्थापना नहीं हो सकी है।

2. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्र वृत्ति हेतु आय—सीमा महाराष्ट्र में 10 हजार रु० है जबकि गोआ में यह लगभग 4 हजार रु० है। आय-सीमा में एकरूपता लाई जानी चाहिए।

3. बम्बई विश्वविद्यालय के एक 'डेस्क' गोआ में गठन किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय द्वारा वहां एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र में छात्रों के लाभ के लिए परिसर रोजगार योजना अविलम्ब शुरू की जानी चाहिए।

4. संघ राज्य क्षेत्र के स्नात्कोत्तर केन्द्र तथा डिग्री कालेजों में वहां के लोगों को पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सामुद्रिक इंजीनियरी, समुद्री जीव विज्ञान आदि सहित समुद्री विज्ञान के पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

मैं शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह बम्बई विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से अपने प्रभाव का प्रयोग करे तथा आवश्यक कार्यवाही करे ताकि छात्रों की उपर्युक्त शिकायतों को यथाशीघ्र दूर किया जा सके।

———

12.33 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85

रक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान करेगा । श्री नेगी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं ट्रेनिंग के सम्बन्ध में कल बात कर रहा था । आर्मी में ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए यह मेरा निवेदन है ।

सिक्योरिटी प्वाइन्ट आफ व्यू से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी खबर मिली है कि आइडेंटिटी कार्ड बहुत देर में बनते हैं और लोग बगैर आइडेंटिटी कार्ड के ही मिलिट्री एरिया में घूमते रहते हैं। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार ने मिलिट्री के अफसरान को अपग्रेड किया है । ले० कर्नल से ऊपर के अफसरान अपग्रेड होंगे लेकिन जो नीचे के अफसरान हैं—मेजर, कैप्टेन—उनके ऊपर यह एक प्रतिबन्ध सा हो गया है। जूनियर आफिसर्स जो हैं मेंजर, कैप्टेन वगैरह उनके प्रमोशन के चांसेज बन्द हो गए है—ऐसा क्यों सरकार ने किया यह मेरी समझ में नहीं आया। ब्रिगेडियर, कर्नल, ले० कर्नल को तो सरकार ने अपग्रेड कर दिया लेकिन मेजर और उससे नीचे के अफसरान के लिए कुछ नहीं किया ।

दूसरी बात यह है कि जो कारें आफिसर्स के डिस्पोजल पर रहती हैं, उनके मिसयूज की बड़ी शिकायत है। कारों के ड्राइवर्स मुझसे मिलते हैं। वे कहते हैं कि जिनको उसपर नहीं जाना चाहिए वे सवारी करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। इसको रोका जाना चाहिए।

टैंक के बारे में मैंने कल चर्चा की थी। टैंक के बारे में "आनलुकर" मैगजीन में एक न्यूज छपी है :

> "अति विशिष्ट व्यक्ति की कार की विशेष देखभाल की जा रही है जबकि लगभग 500 टैंक इंजिनों की अत्यावश्यक मरम्मत अभी तक नहीं की गई है । इतने अधिक बकाया कार्य के परिणामस्वरूप सरकार को टैंकों के लिए ब्रिटिश लेलैण्ड कारपोरेशन से 250 एल—60 इंजनों का आयात करना पड़ा है।
>
> कार्यशाला की अधिष्ठापित मासिक क्षमता 50 टैंक इंजिनों की मरम्मत करने की है परन्तु इस अनियमितता के कारण अब केवल 10 के लगभग इंजिनों की ही मरम्मत की जा रही है। 'बेस वर्कशाप' के कम उत्पादन से श्रमिकों के उत्पादकता से संबंधित बोनस में कमी हुई है।
>
> यह बताया गया है कि यदि वर्कशाप की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए तो ब्रिटेन से एल-60 इंजिनों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं है । इस आयात पर अनुमानत: 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा ।

अकेले इंजिन की मरम्मत पर लगभग 1 लाख रु० व्यय होता है तथा नये इंजिनों के आयात के लिए 50 करोड़ रु० की तुलना में 25 करोड़ रुपए की लागत पर 250 इंजिनों की मरम्मत की जा सकती थी।"

इस बारे में माननीय मंत्री बतायेंगे ? कोस्टल गार्ड वोट लंका में तमिल ट्रबल के समय जापान तथा साउथ कोरिया से खरीदी गई, लेकिन वो ने ठीक काम नहीं किया, असफल साबित हुई हैं। आफ शोर वैसल्स मेजगांव डॉक, बम्बई में तैयार होनी थी। पता नहीं उसके बनाने में क्यों देरी हो रही है। समय पर न बनने से उसकी कीमत अब तिगुनी हो गई है। इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

नेवी में कारवेट्स छोटे बैटल शिप बनाने के लिए कुछ इंजन फ्रांस से मंगवाए जाने की चर्चा है, लेकिन रांची में उससे भी बढ़िया बन सकता है, तो फिर उसको बाहर से मंगवाने की क्या आवश्यकता है। गार्डन रिच कलकत्ता में भी तेज चलने वाले इंजन बनाने का कोलाबोरेशन हो गया है। धन भी दे दिया गया है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। यह काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कारवेट के बनाने का प्रपोजल भी 15-20 साल पहले बना था। लेकिन अब वह आउटडेटेड हो गया है। इसको बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। इस प्रपोजल को भी रद्द कर देना चाहिए। बदकिस्मती हमारी यह है कि जब सरकार ने राजस्थान में बम्ब विस्फोट किया था, उस समय से हमारे यहां यूरेनियम आना बन्द हो गया था। इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। मंत्री महोदय ने मिग-29 रूस से लेने का निर्णय किया है और हमारे यहां भी वह समय से बनना शुरू हो जाएगा। कल माननीय राज्य मंत्री जी ने रिसर्च-एंड-डवेलपमेंट के बारे में काफी चर्चा की है और सदन को पूरी बातों से अवगत कराने की कोशिश की है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मोंटेनियरिंग के बारे में भी चर्चा की है। मेरे क्षेत्र में नेहरु मोंटेनियरिंग इन्सटीचूट है। जब वह खुला था, उस वक्त संसद सदस्यों का भी को-आपरेशन लिया जाता था, लेकिन अब वह बन्द कर दिया है। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। सदन में सभी तरफ से एक्स-सोलजर की पैंशन में वृद्धि किए जाने का समर्थन किया है। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उनके बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए और शिक्षा वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात यह भी बतलाना चाहता हूं कि रक्षा सम्बन्धी डवेलपमेंट के काम हमारे देश में बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन गढ़वाल में एक ग्रीफ वर्कशाप है जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक काम न करने की वजह से बार्डर की सड़कें ठीक नहीं बन पा रही है। बिजली के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सिंचाई आदि की योजनाएं, इस प्रकार बीस के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ठप्प पड़े हुए हैं। सड़के ठीक न होने की वजह से बड़ी-बड़ी मशीनों के लाने या ले जाने में भी कठिनाई होती है। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, ताकि वर्कशाप ठीक ढंग से काम करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का बहुत आभारी हूं — पिछले साल मैंने एक सवाल उठाया था कि कालसी-चकरौता सड़क को पी० डब्लू० डी० को दे दिया जाय, वह उनको मिल गई है। लेकिन छावनी क्षेत्र की जो समस्यायें सदन मे आई हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें कुछ बढ़िया काम किया जाय। वहां लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेन्ट बनाया जाय। चकरौता सिविल एरिया है उसको सिविलियन्ज को दे देना चाहिए, कान्टूनमेन्ट में रखने से कोई फायदा नहीं है। बड़े-बड़े अफसर उसकी देखभाल नहीं कर कर सकते हैं, जबकि वहां के लोग अपनी देखभाल खुद ज्यादा कर सकते हैं।

पहाड़ों के इन्टीरियर से भी सैनिक भरती होनी चाहिए। एन० सी० सी० के ऊपर ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिए तथा उनको अप-टु-डेट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने पीस-कीपिंग-फोर्स का जिक्र किया है, इससे एक्स-सोल्जर्स को एम्पलायमेन्ट मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं—महाराष्ट्र में इस पीस-कीपिंग-फोर्स की ज्यादा जरूरत है, वहां इसको जल्द से जल्द इन्ट्रोडयूस किया जाना चाहिए।

एक बात मुझे विशेष रूप से कहनी है—माननीय मन्त्री जी के होते हुए 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम की राजनीति मिलिट्री के अन्दर भी घुसाई जा रही है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी···

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षा मांग के बीच में 20 सूत्री कार्यक्रम कहां से आ गया? इसके लिए कुल 8 घंटे का समय नियत है। हमें इसे पूरा करना है। कुछ सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल सकेगा। मेरा कार्य समय को नियन्त्रित करना है।

श्री टी० एस० नेगी : इससे बड़ा नुकसान होने वाला है, मिलिट्री फोर्स को इससे दूर रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव। माननीय सदस्य, आप सबको यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैं आपमें से प्रत्येक को बुलाऊंगा। सत्तारूढ़ दल के सभी माननीय सदस्यों को, नाम पुकारे जाने पर सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। आपके लिए अभी समय है परन्तु नाम पुकारे जाने पर भी यदि आप यहां नहीं होंगे तो मैं आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकूंगा। जिन सदस्यों के यहां नाम दिए गए हैं, उन्हें चर्चा शुरू होने के समय से ही यहां बैठना चाहिए। बाद में मुझे दोष देना उचित नहीं होगा। मैं यह नहीं चाहता कि वे मेरी निष्पक्षता पर सन्देह करें।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना भाषण भली-भांति तैयार करने के लिए सदस्यों की सराहना की है। मैं भी यही महसूस करता हूं कि उन्होंने भी अपने कार्य को भली-भांति किया है और इस प्रकार उन्होंने अपने भाषण में हमारी बहुत सी बातों का जिक्र किया है। महोदय, इस वर्ष का रक्षा बजट उस समय पेश किया गया है जबकि इस पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सदन के बाहर व्यापक चर्चा की जा रही है, हमारे देश का रक्षा सम्बन्धी तैयारियों को उद्देश्य हम पर होने वाले किसी भी हमले को विफल करना है, किसी को जीतना नहीं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कतिपय असन्तुष्ट व्यक्ति देश में रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि देश के विभिन्न भागों में इन टिप्पणियों ने यह भली-भांति सिद्ध कर दिया है कि उस व्यक्ति-विशेष के बारे में, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सरकार का निर्णय सही था। (व्यवधान) उस व्यक्ति के अनुसार भारतीय सेना के पास आवश्यकता से अधिक शस्त्र हैं तथा सेना को इस प्रकार तैयार रखना चाहिए कि वह सिंगापुर तथा स्वेज की तरफ से होने वाले हमले को रोक सके। सैनिकों के बारे में यह कितनी घटिया राय है। फिर भी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) क्या वह संसद सदस्य है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आप विषय वस्तु के बारे में इनसे ज्यादा जानते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : औद्योगिक आधार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का युक्ति संगत निर्वाह तथा सेना और नागरिकता, दोनों क्षेत्रों तकनीकी विकास बनाए रखने की क्षमता ही वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय सुरक्षा के आवश्यक तत्व हैं तथा हमारे देश में इनमें से लगभग प्रत्येक को प्राप्त कर लिया है।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान विशेषज्ञों द्वारा समाचार पत्रों में उठाए गए कतिपय मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं और उन पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। ऐसा एक प्रस्ताव यह है कि रक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई जानी चाहिए ताकि हमारे देश की रक्षा-समस्याओं को एक ही स्थान पर बैठकर सुलझाया जा सके। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि रक्षा मन्त्री इस बारे में भली प्रकार जानते हैं और उनकी जानकारी बहुत परिपक्व है। मैं इस प्रस्ताव पर केवल उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

दूसरा सुझाव यह है कि सशस्त्र सेवाओं के सभी मामलों पर विचार करने के लिए और सरकार को सैनिक सलाह देने के लिए रक्षा स्टाफ का एक चीफ नियुक्त किया जाये। ऐसा करने से सशस्त्र सेनाओं के तीनों प्रमुखों की बीच काम में तालमेल लाना सम्भव हो सकेगा। समाचार पत्रों में छपे समाचार के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के अलग-अलग प्रमुख होने से वे अपने-अपने अंगों का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि स्त्री स्टाफ का एक प्रमुख नियुक्त करने से नौकरशाही का हस्तक्षेप कम हो जाएगा।

यह भी कहा गया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सेना तैनात करना वांछनीय नहीं है और इसे वापस बुलाया जाना चाहिए। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और हाल ही में मैंने उस क्षेत्र का व्यापक दौरा किया है तथा यह बताना चाहता हूं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आम लोग यह चाहते हैं कि सेना वहां रखी जाए। सेना ने वहां पर सराहनीय काम किया है। वहां पर सेना को बड़े दबाव में काम करना पड़ता है उन्हें ऐसे स्थानों पर तैनात किया गया है जहां कोई वाहन नहीं जा सकता तथा वहां किसी प्रकार की संचार सुविधाएं भी नहीं है। वहां रहने वाले लोग दो-तीन महीनों तक भी अपने रिश्तेदारों से पत्र नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें उनकी सेवाओं की सराहना अवश्य करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, महोदय, आधुनिक युद्ध में ऐसी सेना की आवश्यकता पड़ती है जो शीघ्र ही मुसीबत वाले दूरस्थ स्थलों में पहुंच सके। फाकलैंड के मामले में हमें इसका स्पष्ट उदाहरण मिला था। आज के युद्ध बहुत छोटी अवधि के होते हैं तथा गतिशीलता एवं प्रभाव वाली सेना अधिक घातक परिणामों वाली 'रिपोर्ट नियन्त्रण प्रणाली से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। लम्बे सम्पर्क सूत्रों के माध्यम से मिल सकने वाली सामग्री के स्थान पर युद्ध स्थल पर कमांडर के पास उपलब्ध सामग्री निश्चित रूप से अधिक निर्णायक होती है। त्वरित आक्रामक कार्यवाही तथा आश्चर्यजनक

गतिशीलता के साथ-साथ इन सबसे युद्ध स्थल पर सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है।

"आश्चर्य की बात है कि हमारी वायु सेना उन सेनाओं में से एक सेना है जिसके पास गतिशीलता और दूसरे को आश्चर्य चकित करने के आधुनिक साधन नहीं है। यद्यपि युद्ध में इन दो बलों के मध्य पूरा सहयोग होता है, थल सेना, अधिक सक्षम तथा गतिशील होगी यदि उनके पास जासूसी तथा आक्रामक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए अपने वायुयान हों। सेना को तेजी से तैनात करने तथा तैनाती में सामरिक महत्व के फेर बदल के लिए हथियार बन्द हेलीकाप्टर्स की विचारधारा को विश्व की प्रत्येक सेना से पहले ही स्वीकार कर लिया है जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल हैं। सेना के लिए समेकित वायु विंग को अस्वीकार करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। भारतीय नौसेना के पास पहले ही अपने निजी वायुयान हैं। हमें जो सुनिश्चित करना है वह यह है कि जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में हैं। उसे गतिशीलता तथा ध्यान लगा कर अपना कार्य करने की पर्याप्त सुविधा है। आज ये सब चीजें हमारी सेना को उपलब्ध करने के लिए केवल एक ही उत्तर समग्र विमानन कोर की रचना करना है।

सेना के अभिन्न अंग के रूप में तोपों को देकर क्या हमने तोपखाने को इसके मार्ग से वंचित किया है ? दूसरी ओर इसने बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसके प्रयासों को केन्द्रीयकृत करने में तोपखाने की सहायता की है। इसी प्रकार सेना के लिए एक समग्र विमानन विंग का सृजन करके हम केवल थल सेना को ही मजबूत नहीं बनायेंगे बल्कि यह वायुसेना को भी अपने संसाधनों को नष्ट किए बगैर अपनी उच्चतम प्राथमिकताओं के लिए अच्छे केन्द्रीय ऋण के लिए भी सफल बनायेगा।"

यह एक विशेषज्ञ द्वारा एक समाचार पत्र में दिए गए विचारों में से एक विचार है। इसको पढ़ने के पश्चात मैंने यह सोचा कि इस पर टिप्पणी करने के लिए उसके पास एक कारण हैं। लेकिन जैसाकि मैंने कहा था। माननीय रक्षा मन्त्री महोदय इसके सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय करने वाले हैं और मैं यह महसूस करता हूं कि समाचार पत्र की इस खबर की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना मेरा कर्त्तव्य है।

श्रीमन इसके अतिरिक्त एक बात और है जिसकी ओर मैं माननीय रक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन राष्ट्रीय केडिटकोर देश भर में सुआयोजित है। देश के हमारे भाग में जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र है, तीन विज्ञान महाविद्यालय है और एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। हम अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय केडटकोर की एक वायु विंग की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा मानदण्डों के अनुसार यदि यह सम्भव है, तो कृपया माननीय मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में वायु विंग की शुरुआत करने पर विचार करें।

दूसरा प्रश्न यह है कि सीमा सड़क संगठन को कुछ कार्य सौंपे गए हैं और वह उत्तर पूर्व क्षेत्र

विशेष रूप से शिलांग और सिल्चर, सिल्चर और वदरपुर आदि के मध्य सड़क मार्गों पर अच्छा कार्य कर रहा है ? इन सड़क मार्गों की दशा अत्यन्त ही शोचनीय है। पिछली बार मैंने मन्त्री महोदय से इस कार्य को लेने के सम्बन्ध में कहा था। अब, इसमें सुधार हो रहा है। यह जीवन रेखा है। और इसको युद्ध स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है। इन सड़क मार्गों के निर्माण में धीमी प्रगति है। लेकिन सीमा सड़क मार्गों के कार्य की विशेषता, लोक निर्माण विभाग या सरकारी किसी अन्य एजेंसी की अपेक्षा बहुत अच्छी है। लेकिन प्रगति बहुत धीमी है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कार्य बहुत धीमे चल रहे हैं। पिछली बार रक्षा मन्त्री महोदय ने नागालैंड, मिजोरम के सुदूर क्षेत्रों और उस क्षेत्र के अन्य स्थानों को देखा था वह यह भी जानते हैं कि सिल्चर और फेरीवान के मध्य का सड़क मार्ग इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इस सड़क को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता है और हर समय जहां नाकाबन्दी होती है और वहां भूस्खलन होता है और इन कठिनाइयों के कारण, सामान्य आवश्यक आपूर्तियों को ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। अतः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मामले के इस पहलू को ध्यान में रखा जाए। मेरे प्रश्नों में से एक प्रश्न के उत्तर में सभा में यह कहा गया था कि अरुणाचल में कुम्बीक ग्राम और छावनी क्षेत्र में रिहायशी मकानों के निर्माण का कार्यक्रम था और यह परिवार सदस्यों द्वारा रिहायशी आवासों तथा कुछ सुविधाएं उपलब्ध किए जाने के लिए लिया जाने वाला था। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में प्रगति बहुत ही अच्छी है। अतः मैं रक्षा मन्त्री महोदय तथा राज्य मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में कार्यवाही करें।

अन्त में, मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कार्यरत रक्षा कार्मिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इसे उनको स्पष्ट करना चाहता हूं जो वे कहते हैं वह रूस ही नहीं हैं के विरुद्ध चिल्ला रहे हैं। मैं इसे रिकार्ड में लेना चाहता हूं कि सेना कार्मिक उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों की सहायता की जो भी परेशानी में थे, उन्होंने बाढ़ के दौरान सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने समय पर सहायता की मैंने स्वयं सेना कार्मिकों को विभिन्न जन कार्य गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होते हुए देखा है और मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 6,800 करोड़ रुपये की धन राशि को स्वीकृत करने के लिए सभा बुलायी गई है। प्रति वर्ष इस धन राशि में वृद्धि हो रही है जो मेरे विचार से बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे याद है कि एक भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बार कहा था कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इस खर्च की सीमा अपार है क्योंकि सैनिक, वायु सेना के लोग, तथा अन्य विभागों के लोग आकर निरन्तर यह कहते रहते हैं। हम यह चाहते हैं, हम वह चाहते हैं हम यह आयात करना चाहिए हमें वह आयात करना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। और उन्होंने मुझसे कहा था, उनके पास उनसे तर्क वितर्क करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रक्षा का यह सम्पूर्ण विषय एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है जिसकी आलोचना करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं हैं।

12.56 म०प० **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

इस सभा ने कभी भी स्पष्ट कारणों से रक्षा के लिए धनराशि या निधियों के बारे में आपत्ति नहीं की है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल अन्धाधुन्ध प्रत्येक बात को सही मान रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरे विचार में सरकार स्वयं भी संसद में हमसे इस बात की आशा नहीं रखती क्योंकि हमें बहुत ही कम सूचनाएं दी जाती है तथा रक्षा की समस्याओं को गहराई से समझने के

लिए उन अन्य देशों की अपेक्षा जिनमें संसदीय सरकारें हैं, सरकार द्वारा बहुत ही कम सहायता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इंगलैंड तथा अमरीका में किस प्रकार की चर्चा की संसद में अनुमति दी जाती है और उसे प्रोत्साहन दिया जाता है वहां विभिन्न प्रकार की समितियों का जाल फैला हुआ है जिनके समक्ष लोग आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा विभिन्न किस्म के हथियारों तथा अन्य रक्षा सामग्री के सम्बन्ध में साक्ष्य देते हैं, और ये सभी जनता के लोग होते हैं।

इसकी जनता को छूट है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें इस बात की नकल करना चाहिए लेकिन मैं इस बात का समर्थन करने को भी तैयार नहीं हूं कि जब भारत जैसे गरीब देश में रक्षा पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के लिए कहा जाता है, हमें सार्वजनिक हित में या यह जो कुछ भी है के तथाकथित कारणों से पर्याप्त सूचना नहीं दी जाती।

अब मैं अच्छी बातों के बारे में कहने नहीं जा रहा हूं। इसका कोई महत्व ही नहीं है। मैं रक्षा बलों का दृढ़ प्रसंशक हूं मैं यह जानता हूं कि प्रत्येक अच्छा कार्य रक्षा के उत्पादन क्षेत्र द्वारा किया गया है, मैं यह जानता हूं कि रक्षा की आर० एण्ड डी० विंग ने कुछ अच्छा कार्य किया है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं हैं। मैं उन सब बातों को दोहराने नहीं जा रहा हूं, उसका कोई महत्व ही नहीं है।

मेरी पहली शिकायत यह है कि इस छोटी सी पुस्तक में अध्याय एक जिसका शीर्षक 'नेशनल सिक्योरिटी'-'वापरेमेंट' है, वह पूर्णरूप से गुमराह करने वाला भ्रामक तथा वास्तविक राज्य कार्यों का एक झूठा विवरण है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि इन बातों को किसने लिखा है। मैं यह चाहता हूं कि रक्षा मन्त्री महोदय हमें इसके बारे में बताए। मैं उनको यह सुझाव देना चाहूंगा कि कि भविष्य में यदि जैसा वे कहने जा रहे हैं वैसा होता है। तब यह अच्छा होगा कि उन्हें इस अध्याय को हटा देना चाहिए और उनमें दूसरी बातें लिखनी चाहिए। मैंने विदेश मंत्रालय के अनुरूप वार्षिक प्रतिवेदन को भी देखा है। श्री नरसिंह राव कम से कम रक्षा मंत्री महोदय की अपेक्षा अधिक स्पष्ट कहने वाले रहे है इस देश की जनता को उन कुछ बातों के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए जिनका सरकार को पता है। आप यह कहते हैं कि भारत के आसपास सुरक्षा पर्यावरण इस समय अत्यधिक दबाव के अन्तर्गत है हम विभिन्न प्रकार की गम्भीर धमकियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप यह कहने से डरते हैं यह धमकी किसके द्वारा दी जा रही है। क्यों? मैं यह समझ नहीं सकता हूं। आप यह कहते हैं कि पाकिस्तान को सभी प्रकार के आधुनिक घातक हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। कौन आपूर्ति कर रहा है? क्या वे आसमान से गिर रहे हैं? आप यह नहीं कहेंगे। श्री नरसिंह राव ने अपनी रिपोर्ट में कुछ वे बातें कहीं हैं जो उनके क्षेत्र में भी नहीं आती है। इन बातों को कौन कर रहा है। आपने रिपोर्ट में कहा है।

> "सैनिक जमाव और समुद्र-तटीय देशों को प्रभावित करने के प्रयास गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्व हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र में सैनिक अड्डा सुविधाएं और प्रभाव क्षेत्र बनाने के प्रयास जारी है।"

1.00 म० प०

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी यह कहेंगे कि रूस यह कर रहा है, लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि दोनों तथा-

कथित महा शक्तियां एक जैसी ही है। आपको दोनों के प्रति एक सा रवैया अपनाना चाहिए। दोनों की नीतियां समान हैं, ऐसा आप यहां अध्याय एक में बता रहे हैं। आप मार्शल उस्तीनव एडमिरल गोर-शेकाव को यहां क्यों बुलाते हैं? आपको नहीं बुलाना चाहिए। उन्हें 15 या 20 दिन पहले ही वी० आई० पी० के रूप में क्यों बुलाया गया था? यदि आप वास्तव में यह विश्वास करते हैं वे तथा अमरीकन उस तरीके से बर्ताव करने में ही व्यस्त है। जिससे इस क्षेत्र में तनाव तथा सैनिक संघर्ष बढ़ रहा है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दोनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आपकी कार्य-वाहियां एक ही प्रकार की है। आप यहां जो कुछ लिखते हैं और जो कुछ कहते हैं। उसमें अन्तर होता है। मैं यह नहीं समझता हूं इसके एक कूटनीति होने की सम्भावना है या इसके क्या होने की सम्भावना है।

पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने और आधुनिक हथियार देने की इस प्रणाली के इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी आपको यह कहने से डर है कि उन्हें इन हथियारों को कौन दे रहा है। क्यों? इस देश की जनता को यह स्पष्टरूप से क्यों नहीं बताया जाना चाहिए कि यह क्या है? मैं यह देखता हूं कि इस सभा में भी बहुत से सदस्यों ने खुले रूप से तथा स्पष्ट रूप से कहा है और वे जो कुछ कह रहे हैं आपने यहां जो कुछ कहा हैं उनमें बिल्कुल अनुरूपता नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सच्चाई का पता है।

मेरे विचार से यह व्यर्थ है। नेशनल सिक्योरिटी एनवायारनमेंट के इस प्रकार के विश्लेषण या कथित मूल्यांकन किसी भी प्रकार का बिल्कुल ही मूल्यांकन नहीं हैं।

सभापति महोदय : स्वामीजी ने भाषणों की प्रशंसा की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि स्वामीजी क्या करते हैं। स्वामी जी तो सभी कार्य करते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं था, मैं उपस्थित नहीं था लेकिन उसे श्री बीजू पटनायक तथा किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़कर सुनाया था जो अभी-अभी अमरीका से लौटकर आया है।

तथ्य यह है कि आपको श्री रीगन के राष्ट्रपति काल के अन्तर्गत अमरीका सरकार द्वारा विश्व भर में अपनाई जा रही उनकी निर्धारित साहसी लड़ाकू हमलाप्रिय नीति के बारे में कुछ कहने का अवसर नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? इस संकट से क्या पैदा हो रहा है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अतः कृपया भविष्य में या तो स्पष्ट रूप से कहें या हमें इस किस्म के तथाकथित विश्लेषण से दूर रखें। जो संसद की बुद्धिमत्ता की बेइज्जती है।

रक्षा व्यय में वृद्धि से बचा नहीं जा सकता है। विशेष रूप से लम्बे समय से लेकर अब तक हम आयातित सैनिक हथियारों पर निर्भर हैं। हमने अपने देश में जो कुछ भी हथियार बनाए हैं या अभी भी उनके बनाने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि मुख्य क्षेत्रों में कठिनाइयां आयेंगी जहां शत्रुता के मामले में उसे हटाने की आवश्यकता है हम अनि-वार्य रूप से अब भी सैनिक हथियारों के कीमती आयात पर बहुत निर्भर है।

मैं रक्षा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं के बावजूद हमें यह देखने का भरसक प्रयास करना चाहिए कि इससे हमारी वित्तीय स्थिति तो ऐसी

नहीं हो जाएगी जो हमारे लिए असहनीय होगी। अमरीकनों की नीति का यह एक अंग है कि वे विकासशील देशों को आपस में लड़वाते हैं। इस बात को विश्व के सभी देशों ने स्वीकार किया है।

यह केवल हमारे ही यहां नहीं हो रहा है। ऐसा दुनिया में अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। विकासशील देशों को जिसके पास अपने विकास के लिए ही संसाधनों की कमी है, परस्पर संघर्ष की स्थिति की ओर धकेला जा रहा है, और वह स्थिति उन्हें किसी-न-किसी छोटी या बड़ी हथियारों की दौड़ में उलझने के लिए मजबूर कर रही है और इस प्रयोजन के लिए उनके दुर्लभ संसाधनों में से अरबों रुपए फिजूल खर्च हो रहे हैं। यह एक वास्तविकता है।

पिछले दिन विदेश मन्त्री ने इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि "हां, पाकिस्तान ही हमें हथियारों की दौड़ में भाग लेने के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार है।" यह सही है कि पाकिस्तान हमारे सामने है। परन्तु पाकिस्तान के पीछे कोई और है, वह पाकिस्तान नहीं बल्कि वह जन० जिया-उल-हक है। क्या वह इस मामले में स्वतन्त्र रूप से निर्णय करता है? सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान जंजीर की एक कड़ी है। इस क्षेत्र में सेण्ट्रल कमांड से सैनिक गठजोड़ों एवं सैनिक नीतियों की एक संपूर्ण प्रणाली बनाई जा रही है जो फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। हमें यह सब जानकारी है। विशेष रूप से ईरान में क्रांति होने के पश्चात इस क्षेत्र में पाकिस्तान अमरीका के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है और इससे वही भूमिका निभाने की आशा की जाती है जो ईरान निभाता था और इसलिए, हमें सबसे अधिक खतरा है। यदि केवल पाकिस्तान अकेला होता तो हम इसका आसानी से मुकाबला कर लेते और हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत है, उससे काफी बड़ा है और पाक से कहीं ज्यादा हमारे पास अनुभव एवं साजो-सामान है। परेशानी तो यह है कि पाक के पीछे कोई और शक्ति है और उसका नाम आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए, आप भी कुछ हद तक आत्म-प्रवंचना के अथवा इस देश के लोगों को गुमराह करने के जिम्मेदार हैं। यह खतरा कहां से है इसका पूरा ब्यौरा आप छिपा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं यह मुझे नहीं मालूम।

मैं कहता हूं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और इसके साथ-ही-साथ हमें इस बारे में पूर्ण तैयार भी रहना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु मेरा ख्याल है कि हमें और अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सूझ-बूझ वाली कार्यवाही करनी चाहिए और राजनीतिक मोर्चे पर भी प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इस समय यह श्री वेंकटरामन का कार्य नहीं है; लेकिन यह परस्पर सम्बद्ध कार्य है। मेरा यह कहना कि जहां तक हो सके हमें अपने पड़ोसियों के साथ तनाव को कम करना चाहिए, परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है।

मैं यहां विदेशी मामलों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अन्यथा, मुझे यह कहना पड़ेगा कि हम राजनीतिक मोर्चे पर पिछड़ गए हैं; असफल हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप सैनिक मोर्चे पर इतना अधिक निर्भर रहने की अधिकाधिक प्रवृत्ति बनती जा रही है; मैं रक्षा मन्त्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य से जो उन्होंने या तो संसद में दिया था या इसके बाहर, सहमत नहीं हूं; परन्तु मैंने उस वक्तव्य को कहीं पढ़ा था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि हमारी सैनिक शक्ति काफी बेहतर है और हम पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में हैं। क्या आप इस बारे में कोई निश्चित मत बनायेंगे? यदि हम पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में हैं तो हमें किसी बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए; और क्या हम इस बेहतरी को हमेशा बनाए रखने के इच्छुक है। मैं हमेशा उन सरकारी आंकड़ों को पढ़ता रहता हूं जो थोड़े-थोड़े दिनों के बाद

समाचारपत्रों में छपते रहते हैं और उनसे जो भी वातावरण बनता जा रहा है उससे मेरे मन में कुछ शंका पैदा हो रही है यह सब क्या है ? मुझे नहीं मालूम कि समाचारपत्रों में छपी ये खबरें सही हैं या नहीं अथवा ये समाचार बी०बी०सी० से अथवा किसी अन्य स्रोत से लिए गए हैं, कि उन्होंने कुछ नए हथियार, कुछ आधुनिकतम हथियार, कुछ हारपून प्रक्षेपास्त्र या कुछ हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र या कुछ ऐवक या कुछ कोबरा हैलीकाप्टर या ऐसी ही कुछ चीजें प्राप्त कर ली हैं। हर 15 दिन के बाद यह समाचार नियमित रूप से छप जाता है। और तब हम पर एक किस्म का दबाव पड़ जाता है और उन विशेष शस्त्रों के मुकाबले के लिए कम-से-कम वैसे ही हथियार हमारे पास होने चाहिए ; और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इस समय नहीं बता सकते। अतः इन्हें हमें विदेशों से भारी कीमत चुका कर खरीदना पड़ता है।

मेरा ख्याल है कि वह खेल जो कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा विश्व के नक्शे पर खेला जा रहा है, हमें चाहिए कि हम उन शक्तियों को इस कार्य में सफल न होने दें। क्या इसका यह अर्थ है कि हम तैयारी न करें या हम हथियार न खरीदें। मेरा मतलब यह नहीं है। परन्तु एक ओर तो राजनैतिक दांव-पेंचों को ज्यादा महत्व दिया जाए और दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए और जो हमारे तथा देश के हित में भी है, वह यह है कि शत्रुता का वातावरण न बनने पाए। हम अपने देश के विकास के लिए शांति बनाए रखने के हक में हैं। हो सकता है कि दूसरे लोग हमारी इस भावना की कदर न करें और जो कुछ हमने विगत में देखा है उसके आधार पर हम यह बात नहीं कह सकते जैसाकि श्री बीजू पटनायक ने यहां कहा है कि पाक की हम पर हमला करने की कोई योजना नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते।

परन्तु इन दोनों देशों के बीच शत्रुता के दूसरे दौर से जो उन हथियारों को प्राप्त किए जाने से बढ़ गया है जो इन दोनों ही देशों ने हाल में प्राप्त किए हैं, दोनों ही देशों को बड़े भारी विनाश का सामना करना पड़ेगा। परन्तु मैं यहां इसके अलावा एक और बात से भी चिन्तित हूं (व्यवधान) जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि हमें हथियारों की दौड़ में भाग नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात से बचना चाहिए कि यदि पाकिस्तान टैंक खरीदे तो हम भी टैंक लें, वह जहाज खरीदे तो हम भी जहाज खरीदें, वह प्रक्षेपास्त्र खरीदे तो हम भी प्रक्षेपास्त्र मंगाएं, वह हैलीकॉप्टर खरीदे तो हम भी हैलीकॉप्टर लें। अर्थात जो कुछ भी वह लें हम भी वही अपने पास उपलब्ध करायें। इस किस्म की शस्त्रों की दौड़ हमें हथियारों के शिकंजे में फंसा देगी जो किसी भी सूरत में मौत के शिकंजे जैसा ही होगा। हमें इस बात को जहां तक भी सम्भव हो सके रोकना चाहिए।

एक और बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं जिसके बारे में यहां पर्याप्त रूप से नहीं कहा गया है वह यह है कि पाकिस्तान के अतिरिक्त भी हमारे ऊपर और खतरे हैं। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां जिया-उल हक ही हैं, उन क्षेत्रों का क्या होगा ? जहां तक मैं जानता हूं जिया-उल-हक का डीगो गार्शिया से कोई मतलब नहीं है। फारस की खाड़ी के क्षेत्र में सैनिक जमाव से भी उसका कुछ लेना-देना नहीं है। मेरे पास श्रीलंका की संसद की 24-11-1981 तथा 1-12-1981 की संसदीय कार्यवाही की दो प्रतियां हैं। इन संसदीय प्रतियों से मुझे पता चलता है कि श्रीलंका की संसद में खुले रूप में यह कहा गया है और किसी ने भी उसका खण्डन नहीं किया है कि ट्रिंकोमाली बन्दरगाह की 676 एकड़ भूमि अमरीका के एक प्रमुख बहुराष्ट्रिक निगम को जिसका नाम कोस्टल बरमूदा लिमिटेड है, पट्टे पर दी गई है। अब तक उन्होंने वहां अपने सभी कारखानों आदि का निर्माण कर लिया होगा। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अमरीका यही कहेगा कि यह उसके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि

ट्रिकोमाली में कोस्टल बरमूदा के कारखाने हैं। यह स्थान हमारे दक्षिणी समुद्री तट से कुछ ही मील के फासले पर है। हम यह जानते हैं कि उन्होंने अपनी फौजें ग्रेनाडा में यह कहकर भेजी थीं कि वह क्षेत्र अमरीका के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसका इतना ही कहना काफी है। यही एक सिद्धांत है और यही एक सूत्र है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाता है। अतः कोई भी इस स्थिति का विश्लेषण आसानी से कर सकता है कि ट्रिन्कोमाली बन्दरगाह में स्थित बरमूदा के कारखानों को बचाने के लिए भारी मात्रा में सैनिक हस्तक्षेप किया जा सकता है और हमारे यहां परेशानी यह है कि इस रिपोर्ट में इस खतरे का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। खैर कोई बात नहीं अब मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं।

मैंने हर वर्ष इस बात को दोहराया है और इस वर्ष भी दोहरा रहा हूं कि जो धनराशि आपने मांगी है स्वाभाकिक है कि वह राशि आपको मिलेगी, परन्तु देश को तथा संसद को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि यह बजट वास्तव में ही लागत प्रभावी हो। धनराशि तो जरूर मिलेगी परन्तु इसे सही ढंग से खर्च किया जाए। इसे अनुचित रूप से खर्च करके बरबाद न किया। इस राशि का एक-एक पैसा जो भी खर्च किया जाये उसके बारे में देश को यह यकीन होना चाहिए कि उस पैसे से देश की सुरक्षा को पूरा-पूरा लाभ मिल रहा है। इन बातों का उल्लेख कुछ और सदस्यों ने भी किया है—मैं यहां उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि कुछ और वस्तुएं हैं जिनका हम आयात कर रहे हैं और जिनके लिए हमने भविष्य में देश में ही उत्पादन करने के करार किए हैं उनके बारे में कम-से-कम थोड़ा बहुत आत्मसन्तोष यह है कि कुछ समय के बाद हम इन चीजों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे। परन्तु कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके बारे में हम यहां बातचीत कर रहे हैं उनका उत्पादन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और मैं उस धीमी गति को पसन्द नहीं करता। मैं एक बार फिर युद्धक टैंकों की बात दोहरा रहा हूं। चेतक टैंक के बारे में मैं कई बातें जानता हूं। कंचा आर्मर सहित तथा ऐसे ही और टैंकों का देश में ही निर्माण किया गया है। निस्सन्देह यह एक अच्छी प्रगति है। अब आपने यह वादा किया था कि दो प्रारूप तैयार किए जाएंगे और हाल ही में आपने कहा है कि दो नहीं बल्कि एक ही तैयार किया गया है। इसका प्रदर्शन कुछ विदेशी लोगों के सामने किया गया और आपने कहा कि इसका कार्य बहुत बढ़िया रहा है। परन्तु एक ही कठिनाई रही है कि इसका इन्जिन हम नहीं बना सके हैं। इसका इन्जिन पश्चिमी जर्मनी से आयात किया गया है। यह इन्जिन वही इन्जिन है जो ल्योपार्ड एक में फिट होता था जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। यह चेतक 1100 हार्स पावर वाले 12 सिलेण्डर के इन्जिन से तैयार किया गया है। चेतक के इस प्रारूप का विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन करने के उद्देश्य से, हमने भारी लागत से इस ल्योपार्ड एक इन्जिन को पश्चिमी जर्मनी से वायुयान के द्वारा मंगाया था और इसे उस प्रारूप में फिट करके इसे दिखाया गया। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे अपने इन्जिन के विकास का क्या हो रहा है। कम-से-कम इस बात को 12 या 14 वर्ष गुजर गए हैं। यदि आप 1000 हार्स पावर वाले 4 सिलेण्डर के इन्जिन से ही सन्तुष्ट हैं जैसाकि यहां उल्लेख किया गया है, तो हम अपने उसी इन्जिन का स्तर बढ़ा सकते हैं जो हम विजयंत टैंक में इस्तेमाल करते हैं। वे इन्जिन काफी अच्छे इन्जिन हैं। उनमें कोई खराबी नहीं है।

सैंचूरियन टैंकों के फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में जिनके बारे में अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है कि सैंचूरियन टैंकों के ऐसे बहुत से फालतू पुर्जे पाए गए हैं जो सेवायोग्य हैं और जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका उल्लेख श्री नेगी ने यहां किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल एच०सी० पंत ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फालतू पुर्जे हैं और उनका इस्तेमाल हमारे टैंकों की मरम्मत तथा ओवर हालिंग में किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि इस परिपत्र पर कोई अनुवर्तन कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं।

मैंने बेस वर्कशापों की क्षमता के कम उपयोग किये जाने के बारे में बार-बार शिकायतें की हैं। बेस वर्कशाप एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाता और न ही इसको उतना महत्व दिया जाता है जितना अन्य उत्पादक कारखानों को।

लेकिन यह हमारी समस्त रक्षा प्रणाली के बहुत महत्वपूर्ण है। यह 505 बेस वर्कशाप हमारे टैंकों को ओवरहाल करने, उनकी मरम्मत और अनुरक्षण के लिए मुख्य स्थापना है। रिपोर्टें पढ़ना और सुनना अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि या तो उनका खण्डन किया जाए अथवा इस बात की पुष्टि की जाए कि सैंचुरियन के पुर्जों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले बहुत से पुर्जे बेचे गए थे। मैं उन सब बातों को अब नहीं कहना चाहता।

ब्रिटिश लेलैंड से एल-60 इन्जिन का आयात करना पड़ा था।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस डैमलर डी०एच०सी० 2947-कार, जिसका उल्लेख श्री नेगी ने भी किया है, का मालिक कौन है? जबकि टैंकों की मरम्मत नहीं की जा रही और टैंक तो मरम्मत के लिए पड़े हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की निजी कारों को इस वर्कशाप में मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए भेजा जाता है। इसके लिए चाहे कोई भी दोषी है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि वह कौन है; कोई अधिकारी है या कोई भी है इस कार्य के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, हमारे पास एक हल्का लड़ाकू विमान है। हम अपना पूरा विमान नहीं बना सके हैं क्योंकि हमने इतने लम्बे तक — डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और अन्य के लिए योजना बनाई है। अब एकदम ही हमने यह कहना शुरू कर दिया है कि वायु सेना को इस हलके लड़ाकू विमान की जरूरत है। परन्तु जहां तक मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है, मैंने रिपोर्ट में देखा है कि उस हल्के लड़ाकू विमान का इन्जिन अर्थात जी० टी० एक्स० परियोजना अथवा जी० टी० एक्स० परियोजना के रूपांतर 'बी', जिसका विकास किया जा रहा है, को विकसित करने में अभी कम-से-कम नौ वर्ष का समय और लगेगा। इस अन्तराल के दौरान यह सच है या नहीं है कि हम ब्रिटेन से एक आयातित इन्जिन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है। ब्रिटिश एयरोस्पेस हमें इसकी प्रौद्योगिकी तथा अन्य जानकारी देने की पेशकश कर रहा है। और इस मामले में हम उन पर निर्भर हो जायेंगे। आप यह कह सकते हैं कि हमें इस देश या किसी अन्य देश पर निर्भर क्यों नहीं होना चाहिए। और कुछ हद तक, हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आप ऐसे लोगों पर निर्भर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई होने पर जिनका रवैया तथा स्थिति निश्चित रूप से ही सन्देहास्पद रहता है? महोदय, यदि आपकी पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ जाए तो क्या आप ब्रिटेन और अमरीका पर निर्भर रहेंगे जो कि जिया-उल-हक के सबसे बड़े मित्र हैं? क्या आप पुर्जों तथा सहायता के लिए उन पर निर्भर रहेंगे?

सभापति महोदय : आपने 25 मिनट ले लिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा अन्तिम प्रश्न जोकि मुख्य प्रश्न है, और जो मैं पूछना चाहूंगा वह उन उच्च-रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों के बारे में है जिन्हें प्राइवेट फर्मों द्वारा परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और जो हमें महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं या कुछ मामलों में विदेशी फर्में भी उन्हें अपने यहां नौकरी देती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है? मैसर्ज उषा कंसल्टेंट्स एण्ड सर्विसीज नामक एक फर्म है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हर

कोई जानता है। इस फर्म का चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति है जो श्री स्वराज पाल का निकट सम्बन्धी है। वह हर तरह के लोगों को अपनी कम्पनी में नियुक्त कर रहा है। यहां तक कि एयर वाइस मार्शल लारकिंस जो कि अब जेल में है, जासूसी के मामले में पकड़े जाने से पहले, उसने उससे थोड़ा समय पहले ही मैसर्ज उषा कंसल्टेंट्स एण्ड सर्विसिज से सेवा निवृत्ति ले ली या उसे छोड़ दिया। यह सच है या नहीं? एयर वाइस राम, लेफ्टि० जनरल एम० के० खन्ना, कमोडोर महता और बहुत से अन्य अधिकारियों को मैसर्ज उषा कंसल्टेंट्स एण्ड सर्विसिज ने अपनी फर्म कर रखा है और स्पष्ट तौर से यह सांगगांठ किसी विशेष कारण से है क्योंकि आजकल विश्व में करोड़ों रु० की लागत के विदेशी सैनिक उपकरण का आयात बहुत ही लाभप्रद व्यापार है। हम जानते हैं कि इसके लिए कितना कमीशन और अन्य लालच आदि दिए जाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसे एजेण्ट हैं जो हमारे खरीददारों पर दबाव डालते हैं। मुझे ई०एम०ई० के भूतपूर्व निदेशक, ने बताया कि लेफ्टि० जनरल बागा को भारत में लेलैंड समूह ने अपने महत्वपूर्ण एल-60 इन्जिन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अपनी फर्म में नियुक्त किया है। वह इस देश का नागरिक है, वह यह कह सकता है कि, वह जो चाहता है, करने की उसे स्वतन्त्रता है। कम्बेट व्हीकल्स रिसर्च डेवलेपमेंट, अवडी का भूतपूर्व-निदेशक, ब्रिगेडियर टण्डन किर्लोस्कर के लिए काम कर रहा है। मैसर्स किर्लोस्कर हमारे टैंकों के लिए, जैसा इन्जिन हम चाहते हैं उसके स्थान पर एक अन्य इन्जिन विकसित करने की कोशिश कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इस तरह की नियुक्तियों पर किसी प्रकार की रोक होनी चाहिए या नहीं? मैं समझता हूं कि इस पर रोक होनी चाहिए और ये गैर-सरकारी हथियार विक्रेता जोकि सभी जगह मंडरा रहे हैं, उनके कार्य कलापों और उनके सम्पर्कों की बहुत ही सावधानी से जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार मैं संक्षेप में 3-4 बातों का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त करूंगा, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पहली बात तो यह है जिसका एक अन्य वाद-विवाद में बहुत से सदस्यों ने किया था, कि नौ सेना के अधिकारियों का उपयोग श्रमिकों की हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात का इसलिए समर्थन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है कि इस देश में श्रमिकों की हड़ताल तोड़ने के लिए नौ सेना या रक्षा सेना के कार्मिकों का उपयोग किया जाए जैसाकि अब पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के साथ किया जा रहा है। इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि जब आप सैनिक उद्देश्य हेतु विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में भूमि का अधिग्रहण करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उन लोगों को तत्काल मुआवजा दिया जाए जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और पंजाब में ऐसा हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाना चाहता, पंजाब की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। मैंने इस प्रश्न को कई बार उठाया है कि अमृतसर के कथानिया क्षेत्र में जहां अधिग्रहण की गई भूमि के लिए तो मुआवजा दे दिया गया है लेकिन उस जमीन पर बनी झोंपड़ियों और पशुओं के शेडों और अनाज आदि रखने के लिए बनाए गए बखारों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये लोग इसके लिए महीनों से निवेदन कर रहे हैं परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। पंजाब की वर्तमान विस्फोटक स्थिति को देखते हुए इस तरह की बातें वांछनीय नहीं हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आपने भूतपूर्व सैनिकों, जो 1970 से पहले सेवा-निवृत्त हुए हैं, के लिए जो सुलभ गणक तैयार किया है उस पर फिर से विचार करें। उनके साथ बहुत अन्याय किया गया है। कुछ मामलों में उनकी पेन्शनें इस सुलभ गणक के परिणामस्वरूप कम हो गई हैं। मैं समझता हूं कि आपने देख लिया है कि भूतपूर्व सैनिक संघ उन तीन श्रेणियों के सम्बन्ध में बहुत उत्तेजित हो गए हैं जिनमें उनको

बांटा गया है एक मामले में पेन्शन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, एक अन्य मामले में यह वृद्धि सीमांत है और तीसरे मामले में उनकी पेन्शनें कम हो गई हैं। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

अन्त में, सिविल रक्षा कर्मचारियों की, उनके बारे में तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग का पंचाट लागू न करने सम्बन्धी शिकायत है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को मन्त्रालय द्वारा दिए गए आश्वासनों, मेरे ख्याल में 12 मार्च को जब वे मिले थे तो ये आश्वासन दिए गए थे—को पूरी तरह क्रियान्वित किया जायेगा और पूरा किया जाएगा ताकि आंदोलन और हड़ताल की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो कि वहां बन रही है उसे रोका जा सके।

अन्त में, मैं सीमा सड़क संगठन, जी०आइ०ई०बी०, के कार्मिकों के बारे में कहूंगा। उन्होंने पहले भी अनुरोध किया था। उनके खिलाफ कुछ दण्डात्मक कदम उठाए गए हैं। इनको रोका जाना चाहिए। उनका कोई माध्यम बनाया जाना चाहिए, ट्रेड यूनियन न हो—मैं यूनियन बनाने की बात नहीं कहता—परन्तु ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी वैध शिकायतें बता सकें और उन्हें दूर करवा सकें।

मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। कहने को तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, रक्षा मन्त्री, श्री वेंकटरमन द्वारा सभा में प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रशंसा करना चाहूंगा।

कुछ उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। यह उपयुक्त समय है कि हम अपनी रक्षा सेनाओं के लोगों द्वारा किए गए अच्छे कार्य को न केवल समझें बल्कि उसकी प्रशंसा भी कर सकें।

इस वर्ष के दौरान सबसे गर्व की बात पहल पूर्णतः भारत में निर्मित 3500 टन का जहाजी बेड़ा **गोदावरी** चलने लग गया है जोकि अपनी ही तरह का युद्धपोत है जिसमें दो हलीकाप्टर और एन्टी-पण्डुबियां हैं। इसके साथ ही बहु-उद्देशीय समुद्र तट से दूर गश्ती पोत विक्रांत का भी गर्व के साथ उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में जबकि हमारे चारों ओर अनिश्चितता का वातावरण छाया हुआ है और हमारी सीमाओं पर बहुत ही नाजुक स्थिति है, हम अपनी दो उपलब्धियों का विशेष उल्लेख कर सकते हैं।

जैसाकि बहुत से अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है, हमारे चारों ओर तनाव और अनिश्चितता में वृद्धि हुई है पाकिस्तान के आधुनिक हथियार और परिष्कृत हथियार हमारे लिए चिन्ता का कारण हैं। समाचार पत्रों में भी यह उल्लेख किया कि इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बारे में शायद निर्णय न लिया जा सके, यह निर्णय कहीं और हो, और यही इस स्थिति की दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह बात बहुत ही दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने स्वयं को अमरीका सामरिक हित के अनुरूप ढ़ाल लिया है। इसके अलावा, तनाव का क्षेत्र, तनाव का केन्द्र दूर यूरोप से पारस की खाड़ी बन गई है हम देख रहे हैं हथियार, एफ-16 के भण्डार जमा किए जा रहे हैं। मुझे इस रिपोर्ट से यह जानकर खुशी हुई कि इस खतरे का सामना करने के लिए हमारी सरकार हमारा देश और इसकी रक्षा सेनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाई का सामना करने के लिए फ्रांस सरकार के साथ मिराज-2000 की सप्लाई के समझौते पर हस्ताक्षर करना इस दिशा में एक कदम है।

मैं इस प्रकार की अन्य बहुत सी बातों का उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन मैं एक या दो बातों पर बल दूंगा। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि रक्षा पर किया गया व्यय देश की प्रगति के लिए हानिकारक है। हमें यह बात समझनी चाहिए रक्षा और विकास में परस्पर सम्बन्ध है। मैं रक्षा मन्त्री जी को धयन्वाद देता हूं कि 'रक्षा और उद्योग' नामक संगोष्ठी में उन्होंने इस बात पर बल दिया था और यह कहा था कि रक्षा सेनाओं द्वारा तथा देश के विभिन्न अन्य उत्पादन एककों द्वारा अपेक्षित युद्ध-सामग्री और सोफ्टवेयर के निर्माता के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिए।

महोदय, इस पारस्परिक सम्बन्ध पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि रक्षा उत्पादन द्वारा विकास में तेजी लाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं अपने आयुध कारखानों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करता हूं। इस समय इनकी संख्या 34 है। पहला कारखाना बहुत समय पहले 1001 में कलकत्ता में लगा। मैं यहां अपनी राज्य सरकार तथा अपनी जनता के हिमाचल प्रदेश में एक आयुध कारखाना लगाने के अनुरोध का जिक्र करूंगा। इस प्रदेश में भूत-पूर्व सैनिकों की संख्या दूसरी जनसंख्या का दो प्रतिशत है। श्री रामलाल ने 31 दिसम्बर, 1982 को माननीय रक्षा मन्त्री को हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक आयुध कारखाना स्थापित करने हेतु पत्र लिखा। हम इसका बार-बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु, विद्युत उपलब्धता तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध इस राज्य को अपना हिस्सा बटाने का हकदार बनाते हैं क्योंकि इस समय वहां मध्यम स्तर का कोई उद्योग स्थापित नहीं है। चूंकि रक्षा हमारे जवानों का प्राथमिक कर्तव्य है और सशस्त्र सेनाओं से लौटकर वापस आने पर यह उन्हें रोजगार प्रदान करने का भी साधन होना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे शीघ्र स्थापित किया जाए।

रक्षा व्यय तथा विकास सम्बन्धी व्यय के मध्य किसी तरह के अन्तर-विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे पास मिली-जुली योजना होनी चाहिए तथा हमारे पास दीर्घ कालिक परिपेक्ष्य होना चाहिए जिससे कि हम देश को किसी खतरे का सामना करने में सक्षम बना सकें। सवाल यह नहीं कि खतरा किसी एक ब्लाक से है या दूसरे से। सवाल यह है कि हम हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। मैं इस सन्दर्भ में श्री अवरेल हरीमैन द्वारा टाइम्स आफ इंडिया में लिखे एक लेख का उल्लेख करता हूं। यह इस वर्ष जनवरी के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उन्होंने कहा है कि वर्तमान हथियारों की दौड़ तथा अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य सम्बन्ध इतने खतरनाक, जोखिम पूर्ण तथा विस्फोटक हैं कि अंततः इसकी परिणति परमाणु युद्ध में हो सकती है तथा हम मात्र खतरे की ही कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः हमें अपनी पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा इसके लिए किसी किस्म का त्याग छोटा नहीं है। इस उद्देश्य को इस संसद या सरकार द्वारा किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

मैं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु, जोकि हमारे लिए चिन्ता का मुख्य विषय है, दो या तीन बातों पर जोर देना चाहता हूं। असमानता को दूर करने के बारे में समस्त भूतपूर्व सैनिक संगठन की निरन्तर मांग करते रहे हैं। 17 दिसम्बर, 1982 को दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उनकी आशा बंधी पिछले वर्ष 29 अप्रैल के मेरे तारांकित प्रश्न पर माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा इस सदन को दिये गए उत्तर से यह आशा और बढ़ गई कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूर्णतः लागू होगा तथा इन निर्भीक व्यक्तियों को जोकि अब सेवा में नहीं है तथा वापस अपने घर आ गए हैं बढ़ती हुई कीमतों से परेशानी नहीं होगी। पर वास्तविकता बिलकुल इसके विपरीत है। सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के कारण

उनकी सारी आशाएं धूमिल हो गई। मुझे उस फार्मूले की कोई जानकारी नहीं है परन्तु भूतपूर्व सैनिकों की यह उचित शिकायत है कि इस फार्मूले द्वारा उनके साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। रक्षा मंत्री इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्होंने उनके समक्ष विकल्प रखे हैं। ऐसे 11 लाख लोग हैं जिनकी पेंशन निर्धारित की जानी है। अत: यह बड़ा भारी कार्य है जोकि जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है। जो सुलभ ग्राफ को मानना चाहते हैं उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए तथा इसे स्वीकार नहीं करना चाहते उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर वे कब तक प्रतीक्षा करें? क्या वे दो दशकों तक प्रतीक्षा करें या अपने मरने तक? उन लोगों जिन्होंने मौत का सामना किया है तथा अपने बच्चों का भविष्य घर से बाहर रहकर जोखिम में डाला है, के लिए यह उचित नहीं है। वे बेहतर बर्ताव चाहते हैं। अत: मैं गम्भीरतापूर्वक इस बात पर जोर देता हूं कि सरकार को उनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए।

यही नहीं, भूतपूर्व सैनिक जिस दशा में रह रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरुरत है। जिन गांवों में वे रह रहे हैं उनमें से कुछ गांवों में वे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो कि होनी चाहिए थी। बहुत समय पहले मैंने यह सुझाव दिया था कि सदभाव के तौर पर तथा हमारे भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीदों द्वारा किए गए बलिदान को प्रतीकात्मक सम्मान देने की दृष्टि से हमें परमवीर चक्र विजेता या विक्टोरिया क्रास विजेता जैसे सर्वोच्य पदक विजेताओं के गांवों को आधुनिक गांव घोषित करना चाहिए महोदय, मुझे यह पता नहीं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं। परन्तु मैं माननीय रक्षा मन्त्री तथा रक्षा राज्य-मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को राज्य सरकारों के समक्ष भेजें ताकि वे गांव जहां सर्वोच्य पदक विजेता रहते हैं आधुनिक गांवों के रूप में विकसित किए जाऐं तथा उन्हें यह संतोष हो कि उनका न केवल युद्ध के वक्त बल्कि वापस घर आने पर भी ध्यान रखा गया है।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात पर और जोर देना चाहता हूं। लड़ाई में मारे सैनिकों की विधवाओं को जो सुविधा प्रदान की जाती है वह उन विधवाओं को नहीं दी जाती है जिनके पति शांति काल में विभिन्न अड्डे सम्बन्धी कार्यों या सैनिक कार्यों के दौरान मारे जाते हैं। वे भी इन सुविधाओं के पाने के हकदार हैं। यह उनका दोष नहीं कि उनके पति लड़ाई में नहीं मारे गए बल्कि जहाज में उड़ते हुए मारे गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इसके अलावा दो-तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों पर जोर देना चाहता हूं। जब कोई घर वापस पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? युद्ध क्षेत्र में बरसों तक सेवा करने के बाद वह कुछ निराला ही माहौल पाता है, शौर्य-गीत प्रशंसा के शब्द तथा संसद में किया गया बखान सब कुछ सिविल अधिकारियों के कठोर व्यवहार से निरर्थक हो जाता है। अत:, जिला सैनिक बोर्ड, जोकि अब सैनिक बोर्ड कहा जाता है तथा राज्य बोर्ड को मजबूत तथा कारगर बनाया जाना चाहिए। परन्तु जैसा कि विकास का ढांचा इतना व्यापक है और अब विकास का केन्द्र खंड स्तर तथा उप-मंडल स्तर तक फैल चुका है, अत: रक्षा मन्त्री द्वारा इस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जिला मंडल स्तर, उप-मंडल स्तर पर ही नहीं खंड स्तर पर भी भूतपूर्व सैनिकों को सहायता करने सम्बन्धी तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे पास बहुत से सैनिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में असैनिक कर्मचारी हैं। अब सभी कर्मचारियों के ग्रेडों में परिवर्तन किया गया है। केन्द्रीय समकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता

है; रक्षा सेनाओं को दी जाने वाली धनराशि बढ़ाई गई है। परन्तु इन बेचारे कर्मचारियों को उनकी बकाया धनराशि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि ये न तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और न ही राज्य सरकार के सैनिक सोसायटी नामक समितियां हैं। अतः इनकी शिकायत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हें भी कोई दिक्कत न हो।

महोदय, भूतपूर्व सैनिकों के निवास क्षेत्रों तथा जिलों में, जहां से सशस्त्र सेनाओं के लिए भारी संख्या में भर्ती होती है, केन्द्रीय विद्यालय होने चाहिए क्योंकि ऐसी सुविधा के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। अतः मैं रक्षा राज्य मन्त्री श्री के० पी० सिंह देव से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय से सम्पर्क करके वह व्यवस्था करें कि उन सभी जिलों में जहां पर सशस्त्र सेनाओं के लिए भारी संख्या में भर्ती की जाती है तथा जहां भूतपूर्व सैनिक बहुत अधिक संख्या में बसते हैं, वहां एक केन्द्रीय विद्यालय हो ताकि उनके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न हो।

अब इस श्रेणी के लोगों को मकान देने या कुछ वेतन वृद्धि या पदोन्नति की सुविधा प्रदान करते समय, उनकी सशस्त्र सेनाओं की सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा उन्हें मकान देने, पदोन्नत करने आदि के मामलों में सबसे कनिष्ट कर्मचारी के समतुल्य माना जाता है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि उनके द्वारा सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अन्त में मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने विभिन्न कार्यों के दौरान, जोकि उन्हें सौंपे गए थे, न केवल प्रशंसनीय कार्य किया बल्कि शांति काल में बाढ़ या विपत्ति के दौरान भी प्रशंसनीय कार्य किया तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं ने असैनिक अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। अतः वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में दूसरे रैंकों के प्रतिनिधि हों। अभी तक आपने अधिकारी, सेवा निवृत अधिकारी, महत्वपूर्ण विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति लिए हैं पर उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है अतः उनकी ओर से भी एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए ताकि सभी सम्बद्ध लोगों को न्याय मिल सके।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : सभापति महोदय, जब आप पीठासीन होते हैं तो मुझे समय के बारे में विशेष दिक्कत होती है। परन्तु मुझे आशा है कि इस समय आप मेरी बात सुनेंगे।

सभापति महोदय, 1984-85 के लिए प्रस्तावित, 68,00 रु० के पूंजी व्यय पर निवल राजस्व का अर्थ पिछले वर्ष किए खर्च से 450 करोड़ रु० अतिरिक्त कम है। यह बहुत बड़ी राशि है जैसा कि आप हमारी रक्षा सेनाओं की स्थिति से देखते हैं।

रक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए किन्तु हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्री के० पी० सिंह देव जी ने एक प्रश्नकर्ता, एक माननीय सदस्य, को बताया, कि उनके पास कोई निश्चित सूचना नहीं है कि क्या पाकिस्तान 'स्पैरो प्रक्षेपास्त्र' खरीद रहा है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रभारी होने की आशा की जाती है। जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है, हमें राष्ट्रीय जरूरतों का वास्तविक ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री सीज, आपने कहा है कि उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रभारी होने की आशा की जाती है उनसे प्रभारी "होने की आशा" क्यों की जाती है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : निश्चय ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभारी हैं। कल्पना का अर्थ भी वही है जैसा कि आप समझते हैं।

मैं जानता हूं कि समय की पाबन्दी है। मैं कम से कम आधा घन्टा बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं, जी नहीं। केवल 10 मिनट।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ठीक है 10 मिनट ही सही।

वार्षिक रिपोर्ट से, मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है। मैं इसे "भय की भावना" नहीं कहूंगा किन्तु यह एक प्रकार की मुस्तैदी है। वार्षिक रिपोर्ट के एक पैरा से में एक उद्धरण देना चाहता हूं :—

> "3.2 बिलियन डालर के कुल व्यय के अतिरिक्त कुछ अत्याधुनिकतम शस्त्र प्रणाली की आपूर्ति से एक नए चरण की शुरुआत हुई है क्योंकि यह इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आक्रामक प्रणाली है।"

अत: भय का वातावरण बनाये बिना हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान किस प्रकार के शस्त्र खरीद रहा है। किन्तु मैं सुझाव दूंगा कि यद्यपि इस बार रक्षा मन्त्रालय इतना गोपनीय नहीं रहा जितना कि वह हुआ करता था मैं यह सुझाव दूंगा कि माननीय रक्षामन्त्री विपक्ष को भी विश्वास में लें। राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनानी चाहिए। श्री मोहन्ती ने भी इसके बारे में कहा है—यह जनरल सिन्हा का विचार है। कल मैंने "टाइम्स आफ इंडिया' में श्री इन्दर मल्होत्रा का सन्तुलित लेख देखा और उन्होंने भी यह सुझाव दिया है और अन्य लेखकों ने भी यह सुझाव दिया है कि हमारे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और "चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" होना चाहिए। किन्तु मैं यह नहीं मानता कि यह जरूरी है तथा जहां तक तालमेल का प्रश्न है, यह रक्षा मंत्री का मुख्य उत्तरदायित्व है। मैं नहीं समझता कि समिति अथवा परिषद की स्थापना से मामला सुलझ जायेगा।

सभापति महोदय, यह इच्छाशक्ति की बात है कि रक्षा मंत्री रक्षा बजट को किस प्रकार का दिशा निर्देश देते हैं, किस प्रकार का समन्वय वह चाहते हैं, यह उनका दायित्व है। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अथवा "चीफ ऑव डिफैंस स्टाफ" जैसा पद सृजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तथापि मैं इस तथ्य पर जोर दूंगा कि रक्षा मन्त्रालय को गृह मन्त्रालय और विदेश मन्त्रालय से घनिष्ठ समन्वय, सहायता और सम्पर्क की जरूरत है ताकि वे सम्पूर्ण मुस्तैदी बरत सके जिसकी कि जरूरत है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि माननीय रक्षा मन्त्री के कार्य की यह कोई आलोचना है। मुझे विश्वास है। यह कोई चापलूसी नहीं है। उन्होंने काफी बुद्धिमत्ता, जागरूकता और साहस का प्रदर्शन है। वह पहले ही जागरूक हैं। किन्तु उन्हें विदेश और गृह मंत्रालयों से अधिक समन्वय, सहयोग और सम्पर्क रखना

चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों ने जनरल सिन्हा का उद्धरण किया है। मैं कुछ मामलों में सहमत हूं और कुछ मामलों में असहमत हूं। मैं इस सुझाव को नहीं मानता कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बाहर की अपेक्षा देश के भीतर से ही अधिक है। खतरा देश की सीमाओं के भीतर के तत्वों से अधिक है।

कुछ लोगों का कहना है कि वह एक नाराज जनरल है। उन्हें सेना की नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मैं इसका व्यापक उल्लेख नहीं करना चाहता। किन्तु वह भी इस देश के एक नागरिक हैं। उन्हें भी एक नागरिक के रूप में रक्षा के बारे में चर्चा करने का पूरा अधिकार है क्योंकि वह अब एक स्वतन्त्र नागरिक हैं। माननीय रक्षा मंत्री यह भी जानते हैं कि कुछ जनरलों ने, जो सेवा में हैं और कभी-कभी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किये हैं। मैं जनरलों के नाम नहीं लूंगा। कुछ सेवा-निवृत्त सेना अधिकारियों ने ऐसा किया है।

जब खतरा देश के भीतर से ही हो तो रक्षा मंत्री के पास सारे तथ्य होने चाहिए। अतः इसके लिए उन्हें एक ओर विदेश मन्त्रालय और दूसरी ओर गृह मन्त्रालय से घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना होगा। जनरल सिन्हा ने सरकार को जो कुछ भी सुझाव दिया है, मैं माननीय रक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

मैं यह कह रहा था कि रक्षा मन्त्रालय ने इस बार गोपनीयता की भावना नहीं रखी है। मैं रक्षा मंत्री से यह कहूंगा कि वह विपक्ष को अपने विश्वास में लें और वह विपक्षी नेताओं की एक बैठक का आयोजन करें तथा रक्षा की तैयारियों के बारे में चर्चा करें रक्षा के बारे में विचार विनियम जरूरी है।

जहां तक रक्षा को नई दिशा देने का सम्बन्ध है, मैं रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हम अपनी रक्षा नीति का दिशा-निर्देश कैसे करते हैं? क्या यह सम्पूर्ण विश्व को ध्यान में रख कर, बनाई जाती है, क्या यह उप-महाद्वीप अथवा महाद्वीप आधार पर बनाई जाती है। अथवा यह भारत के एशिया में सबसे बड़ा देश होने के आधार पर बनाई जाती है।

मैं महसूस करता हूं कि जनरल सिन्हा के पास तर्क है। उनका कहना है कि भारत को सिंगापुर और स्वेज के बीच एक प्रबल शक्ति होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि भारत को सिंगापुर और स्वेज के बीच एक शक्ति होना चाहिए किन्तु मेरा तर्क जनरल सिन्हा से अलग है। इसके पृथक कारण हैं। मैं भारत को एक प्रबल शक्ति के रूप में देखना चाहता हूं। अतः रक्षा नीति को दिशा-निर्देश दिया जाना जरूरी है। भारत को विश्व में क्यों भूमिका निभानी है, तथा इसे एशिया में क्या भूमिका निभानी है? जब हम रक्षा तैयारियों की ओर देखते हैं और जब हम यह आंकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि हम भारतीय सुरक्षा को केवल पाकिस्तान की दृष्टि से ही देखते हैं। यह कोई सनक नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच क्या होता रहा है। मैं इसे कभी भी सनक नहीं कहूंगा किन्तु हमें हमेशा अपनी रक्षा नीति केवल पाकिस्तान को ही ध्यान में रखकर नहीं बनानी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय रक्षा मन्त्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि यदि हम पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण कारण समझते रहे तब एक बात जरूर है कि इस वार्षिक रिपोर्ट से कोई भय की भावना व्यक्त नहीं होती। किन्तु इससे देश को इस बात की जानकारी हो जाती है कि पाकिस्तान किस प्रकार के शस्त्र प्राप्त कर रहा है। किन्तु पाकिस्तान अब इन्हें खरीद रहा है और सुधरे तथा नये शस्त्र भी पाकिस्तान को मिलेंगे और हमें इसका मुकाबला निरंतर करते रहना चाहिए।

पिछली बार, जनरल उस्तीनोव यहां आये थे। उस समय यह भावना थी कि हम भी उस प्रकार के शस्त्र खरीदना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान ने अमरीका से खरीदे हैं। क्या हम पाकिस्तान को एक अति महत्व-पूर्ण कारण समझते रहेंगे और हम अपनी सुरक्षा केवल उसी आधार पर करेंगे ? मैं महसूस करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में नीति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्षा को भी राजनीतिक मामले के रूप में लेते हैं। मुझे एक शिकायत है। पिछले महीने श्री राजीव गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने जा रहा है और वह भी काश्मीर की ओर से। मैं नहीं जानता···(**व्यवधान**···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, यहां पर जनरल सिन्हा और राजीव जी का नाम लेने का क्या तात्पर्य है।···(**व्यवधान**)···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं जनरल सिन्हा पर विचार नहीं कर रहा। मैं रक्षा पर बोल रहा हूं। आप मुझे सुनिये।

सभापति महोदय : उनका दो मिनट का समय शेष रह गया है और उन्हें अपना भाषण पूरा कर लेने दें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी सूचना का वह कौन-सा स्रोत है जिससे उन्हें पता चला कि पाकिस्तान काश्मीर की ओर से आक्रमण करेगा। कम-से-कम जम्मू व काश्मीर के लोग यह नहीं समझते कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा। उन्होंने काफी प्रमाण दिए हैं। आप जानते हैं कि काश्मीर ने 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में किस प्रकार सामना किया। रक्षा पर दलगत नीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए और इसलिए मैं यह कह रहा हूं। मैं केवल सूचना का स्रोत जानना चाहता था।···(**व्यवधान**)···

आप लोगों को यह जानना चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वे डा० फारुख अब्दुला द्वारा कहे गये शब्दों को स्वीकार करें। वह सर्व प्रथम और कट्टर राष्ट्रवादी हैं।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड न करें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह क्या है ? उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। मंत्री 2.30 बजे जवाब देंगे। अब समय नहीं बचा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यद्यपि उन्होंने मेरे लिए व्यवधान पैदा किया है। मैंने संतुलन

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बनाये रखने का प्रयास किया। मैं उन्हें केवल यह बता रहा था कि डा० फारुख अब्दुल्ला के शब्दों पर विश्वास करें। वे उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहे।···(व्यवधान)···

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : क्या उक्त सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल दो मिनट रह गए हैं। उसे पूरा करने दें। मन्त्री ने 2.30 बजे उत्तर देना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप मुझे थोड़ा और समय दें क्योंकि ये लोग आधा घण्टा बोलते रहे हैं। फिर भी मैं अपना भाषण पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं यह कह रहा था कि रक्षा का विकास केवल पाकिस्तान को ही एक कारण समझ कर किया जाता है। मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है हमें पूर्णतः तैयार रहना है। यह कोई सनक नहीं है। हमने पहले भी युद्धों का सामना किया है।

ऐसे समय पर, जबकि पाकिस्तान ने अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किया है और हमारी सरकार ने मैत्री संधि का सुझाव दिया है, मैं केवल यही कहूंगा कि माननीय रक्षा मन्त्री को चाहिए कि वह विपक्ष को भी विश्वास में लें ताकि हम अनाक्रमण संधि के लिए सहमति के विषयों और क्षेत्रों को समझ सकें।

मैं पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहा हूं ? इसलिए नहीं कि श्री बीजू पटनायक और श्री जार्ज फर्नान्डीज पाकिस्तान से वापस लौटे हैं और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में इस देश के प्रति अपार सद्भावना है। मैं इसे दूसरे ढंग से सोचता हूं और वह यह है कि पाकिस्तान समान सांस्कृतिक आधार पर खड़ा है इसलिए दोनों देश में एक-दूसरे के लिए समझ और दोस्ती होनी ही चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान सरकार के बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की जनता और इस देश की जनता के बारे में बात करना चाहता हूं। यदि पाकिस्तान बहुत बढ़िया किस्म के हथियार हासिल करें, तो उसी के मुकाबले हम भी ऐसा करें—यह नहीं होना चाहिए।

मैंने जनरल सिन्हा के बारे में बात की थी। मैं अब श्री के० बी० लाल के बारे में बात करूंगा जो काफी साल से रक्षा-सचिव रहे हैं। रक्षा बजट में 450 करोड़ रुपए अधिक शामिल करने के मैं खिलाफ नहीं हूं। किंतु आप जो रक्षा बजट में और अधिक रकम जोड़ते जा रहे हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि श्री के० बी० लाल, मैं और अन्य आपके याद दिलाते हैं कि हमें बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास की जरूरत है। हमारी आबादी का बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। हमें उनके बारे में सोचना होगा। हमें उनकी तंग हाली बनाए नहीं रख सकते। इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय की बढ़िया किस्म की तैयारी के लिए किए गए अनुरोध का समर्थन तो करता हूं किंतु याचना करता हूं और सुझाव देता हूं कि वे दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में तनाव कम किया जा सके।

जम्मू और कश्मीर राज्य में तैनात हथियार बंद फौजों के बारे में मैं यह कहूंगा कि वहां के

नागरिकों से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको शाबासी देता हूं।

जहां तक मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं का सवाल है उन्हें मैं लिखित रूप में अलग से रक्षा मंत्री के सामने पेश करूंगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, रक्षा सम्बन्धी मांगों का समर्थन करते हुए अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की रक्षा करना प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है और भारत के संविधान में यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के रक्षा मन्त्रालय को सौंपी गई है। उस जिम्मेदारी को जब तक रक्षा मन्त्रालय संभाल नहीं सकता तब तक केन्द्र मजबूत नहीं हो सकता। अभी यह प्रश्न चल रहा है कि राज्यों को अधिकार दिए जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के अधिकार देकर केन्द्र को कमजोर कर दिया गया तो हमारे देश का अस्तित्व और आजादी खतरे में पड़ सकती है। अभी हमारी पार्टी और विरोध पक्ष के जितने भी सदस्य बोले हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें रक्षा व्यय में वृद्धि करनी है, कटौती नहीं करनी है। हमारे सामने जो भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, उनका मुकाबला करना है।

2.00 म० प० **(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)**

जिस प्रकार अमरीका पाकिस्तान को हाथियारों से तैयार कर रहा है उस प्रकार हमें भी तैयार होना है। लेकिन मुझे दुख होता है जब इस रिपोर्ट की सुरक्षा परिवेश के बारे में पढ़ते हैं। उसमें जिस प्रकार का विवरण दिया है उससे ऐसा लगता है कि दोनों महा-शक्तियों को हम बराबर के रैंक पर रखते हैं, जो उचित नहीं है। पाकिस्तान को अमरीका 3,2 बिलियन डालर्स की सामरिक सहायता दे रहा है जैसा कि विवरण में दिया गया है इसलिये दोनों महा-शक्तियों को बराबर के दर्जे में रखना हमारी भूल है। हमें सही विवरण देना चाहिए।

रूस हमारा मददगार है। 1971 के युद्ध के समय अमरीका ने एक अपना महान बेड़ा आगे लाकर के पाकिस्तान को मदद देने की कोशिश की थी। उस समय रूस ने हमारी मदद की और समय-समय पर मदद देता रहा है, और शस्त्रों को देने में भी मदद कर रहा है। आज अमरीका पाकिस्तान को एफ 16 लड़ाकू विमान दे रहा है तो रूस ने हमें मिग 29 विमान देना स्वीकार किया है। तो दोनों महा-शक्तियों को बराबर समझें यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। और जो विवरण दिया है वह मेरी समझ में नहीं आता। रक्षा मंत्री जी को इस बुक्लेट में दिये गये चैप्टर को विशेष तौर पर पढ़ना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय के रिसर्च और डेवलपमेंट विंग ने काफी उन्नति की है, हम विजयन्त टैंक में सुधार कर रहे हैं, मेन बैटल टैंक चेतक के बारे में भी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमें और भी प्रगति करनी है और इस काम के लिये हमें रक्षा मंत्रालय के टोटल 6,800 करोड़ रु० के बजट में से रिसर्च के काम पर 2.5 परसेंट की जगह 10 परसेंट तक खर्च करना चाहिये, क्योंकि आज के युग में रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है तभी हम सेल्फ रिलायेंट हो सकते हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। रक्षा मन्त्री जी, आप जब जैसलमेर आये थे तो आपने कहा था कि जैसलमेर और बाड़मेर में कैन्टोनमेंट स्थापित होने चाहिए। इस बारे में राज्य

सरकार ने अपनी सिफारिश कर के भेज दी है, अब आप इस दिशा में जल्दी-से-जल्दी काम कर के वहां कैन्टोनमेंट स्थापित कीजिए ताकि हमारी फौज के रहने की वहां व्यवस्था हो सके।

ऐक्सरसाइज के समय हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आयी हैं और वह यह कि ऐक्सरसाइज के समय सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें उन्होंने तहस-नहस कर दी हैं जिससे करोड़ों रु० का हमारे क्षेत्र में नुकसान हो गया है। आप उन सड़कों की जल्दी से जल्दी ठीक कराइये और हमारी राज्य सरकार को कम्पेनसेट कीजिए। हमें रेगिस्तानी क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र के हैं और ऐक्सरसाइज के समय राज्य सरकार की सड़कों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है, बड़ी-बड़ी डामर और ग्रैवल की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। आप अगर कम्पेनसेशन देने को ऐग्री नहीं करते हैं तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐक्सरसाइज के समय जो स्थिति हमारी सड़कों की होती है, कम-से-कम ऐक्सरसाइज के बाद उन सड़कों की वैसी स्थिति तो करा दें जैसी कि पहले थी।

इस सम्बन्ध में आपको पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। मिलेट्री वाले 3,3 महीने तक वहां उपलब्ध पानी का उपयोग करते हैं, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पाता। आप इस सम्बन्ध में खुद अपनी इंडिपेडेंट व्यवस्था करें और हमारी मदद करें।

हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के पास उधर पाकिस्तान बड़े जोरों से सैनिक अभ्यास कर रहा है जो बड़ा भारी चिन्ता का कारण वहां से लोगों के लिये बन गया है। हम बार-बार मांग करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों को उत्साहित करने के लिये वहां पर आल इण्डिया रेडियो स्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। डिफैंस प्वाइन्ट आफ व्यूरो में यह बात कह रहा हूं क्योंकि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के 50 प्रतिशत लोग हिन्दुस्तान के रेडियो को सुन नहीं पाते हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है जबकि पाकिस्तान और लाहौर रेडियो की आवाज उन तक खूब जोरों से पहुंचती है। स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट आफ व्यू से यह बहुत जरूरी है। यदि कहीं युद्ध होता है तो हमारे देश की जानकारी लोगों को नहीं मिलती है।

जब मिलेट्री फोर्सेस 3 महीने तक वहां एक्सरसाइज करती हैं तो रोड नं० 15, राष्ट्रीय मार्ग पर बड़ा भारी रश होता है। उस समय वन-वे होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कोई जवाब नहीं आया है। वहां डबल-वे होना चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : इसके बारे में कल बात हुई थी। शायद आप उपस्थित नहीं थे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या जवाब दिया है ? क्या निर्णय हुआ है, यह नहीं बताया इस सम्बन्ध में में कार्यवाही नहीं हो सकती है।

आज टेलीविजन का जो विस्तार हुआ है, हमारे यहां पोजीशन यह है कि·····

सभापति महोदय : ये मंत्री इसका उत्तर कैसे देंगे ? आप रक्षा के बारे में बोलें न।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जयपुर और जोधपुर के रेडियो स्टेशन से आवाज नहीं आती है।

एन० सी० सी० और प्रादेशिक सेना का विस्तार हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर से होना चाहिए। यह सैकिंड लाइन आफ डिफैंस है। हमारे क्षेत्र के लोग अगर युद्ध होता है तो युद्ध के प्रहरी हैं और वह डटकर मुकाबला कर सकते हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री श्री के० पी० सिंह देव ने कल ही इसके बारे में बताया था। अब अपनी बात जरा जल्दी समाप्त करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मंत्री जी ने इसके बारे में कह जरूर दिया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है, चार वर्ष हो गए हैं। एन० सी० सी० और प्रादेशिक सेना के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार का विस्तार किया गया है ?

इन शब्दों के साथ में रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : रक्षा मंत्रालय के इस वाद-विवाद में दखल देते हुए सबसे पहले तो मैं सशस्त्र सेनाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। जैसाकि आप जानते हैं कि मैं तो ज्वालामुखी के मुहाने पर ही बैठा हूं। जबसे हमें आजादी मिली है, उसी दिन से जहां मैं रहता हूं जिस जगह से मैं हूं वहां अनेक तरफ से लगातार हमले होते रहते हैं और लगभग चार दशकों से मेरा सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्ध रहा है। मैंने उन्हें युद्ध और शांति दोनों में ही देखा है। मैंने उन्हें जमीन पर और आकाश में लड़ते देखा है। शायद आप जानते होंगे कि मैं भारतीय स्थल सेना में ऑनटेरी मेजर जनरल भी हूं इसीलिए मैं इस सर्विस को मात्र एक अन्य बल के रूप में ही नहीं देखता।

ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिसका एक अन्य वक्ता ने भी उल्लेख किया है कि संकट आने पर देश की रक्षा करने के अलावा, सीमा क्षेत्रों में अपने कार्य कलाप जारी रखते हुए भी ये सशस्त्र सेनाएं स्थानीय जनता के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हुयी हैं। मैं इसके अनेक उदहारण दे सकता हूं। उन्होंने चाहे वह लद्दाख हो या कोई घाटी हो या जम्मू ही हो जिस तरह से उन्होंने असैनिक आबादी को चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सम्बन्धी और सड़क सुविधाएं जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवायीं हैं उसका प्रचार नहीं किया गया है क्योंकि सम्भवत: वह नियम के अनुरूप नहीं है शायद वे ऐसा नहीं कर सकते। किन्तु उन्होंने जी-जान से मदद की है। अभी एक महीने पहले एक सीमा प्रदेश में गया था जिसमें एक सैनिक समारोह हुआ था जिसे फौजी मेला कहा जाता है उसमें जिस तरह से स्थानीय जनता धर्म, दल बन्दी के भेदभाव को भूलकर सैनिकों से मेल-जोल बढ़ा रही थी उससे मन भाव-विभोर हो गया, मेरे विचार में इस बात को रिकार्ड में अवश्य दर्ज करना चाहिए।

मैं पेंशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे युवा राज्य रक्षा मंत्री ने निस्संदेह कल इसके बारे में चर्चा की थी। इस अवसर पर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि पेंशन संशोधन से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा निराशा हुई है। मैं अपने रक्षा मंत्री जो बहुत अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री है उनसे अनुरोध करता हूं कि उसके बारे में फिर से विचार करें क्योंकि जब आपने भूतपूर्व सैनिकों के बारे में इनका काम किया है और जब आपने उनके कल्याण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का एक वर्ग असन्तुष्ट क्यों रह गया है ? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देने लगे हैं।

मैं अपने सीमित समय में दो मुख्य बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। पहली है हमारे सुरक्षात्मक वातावरण का ह्रास जिसका विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट तथा रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है अतः इसे गौण नहीं कहा जा सकता। मैंने इसके बारे में कुछ विचार भी सुने हैं—मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता—उसमें इस दिशा में विचार किया गया है कि यह राजनैतिक कुचक्र है। इस विचारधारा के सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद के इतिहास को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए—1947, 1962, 1965 और 1971 में चार बार जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण हुए थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अत्यधिक चर्चित शिमला समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर कभी भी भारत का शासन स्वीकार नहीं किया। हमें कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं किसी तरह से डराना नहीं चाहता। मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि प्रक्रिया स्वरूप डर होना ही चाहिए। किन्तु कुछ सचाई तो है ही। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में भारत का हजारों वर्ग मील क्षेत्र विदेशी दरवाजे में है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें समय बीतने के साथ बहुत से लोग भूलते दीखते हैं। महोदय, जो जातियां और राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाते हैं उसे दुहराना उनकी नियति बन जाती है। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात को अपने मन में बिल्कुल साफ तौर से बैठा लेना चाहिए कि इस खतरे पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यह खतरा सीधे केवल पाकिस्तान से ही नहीं है—यह सच है कि पाकिस्तान के घातक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है, और यह दर्शाया गया है कि अफगानिस्तान से होने वाले खतरे का सामना करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। किन्तु क्या पाकिस्तान को दिया गया कोई भी हथियार पाकिस्तान की जनता या भारत की जनता के खिलाफ बरते जाने के अलावा कहीं और इस्तेमाल में आया है? एक भी उदाहरण आप बता दें जब कि पाकिस्तान ने एक गोली का भी इस्तेमाल नहीं और ये हुए आक्रमण का सामना करने के लिए किया हो।

बहुत से लोगों की राय है कि भारत बहुत बड़ा है और आकार में उनसे दस गुना बड़ा है। हम चिंता क्यों करें? यह गलतफहमी है। किन्तु ह्वेल शार्क से बहुत बड़ी होती है। किन्तु यदि वह समुचित रूप से हथियार बन्द न हों तो शार्क ही ह्वेल पर आक्रमण करती है और यह जरूरी नहीं कि ह्वेल ही शार्क पर हमला करे। मैं इसे और ज्यादा स्पष्ट करना जरूरी नहीं समझता। भारत को कई ओर से खतरा है जबकि पाकिस्तान की भारत के मुकाबले यह स्थिति घिसी हुई है। और जैसा कि मुझसे पहले के वक्तव्य ने कहा इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो सुरक्षात्मक वातावरण का ह्रास कर रही हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा है और हमारी देहरी पर हो रही उच्च शक्ति प्रतिद्वंद्विता से भी हमें खतरा है। अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं हैं; दिएगो जार्शिया में अमरीकी सेनायें हैं। मैं सबको सामना नहीं मान रहा जैसाकि अन्य लोगों ने कहा है। मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें समान मानना ही होगा क्योंकि जब वे लड़ेंगे तो वे अपने स्वार्थ पर ही ध्यान देंगे। हमारे हितों पर नहीं। तो महोदय हमारी दहलीज पर विकसित हो रही परमाणु क्षमताओं के साथ, शीत युद्ध के बढ़ते तापमान के साथ मेरा खयाल है कि हमारी सुरक्षा या सुरक्षात्मक वातावरण का सचमुच ह्रास हो रहा है। यदि इसी रिपोर्ट की आलोचना की गई है, तो मैं यह कहूंगा कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सम्भवतः इस ह्रास को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है। मैं जानता हूं कि दोनों ही सरकारी रिपोर्ट हैं। उस में काम का विभाजन तो है कि रक्षा मंत्रालय रक्षा सम्बन्धी मामलों की ही चर्चा करें। किन्तु मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे को नोट किया जाना चाहिए (**व्यवधान**) कि चूंकि सभी मांगों पर साथ ही वाद-विवाद किया जा रहा है इसलिए सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि विदेश

मंत्रालय इस रिपोर्ट को पेश करते हुए सुरक्षात्मक वातावरण की समस्या को अलग रखे और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में ही इसे शामिल होने दे। इस रिपोर्ट में भी अनेक मुद्दे हैं। मैं उन सभी की चर्चा नहीं कर सकता। इसमें अनेक तकनकी मुद्दे भी शामिल हैं। अनेक तो पूर्ववती वक्ताओं द्वारा उठाए गए हैं। फिर भी मेरा ख्याल है कि एक मुद्दे पर चर्चा नहीं की गयी है और इस रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। शक्तिशाली देशों अथवा उनका समर्थन प्राप्त देशों की नाभिकीय लड़ाई में भारत को ये खतरा है। ये गलत धारणा है कि ये खतरा केवल पश्चिम के विकसित देशों अथवा दो खण्डों के ही हैं। ऐसा नहीं है।

आजकल नाभिकीय प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो चुकी है कि यदि विश्व में कहीं भी नाभिकीय अग्निकाण्ड होता है तो पूरी धरती इसकी चपेट में आ जाएगी। मैं नहीं जानता कि यहां उपस्थित कितने सदस्यों ने फिल्म 'दि डे आफ्टर' देखी है। मैं सुझाव देता हूं कि रक्षा मंत्रालय अथवा शिक्षा मंत्रालय जो भी इस मामले से सम्बन्धित हो संसद सदस्यों के लिए इस फिल्म का एक विशेष शो दिखाने की व्यवस्था करें। इस फिल्म की मेरी आलोचना ये है कि जो भी 'दि डे आफ्टर' में दिखाया गया है वह कम है, वास्तव में जो होता है तो उससे बहुत बुरा होता है। आप बुद्धिजीवी हैं, महोदय, मैं आपसे एक पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता हूं जिसे कि 'जोनाथन शैल द्वारा 'दि फेट आफ अर्थ' कहा गया है। हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि कार्ल सैगन तथा अन्य विश्वविख्यात वैज्ञानिकों ने नाभिकीय युद्ध होने पर क्या होगा, इस बारे में क्या कहा है। इसके कारण वातावरण में मिलने वाला प्रदूषण सूरज को पूरी तरह से ढक देगा। और एक काला बादल पूरी दुनिया को ढक लेगा। तापमान गिर जाएगा। दिल्ली में तापमान पानी के जमने से भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। क्या हममें से किसी को भी ये अन्दाजा है कि नाभिकीय युद्ध होने पर क्या होगा। बाहर प्रत्येक ख्याल पर लोगों के लिए यही बड़ा विषय है और हम यहां भारत में इस बात के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम उस चरण पर हैं कि मानवता इतिहास के विपरीत जा रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने हमें अत्यन्त शक्तिवान बना दिया है। वह शक्ति गरीबी, बिमारी तथा मुसीबतों को विश्व से हटा सकती है और वही शक्ति यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो इस धरती से न केवल इन्सान अपितु सभी बड़ी जीव जन्तुओं को नष्ट कर सकती है। अतएव हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए।

महोदय, हमारा एक ऐसा देश है जिसे दार्शनिकता तथा वैज्ञानिकता दोनों बपौती में मिली है। यदि ऐसा कोई देश है जो विज्ञान तथा अध्यात्म दोनों में संश्लेषण कर सकता है वह केवल भारत है। अतएव हमें अपने राजनयिक प्रयत्नों को जारी रखना चाहिए। ये विदेशी मामलों पर चर्चा नहीं है इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता—न केवल 'नाम' का नेता होने के कारण बल्कि इन दोनों खण्डों में नई पीढ़ी की शांति के पक्ष में गहरी भावनाएं हैं। जबान पीढ़ी जो कि इंसानों का जीवन चाहती है, बहुत चिंतित है। यदि भारत इन्सानों पर छाए इस पागलपन के विरुद्ध जेहाद शुरू करता है तो ये एक महान सेवा होगी।

महोदय मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें ये बताएं कि क्या भारत को अपनी सीमा से बाहर नाभिकीय युद्ध से खतरे का कोई स्पष्ट आभास है। यदि है तो क्या हमने इस बारे में कोई अध्ययन शुरू किया है? हमारे देश में विश्व की उच्चतम कोटि के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी-विद तथा विचारक हैं। क्या इस बात के अध्ययन के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं कि इससे भारत की क्या दशा हो सकती है तथा क्या प्रभाव हो सकता है? ये मैं जानता हूं कि यदि कोई बड़ी लड़ाई हो जाती है तो सम्भवतः कोई भी

नहीं बचेगा परन्तु एक और सम्भावना है—सीमित नाभिकीय युद्ध जो कि सीधे बड़ी ताकतों के बीच न हो—उस मामले में क्या हमने अपनी नीति पर विचार किया है। और यदि हम अपने लोगों को खतरे की सम्भावना की जानकारी दे दें तो शायद लाखों लोगों की जानें बच सकती हैं। भारत में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हम एफ-16 एस के बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। परंतु इसके बावजूद क्या हम जागरूक हैं। क्या हमें अपने लोगों को इस बारे में शिक्षित नहीं करना चाहिए ?

महोदय, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। दो, सप्ताह पूर्व बंगलौर में कुछ युवा इन्जीनियरों ने 'दि डे आफ्टर' अर्थात नाभिकीय दौरे में भारत के बचने के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया था। इन युवाओं ने मुझे आमंत्रित किया। उन युवाओं की दिलचस्पी देखने लायक थी। वे प्रणवद्ध थे वे इन समस्याओं पर विचार कर रहे थे परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी रूढ़िगत बुद्धिमता अब तक पुरानी तकनीक के अनुसार काम करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये नहीं मालूम कि युद्ध के शस्त्र पूर्णतया बदल चुके हैं और तत्सम्बन्धी जागरूकता में भी परिवर्तन आना चाहिए ताकि भारत राजनीतिक राजनयिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में इस बात के लिए प्रयत्न कर सके कि मानव जाति की ये भयावह धमकी न दी जा सके। यदि माननीय मंत्री हमें इस सम्बन्ध में अपने विचारों से अवगत करायें तो मैं आभारी रहूंगा।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है, रक्षा कार्यक्रम के कुछ पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा कुछ पक्षों के बारे में आलोचना की है। इस पर बिना किसी भेदभाव के चर्चा हुई है। वास्तव में सदन में इस बात पर सभी सहमत हैं कि सुरक्षा प्रबंध मजबूत होने चाहियें। सभी मानते हैं कि हमें अपने धन का पुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमारी मुद्रा उस व्यय के योग्य होनी चाहिए जो हम करते हैं। एास्तव में यदि आप सभी भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनें जैसे कि मैंने किया है तो आप ये पायेंगे कि कुछ बातों को छोड़कर जैसे कि सेना हेलीकोप्टर होने चाहियें या नहीं, संयुक्त कमांडर अथवा अलग कमांडर कहां पर होने चाहिए तथा कुछ और ऐसी ही बातें, हमारे रक्षा मामलों के सम्बन्ध में बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है कि इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसलिए चर्चा का उत्तर देने में मेरा काम आसान हो गया है। मैं कुछ सामान्य मुद्दों पर मोटे तौर पर बात करूंगा और इसके बाद अलग-अलग सदस्यों के सुझावों के बारे में बात करूंगा। मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि भारत का सुरक्षा पर व्यय अत्यधिक है। ये बात कुछ लोगों द्वारा जान-बूझ कर फैलाई गई है कि हम अत्यधिक व्यय कर रहे हैं और हमारा देश इस प्रकार का व्यय वहन नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : इस सदन में नहीं बाहर।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए ही मैंने जान-बूझकर कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई बात कहा है। 1980-81 में हमारा रक्षा पर व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.37 प्रतिशत था। 1981-82 में ये 3.53 प्रतिशत था। 1982-83 में पाकिस्तान ने आधुनिक हथियार तथा उपस्कर प्राप्त करने शुरू कर दिए तो ये 0.2 प्रतिशत से 3.73 प्रतिशत तक बढ़ा और 1983-84 में हमारा बजट-अनुमान 3.7 प्रतिशत का है। मैं इन आंकड़ों की कुछ अन्य देशों से तुलना करना चाहता हूं।

डा० स्वामी की ये जानने में दिलचस्पी हो सकती है। ईजराइल का रक्षा पर व्यय अपने कुल

राष्ट्रीय उत्पादन का 37.9 प्रतिशत है। मिस्र का 7.4 प्रतिशत इंग्लैंड-5.1 प्रतिशत, रूस के आंकड़े उपलब्ध नहीं है और अमेरिका का 7.2 प्रतिशत।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: 14 प्रतिशत।

श्री आर० वेंकटरामन: ये आपका अंदाजा है। **मिलिटरी बैलेंस** के अनुसार वर्ष 1982 के लिए भारत के 3.2 प्रतिशत के मुकाबले पाकिस्तान का 7 प्रतिशत व्यय है। ये आंकड़े मैं मिलिटरी बैलेंस से ले रहा हूं। वास्तव में इजराइल का प्रति व्यक्ति व्यय 2060 डालर है मिस्र का 56 डालर, इंग्लैंड का 432 डालर तथा अमेरिका का 938 डालर, पाकिस्तान का 20 डालर और भारत का 8 डालर है।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) जनसंख्या अधिक है।

श्री आर० वेंकटरामन: आप इसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत मानें अथवा प्रति व्यक्ति रक्षा व्यय मानें हम इन देशों में निम्नतम स्थान पर आते हैं। इसलिए यह तर्क कि हम सुरक्षा पर अत्याधिक व्यय कर रहे हैं तुलना पर खरा नहीं उतरता। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत सुरक्षा के लिए समुचित व्यय है। मैं केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। मैं सदन तथा देश को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा रक्षा व्यय निम्नतम में से एक है। हम लड़ाई में नहीं उलझ रहे और न ही केवल उन्हें जमा करने के लिए हथियार अथवा उपस्कर खरीदने वाले हैं हम तो केवल वही कर रहे हैं जो हमारी सुरक्षा की न्यूनतम आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैर-विकासीय व्यय की तुलना में सुरक्षा व्यय 44.41 प्रतिशत था। 1982-83 में ये 27.77 प्रतिशत तक हो गया। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के व्यय की तुलना में ये 16 प्रतिशत है। 1980-81 में ये 16 प्रतिशत था, 1981-82 में 17.61 प्रतिशत और 1982-83 में ये 15.83 प्रतिशत था और चालू बजट अनुमानों में ये 15.98 प्रतिशत अथवा अनुमान तथा 16 प्रतिशत होगा। इसलिए हमारा मिलिटरी व्यय इतना अधिक नहीं है कि उसकी आलोचना की जा सके।

वर्षों तक हमें अपना रक्षा व्यय बढ़ाना पड़ा, हमें इस व्यय को विभिन्न स्थानों पर आबंटित करना पड़ा ताकि वो विकृति जो पहले इसमें आ गई थी उसे दूर किया जा सके। वास्तव में 1980-81 में पूर्व नौसेना की 9 प्रतिशत से भी कम मिल रहा था: वर्षों तक हम इसमें वृद्धि करते आए हैं और वर्ष 1983-84 के बजट में नौसेना के 11.1 प्रतिशत प्राप्त होगा। 1984-85 में इसे 11.7 प्रतिशत मिलेगा। किसी माननीय सदस्य, मेरे विचार से श्री शिवप्रकाशम ने कहा था कि हम नौसेना पर केवल 7 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं ये आंकड़े अशुद्ध हैं उन्होंने सम्भवत: पिछली बार का हवाला दिया हो।

रक्षा मन्त्रालय को अपनी योजना में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। वर्ष 1979-84 के लिए रक्षा हेतु एक योजना थी। उस समय पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र की पूर्ति में वृद्धि का खतरा भी सामने नहीं था, वर्ष 1980 के आरम्भ में विश्व की स्थिति में अन्तर आया और अमरीका की समर नीति का हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया और इसीलिए हमें पता चला कि 1979-84 की मूल योजना इस स्थिति का सामना करने में समर्थ नहीं है अत: इस योजना में संशोधन कर इसे 1980-85 योजना का रूप दिया गया। हमें आगामी 20 वर्षों के लिए भावी योजना पर भी विचार करना है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि किसी विमान का विकास करने, युद्धपोत का निर्माण करने

तथा सभी नौसेना सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण में दस वर्ष से भी अधिक लगते हैं और इसलिए इसी नई स्थिति में पांच वर्ष के लिए किसी योजना का निर्धारण करने का मूल विचार उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में युक्तिसंगत नहीं है। वर्ष 1980-85 की योजना में हमने स्थल सेना के लिए 13500 करोड़ रुपए, नौसेना के लिए 3488 करोड़ रुपए तथा वायुसेना के लिए 7477 करोड़ रुपए रक्षा उत्पादन के लिए 4569 करोड़ रुपए तथा अनुसंधान और विकास के लिए 679 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि "वर्ष 1980-85 से संगत योजना 1980-82 में कैसे बनाई जा सकती है? स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह नहीं जानते हैं कि एक 1979-84 योजना कार्यान्वित थी और पहले दो—वर्षों में पिछली योजना का अनुकरण किया गया था। जब हमें पता चला कि स्थिति बदल गई है तो अपनी रक्षा-सेवाओं को समुचित रूप में रखने के लिए हमें और अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ी। हमें धनराशि बढ़ानी पड़ी; और तब 1982-85 के बाद से वृद्धि होती गई।

मैं यहीं एक या दो और बातों का उल्लेख करूंगा। सरकारी क्षेत्र के एककों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है 1982-83 में निर्दिष्ट राशि 610.28 करोड़ रुपए थी, और 1983-84 में यह 711 करोड़ रुपए थी तथा 1982-83 में उत्पादन 1144 करोड़ रुपए मूल्य का था और 1983-84 में 1392 करोड़ रुपए का होने की सम्भावना है। जब पूरे देश में पूंजी उत्पादन अनुपात 6:1, 5:1 या 4:1 है तो रक्षा सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र में पूंजी उत्पादन अनुपात 1:2 ही है। निविष्ट पूंजी की एक इकाई के मुकाबले उत्पादन दो ही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह लगाये गये मूल्यों पर ही निर्भर है न।

श्री आर० वेंकटरामन : डा० स्वामी अपनी ताकत बरबाद न करें क्योंकि मैं इस तरह पूछी गई बातों का जवाब नहीं दूंगा।

लाभ में भी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष यह 69 करोड़ रुपए था इस समय यह 72 करोड़ रुपए है। कुल 72 करोड़ रुपए का यह लाभ तीन एककों में 32 करोड़ रुपए के नुकसान को पूरा करने के के बावजूद हुआ ये तीन एकक हैं—गार्डनरीव वर्कशाप, मि० धा० नि० तथा भारत डायना मिक्स। मि० धा० नि० तथा भारत डायनामिक्स अनुसंधान संस्थान हैं। वस्तुत: मिश्र धातु निगम धातु विज्ञान में व्यय का भी अनुसंधान और विकास कर रहा है। 'क्रंचन आर्मर' जिसका पिछली बार मैंने बड़े गर्व से उल्लेख किया था और अब भी करता हूं निर्माण व्यय वस्तुत: मि० धा० नि० में ही होगा। नुकसान को पूरा करने के बावजूद लाभ 72 करोड़ रुपए है जो पूंजी का 10 प्रतिशत है।

मेरे माननीय सहयोगी श्री सिंह देव ने इसके बारे में बताया है वह इसके प्रभारी हैं—यथा रक्षा-उत्पादन, आयुध कारखाने, एन० सी० सी०, प्रादेशिक सेना, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि। उन्होंने यह काम इतना अच्छा किया है कि सिवाय उनके द्वारा किए गए काम के ढंग की प्रशंसा करने के मुझे शायद ही कुछ करना पड़ा हो वस्तुत: वे इतने विनम्र हैं कि उन्होंने सभा को यह भी नहीं बताया कि वे भूतपूर्व सैनिकों के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति के चेयरमैन हैं। मैं उन पहलुओं की चर्चा नहीं करूंगा।

रक्षा सम्बन्धी विचार-विमर्श में जनसामान्य से सम्बन्धित बात यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वरूप क्या हो तथा सुरक्षा सम्बन्धी माहौल कैसा हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और उससे निपटने हेतु आप क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अन्य सभी बातें इसी की सीमा में आती हैं। जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी माहौल का प्रश्न है, उस पर विचार करने से पहले हमें सबसे पहले भारत के उत्तर दायित्व के बारे में समझना चाहिए। हमारे कुछ दूरवर्ती क्षेत्र यथा लक्षद्वीप और अण्डमान द्वीप आदि हैं। बम्बई हाई में एक तेल अधिष्ठापन है। 6000 कि० मी० से ज्यादा लम्बा समुद्र तट है। भूमि सीमा भी लगभग बराबर लम्बाई की ही है। इसीलिए अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा हमारा उत्तरदायित्व अधिक है।

पिछले वर्ष मैंने हमारी जो रक्षा नीति उसकी आधार भूत बातों का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि हमारी रक्षा नीति गुट-निरपेक्षता और शांति के प्रति वचनबद्ध है। हम किसी भी देश का हथियाने के इच्छुक नहीं हैं और हमने किसी भी देश का एक इंच भी क्षेत्र कभी नहीं लिया है। हमें किसी क्षेत्र या समूह का नेता बनाने की भी इच्छा नहीं है। हम यह भली भांति जानते हैं कि नेतागिरी की इच्छा से ही मुकाबले की भावना घर कर लेती है जिसके परिणामस्वरूप द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमें किसी भी समूह या क्षेत्र आदि का नेता बनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि हम शांति पूर्ण वार्ताओं के माध्यम से सभी विवादों को निपटाए जाने के सिद्धांत के प्रति वचन बद्ध हैं। चीन के सन्दर्भ में हमने कोलम्बो प्रस्तावों का पूरी तरह से सम्मान किया था। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है हमने नियन्त्रण सीमा रेखा का सख्ती से अनुपालन किया है। वस्तुत: यदि इतिहास को देखें तो पायेंगे कि एक लम्बे अरसे से हमने कोई हिंसात्मक कार्यवाही की ही नहीं है। और इसीलिए हमें इन सिद्धांतों से संगति रखते हुए रक्षा नीति निर्धारित करनी पड़ी है, और हमें चाहिए कि हम ऐसे हथियारों से अपने आपको सुसज्जित करें जो मेरे बताए गए पूर्वोक्त सिद्धांतों की ही पुष्टि करें। किन्तु पड़ोसी देश में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। इन्द्रजीत गुप्त ने ही बताया है कि वर्ष 1981 के बाद से अमरीका ने पाकिस्तान को अपनी समरनीति का केन्द्र बना दिया है, और अपनी नीति को पुष्ट करने के लिए ही वे पाकिस्तान को ऐसे उपकरण और हथियार भेज रहे हैं जो केवल भारत के अनुसार ही नही वरन् विश्व के सभी विचारशील लोगों के अनुसार उस देश की रक्षा आवश्यकता से बहुत ज्यादा हैं।

मैं सभा को विश्वास में लेते हुए कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें पाकिस्तान प्राप्त कर रहा है। यह कोई गोपनीय बात नहीं है। अद्यतन **मिलिटरी बैलेन्सेज** और अन्य उपलब्ध जानकारियों में इनका स्पष्ट उल्लेख है। असल में तो बात यही है कि मुझे सावधान तो कर ही देना चाहिए। जो कुछ भी दीखता है वह शतप्रतिशत तो सही नहीं ही है। पाकिस्तान अब 400 एन 48 ए 5 टैंक ; 80-टी-59 टैंक, लगभग 400 बखतर बन्द गाड़ियां, लगभग 100 **टोअड** (Towed) 155 एम० एम० तोपें अत्याधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड 155 एम० एम० तोपें तथा लगभग 2000 टो मिशाइलें प्राप्त करेगा। अर्थ ही अनेक नाइट विजन आवजर्वेशन डाक्विपमेंट, इलेक्ट्रानिक क्षेत्र, काउंटर यन्त्र प्राप्त करेगा।

पाकिस्तान वायु सेना को चालीस एफ-16 ; पचपन एफ-5 दो सौ एक एफ-6, पांच मिराज 33 और एम० आर० डी० मिराज प्राप्त होंगे इसके अतिरिक्त एफ-16 मल्टी-स्टेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का सदस्य होने के नाते वे एफ-16 के लिए सभी भावी हथियार प्रणाली प्राप्त करेगा यथा ए० एम० आर० ए० एम० अर्थात् एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और आदि आदि।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है वह विध्वंसक टेंडर पेट्रोल और हाइड्रो-फॉयल मिसाइल नौकाएं, हार्पून मिसाइलें वुलियन फैलेक्स प्रणाली तथा अन्य अनेक चीजें प्राप्त करेगी जिनका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

सभा से मैं यही कहना चाहता हूं कि इन हथियारों से हमें चिन्ता है। श्री स्वामी ने कहा था कि रक्षा की दृष्टि से मात्र व्यक्ति के आशय पर ही केवल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह कथन काफी बुद्धिमत्ता पूर्ण है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धन्यवाद। तो आप कुछ सुधरने लगे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : वस्तुतः किसी भी उपकरण की नाटक क्षमता का ही विशेष महत्व है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही आपसे निवेदन है कि पाकिस्तान की बात करते समय आप अफगानिस्तान का जिक्र भी साथ-साथ करें ? (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : क्या वह हमारा पड़ोसी है ? क्या उनसे हमें खतरा है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वो भाई-भाई हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : आपका उनसे सम्बन्ध हो सकता है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं भारत की रक्षा के लिए ही चिंतित हूं। और मैं इसी बात पर खास ध्यान देता हूं कि किसी भी तरह के खतरे का भारत पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार रहे। मेरी चिंता का विनय भाव यही है। ईश्वर ने हमें विश्व में मध्यस्थता करने के लिए तैनात नहीं किया है और हमने उस तरह का काम करने की कोशिश भी कभी नहीं की है। किन्तु यह सरकार यदि भारत के चारों ओर बनते-बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तैयारी नहीं करती तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा यह सरकार उपेक्षा बरतने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण अपराधी कहलाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही तो मैंने भी कहा था। आशय महत्व पूर्ण नहीं है किन्तु क्षमताएं तो हैं हीं।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने पाकिस्तान के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम उससे अच्छे पड़ोसी की तरह सम्बन्ध रखना चाहते हैं। गठित किए गए संयुक्त आयोग के सन्दर्भ में हमने उनसे बातचीत भी जारी रखी। किन्तु जैसाकि क्रामवेल ने कहा था, "ईश्वर पर विश्वास रखते हुए भी अपने गोला-बारूद तैयार रखने चाहिए।" यदि आप राष्ट्रीय हित की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे शस्त्रों की प्राप्ति के कारण सम्भावित खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त तैयारी करना हमारे लिए पूरी तरह से जरूरी है। मेरा खयाल है कि इस सभा में या देश में अन्यत्र कहीं भी कोई पाकिस्तान द्वारा अपनी रक्षा के लिए इतने आधुनिक हथियार प्राप्त किए जाने को न्यायोचित नहीं मानता होगा।

वास्तव में कुछ तर्कों का जिन्हें वे पहले दिया करते थे स्वयं खण्ड किया है। एक हालत में उन्होंने

कहा कि वे अफगानिस्तान तथा अन्य देशों में संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए ये उपकरण और मिसाइलें चाहते हैं। मैंने पिछले वर्ष वाद-विवाद में यही प्रश्न पूछा था : क्या पनडुब्बियों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के विरुद्ध किया जा सकता है ? क्या हारपून मिसाइलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है ? अतएव जिस ढंग से वे घातक हथियारों का संचय कर रहे हैं वह हमारे लिए चिन्ता का कारण बने बिना नहीं रह सकता। जब वार्ता चलती रहेगी बातचीत चलती रहेगी तो हमें नि:सन्देह अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा : कितनी पाकिस्तानी सेना का जमाव कर दिया गया है ? भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव दूसरे क्षेत्रों में उनके जमाव की तुलना में तीन गुना कर दिया गया है। यदि उद्देश्य वास्तव में अन्य क्षेत्रों में लड़ाई करने का है, तो हमारी सीमा की तरफ सेना तथा हथियारों को इकट्ठा करने पर इतना अधिक ध्यान क्यों दिया जा रहा है ? मैं संसद की जानकारी में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है, जो उनके द्वारा पहले किए गए किसी युद्धाभ्यास से काफी बड़ा है। आप चाहते हैं कि हम इसे सद्भावना की अभिव्यक्ति के रूप में लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका सुझाव किसने दिया ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : शिमला समझौते की भावना से !

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए, मेरे पास वहां जाकर इनका मुकाबला करने के लिए शस्त्रास्त्रों का पता लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इसका कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप सोवियत संघ से हारपून प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री आर० वेंकटरामन : डा० स्वामी रक्षा सम्बन्धी इन सभी पहलुओं से परिचित नही हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति इनसे परिचित नहीं हो सकता है। मेरे को भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है और इसलिए मैं अनेक बातें बता सकता हूं। रक्षा तैयारी में आप हथियार से हथियार को नहीं मिलाइए बल्कि आप एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली को मिलाइए। और मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हम उस प्रणाली को रक्षा की अपनी प्रणाली से मिलान कर रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : तब क्या समस्या है ? यदि आपकी प्रणाली बेहतर है तो आप इतना अधिक शोर क्यों मचा रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम प्रणालियों का मिलान कर रहे हैं और हम इन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हम धन खर्च करते हैं, और आप लोग कहते हैं आपको धन नहीं खर्च करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, नहीं, जी, नहीं।

श्री बीजू पटनायक : जी, नहीं। आप भोले-भाले बनने का प्रयास मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप यहां आए हैं। आपकी बात पर ही आ रहा हूं। कृपया इन्तजार करें।

श्री बीजू पटनायक : आपको मेरी बात पर ही आना पड़ेगा। मैं आपको इस तरफ दिसम्बर के बाद मिलूंगा। और तब हम युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बातें करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय हृदयों में आशाएं शाश्वत रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। **(व्यवधान)** मैं कम से कम कल्पना की उड़ान से इन्कार क्यों करूं ?

श्री बीजू पटनायक : सच्चाई कल्पना नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे वृद्ध युवा हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री बीजू पटनायक ने एक अन्य वाद-विवाद में यह सुझाव दिया था कि हमें वार्ता शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान ने उन्हें और उनके साथियों को यह आश्वासन दिया है कि "उनका भारत पर आक्रमण करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है और यदि वे चाहते हैं तो वे अधिष्ठापनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक दल भेज सकते हैं तथा जाकर देख सकते हैं।" क्या यह एक पारस्परिक निरीक्षण होगा अथवा एक पक्षीय निरीक्षण ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पारस्परिक।

श्री बीजू पटनायक : स्वाभाविक है, पारस्परिक ही होगा। मैंने 3 दिन पहले सदन में जो कुछ कहा था मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा ; पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मैं जो कुछ समझा हूं वह यह है कि यदि भारत सरकार हमारी अधिष्ठापनाओं, मोर्चों और आप यूं कहिए बहुत बड़े सैन्य-व्यूहों का निरीक्षण करने के लि ए सेना के उच्च अधिकारियों के एक दल को भेजना चाहती है तो उनका स्वागत है कि वे यहां आएं ; देखें ; निरीक्षण करें तथा हमें सलाह दें कि क्या करना है"'।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय मौजूद हैं वे इसका उत्तर देंगे"'।

(व्यवधान)**

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह दी है, मन्त्री महोदय जिस ढंग से चाहेंगे वैसे उससे निपटेंगे।

(व्यवधान)**

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे सदन की व्यवस्था बनाए रखें। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिए मौजूद हैं···।

(व्यवधान)**

कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय : आप मन्त्री महोदय को उत्तर देने का मौका दें। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें···।

(व्यवधान)**

मैं सभी माननीय सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुरोध करूंगा। एक बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

3.00 म० प०

श्री आर० वेंकटारामन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि पाकिस्तान अपने आपको अपनी न्यायो-चित आवश्यकताओं से अधिक अस्त्र-शस्त्रों से लैस कर रहा है जो हमारे लिए भय उत्पन्न कर रहे हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में यह चाहता है कि इस मनोवृत्ति को बदला जाना चाहिए, तो यह अच्छी तरह से कह सकता था "हम वे सभी वस्तुएं प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो हमारी आवश्यकता से परे है; और मैंने इसकी काफी सराहना की होती। यदि श्री बीजू पटनायक ने उनको यह बताया होता, "आप निरीक्षण, दल रखना क्यों चाहते हो? भारत को इसलिए चिंता है क्योंकि आप अत्याधिक शस्त्रास्त्रों का संचय करते जा रहे हो।

श्री बीजू पटनायक : यह बताया गया है।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप···इसे रोक देते हैं तो आपके अपने स्वैच्छिक कार्य से कुछ सौहार्द और सम्बन्धों में सुधार हो जायेगा।" यदि आपने यह कहा होता आपकी सराहना की जाती और आपको सम्मान दिया जाता। इसके विपरीत आप उनसे यह संदेश लाए हैं कि मैं वहां जाऊं और उन सबको देखूं निरीक्षण करूं।

श्री बीजू पटनायक : क्यों नहीं? इसमें परेशानी क्या है?

श्री आर० वेंकटरामन : परेशानी इस बात है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि पाकि-स्तान शस्त्र इकट्ठे करता जा रहा है। वे इन्हें अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सितम्बर में वे कुछ हथियार और अक्तूबर, 1984 में वे कुछ और हथियार प्राप्त करने जा रहे हैं दिसम्बर में वे और अधिक प्राप्त कर लेंगे। यदि वे इन सभी हथियारों का संचय करते रहे और प्राप्त करते रहे तो निरीक्षण की क्या बात है। यदि वे सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में वास्तव में ईमानदार और गम्भीर हैं तो उन्होंने

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

केवल यही कहा होता कि "ठीक है, हम यह शस्त्र प्राप्त नहीं करेंगे ; इसलिए आपको भी और शस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है।" लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है। आपने उन्हें यह नहीं बताया है।

श्री बीजू पटनायक : क्या मैं···

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपना तर्क समाप्त करने के बाद बैठ जाऊंगा।

श्री बीजू पटनायक : आप शब्दों को मेरे मुंह में मत रखिए।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। दूसरे मैं कैसे आश्वत हो जाऊं कि मेरे से समय खरीदने का यह कोई खेल नहीं है। अक्तूबर में वे कुछ और शस्त्र प्राप्त करेंगे। नवम्बर में कुछ और शस्त्र प्राप्त करेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरे से उस समय नाखुश थे जब मैंने यह कहा कि इस समय हमारी शक्ति पाकिस्तान से ज्यादा है, हमारी स्थिति पाकिस्तान से अच्छी है। लेकिन अक्तूबर-नवम्बर तक मैं नहीं जानता, अमरीका किस दर पर पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। अथवा अन्य देश पाकिस्तान को किन किन शस्त्रों की सप्लाई करने जा रहे हैं, उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। आप कैसे इस बात से आश्वस्त हैं कि वे दिलम्बकारी रणनीति का सुझाव देकर भारत से समय खरीदने का खेल खेल रहे हैं ? आप अब इसका उत्तर दे सकते हैं।

15.03 म० प० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : लड़ाई खेल नहीं है ; लड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस मामले से निपटने के लिए काफी सक्षम हैं ; मन्त्री महोदय, मैं दो बातें जानना चाहूंगा। क्या हमारा यह विचार नहीं हो सकता ; मैं आशा करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरे देश, चाहे वह हमारा निकट पड़ोसी है अथवा हमारी सीमाओं से दूर हैं, अपने आपको शस्त्रों, शस्त्र कोई भी हो, हमारी स्वीकृति लेनी पड़ती हो ? यदि ऐसी बात नहीं और यदि वह हमारा पड़ोसी है, और वह इतना मूर्ख है कि एक तरह से अथवा दूसरी तरह से किसी दूसरे के चंगुल में, पड़ता जा रहा है और अपने आपको शस्त्रों से लैस करता जा रहा है, कारण कोई भी हो, हमारे पास इस बात के सिवाए कोई विकल्प नहीं होगा कि अपने आपको आधुनिक हथियारों से लैस करें ताकि हमारी प्रणाली उनकी प्रणाली से मेल खा सके ; वास्तव में हमारे बड़े आकार तथा सामान्य रूप से बड़ी ताकत होने के कारण हमें वह शक्ति बनाए रखनी पड़ेगी चाहे उस पर कितनी ही लागत क्यों न आए, राष्ट्र को उस लागत को वहन करना चाहिए।

जो कुछ मैंने तीन दिन पहले कहा था उस बात पर आते हुए—श्री वेंकटरामन मेरे भाषण को सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं मैंने कहा है "आपने तीन बार हमारे ऊपर आक्रमण किया है ; हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ? आप ये सब काम क्यों करते हो ?" उन्होंने कहा : "जो कुछ हो गया सो हो गया; हमारा यह अधिकार भी है कि हम अपने आपको ठीक करें अथवा अनुभव से सीखें।"

वेंकटरामन जी कभी-कभी हमें कुछ सीखना पड़ता है। आज से बीस साल पहले इस सभा ने नेहरूजी को प्रधानमन्त्री पद से लगभग हटा ही दिया था, इस बात को नहीं भूलिए कि भारत पहले भी

इस समस्या को झेल चुका है। उस समय मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य ही था जो मैं महान नेता प्रधानमंत्री नेहरू की सहायता कर पाया था। और उस व्यक्ति की इसीलिए मौत हो गई क्योंकि हम चीन से बदला नहीं ले पाए। तो हमारी वही समस्याएं हैं। मैं भारत की रक्षा की सीमा को जानता हूं। मुझे अपने कुछ सह कर्मियों द्वारा राष्ट्र की रक्षा के स्वरूप के बारे में सिखाया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। किंतु चूंकि पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रहा है इसलिए हम उनके इस अधिकार को नकार नहीं सकते। मैंने पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा के लिए इतना धन क्यों खर्च कर रहे हैं? इस निर्धन उपमहाद्वीप की रक्षा के लिए 10000 करोड़ रुपए की अपार धनराशि को खर्च करने लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आने दीजिए और निरीक्षण भी करने दीजिए। उन्हीं को यह बताने दीजिए कि हमें कितनी कटौती करनी चाहिए। उन्हें अनुपातिक कटौती करने दीजिए और इससे बात का समाधान हो जाएगा। रक्षा मन्त्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे जो कहते हैं उन्हें आप मान लें। इसमें क्या गलत है? वे जो कहते हैं उसे मानने में क्या हर्ज है?

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया बैठ जाइए, मैंने इस सभा में बिल्कुल साफ-साफ कहा था कि हम उनकी कथनी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : आप कारण तो बताएं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सीधा कारण तो यही है कि वे स्वतन्त्र एजेंट नहीं हैं वे किसी के एजेंट हैं। आप यह क्यों नहीं कहते?

श्री आर० वेंकटरामन : यदि कोई गोला बारूद इकट्ठा करता रहे और यह कहता रहे कि मेरी बात मानिए मैं इसका पूरियां बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा...।

श्री बीजू पटनायक : क्यों? बारूद क्या हमारे पास नहीं है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि बारूद भी न रख सकें। हम पाकिस्तान को दस बार उड़ा सकते हैं, यह बात आप वेंकटरामन जी जानते ही हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर समस्या क्या है?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी बात फिर से दुहराता हूं कि उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका पिछला इतिहास, पिछला आचरण और कार्य से यही स्पष्ट होता है कि जब कभी उन्हें अत्याधुनिक हथियार मिले हैं उनका उन्होंने भारत पर प्रयोग किया है।

श्री बीजू पटनायक : मन्त्री महोदय, चीन के पास इससे भी ज्यादा बारूद है। फिर आप चीन से बातचीत क्यों कर रहे हैं? चीन चाहे तो पूरे भारत को पांच मिनट में उड़ा दें उससे रक्षा के लिए आपके पास व्यवस्था ही नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : जब माननीय सदस्य श्री बीजू पटनायक सभा के इस ओर आ जाएं तो यही विभाग हाथ में लें और फिर वे जो ठीक समझें कर सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : कर सकते हैं कि क्या बात है करूंगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस अध्याय को बन्द करता हूं। अब इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है।

उपाध्य महोदय, यह बताने के बाद कि पाकिस्तान को क्या हथियार मिल रहे हैं यदि मैं यह न बताऊं कि हम किस प्रकार तैयार हैं तो मुझे गलत समझा जायेगा और जनता के मन में यह आशंकाएं पैदा हो जाएंगी कि हम उनके मुकाबले कुछ नहीं है और उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास विजयंत टैंक हैं, टी-72 टैंक हैं। डा० स्वामी यह सोच सकते हैं कि टी०-72 चकमक कीडिनिया हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्ड बोर्ड से बने हुए हैं। पिछले साल उन्होंने यही कहा था।

श्री आर० वेंकटरामन : किन्तु मुझे आश्चर्य है कि वही शक्तियां क्यों इससे भयभीत हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) इज्राइलियों ने लड़ाई में इसे दिलवा दिया था। यह आप भी जानते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : श्री पटनायक के साथ आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए ?

श्री बीजू पटनायक : आप सभी क्यों नहीं चले ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो इस समस्या का समाधान ही हो गया। जब वे आएंगे तभी वे आगे काम करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने टी-82 के बारे में भी कहा था जिन्हें कि अन्य देशों को भी दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : टी-80।

श्री आर० वेंकटरामन : टी-82 या टी-80 अभी कपोल कल्पना ही हैं। उन्होंने हमें नवीनतम मॉडल दिए हैं मैं उनका नम्बर बताना नहीं चाहता। हमें इसके प्रति आश्वस्त किया गया है और हम जानते हैं कि उन्होंने हमें नवीनतम मॉडल दिया है हम 105 एम० एम० बंदूकों का भी प्रयोग करने जा रहे हैं जिन्हें हमने ही तैयार किया है। भारतीय फील्ड गन मार्क-दो ऐसी बंदूक है जिसका मुकाबला किसी के भी द्वारा निर्मित किसी भी बंदूक से किया जा सकता है। हम 155 एम० एम० बंदूकों का भी प्रयोग करने जा रहे हैं। वे इसे किसी और से प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी किसी और से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने टैंकों में रात में लड़ाई करने की क्षमता बनाए रखने के लिए समुचित उपकरणों की व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रानिक डिजिटल उपकरण फिट करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है हमारी फ्रिगेटों, कोरवेट, सी वार्ड रक्षा पोतों, लैंडिंग क्राफ्टों आदि के निर्माण से सम्बन्धित एक स्वदेशी कार्यक्रम है। वस्तुत: मझगांव डाक में गोवा की श्रेणी के तीन फ्रिगेटों का निर्माण हुआ है और हमारे लिए यह अत्यन्त गर्व की बात है। हम पनडुब्बियों तथा माइन का पता लगाने वाले उपस्करों आदि को भी प्राप्त कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि सी हैरियर विमानों को शामिल करके हमने अपने विमान वाहक पोत विक्रांत की क्षमता बढ़ा ली है। आप में से कुछ ने बंबई में हुए युद्धाभ्यास में सी हैरियरों के करतब देखे हैं। यह फिक्सड विंग

वाला विमान है। यह सीधी उड़ान भर सकता है, सीधे नीचे आ सकता है, आगे पीछे, दाएं-बाएं सभी ओर मुड़ सकता है और हथियार की दृष्टि में भी काफी प्रभावशाली है। हम सोवियत रूस से पनडुब्बी मार्क हेलिकॉप्टर टी० यू० 142 तथा अन्य अनेक अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं इन्हें रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान को प्राप्त होने वाले अस्त्र-शस्त्र को मैंने काफी विस्तृत ब्यौरा दिया है और इसीलिए मुझे यह भी बताना है कि हम अपनी खरीदारी और उत्पादन/विनिर्माण के जरिए उनके समकक्ष आ रहे हैं। हमारी वायुसेना अत्यन्त प्रभावशाली है। कोई कह रहे थे कि हमने जगुआर का विनिर्माण बंद कर दिया है शायद डा० स्वामी ही ऐसा कह रहे थे मेरे खयाल से आप ही बेहतर जानते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: आप केवल लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादन कर रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमानों के बारे में क्या है? (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन: मैं संख्या बताए बिना ही मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास अनेक जगुआर हैं जो चालू हालत में हैं और भारत के हिन्दुस्तान एयरेनॉटिक्स मिगों में इसका काफी बड़ी संख्या में विनिर्माण कार्य भी जारी है।

हमारे पास मिग 21 मिग-23 और मिग 27 विमानों के रेंज हैं और अब हम निम्न के अत्याधुनिक मॉडल पर विचार कर रहे हैं। कुछ सदस्य कहते हैं ये 29 है और कुछ 31 बताते हैं, मुझे संख्या तो नहीं मालूम है किन्तु यह आश्वासन दिया गया है कि दो इन्जिन वाला एक विमान दिया जाएगा जो एफ-16 से बेहतर होगा···

हम और मिराज विमान प्राप्त करने भी विचार कर रहे हैं (**व्यवधान**) हमारे परिवहन बेड़ा··· (**व्यवधान**) जरा मुझे यह बताने दीजिए। ये सभी वाद-विवाद से परे हैं, मैंने कहा था कि इनके बारे में बताऊंगा (**व्यवधान**)

श्री बीजू पटनायक: हमारी शस्त्र सेनाओं का इतना बढ़िया ब्यौरा दे रहे हैं। फिर भी चिंतित क्यों है? चिंता की क्या बात है?

श्री आर० वेंकटरामन: किसी ने भी यह नहीं कहा कि 'मैं चिन्तित हूं' बल्कि सभी ने यही कहा कि 'मैं तैयार हूं।' असली बात तो यही है किसने कहा कि मैं चिंतित हूं? यदि ऐसा ही होता तो मैं यह नहीं कहता कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं।

आचार्य भगवान देव: (अजमेर) उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए, बार-बार खड़े हो जाते हैं।

···(**व्यवधान**)···

श्री बीजू पटनायक: एक लोकोक्ति है कि—रक्षा का सबसे अच्छा, तरीका यह है कि हम अपने को युद्ध के लिए तैयार रखें। मुझे खुशी है कि आप तैयारी कर रहे हैं। एक छोटे से पड़ोसी से हम चिन्तित क्यों हो रहे हैं? मेरा तो यही प्रश्न है।

श्री आर० वेंकटरामन: श्री पटनायक चिन्तित नहीं हैं। चिंतित तो मैं ही हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपको क्या हो गया है ? आप तो बिल्कुल बदल गए। आप 26 या 30 साल पहले के बीजू रहे ही नहीं।

श्री बीजू पटनायक : हम तैयार हैं और हमें तैयार रहना भी चाहिए।

प्रो० एन० जी रंगा : यदि हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए।

श्री बीजू पटनायक : हम तैयार हैं और हमें तैयार रहना चाहिए (**व्यवधान**)। यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो उसकी नाक तोड़ देनी चाहिए। आप क्यों चिन्तित हैं ?

प्रो० एन० जी रंगा : आपको चिन्ता होनी चाहिए।

आचार्य भगवान देव : इस सभा का कोई नियम है। किसी नियम के आधार पर बार-बार खड़े हो जाते हैं। यदि ये खड़े होते हैं तो हमें भी कहना पड़ेगा कि इनकी समर्थन शक्ति समाप्त हो गई है।

···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : वे जो भी जानकारी दे रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं वह व्यक्तिगत क्षमता भी है। वह आप या सरकार के लिए बंधन कारी नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मात्र पंद्रह मिनट में पूर्वी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे सोमवार को भी अपनी बात जारी रखनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो 4 बजे तक बात पूरी कर लें।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री पटनायक यदि सहयोग करेंगे बात तभी पूरी की जा सकेगी।

श्री बीजू पटनायक : मैं वह भी करूंगा जो सहयोग से भी बढ़कर होगा किन्तु मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप 4 बजे तक बात पूरी कर लें।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : यदि युद्ध का भय नहीं है तो वे अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि श्री पटनायक अपनी भाषणबाजी बार-बार नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात और जल्दी पूरी कर लूंगा।

श्री बीजू पटनायक : मुझसे कोई बात मत कहलवाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप उनकी बात ही क्यों सुनते हैं। आप सुनते हैं इसीलिए वे बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं एक भद्र व्यक्ति हूं। अत्यंत दुष्कर विभाग का प्रभारी हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जिस तरह से आप हथियार प्राप्त कर रहे हैं उससे आपकी भद्रता तो जाहिर नहीं होती मेन बैटल टैंक की क्या स्थिति है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। मैन बैटल टैंक के सम्बन्ध में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल मैंने सभा को बताया था कि दिसम्बर 1983 तक हम इसका प्रोटोटाईप बना पाएंगे। माननीय सदस्य प्रोटोटाईप के बारे जानते ही होंगे कि प्रोटोटाईप पूरी प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच के लिए विभिन्न पुर्जों आदि जोड़ कर तैयार किया जाता है। आप हर चीज का निर्माण करके उसका प्रोटोटाईप तैयार नही कर सकते। ऐसा हर जगह नहीं किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने एक प्रोटोटाईप तैयार कर लिया है। हम खुद ही इंजिन तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, अधिकांश आधुनिक टैंक 1000 हार्स पावर के हैं किन्तु हमने 1500 हार्स पावर का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि भविष्य काफी समय तक यह 2000 के दौरान मूल्य और प्रभाव की दृष्टि से उपयोगी रह सके। हालांकि हमें उसमें सफलता नहीं मिली है। अब हमने विभिन्न प्रकार की जांच के लिए आयातित इन्जिन की सहायता से एक प्रोटोटाईपतैयार किया है। 'अनुसंधान और विकास' की सहायता से स्थल सेना इसका मूल्यांकन कर रही है। इस प्रकार की जांच में सामान्यत: दो साल लग जाते हैं। सामान्यत: वे तीन से छ माह तक तो जांच ही नहीं करते। प्रोटोटाईप में अनेक खामियां आ सकती है अत: उनका तभी सुधार करना होता है।

स्थल सेना से मंजूरी मिलते ही हम उत्पादन कार्यक्रम शुरू करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कहां।

श्री आर० वेंकटरामन : इसके बारे मैं आपको अभी बता नहीं सकता। (**व्यवधान**) तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही हम निर्माण स्थान का चुनाव करेंगे।

हम टी-72 का निर्माण करने जा रहे। इसे इस समय सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है इसलिए इस के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि इसका निर्माण कहां किया जाए। लेकिन, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। टैंक महत्वपूर्ण है। यह कहां बनता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन, आप को नई फैक्ट्री तो बनानी ही पड़ेगी।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री अमल दत्ता ने यह कहा है कि उन्होंने कोई पत्रिका पढ़ी है जिसमें यह बताया गया है कि मैन बैटल टैंको का निर्माण 4 अथवा 3 वर्ष में होता है तथा लेपर्ड-2 के बारे मैंने जो जानकारी दी थी वह गलत है। मुझे खेद है कि उन्हें गलत बताया गया है। मैं उन्हें इसके विवरण दूंगा। वर्ष 1963 में संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम जर्मनी द्वारा उस समय डिजाइन एम बी टी-70 का निर्माण करने के लिए संयुक्त परियोजना तैयार की गई। उनका यह सहयोग तीन वर्ष तक रहा। लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। उनका समझौता भंग हो गया। अमरीका ने 'एक्स एम' टैंक

तैयार किया तथा जर्मनी ने अपना प्रयास जारी रखा तथा लेपर्ड-2 तैयार किया। एक्स एम टैंक 1980 में उपलब्ध हुआ था तथा लेपर्ड 1979 में।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : आप उनके निर्माण की तारीख बता रहे है लेकिन इसका विकास और परीक्षण कब किया गया ? इसके विशिष्ट विवरण दिए जाने के 4 वर्ष के अन्दर।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे अंकगणित आता है। अगर योजना 1963 में शुरू हुई तो तथा इसका प्रोटोटाइप 1975 अथवा 1976 में स्वीकार हुआ हो तो यह अवधि 3 वर्ष भी नहीं है चार वर्ष भी नहीं है। सभी को यह मालूम है। मैं यह कहना चाहता हूं हमारे पास वह प्रोद्योगिकी नहीं है। जो संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस के पास है। हमारा देश एक विकासशील देश है तथा हम अन्य संसार से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं तथा आप हमारे देश के अनुसंधान और विकास का नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि अन्य देशों ने इसे करने में 15 से 16 वर्ष का समय लिया है तो हम किस प्रकार इसे इतनी छोटी अवधि में कर सकते हैं। आप मुझे एम० बी० टी० का निर्माण करने के लिए इस तरह कह रहे है, जैसे यह प्लेट फार्म टिकट हो तथा मशीन में पैसे डालो और यह बाहर निकल आएगा।

श्री अमल दत्ता : आपको किसी ने भी एम० बी० टी० का निर्माण कम अवधि में करने के लिए नहीं कहा। आपने खुद अपने समय का चयन किया था।

श्री आर० वेंकटरामन : यह कह रहा हूं कि हमारे अनु० और विकास को बदनाम न करें। आपने यह भी कहा है कि इस रक्षा मंत्री को कुछ नहीं आता। पर हां, केवल इस बात पर मैं उन से सहमत हूं। बाकी सब पर मैं सहमत नहीं।.....

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन वह आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसा इसलिए कि मैं एक लोकतांत्रिक देश का रक्षा मन्त्री हूं और जो विशेषक नहीं होते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप को सोवियत रूस का उदाहरण लेना चाहिए। जनरल उस्तीनोव की तरह होना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : अब मैं लाइट कमबंट एअरक्राफ्ट को लूंगा। यहां भी हम इंजन पर कार्य कर रहे हैं। उतने अधिक हार्स पावर का इंजन विकसित करना इतना आसान नहीं है श्री बीजू इस बारे बेहतर जानते है क्योंकि यह स्वयं एक पायलट रह चुके हैं। उन्हें इन सब की जानकारी है तथा हमारे प्रयासों की सर्वथा आलोचना उचित नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसा कोई नहीं कर रहा।

श्री आर० वेंकटराम : मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत खुशी हुई है। इसे भी रिकार्ड होने दिया जाए कि कोई भी निन्दा नहीं कर रहा।

श्री बीजू पटनायक : मंत्री महोदय, हम अपनी गति क्यों नहीं बढ़ा रहे ?

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हम यह सहयोग के बिना कर सकते हैं ? इसके लिए "हां" और "नहीं" दोनों ही बातें कही जा रही है।

(व्यवधान)

जहां तक लाइट कमबटर एअर क्राफ्ट का सम्बन्ध है, अब तक दूसरे देश यही कह रहे थे कि वह हमें केवल इस एअर क्राफ्ट की बिक्री करेंगे। हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे। आज हमारा अनु० और विकास विभाग इतना विकसित है कि 3 या 4 देशों में इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा है कि कौन हमारे साथ समझौता करेगा। अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछेक प्वाइन्ट्स को लूंगा। एक बात जो प्राय: सभी सदस्यों ने उठाई है, वह यह है कि रक्षा सम्बन्धी मामलों से निपटने के लिए संसद की एक स्थायी समिति होनी चाहिए। केवल रक्षा मंत्रालय स्थायी समिति नहीं बना सकता बजट अनुमानों की संवीक्षा करने की शक्ति से युक्त स्थायी समिति इस समय संसद द्वारा अनुमानों को स्वीकृति दिए जाने से भिन्न है। जिन देशों में स्थायी समिति प्रणाली है, उनकी संसद प्रक्रिया अलग किस्म की होती है। जब कि संसद स्वयं सोच समझकर, समाप्त विभागों के लिए वह प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में सहमत नहीं होती, केवल रक्षा विभाग ऐसा नहीं कर सकता।

एक दूसरी बात यह उठाई है कि एक पद चीफ आफ डीफेंस स्टाफ का होना चाहिए। विश्व में अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रणालियां प्रचलित हैं। कुछ देशों में चीफ आफ डीफेंस स्टाफ हैं एवं कुछ में नहीं। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, इसका यह मत है कि अब जो प्रणाली विद्यमान हैं, वह संतोषजनक एवं सही है तथा 1965 और 1971 की लड़ाइयों में यह खरी उत्तरी है। जब तक कि कोई विशेष मजबूरी ही न हो, हम इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते।

अगली बात कुछ माननीय सदस्यों ने यह उठाई है कि हमारे यहां आर्मी एविएशन कोर होने चाहिए। आर्मी एविएशन कोर प्रणाली भी बहुत से देशों में विद्यमान है। बात यह नहीं है कि आर्मी एविएशन कोर हमारे यहां हो अथवा नहीं। लेकिन, यह महत्वपूर्ण हैं कि हमारी त्वरित आक्रमण प्रणाली कितनी प्रभावकारी है तथा इसके बारे में हम किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं हमारी सेनाओं के प्रमुख इस पर कार्य कर रहे हैं। तथा वह समाधान निकाल लेंगे। दूसरे देशों में कोई प्रणाली विद्यमान है, इसी लिए आप किसी प्रणाली को लागू नहीं कर सकते। इस प्रकार, हमारे यहां तुरन्त तैनाती दल अथवा कोई समन्वित प्रणाली हो सकती हैं। इसके लिए और भी बहुत से विकल्प मौजूद हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने समाचार पत्रों में यह लिखा है कि हमारे यहां आर्मी एविएशन कोर होनी चाहिए, इसलिए हमें तुरंत इसकी स्वीकृति दे देनी चाहिए। ऐसा करना समस्या को वैज्ञानिक पहलु से देखना नहीं है।

सशस्त्र सेना और वायुसेना इस प्रकार के अभ्यास करती है, जिनमें दोनों सेनाएं मिलकर अपना-अपना काम करती है। मैं स्वयं अवसरों पर उपस्थित हुआ हूं तथा मैंने यह देखा है कि उनका समन्वय बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी के इस बयान पर कि उनमें समन्वय नहीं है, मुझे यह कहते हैं कि उनमें समन्वय नहीं हैं, तो मैं इसका क्या जबाव दूं ? इस समय हमारी रक्षा सेवाओं में जो प्रणाली विद्यमान है, वह बहुत ही उपयुक्त है। हां, इसमें सुधार की गुंजाइश है तथा संबद्ध लोग इसकी जांच कर रहे हैं —हमें सुधार तो करना ही है—तथा हम इस प्रकार की समस्या का निश्चित रूप से वह कोई हल ढूंढ लेंगे।

मैंने आपको पहले तो कहा है कि हमने जगुआर को छोड़ा नहीं। हम इस का निर्माण कर रहे हैं।

किसी ने यह कहा है कि हमने स्वीडिश पनडुब्बियों के स्थान पर जर्मन या इसी प्रकार की पनडुब्बियों की खरीद की है। अगर आप इस सरकार की आलोचना असंतुष्ट लोगों तथा निराश निविदादाताओं द्वारा कहे अनुसार करेंगे, तो मैं उसका जबाब नहीं दे सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या अन्य जो कुछ कहा गया है वह उपलब्ध है।

श्री आर० वेंकटरामन : निश्चित रूप से। ऐसा असंतुष्ट लोग और निराश निविदादाता ही करते हैं। ऐसा कोई किस आधार पर कह सकता है कि स्वीडिश पनडुब्बी जर्मन से बेहतर है। आखिरकार मैं, अपने विभाग में अपने विशेषज्ञों से सलाह लेता हूं तथा उनके जो भी निर्णय होते हैं, हम उन्हें मान लेते हैं। लेकिन अगर अनु० और विकास विभाग और अन्य लोगों में तथा हम लोगों में मतभेद हो तो पालिटिकल अफेअर्स कमिटी इस बारे में निर्णय लेती है अन्यथा वह जो कहते है, वही होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब आप विपक्ष में थे तो आपने इस तरफ से जगुआर का विरोध किया था।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या मैंने ऐसे किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद डा० स्वामी को यह सब याद है।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए, मैं यह···मुझे मालूम है, माननीय सदस्य किन सीमाओं में काम करते हैं। यह जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो भी जानकारी उपलब्ध है। उस का आप लोगों द्वारा भी उपयोग नहीं किया गया। आप सभी विशेषज्ञ है। मैं आप से बात नहीं करना चाहता मैं युवकों से बात करना चाहता हूं।···

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह पहले ही आपकी बात मान चुके हैं। आप हमें समझाइए।

श्री बीजू पटनायक : वह पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं अब आप हमें समझाइए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि रक्षा काफी कठिन विषय है। ऐसा नहीं है कि इस सभा में कोई भी उठकर रक्षा के बारे में बातचीत करने लगे। इसके लिए कुछ अध्ययन और मेहनत करनी पड़ती है। जब मुझे इसे संभालने के लिए कहा गया तो मैंने जैन्स की समाज पुस्तकों का अध्ययन किया तथा आर्टिलरी, नेवी और एअर फोर्स के बारे में जाना ताकि मैं गलती से कारवेट को बिमान न समझ लूं।

मैं अपने युवा मित्रों से यह अनुरोध करता हूं कि अगर आप वास्तव में रक्षा में योगदान करना चाहते हैं तो प्रश्नों के जो जबाव हम दे रहे हैं, उन्हें वह इकट्ठा कर लें। कृपया उन्हें सशस्त्र सेना, नौ सेना और वायु सेना में वर्गीकृत कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण 4 बजे तक पूरा कर लेंगे ?

श्री आर० वेंकटरमन : जी हां,

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह समझती है कि हम अगला विषय 4 बजे के पश्चात उठाएं ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार, गैर-सरकारी सम्बन्धी कार्यवाही सांय 6.30 बजे तक चलेगी ।

श्री आर० वेंकटरामन : जो उत्तर हम दे रहे हैं, आप उन सबको वर्गीकृत कर लें । एक बात का मैं आप को आश्वासन दे सकता हूं । आप द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं उनका सही-सही उत्तर दिया जाता है । यह हमेशा सही होता है, क्योंकि हम इस सभा के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत हैं । अगर आप उन सभी उत्तरों को सशस्त्र सेना, नौ सेना और वायुसेना में वर्गीकृत कर लें और फिर इसे आर्टीलरी, पर्सोनल पर्सोनल, अविसेज, कमांड्स आदि में वर्गीकृत कर लें तो एक वर्ष की अवधि में आप काफी अधिक योगदान कर सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि जो भी रिपोर्टें दी जाती है, उन्हें आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए । डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जो कि काफी ज्ञानवान व्यक्ति हैं ने एक बार यह कहा था :

> "पहले आप अजीत और अन्य प्रशिक्षण विमान बनाते थे अब आप कुछ भी नहीं बना रहे ।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लाइसेंस युक्त उत्पादन को छोड़ कर ।

श्री आर० वेंकटरामन : लाइसेंस युक्त उत्पादन को छोड़कर । मुझे खुशी है कि आपने इसकी पुष्टि की । कृपया मेरी रिपोर्ट का पृष्ठ 50 देखिए, जो इस प्रकार है :

> "किरण एम के दो मूल जेट प्रशिक्षण विमान एच० पी० टी० बेसिक ट्रेनर विमान का निर्माण क्रमशः बंगलौर और कानपुर डिवीजन में आरम्भ हुआ है । वायु सेना को इन विमानों की सुपर्दगी 1983-84 में किए जाने की संभावना है ।"

मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं । आज जब तक यह रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसे पढ़ा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ; हां, मैं लड़ाकू विमान की बात कह रहा हूं, प्रशिक्षण विमान की नहीं ।

श्री आर० वेंकटरामन : वह बात बदल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने इसे पढ़ा है ।

श्री सन्तोष मोहन देव : उस समय चुनावों का परिणाम आया था और ये इसे भूल गए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अपने दल चुनाव क्यों नहीं करवाते ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें इसकी अनुमति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : चूंकि जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं किसी आप इन मामलों में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप अन्तर्वेशन की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।

अब में अन्य लोगों द्वारा उठाये गए मुद्दों की बात करूंगा। जनरल स्पैरी ने हमेशा की तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने कहा कि प्रादेशिक सेना तथा एन० सी० सी० को सुरक्षा के लिए दूसरा माध्यम बनाना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव मैं मेरा विचार है कि एन० सी० सी० को सुरक्षा प्रशिक्षण पर अन्य साहसिक कार्य जो वो कर रहे हैं, की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए।

डा० वसन्त कुमार पण्डित ने देश की आन्तरिक व्यवस्था के बारे में बात की। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्रालय पर वाद-विवाद के समय इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मुझे आंतरिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने एम० बी० टी० तथा हेलीकाप्टर के बारे में पूछा था। मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ निर्णय लेने में अकारण विलम्ब कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने उपकरण बेचना चाहता है वह गुमराह करने की सभी कोशिशें करेगा जो वह कर सकता है। हमें इसके बारे में सावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देशी वस्तुओं की खरीददारी में राजनीति चलती है। मैं आपको आश्वासन देता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ये कहा है कि इसमें राजनीति है और मैं ये कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप किसी पक्ष विशेष की बात कर रहे हैं तो आपको इसे लिखकर हमारे ध्यान में लाएं तो हम अवश्य उसका उत्तर देंगे। उनकी दो और बातें बहुत उचित हैं वे ये हैं कि चिकित्सक-रोगी तथा नर्स-रोगी अनुपात में सुधार लाया जाना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं और इसके लिए हम जो कर सकते हैं, करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी ने तटीय सुरक्षा तथा समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है हम अपनी नौसैना को ऐसे विमानों से सुदृढ़ बना रहे हैं जो न केवल क्षेत्रीय जल ठीक बल्कि समुद्र की भी सुरक्षा पर ध्यान देंगे।

श्री वैराले भी बहुत बातों पर विस्तार-पूर्वक बोले। इनमें से एक पक्ष के बारे में मैं बात करूंगा और यह है पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता। मैं डा० कर्ण सिंह द्वारा उठाए गए एक और मुद्दे के बारे में भी बात करूंगा। नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर एकमत बनाने के बारे में प्रधानमन्त्री यथासम्भव प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इस प्रश्न को गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी उठाया था। वह न्यूयार्क गई और वहां राजाध्यक्षों से मिलीं और उन्होंने सभी को मानवता के अस्तित्व के प्रति इस भयावह धमकी से आगाह किया। वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्न किया है और वह है हमारी प्रधानन्मत्री। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय योग्यता है। सभी को कैसे मालूम हो सकता है ? मैंने भी आपकी तरह रिपोर्टें ही पढ़ी हैं, कुछ ये बसाती हैं कि अपकेन्द्रित प्रक्रिया से पोषित करने के उनके प्रयास असफल हो गए हैं और कुछ में बताती हैं कि वो नाभिकीय योग्यता प्राप्त करने ही वाले हैं।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : श्री बीजू पटनायक क्या जानकारी लाए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह आराम कर रहे हैं। उन्हें परेशान मत करिए।

श्री बीजू पटनायक : वे हमसे दस वर्ष पीछे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इस बात के भी कई कारण हो सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री बीजू पटनायक : इस बात के कई कारण हो सकते हैं कि वो असफल क्यों रहे ?

श्री आर० वेंकटरामन : हो सकता है कि वह इन्टरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए ऐसा कह रहे हों।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे उसे प्राप्त करने के लिए डींगें मार रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : परन्तु जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है और रक्षा मन्त्री का सम्बन्ध है, मैं इसी बात को आधार मानकर चलूंगा कि उनके पास नाभिकीय योग्यता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं तो एक अलग बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपका ध्यान एक उच्चकोटि के पाकिस्तानी वैज्ञानिक द्वारा बताई गई बात भी और आकर्षित किया गया है कि वे इसके लिए सक्षम है और नाभिकीय शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं। वह एक उच्चकोटि का नाभिकीय वैज्ञानिक है।

श्री आर० वेंकटरामन : हां मैंने पढ़ा है। हो सकता है वे आई० ए० ई० ए० की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कर रहे हों। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा है (**व्यवधान**) मुझें सभी सम्भावनाओं पर विचार करना पड़ता है—

श्री बीजू पटनायक : अभी आपने बताया है कि आप इसे मानकर चलेंगे कि वे नाभिकीय शक्ति हासिल करने में सफल रहे हैं और तदनुसार ही कदम उठायेंगे। क्या आप सदन को अपने विश्वास में लेंगे और ये बतायेंगे कि आप क्या कदम उठा रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, मैंने केवल कहा है——इसका यह मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आपकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी स्थिति की जांच करने ; इस प्रकार की आकस्मिकता के लिए प्रबन्ध करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे विचार में आप इजराइल के लोगों के साथ मिलकर कोई सांझा काम नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, आप किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इजराइल, अमेरिका अथवा रूस या भारत का ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मुझे केवल वही जानकारी चाहिए थी।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रश्न यह है कि इनका निर्वाचन कहां है इजराईल अथवा···(**व्यवधान**)

मैं 10 से 15 मिनट और लूंगा कृपया.....

एक माननीय सदस्य : हम आपको इस बात पर मजबूर नहीं करना चाहते।

श्री आर० वेंकटरामन : परन्तु साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार की ये पक्की तथा सुदृढ़ नीति है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग केवल शांति के लिए किया जाएगा। ये हमारी नीति है और मैं इसे दोहराता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तव में उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारी ओर तथा दूसरी ओर विभिन्न सेनाओं की क्या स्थिति है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान कौन से आधुनिक हथियार प्राप्त कर रहा है? मैंने अपने भाषण के पहले भाग में यह बता दिया है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत जायज बात कही है। कृपया श्री बीजू जी इसे सुन लें—उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से पहले आधुनिक हथियार ले लेता है। और यही बात मैं भी कहता हूं। मेरे विचार में क्योंकि ये बात विरोधी दल की ओर से कही गई है इसलिए लोग आश्वस्त हो जाते हैं.....।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे लोकदल से हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात आप सबको आश्वस्त कर देगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप चिन्ता न करें। हम शीघ्र ही उन्हें बदल देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने मिजाइलों की संख्या में अन्तर के बारे में आशंका व्यक्त की थी। हम पाकिस्तान में मिजाइल की बढ़ती खरीददारी के बारे में सचेत हैं और जैसा कि मैंने कहा है हमारा प्रयत्न यह है कि हम सम्भावित खतरे का सामना कर सकें। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पास एक इंटैलीजैंस एजेंसी होनी चाहिए जो दूसरी ओर से जानकारी प्राप्त कर सके।

इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमारे खुफिया विभाग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बाहर से आसूचना प्राप्त करना कठिन है। यह सही है कि स्थानीय आसूचना हमें स्थानीय लोगों से मिल जाती है परन्तु विदेश से यह प्राप्त करना सम्भव नहीं है। तथा खूफिया विभाग को मजबूत करने का उनका विचार नोट कर लिया गया है।

आर्मी एविएशन कॉरपस् सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। थाइलैंड तथा अन्य देशों के जहाजों द्वारा हमारे समुद्र में चोरी छिपे मछली पकड़े जाने का उन्होंने जिक्र किया है। हाल ही में हमने एक-दो जहाज पकड़े हैं जिन्हें हम मद्रास पत्तन पर ले आए हैं। इस सम्बन्ध में तट रक्षक काफी प्रभावी कार्य कर रहे हैं। परन्तु हमें उन्हें उपयुक्त उपकरण भी देने होंगे। हमें उन्हें तीव्र गति की नावों को देना होगा। हॉवरक्राफ्ट ऐसी ही एक तीव्र गति वाली नाव है। वह पानी की सतह के ऊपर चलती है।

जहां तक लेह-मनाली सड़क का सम्बन्ध है मैं जानता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कुछ उपाय भी किए हैं। श्री नेगी व अन्य सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है। हम उस सड़क का संरेखण करने

का प्रयत्न कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा पशिंग मिसाइल हासिल किए जाने का जिक्र भी श्री रावत ने किया है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैंने यह प्रश्न डा० स्वामी से किया था आपसे नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं कह चुका हूं यह सही नहीं है। क्या ऐसा नहीं है ? (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरमण : मुझे नहीं मालूम आप उस देश के बारे में किस बूते पर बात किया करते हैं।

फिर उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान न केवल अमेरिका से शस्त्र ले रहा है वरन खाड़ी के देशों से भी ले रहा है। हमने यह भी नोट कर लिया है। उन्होंने राडार की पकड़ का भी जिक्र किया है। हमारा राडार सिस्टम बहुत अच्छा है तथा मेरे साथ कुछ और मित्र भी राडार स्टेशन गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी राडार की पकड़ कितनी अच्छी है। हमारी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी गए थे। हमें राडार सिस्टम में प्रतिदिन हो रहे आधुनिकतम विकास से अवगत रहना होगा। और हम ऐसा कर रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : यही काफी है।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि मैंने अन्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो अन्य सदस्यों को निराशा होगी। मेरे विचार से मैंने डा० स्वामी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अरब सागर में अमरीकी नौ सेना के बारे में क्या है।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे और इनके बीच केवल एक ही बात पर झगड़ा है। वह चाहते हैं कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत होना चाहिए। (**व्यवधान**) हमारे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारा दृष्टिकोण सैद्धांतिक नहीं है वरन व्यावहारिक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका जो भी अर्थ हो।

...(**व्यवधान**)...

श्री बीजू पटनायक : आपको पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए जिसके कारण आपने अपनी सशस्त्र सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया है। अन्यथा इसमें 20 वर्ष लगते।

श्री आर० वेंकटरामन : वस्तुतः आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'सिद्धांत' की परिभाषा है—'धार्मिक, राजनैतिक, सैद्धांतिक आदि—विश्वास, मत अथवा सिद्धांत' इसमें कोई सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त नहीं है। रक्षा समस्याओं के प्रति हमारा व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप डा० स्वामी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अतः आपको सावधान रहना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह दुश्मन को भ्रम में डाल रहे हैं। वह नहीं जानते कि हमारा क्या सिद्धांत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें भ्रम में न डालें तो ठीक है।

श्री आर वेंकटरामन : उन्होंने हिन्द महासागर में अमरीका की उपस्थिति का जिक्र किया है। बारह मील की क्षेत्रीय जल सीमा से आगे कोई भी खुले समुद्र में आ सकता है। इसमें कौन-सी बड़ी बात है ? और अन्य देश भी तो वहां है। वहां फ्रांस है, यू० के० है, उनकी पनडुब्बियां भी वहां हैं। हिन्द महासागर की और भी अनेक समस्याएं हैं। (व्यवधान) उन्होंने यह एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि हमें राजनीतिक उपाय करने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन के बीच कोई ऐसा गठबंधन न हो सके। मुझे आशा है कि वह इस मामले में मदद करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, हां, मैं अवश्य करूंगा।

श्री बीजू पटनायक : क्या उपमहाद्वीप में तनाव कम करेंगे। उन्होंने आयात के सम्बन्ध में गलती की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल एक।

श्री आर० वेंकटरामन : जी, नहीं कई, जहां तक आयात का सम्बन्ध है उन्होंने कहा कि आयात में वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है। वह 12% के बीच रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं। परन्तु इतना समय नहीं है कि इसे बताया जाए। महोदय, उन्होंने हारपून के समान रूस के शस्त्र की भी बात की है कि क्या हमने उनसे यह मांग की थी तथा उन्होंने मना कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं। यह उनके वक्तव्य के रूप में रहने देना चाहिए। केवल एक मुद्दा ऐसा है जहां मैं उनसे सहमत हूं।

मैं श्री स्वामी की इस बात से सहमत हूं कि अनुसन्धान और विकास के लिए 2-1/2 आवंटन अपर्याप्त है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। श्री पी० नामग्याल ने स्कादू और गिलगित के बारे में महत्व-पूर्ण बात बताई है। इसे नोट कर लिया गया है। स्कादू और गिलगित में पाकिस्तान और चीन अपनी हवाई पट्टी को बढ़ा रहे हैं ताकि बड़े विमान उस पर उतर सकें। अब हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। हम अपने लिए भी एक हवाई पट्टी ढूंढ़ रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति का मुकाबला किया जा सके। हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठियों का भी जिक्र किया है। हम भी इसके प्रति चिन्तित हैं। डा० कर्ण सिंह ने भी इसका जिक्र किया था। जम्मू और कश्मीर में घुसपैठियों का मुद्दा नोट कर लिया गया है तथा हम इस बारे में पूरी जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती शक्तावत ने भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सुविधाएं देने का जिक्र किया था। मेरे सहयोगी कल ही इस बारे में बता चुके हैं। अब केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त का ही प्रश्न रह गया है जिसका उत्तर देकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। चाहे वह मेरी आलोचना करें या प्रशंसा मुझे उनकी बात सुनने में आनन्द आता है। वह अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। उन्होंने सबसे

महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि आयात काफी कठिन हो गया है तथा बड़े देशों की आपसी होड़ के कारण आवश्यक भी है। वस्तुत: उनका यह सुझाव भी था—यद्यपि उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा था—कि आर्थिक हित के कारण कभी-कभी शस्त्र बेचने के लिए पड़ोसी देशों के बीच वह होड़ करते हैं तथा उनका उद्देश्य इन शस्त्रों को बेचना होता है। सच तो यह है कि यदि एक पड़ोसी कुछ खरीदे तो वही उपकरण हमें भी दूसरे देश से खरीदना होता है। इससे स्थिति बिगड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमें यह देखना है कि आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाए रखें। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं। हमें किसी भी सम्भावना के लिए शत-प्रतिशत तैयार रहना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी देशों से सामान्य सम्बन्ध बनाने के प्रयत्न बन्द कर देने चाहिए परन्तु यह न हो कि एक को छोड़कर दूसरे के साथ अधिक दोस्ती हो।

महोदय, उन्होंने एल-60 इन्जिनों के आयात के बारे में पूछा है। मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि हम विजयंता के लिए इन्जिन आयात नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार इसका उत्तर दे चुका हूं पर आप बार-बार यह पूछते हैं। हम ऐसा कोई आयात नहीं कर रहे हैं। हमारा यह विचार है कि इस प्रकार के टैंक के लिए हमारे अपने इंजिन काफी अच्छे हैं। मैं एल० सी० ए० का जिक्र पहले ही कर चुका हूं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह भी कहा था कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार बनाया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव हो सकता है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग रोजगार नहीं लेते हैं ताकि वे उन सरकारी सेवा नियमों के अन्तर्गत न आयें जिसके अन्तर्गत हम उन्हें रोजगार देने से मना कर सकें। वे उस क्षेत्र में सलाहकार सेवा जैसा स्वतन्त्र धन्धा आरम्भ करते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरा धन्धा आरम्भ करते हैं तथा हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी सेवा निवृत्त होते हैं उनमें से अधिकांश बहुत अच्छे होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और वे हमारी रक्षा की परम्पराओं को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। कुछ गलत किस्म के लोग होते हैं जो इस प्रकार की धारणा को जन्म देते हैं और मैं यह नहीं चाहता कि देशवासियों में यह धारणा बने कि हमारे सेवा निवृत्त कार्मिक स्वीकृत स्तर से किसी भी प्रकार से कम हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सेनाओं ने जिस अच्छे तरीके से सेवा को अंजाम दिया है मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। इन अधिकारियों तथा सैनिकों ने देश की सेवाएं अपने जीवन के उत्तम वर्ष दिए हैं। मुझे सुदूर चौकियों पर जहां मौसम बहुत खराब रहता है जाकर उन्हें देखने का अवसर मिला था। मैं पुंछ बिम्बर गली तथा अन्य क्षेत्रों में शरदकाल के मध्य में 5° तापमान पर भी गया हूं और ऐसे मौसम में भी वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा था। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं सिविल रक्षा प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय केडट कोर तथा अन्य की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिन्होंने समय आने पर जिम्मेदारी निभायी है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) सीमा सुरक्षा बल के बारे में क्या कहना है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तीसरा सीमा सुरक्षा बल तथा असम राइफिल के बारे में है।

एक माननीय सदस्य : वे आपके अधीन नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटारमन : इसकी कोई बात नहीं है।

वे सभी हमारी रक्षा व्यवस्था के अधीन आते हैं--सीमा सुरक्षा बल तथा असम राइफल्स अंत में मैं सीमा सड़क संगठन की भी प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग वहाँ गए हैं; और जिन्होंने उन सड़कों को देखा है जो उन्होंने दुर्गम भू भागों में बनायी हैं इससे वे प्रत्येक व्यक्ति की प्रशंसा पाने के हकदार हो गए। सभा ने मेरी बात जिसे ध्यान और शान्ति से सुनी है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम मन्त्री महोदय की भी सराहना करते हैं।

श्री आर० वेंकटारमन : आपको धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। बशर्ते कोई सदस्य अलग से किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को रखना न चाहे।

कटौती प्रस्ताव के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 18 से 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को पूरा करने हेतु कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां भारत की सचिव निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा रक्षा मन्त्रालय के सम्बन्ध में स्वीकृत अनुदान की मांगें, 1984-85

मांग सं०	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	रक्षा मन्त्रालय				
18.	रक्षा मन्त्रालय	69,14,31,000	26,18,50,000	345,71,52,000	130,92,49,000
19.	रक्षासेवाएं-थलसेना	648,68,25,000		3243,41,22,000	.....
20.	रक्षासेवाएं-नौ-सेना	83,94,82,000		419,74,08,000	.....
21.	रक्षासेवाएं-वायुसेना	237,80,84,000		1189,04,17,000	.....
22.	रक्षासेवाएं-पेन्शनें	93,97,33,000		469,86,67,000	.....
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		119,92,83,000	.....	599,64,17,000

विधेयक—पुरःस्थापित

3.58½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की अगली मद को लेते हैं।

श्री चित्त वसु प्रस्ताव रखेंगे।

श्री चित्त वसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 21 मार्च, 1984 की सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 71वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

"कि यह सभा 21 मार्च, 1984 की सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 71वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेते हैं। श्री रामलाल राही अनुपस्थित। तब श्री के० लकप्पा।

———————

3.59½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 341 तथा 342 का संशोधन)

श्री के०लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

———————

4.00 म० प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 11 में संशोधन आदि)

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : मैं भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लोकपाल विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं कतिपय मामलों और उससे सम्बन्धित विषयों में प्रशासनिक कार्यों के अन्वेषण के लिए लोकपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्यों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि कतिपय मामलों और उससे सम्बन्धित विषयों में प्रशासनिक कार्यों के अन्वेषण के

लिए लोकपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्यों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियम, अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

दल बदल निवारण विधेयक

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं राजनैतिक दल-बदल के कदाचार का उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राजनैतिक दल बदल के कदाचार का उन्मूलन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

4.03½ म० प०

हिन्दू धर्म ग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनःरीक्षण तथा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा दिनांक 24 फरवरी, 1984 को श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेगी।

इस विधेयक के लिए निर्धारित किया गया समय चार घंटे था, हमने पहले इस समय में से तीन घंटे और 38 मिनट ले लिए हैं इसके लिए केवल 22 मिनट बचते हैं।

अब श्री वृद्धि चन्द जैन।

4.04 म० प० (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू धर्म ग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक जो श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं—(14), (15), (17), (23), (25) इत्यादि उनमें स्पष्ट है कि अनटचेबिलिटी को एवालिश कर दिया गया है। आर्टिकल (23) जो है : यह शोषण-वेश्यावृत्ति निषेध और जबरन श्रम के विरुद्ध अधिकार के बारे में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान के जो भी आर्टिकल हैं उनके विरुद्ध कहीं किसी भी लिट्रेचर में कोई प्रावधान है तो उसके बारे में हमें बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि हम उसके सम्बन्ध में क्या उचित कदम उठायें। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उस आयोग में प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति लिए जाएं। जिनको धर्मों के प्रति निष्ठा है और जिनको हिन्दू धर्म और दूसरे धर्मों का ज्ञान है और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी मनुस्मृति, बहुत से वेद, पुराणों और रामायण में भी इस प्रकार के कई दोहे और कई काव्य आए हैं, जिससे कि शूद्र को अपवित्र माना गया है। शूद्र को घृणा करने की दृष्टि से देखा गया है। इस प्रकार की बातें मनुस्मृति में दिखाई गई हैं और उनका वर्णन किया गया है। कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनको मैंने अध्ययन नहीं किया है, परन्तु मैं विश्वास करता हूं कि शास्त्री जी ने पूरी तरह से अध्ययन किया होगा और अध्ययन करके ही विवरण दिया होगा। विष्णु स्मृति के अनुसार—"यदि शूद्र को ऊंचे आसन पर बैठा दिया जाए तो उसके चूतड़ को दाग कर देश से निकाल दें। इस प्रकार शूद्र ब्राह्मण की शिक्षा हेतु कुछ बतावे तो उसके मुख में गर्म तेल भरवा दें। ब्राह्मण का मंगलकारी, क्षत्री का बलशाली, वैश्य का वैभवशाली, शूद्र का निन्दाकारी नाम रखना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार—शूद्र को सलाह, हवन का घी, धर्म शिक्षा न दें और शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंवृत्त नामक नर्क में गिरता है। शूद्र किसी सम्पत्ति का मालिक नहीं होता। शूद्र का एक मात्र धर्म है, अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसाकि शास्त्रों में लिखा गया है, उसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मैं तो समझता हूं कि शास्त्र और मनुस्मृति में इस प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है। रामायण के अन्दर यह बात लिखी गई है कि ढ़ोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री सब ताड़न के अधिकारी हैं। यह अवश्य कहा गया है। यह भी तुलसीदास जी की रामायण ने कहा है। इसको भी मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : बाल्मीकि जी की रामायण में यह भी नहीं है। तुलसीदास जी की रामायण में हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : तुलसी दास जी की पढ़ी जाती है। मैं समझता हूं कि ये अपमानजनक शब्द हैं। इन शब्दों की निन्दा करनी चाहिए। इस प्रकार किसी के प्रति भी घृणा के शब्द कहे गए हैं, किसी के प्रति निन्दा के शब्द कहे गए हैं और किसी के प्रति इस प्रकार के शब्द कहे गए हैं, जिसको छुआ-छूत को बढ़ावा मिलता है, तो मैं उचित नहीं समझता हूं।

प्रश्न यह है कि जितने भी ग्रन्थ लिखे गए हैं, उन ग्रन्थों की पूरी तरह से जांच करके, उनको मालूम करके और उन ग्रन्थों में जो भी शब्द लिखे गए हैं, उनका प्रकाशन बन्द कर दिया जाए और उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। अब यह प्रश्न सरकार के सोचने का है, चिन्तन का प्रश्न है। इसको मैं भी मानता हूं कि कोई भी प्रकार के ग्रन्थ, पुस्तक और साहित्य प्रकाशित नहीं होना चाहिए। जो कि संविधान की इच्छा के विरुद्ध है। संविधान की मंशा के विरुद्ध हो। जो एक-दूसरे के प्रति बराबरी के दर्जे में रुकावट डालता है। ऐसा कोई भी साहित्य हो उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। समाज के इस प्रजातन्त्र के युग में हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिन्होंने हमें विशेष तौर से बराबरी का पाठ पढ़ाया है। जिन्होंने विशेष तौर से छुआछूत को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया है और उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है उन धर्मों की विशेषता पाई है। हिन्दू धर्म में भी बहुत सी विशेषताएं हैं, जैन धर्म में भी बहुत-सी विशेषताएं हैं, बौद्ध धर्म में भी बहुत-सी विशेषताएं हैं, हमारे यहां जैन धर्म के बहुत-से तीर्थंकर हुए हैं, हिन्दू धर्म में शंकराचार्य जी हुए हैं, स्वामी विवेकानन्द जी हुए हैं, अनेक बड़ी-बड़ी विभूतियां हुई हैं, उन्होंने धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की है लेकिन यदि किसी ने कास्ट सिस्टम के बारे में या किसी के प्रति घृणा की दृष्टि से देखने के बारे में कहा है तो मैं उसको कतई पसन्द नहीं करता हूं। जैन धर्म में तो यह लिखा है कि जब महावीर स्वामी पैदा हुए थे तो उन्होंने तो चारों वर्णों को समाप्त करने पर जोर दिया था। ये जो चार वर्ण हैं—ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र—उन्होंने इस प्रणाली को भी समाप्त करने के लिए कहा था। जैन धर्म छुआछूत में विश्वास नहीं करता तथा वह इस बात पर जोर देता है कि छुआछूत समाप्त होना चाहिए। एक मानव दूसरे मानव के बराबर है, हमको सबके प्रति मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, वह अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन हिन्दू धर्म के ग्रन्थों में यदि किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया है तो सरकार इस पर सोचे, चिन्तन करे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार की किताबों का, इस प्रकार के साहित्य का प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो हमारे डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, जो हमारे संविधान के फण्डामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं। इस सम्बन्ध में सरकार विचार करे और जो भी उचित समझे, कदम उठाए।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : माननीय सभापति महोदया, बाहर से देखने में यह बिल बहुत अच्छा लगता है। उस समय के ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है, मैं समझता हूं वह उस समय के काल और परिस्थिति के अनुकूल लिखा गया है। जिस प्रकार का उस समय का समाज था, जिस प्रकार की मान्यताएं उस समय प्रचलित थीं उनकी अभिव्यक्ति उस समय के ग्रन्थों में हुई है, चाहे हम मनुस्मृति को लें या अन्य ग्रन्थों को लें। मनुस्मृति में जो कुछ लिखा गया है, कालांतर में हमारे समाज के विद्वानों ने उस बात को नहीं माना, उसको कन्ट्राडिक्ट किया है, बल्कि उसमें उन्होंने सुधार किए हैं।

अभी यहां रामायण का जिक्र किया गया। रामायण में जो बाल्मीकि रामायण है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम अनुचित कह सकें, क्योंकि बाल्मीकि जिस तबके से उठकर आये थे, उन्होंने

अपनी ही मनो-व्यथा को अपने ही सन्दर्भ में लिखने की कोशिश की। तुलसी की रामायण में उस रूप में अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हैं। हो सकता है उनको लेकर कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस लगती हो। हम भी महसूस करते हैं, हमारी भावना को भी ठेस लगती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने किस सन्दर्भ में लिखा, सवाल यह है कि हम उसको किस सन्दर्भ में लेते हैं। मैं यह समझता हूं कि हमको उन ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है उनकी बुराइयों को नहीं देखना है, हमको यह समझकर कि उस समय जो काल या परिस्थितियां थीं, समाज में जो कमजोरियां थीं, उनको उस समय के अभिव्यक्त करने वालों की कमजोरी कमजोरी समझकर उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको ही ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको अपने आदर्श में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस समय इन ग्रन्थों की रचना हुई थी, हमारा समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था और जो समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, जो ऊंच-नीच की भावना पर आधारित हो, जिसमें किसी आदमी को बड़ा समझा जाता हो जन्म के कारण, किसी आदमी को बड़ा समझा जाता हैं इस बात के कारण कि वह किसी एक घर में जन्म लेता है, तो निश्चित तौर पर कुछ विसंगतियां होंगी और समाज में कुछ कमियां होंगी लेकिन आज हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, आज कानूनन उस व्यवस्था को हम नहीं मानते। हम प्रजातांत्रिक समाज के रहने वाले लोग हैं और हम अपने समाज को आज के मूल्यों के अनुसार ढालना चाहते हैं। हमारी जो सरकार है, हमारी जो हुकूमत है, वह धर्म-निरपेक्ष सरकार है। हम जाति-निरपेक्ष हैं और हम न किसी धर्म में विश्वास करते हैं और न किसी जाति में विश्वास करते हैं। हम सभी को समान संरक्षण देने की बात करते हैं।

माननीय शास्त्री जी ने जो बात कही है, वह बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए, जिनसे दूसरों की भावनाओं को ठेस लगती हो मगर क्या वास्तव में कानूनन इस पर प्रतिबन्ध लग सकता है, सवाल इस बात का है। यदि प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसको किस सन्दर्भ में लोग लेंगे। यदि इन पर कोई रोक लगाते हैं और हम कहते हैं कि रामायण में जो यह ओब-जेक्शनेबिल चीज लिखी गई है, उसको निकाल देना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए, उसको दूसरे लोग किस रूप में ग्रहण करेंगे। क्या हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, हमारे बीच में, हमारी राजनीति में ऐसे लोग नहीं हैं, जिस राजनीति को समाज का दर्पण कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आज के समाज को प्रतिबिम्बित करने वाली यह वस्तु है, उसमें क्या ऐसे लोग नहीं हैं, जो जाति के आधार पर समाज को ले जाना चाहते हैं। धर्म के आधार प्रर समाज को ले जाना चाहते हैं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : आर्टीकल 17 आफ दि कांस्टीट्यूशन और सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों को यह वायलेट करता है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : उन दिनों हत्या एक बहादुरी का कार्य होता था। आजकल यह एक अपराध है।

श्री हरीश रावत : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।

मैं कह रहा था कि किस तरीके की विसंगतियां हमारे समाज में आज हैं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समाज की विसंगतियों को यदि कानूनन हम दूर करना चाहते हैं, उन पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं और हम यह कहते हैं कि रामायण के इस चेप्टर को हटाना चाहिए, तो क्या कानूनन यह हो सकता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उसमें जो यह बात कही गई और नारी को भी ताड़न

की अधिकारी होने की बात कही गई है और जो इस तरह के दोहे और चौपाई हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। इस तरह की विसंगतियां जो हैं, चाहे वह मनुस्मृति में हो या चाहे कहीं दूसरी जगह पर हो, उनको अपने समाज में नहीं होने देना चाहिए लेकिन कानूनन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि रामायण में कोई संशोधन लाने का प्रस्ताव लाया जाता है या कोई कमीशन बैठाकर इस तरह की चीजों को दूर करने की बात होती है, तो क्या हमारे शास्त्री जी, जिस पार्टी से वे आते हैं और उनका जो एलायन्स बी०जे०पी० से है, उसी पार्टी के लोग क्या इस बात को मानेंगे और अगर ऐसी कोई बात होती है, तो राजनीतिक कैपीटल पैदा करने की कोशिश नहीं होगी।···(व्यवधान)···मैं आपकी बात नहीं करता। आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं लेकिन आप अपनी पार्टी से इस बारे में कहलवा दें। आपकी पार्टी के जो मास्टर हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनसे कहलवा दीजिए, तब मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री सूरज भान : मन्त्री महोदय यह कहें कि यह उनकी सरकारी राय है। कृपया कहें तो सही।

श्री हरीश रावत : आपने मेरी बात सुनी नहीं है। कृपया मुझे सुन तो लें।

आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं कांग्रेसमैन हूं और कांग्रेसमैन की एक परम्परा है। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी से सम्बन्धित हैं, हम नेहरू की पार्टी से सम्बन्धित हैं। महात्मा गांधी इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, छुआछूत के खिलाफ थे और हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई की बुनियाद उन्होंने इसी आधार पर डाली और कार्य रूप में उसे परिणत करने की कोशिश की और आज भी हमारी पार्टी इसी बात पर डटी हुई है। हम जाति निरपेक्ष हैं और धर्म निरपेक्ष हैं। नेहरू परिवार और इन्दिरा गांधी का परिवार इसको पूरी तरह से मानता है और हम उनके अनुयायी हैं। इसलिए हमारी भावना पर आप बिल्कुल सन्देह न कीजिए। आपकी जो कमजोरी है और जो आपकी विसंगति है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि शास्त्री जी की पार्टी के लोग और उनके सहयोगी बी०जे०पी० के लोग खुलकर इस बात की मांग करें कि इस प्रकार के धर्म ग्रन्थों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। मैं उनकी भावना के साथ हूं और उनके साथ अपनी भावना भी जोड़ता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आप परिवार की बात मानते हैं या विचारधारा मानते हैं।

श्री हरीश रावत : मैं विचारधारा को भी मानता हूं और कई परिवार ऐसे होते हैं जो विचारधारा के परिचायक होते हैं और इन्दिरा गांधी और नेहरू का परिवार ऐसी विचाधारा का परिचायक है हिन्दुस्तान के अन्दर जो जाति निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की ताकतें हैं, उनका प्रतिबिम्ब नेहरू परिवार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हुआ, शास्त्री जी ने जिस मूल भावना से प्रेरित होकर यह बिल प्रस्तुत किया है, उस भावना का मैं समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदया से निवेदन करता हूं कि अगर हम ऐसे उपाय कर सकते हैं बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदया : इस बिल के लिए जो टाइम था वह खत्म हो गया है, इसलिए मैं मिनिस्टर को बुलाती हूं। 4 बजकर 22 मिनट तक का टाइम था, वह पूरा हो रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह महत्वपूर्ण बिल है, अभी इस पर बहुत लोग बोलने वाले हैं, दण्डपाणि जी भी बोलने वाले हैं। मैं भी चर्चा का उत्तर दूंगा और एक घण्टा लूंगा।

सभापति महोदया : अभी मिनिस्टर को बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत से लोगों को अभी इस पर बोलना है, इसका समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदया : अगर दो-दो मिनट में आप लोग अपनी बात कह दें तो इसके लिए आधे घण्टे का समय बढ़ाया जाता है। क्या सदन की यह इच्छा है कि इस बिल के लिए समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदया : समय आधा घण्टा बढ़ाया जाता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल चेयनमैन साहिबा, जो यह बिल हमारे सामने लाया गया है और जो आनरेबल मेम्बर इसे लाये हैं, मैं समझता हूं कि उनके जजबात एक ठोस बुनियाद पर खड़े हैं।

जहां तक हमारे विधान का सवाल है, उसके प्रीएम्बल में यह बात बिल्कुल वाजे कर दी गई है कि किसी मजहब, फिरके पैदाइश या कारोबार की बुनियाद पर इस मुल्क में लोगों को तकसीम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस किस्म की बातों को अगर वे किसी मजहबी या गैरमजहबी किताबों में है तो उनको निकाल दिया जाना चाहिए।

लेकिन जहां मैं यह बात कहता हूं वहां मैं इस ऐवान के सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि जहां तक हमारी मकद्स मजहबी किताबों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी मकद्स धार्मिक पुस्तकों का ताल्लुक है, जैसे कि रामायण है, भागवद्गीता है, बाईबिल है, कुरान है, गुरुग्रंथ साहब है, उनके बारे में मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि उनके बारे में इस हाउस को कुछ करने का कोई अख्तियार नहीं है और न हमारा कांस्टीच्युशन ही इस बात की इजाजत देता है। इन मजहबी किताबों को जो स्प्रिट है और इन पर जो हमारे लोगों को यकीन है, उसको देखते हुए इन किताबों में कोई तब्दीली करना या उनमें से कुछ निकालना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात की जाती है तो इससे हम बहुत बड़ा झगड़ा ही पैदा करेंगे क्योंकि इस किस्म की कार्यवाही मजहबी मामलों में मदाखलत मानी जाएगी। इसलिए मैं सोनकर साहब से कहना चाहता हूं कि इन मुकद्स मजहबी किताबों के बारे में कुछ करना नामुमकिन है। साथ में कुछ इन्टरप्रिटेशन की बात है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इन्टरप्रिटेशन पर बहुत कुछ दारोमदार है और इस्लाम में उसको इश्तहाद कहा गया है कि किस ढंग से साइन्टिफिक नालेज के बलबूते पर जो इल्म और ज्ञान इन्सान को प्राप्त हुआ है, उसकी बुनियाद पर मजहबी बात का इन्वेस्टीगेशन करें, तहकीकात करें और फैसला करें कि किस हद तक सही है या नहीं है। आज सारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में यह बात तय है कि छूतछात नहीं होनी चाहिए और जो भी आदमी ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा जुर्म है। मजहब और मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत नहीं होनी चाहिए। जो भी आदमी मजहब की तकसीम की बात करता है, टकराव की बात करता है, नफरत सिखाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। इस बिना पर

जो इन्टरप्रिटेशन की बात है, किसी भी मजहबी किताब को ले लीजिए, किसी भी मजहब को मानने वाले मेजोरिटी में लोग कहेंगे कि यह हमारा ईमान है। इस पर हमको यकीन है, इसके अन्दर कोई गलत बात नहीं है। माइनारिटी के लोग कह सकते हैं कि इस मजहब की किताब में ज्यादती हुई है। जब यह इन्टरप्रिटेशन में बहुत बड़े विज्ञानों ने भी गलतियां की हैं और उस इन्टरप्रिटेशन की बुनियाद पर हमको देसी-किताबों का खण्डन करना चाहिए। अगर किसी किताब ने इन किताबों के बारे में गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है इन धार्मिक पुस्तकों के बारे में जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है तो वहां पर बड़ी सख्ती के साथ उन किताबों को बेन करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनके चैप्टर बदलने के लिए, जहां भी हमारे विधान से टकराव बढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं जो इन्टरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन्टरप्रिटेशन ही नहीं है बल्कि मुल्क में बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, लिटरेचर में, फिक्शन में, हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा रहा है और इसी तरीके से फिक्शन के अलावा कुछ किताबें लिखी जा रही हैं, जहां वक्त-वक्त पर पता लगता है कि इससे नफरत सिखाई जा रही है। छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसलमान हिन्दू, हिन्दू-सिक्ख, सिक्ख-मुसलमान, क्रिश्चियन-हिन्दू के दरमियान भेदभाव बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम नावल्स, उपन्यास और तमाम कहानियां सारी की सारी सख्ती से बेन करनी चाहिएं। इस बात का पूरा हक इस बात का पूरा हक इस पार्लियामेंट को है।

इतना ही नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारी फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, जिन पर कई बार हंगामा भी हुआ है, जिनमें हरिजन के जजबात को सताया गया, चोट लगाई गई है या किसी और फिरके के जजबात के साथ खेला गया है। इस तरह की चीजों को भी बेन किया जाना चाहिए जो आपसी टकराव पैदा करती हैं। अगर इस तरह के नावल्स और किताबों पर बेन लगाने की बात है, सोनकर जी ऐसा चाहते हैं तो बिना बड़ी मजहबी मुकद्दस किताबों को छेड़े, जो भी लिटरेचर मजहबी या गैर मजहबी है, वहां पर इस कानून को लागू किया जाए और सख्ती के साथ किया जाए। जैसा कि सोनकर जी ने कहा है कि वे सारे वाक्य, जुमले और शब्द जिनसे इस किस्म की बू आती है, इन्सान-इन्सान के बीच में नफरत पैदा की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा हैं, उसके बारे में मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि सोनकर साहब की यह बात हमें माननी चाहिए और उस स्प्रिट की पूरी हिमायत करनी चाहिए जिस स्प्रिट के साथ उन्होंने यह बिल यहां रखा है। (इति)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जितनी देर से इस सदन में बैठी रहें, हम एक दूसरे को देखते रहें। मैथिली सीमा का अगर विस्तार किया तो हम दोनों उसी क्षेत्र से आते हैं।.....**(व्यवधान)**

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आप मैथिली में बोलिए।.....**(व्यवधान)**

प्रो० अजित कुमार मेहता : सभापति महोदया, मैं समझता हूं श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने बर्रे के छत्ते में जैसे कंकड़ फेंक दिया हो। पूरी जनसंख्या धर्म पर विभाजित है। डा० लोहिया के कथन से मैं सहमत हूं। धर्म दीर्घकालीन है और राजनीति अल्पकालीन या तात्कालिक धर्म है। लेकिन जब दोनों का अविवेकी मिलन होता है, तभी सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसी मिलन के कारण सभी शोषक वर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, शोषण की सभी संस्थाएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करती है। भारतवर्ष में यही हुआ है। राज्य शक्ति और राजगुरु की शक्ति एक दूसरे की पूरक रही हैं।

जब तक उनका काम निःस्वार्थ, देश की रक्षा और समाज के संगठन से रहा तब तक वह ठीक रहा। लेकिन जब उसमें स्वार्थ आया और शोषण के लिए एक दूसरे का सहारा लेने लगे तब धर्म शास्त्रों में इस तरह की बातें आने लगीं जिसमें कि समाज का एक वर्ग शोषण का शिकार होने लगा। उसी के कारण धर्म शास्त्रों में जगह-जगह पर मनु-स्मृति में या और किसी भी स्मृति में समाज के एक वर्ग को इस तरह से पद्दलित करके रखने की आज्ञा लिखी गई है कि वह वर्ग जो सत्ता में है उनकी सेवा करते रहे और उनके शोषण का शिकार होते रहें। अब कठिनाई यह है कि इतनी पुरानी परम्पराओं को जो धर्म-शास्त्रों पर आधारित है, उसमें संशोधन करने का अधिकार हमें प्राप्त है या नहीं। अभी हमारे पूर्व-वक्ता ने कहा कि कुछ पवित्र पुस्तकें मानी जाती रही हैं, ठीक है वह मानी जाती है। लेकिन उनमें जो सूत्र हैं जिनसे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शोषण का शिकार हो जाता है, उसको अब कैसे बदला जाए ? अगर संविधान में प्रावधान करके कानून से उसको बदलना चाहे तो उनकी यह आशंका ठीक है कि एक तनाव पैदा हो जाएगा। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन यह अधिकार किसको है ? यदि हम यह संशोधन कर भी दें तो हालत क्या होगी ? हम उन श्लोकों को निकाल दें जो समाज के निम्न वर्ग के प्रति ऐसा आदेश देते हैं जिससे वे पद्दलित रहें। जिसमें वह पद्दलित और शोषित रहें, तो अगर हम निकाल भी दें, उनका छपना भी बन्द कर दें, तो उन लोगों के दिमाग से इसको कैसे निकाला जा सकेगा जिन्होंने उस को जबानी याद कर रखा है ? आज हम सरकारी आदेश से निकाल देंगे, किन्तु कुछ दिनों के बाद जब परम्परा बनती चली जाएगी, जैसे कि पुराने जमाने में लोग श्लोकों को याद करते रहे, उस परिपाटी को आप कैसे बन्द कर देंगे ? सम्भव नहीं है। यह सम्भव तभी है जब सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाय कि यह श्लोक गलत हैं और उन्हें नहीं माना जाना चाहिए। जैसे मनुस्मृति की बहुत सी आज्ञाएं आज के हिन्दू समाज में प्रचलित नहीं है। अगर मनुस्मृति की वह आज्ञाएं मानी गई होतीं तो हमारे जैसे लोग यहां चुनकर ही नहीं आते। तो यह कैसे हुआ ? इसलिए यह संशोधन तभी सम्भव है जब सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाय। और इसके लिए केवल संसद में कानून पास कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए जो परम्परा हजारों साल से है उसके लिए कठिन सामाजिक लड़ाइयां लड़नी होंगी। तब जा करके यह मान्यता प्राप्त होगी कि यह आदेश गलत हैं और इनको न मानना ही जायज है आज के सन्दर्भ में।

परन्तु एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि ऐसे जो भी सन्दर्भ हों धर्म-शास्त्रों में, तो जो संस्थाएं धर्म-शास्त्रों का अध्यापन कराती हैं, बाकी का इतना तो किया जा सकता है कि सरकारी संस्थाओं में या उन शिक्षण संस्थाओं में, जिनको सरकार की मान्यता प्राप्त है, इस प्रकार के सन्दर्भों का अध्ययन, अध्यापन वहां न कराया जाय। इतना तो आप कर सकते हैं, और यह आपके कार्य-क्षेत्र में आता है। अगर आप संशोधन कर पाने में अक्षम हों, जैसा कि मैंने स्वयं कहा कि वह सदन के लिए सम्भव है भी नहीं, तो वैसी परिस्थिति में इतना तो अवश्य करा जा सकता है कि इसका अध्यापन, अध्ययन उन संस्थाओं द्वारा कराना मना कर दिया जाय जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है, या जो सरकारी सहायता से चल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : सभापति महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर मुझे कुछ मिनट बोलने का अवसर मिला है।

मेरे मित्र द्वारा उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो दृश्य प्रस्तुत किया है वह कुछ भयावह

उन्होंने पुरातन परम्पराओं के सभी पहलुओं, पुराने धर्मग्रन्थों और धार्मिक पुस्तकों के अन्तर्विषयों का हवाला दिया है और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोगों की, जाति और निम्नीकरण से सम्बन्धी कुछ पैराओं को समाप्त कर देने से ही कोई हल निकाला जा सकता है। स्थिति की विकटता और हमारे समाज में इस रोग की जड़ें जिस गहराई तक फैली हुई हैं, उसे देखने में मैं यह महसूस करता हूं कि इस का हल उतना सरल नहीं है जैसा कि सुझाया गया है। मैं यह नहीं कहता कि भेदभाव की व्यवस्था और कुछ लोगों को नीचे रखने का सिद्धांत हमारी परम्परा है। वास्तव में, यदि आप हमारे पुराणों को देखें तो आप पायेंगे कि सभी समय तथाकथित निम्न जातियों को नीचा नहीं रखा गया। महोदय आपको याद होगा कि सबसे बड़े भगवान, जिन्हें हम पूजते हैं, श्री कृष्ण ग्वाला जाति के थे। जातियों के पुराने वर्गीकरण के अनुसार वह शूद्र थे। श्री राम केवल क्षत्रिय थे न कि ब्राह्मण तथा हमारे महान कवि, वेद व्यास एक मछुआरिन में पुत्र थे। इसी प्रकार, पुरातन वर्गीकरण के अनुसार कालिदास भी गैर-ब्राह्मण समुदाय के थे। अतः पुरातन समय में भी जाति की निंदा नहीं की जाया करती थी। यह केवल प्रथा तथा कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा निरन्तर भेदभाव बरते जाने से ही वर्तमान स्थिति पैदा हुई है ।

महोदया, मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा समाप्त हो गई है। किन्तु संविधान निर्माताओं द्वारा जाति प्रथा की बुराइयों को कुछ हद तक कम कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं, मनुस्मृति का पुराना नियम समाप्त कर दिया जाना चाहिए, किन्तु क्या हमारे संविधान निर्माताओं को बुराइयों की जानकारी नहीं थी। डा० अम्बेदकर संविधान निर्माताओं में से एक के थे, जो कि पुरातन वर्गीकरण के अनुसार शूद्र समझे जाने चाहिए। अतः जाति अब उतनी हौआ नहीं रही जितनी कि कभी हुआ करती थी। अब हम संविधान द्वारा इस वर्गीकरण को समाप्त कर रहे हैं। केवल कानून बना देने से ही हमें क्या लाभ मिलेगा ? संविधान ने स्वयं जाति सम्बन्धी भेदभाव को समाप्त कर दिया है। क्या आपने इन सभी वर्गों में जाति प्रथा को समाप्त किया है ? हमारे देश में बहुत-सी बुराइयां हैं। क्या केवल कानून पारित कर देने से ही वे समाप्त हो रही हैं ? यदि कोई यह कहता है कि धर्मग्रंथों को समाप्त कर देने से ही बुराई समाप्त हो जाएगी तो यह केवल खयाली पुलाव है। जाति प्रथा की भी हमारे समाज में अच्छाइयां हैं। यह जाति प्रथा ही है जिसने हमारे देश को एकता में पिरोये रखा है। यह जाति प्रथा ही है जिसने लोगों को सभी भेदभावों और सभी उत्तार-चढ़ावों के होते हुए भी एकजुट कर रखा है। मैं समझता हूं कि इस जाति प्रथा ने ही अपनी कमजोरिलों के होते हुए भी भारतीय समाज को एकसूत्र में बांधे रखा है। यूनान और अन्य साम्राज्यों का क्या हुआ ? वे समाप्त हो गए। पुराने समय में वे यह महसूस करते थे कि समाज अथवा समुदाय, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र हैं, समरूप है। वे अपने-अपने कर्त्तव्य साथ मिलकर निभाते थे। हर कोई यह महसूस करता था कि जिसे व्यवस्था में वह पैदा हुआ है उसका वह एक अंग है। अतः, मैं अब भी महसूस करता हूं कि इस प्रथा ने हमारी स्थिरता हेतु काफी योगदान दिया है। अब क्या हो रहा है ? जाति प्रथा किसी अन्य ढंग से पुनः पैदा हो रही है। किसी वर्ग विशेष के कार्यकलापों के अनुसार हम समाज को जातियों में विभाजित किया। उदाहरणार्थ, एक डाक्टर अपने बेटे को डाक्टर बनाना चाहता है, एक राजनीतिज्ञ अपने बेटे को मन्त्री देखना चाहता है और एक आई० ए० एस० अधिकारी चाहता है कि उसके बच्चे आई० ए० एस० परीक्षा पास कर लें। अतः जाति प्रथा दूसरे ढंग से फिर से जन्म ले रही है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने समय में जाति प्रथा में कुछ शक्ति थी। अपने धर्म ग्रन्थों का संशोधन करने के स्थान पर हमें उन्हें अपनी एक विरासत के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। अतः यह हमारी सांस्कृति का एक अंग है। इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। हमें इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए। इससे अलग रहें। आप इसका अनुसरण नहीं करें। यह ठीक है। वह क्या हैं

जिसका आप अब अनुसरण कर रहे हैं ? हम आजकल की परिस्थितियों में लिखित नियमों का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। पुराने नियमों को मानने के बारे में प्रयास करने के प्रश्न में क्या रखा है ? क्या कोई पुराने नियमों का पाबन्द है। कोई भी पुराने नियमों का पाबन्द नहीं है। पुराने नियमों की किसी को कोई परवाह नहीं है। आओ हम उन्हें अपनी विरासत के रूप में सुरक्षित रखें चाहे वे अच्छे हैं या बुरे। बड़े मन्दिरों और वास्तु कलापूर्ण भवनों का क्या होगा। वे रहने के स्थान नहीं है। क्या हम उन्हें आधुनिक भवनों में बदल दें ? जी, नहीं। वे हमारे 5000 वर्ष पुरानी विरासत के हिस्से हैं। उन्हें अलग रहने दो। महान् परम्परागत वस्तुओं को उनके मूल रूप में रहने दो।

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, श्री शास्त्री ने एक बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। किसी धर्म के तीन अंग होते हैं : दर्शन, परम्परा और अंध-विश्वास। दर्शन शाश्वत होता है, परम्परा बदलती रहती हैं और जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, अन्ध-विश्वास दूर होता जाता है। प्रश्न यह है कि क्या कानून के द्वारा वैचारिक क्रान्ति हो सकती है। जिन विचारों का प्रतिपादन शास्त्री जी ने किया है, हम जैसे बहुत लोग उनपर अमल करते रहे हैं। आज से 56 साल पहले 1923 में अस्पृश्यता निवारण, मन्दिर प्रवेश और सहभोज के आन्दोलन में भाग लेने के कारण ग्राम के लोगों के द्वारा तीन साल तक मेरा जाति से बहिष्कार किया गया था।

महर्षि दयानन्द पर अखिलानन्द ने एक किताब लिखी "दयानन्द भास्कर।" उसके बाद किताब लिखी "दयानन्द तिमिर भास्कर।" अगर आर्य समाज कहे कि "दयानन्द तिमिर भास्कर" पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, तो क्या सम्भव हो सकता है ? इसके साथ ही हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर हम किसी चीज की अधिक प्रचलित करना चाहते हैं, तो उसका उपाय यह है कि उसको प्रतिबंधित कर दें।

1928 में पंडित सुन्दरलाल ने **चांद** में भारत में अंग्रेजी राज की एक श्रृंखला शुरू की। अंग्रेजों ने उसको जब्त कर लिया। इस कारण उसकी मांग इतनी बढ़ गई कि जगह-जगह पर हजारों लोग उस किताब को पढ़ने लगे। मैं समझता हूं कि यदि रामायण या अन्य पुस्तकों में ऐसे विचार हैं, जिनको हम अवांछनीय विचारों के विरुद्ध एक दूसरी रामायण लिखी जा सकती है।

लाला फिरोजचन्द ने **पीपल** में एक आर्टिकल लिखा "दशहरा इज ऐन अनवर्दी ट्रेडीशन" हालांकि बहुत लोग विजय-दशमी का उत्सव मानते हैं। एक और आर्टिल में लाला फिरोजचन्द ने कहा कि भगवान् कृष्ण को भगवान् मानना बड़ी मूर्खता है, कृष्ण तो भगवान् नहीं था, वह तो दुराचारी था। क्या इस तरह के विचारों पर कानून के जरिये प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ?

सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास में महर्षि दयानन्द ने क्रिस्चियेनिटी, इस्लाम, यहूदी आदि बहुत से धर्मों के बारे में आलोचना की है। तो क्या सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए ? इससे कितना बड़ा आन्दोलन खड़ा हो जाएगा।

यहां पर मुहम्मद गौरी और गजनवी ने कितने मन्दिर तोड़े। उसका नतीजा यह हुआ कि घर-घर में मन्दिर बन गए। मूर्ति पूजा को मुहम्मद गौरी नहीं रोक सका। लेकिन आर्य समाज, ब्रह्म समाज और महर्षि दयानन्द ने मूर्ति-पूजा को खत्म कर दिया। मन्दिर बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई पूजा करने वाला नहीं है। लेकिन क्या मूर्ति-पूजा को कानून के जरिये से रोका जा सकता है ?

महात्मा गांधी पुरी गए। वहां पर कस्तूरबा और महादेव देसाई मन्दिर में चले गए। मगर महात्मा गांधी ने अनशन किया और कहा कि जब हरिजन मन्दिर में नहीं जा सकते, तो तुम कैसे चले गए। महात्मा गांधी का ब्लड प्रैसर बढ़ गया। महादेव देसाई ने कहा कि बापू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संसार का इतिहास अन्याय और शोषण का इतिहास रहा है। एक तरफ जहां बल प्रयोग रहा है वहां दूसरी तरफ विचारों द्वारा लोगों को गुलाम बनाया गया है। अमरीका में फिलडेलफिया व अन्य शहरों में आज से सौ साल पहले गुलाम बिका करते थे। कनाडा में यह गुलामी की प्रथा नहीं थी। क्रिश्चियेनिटी कहती थी कि गुलामी की प्रथा क्रिश्चियेनिटी के अगेस्ट है। गैरिसन वहां मीटिंग कर रहा था, उस पर पत्थर बरसाए गए। जेल में बन्द करने लगे तो लोग उसके पिता से जाकर बोले : "विलिय, विलियम, मुझे आपके बारे में सहानुभूति है। आपका बेटा पागल है। वह दास प्रथा को समाप्त करने की मांग कर रहा है।"

एक समय वह भी था। लेकिन वहां पर गुलामी की प्रथा बन्द हुई।

शास्त्री जी का इस बिल को प्रस्तुत करने के पीछे जो उद्देश्य है, उससे किसी भी विवेकशील व्यक्ति को मतभेद नहीं हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि उसको किस प्रकार से अमल में लाया जाए। मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं जैसे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट है लेकिन क्या किसी भी पार्लमेंट मेम्बर ने अपनी रिटर्न ठीक भरी है ? जब इस तरह का कोई कानून है जिस पर कोई व्यक्ति अमल नहीं कर सकता तो उससे जनता का क्या भला हो सकता है ? इसलिए मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो उद्देश्य है उससे कोई भी मतभेद नहीं रख सकता लेकिन सवाल यही है कि उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो ? आज पंजाब में कितनी फैनेटिसिज्म है लेकिन आदमी के दिमाग को आप किसी कानून के द्वारा नहीं बदल सकते। रामायण को बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को धर्म में विश्वास नहीं है। आज बहुत से कम्युनिस्ट हैं जो समझते हैं कि धर्म आदमी के लिए अनिस्थीरिया है, एक तरह से अफीम है। आज जिस तरह से सिक्के और परम्परायें बदल जाती हैं उसी तरह से रामायण उस मनुस्मृति को बदल सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि यह विचार इस सदन के विचार हो गए हैं और इन पर कोई मतभेद नहीं है लेकिन कानून बनाने से उन्हीं विचारों का प्रतिपादन होगा जिनको कि आप हटाना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करें तो उसने कहा बन्दर का ध्यान मत करना लेकिन उसने बताया कि जब भी वह बैठता है तो बन्दर उसके ध्यान में आ जाता है। जिस चीज के लिए भी आप कहेंगे कि मत करो उसी को लोग करेंगे और उसको पढ़ेंगे कि आखिर उसमें है क्या। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वैचारिक क्रांति में हम सभी आपके साथ हैं लेकिन कानून के जरिए से आप इसको नहीं कर सकते हैं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सभापति महोदय, माननीय शास्त्री जी ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उस पर इतनी लम्बी बहस चली, बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। जहां शास्त्री जी ने मनु स्मृति की बात कही, मैत्रायणी संहिता, विष्णु पुराण और रामायण की बातें कहीं, मैं तो शास्त्री जी की तरह विदुषी नहीं हूं, मैं इन पुस्तकों में से सिर्फ आप वाल्मीकी रामायण और तुलसीकृत रामायण ही पढ़ सकी हूं।...**व्यवधान**...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दोनों अलग-अलग हैं।...**व्यवधान**...

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : दोनों ही मैंने कहा है। आप जरा गौर से मेरी बात सुनिए। यह कोई हिन्दी सम्मेलन नहीं है और न ही यह कवि सम्मेलन है और यहां पर अपनी योग्यता देने को भी आवश्यकता नहीं है। विधेयक पर बहस हुई और बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गई, तो मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। आप मुझे बोलने दीजिए। किसी के हृदय पर मैं चोट पहुंचाने वाली नहीं हूं। ···व्यवधान···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।···(व्यवधान)···

सभापति महोदया : इन्होंने कहा है कि इन दोनों किताबों को पढ़ा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमें उस पर आपत्ति नहीं है। ठीक है आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है। एक किताब का नाम ले लिया इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान की गृह राज्य मन्त्री हैं और आप इस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना बात कर रही है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ा है और तुलसीकृत रामायण भी पढ़ी ही हूं। गलत बयानी करना मुझे पसन्द भी नहीं है। सोनकर शास्त्री जी जब धर्म ग्रन्थों का नाम ले रहे थे, तो उन्होंने एक जगह यह भी कहा था कि इन धर्म ग्रन्थों के अनुसार शूद्र की परिभाषा, जैसा कि उन ग्रन्थों में लिया है, असत्य बोलने वाले शूद्र हैं, चुगली करने वाले शूद्र हैं और निर्दयी आचरण करने वाले शूद्र हैं। मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं कि यदि मैं चुगली करूं, निर्दयी आचरण करूं, तो मैं भी शूद्र कहला सकती हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, मेरी आपसे मित्रता भी हैं, बातें भी होती हैं, आपने तुलसीदास जी के बारे में बड़े जोरदार शब्दों में कहा—उन्होंने शूद्र की भर्त्सना की है और नारी की भी भर्त्सना की है। उन्होंने रामायण में लिखा है—"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी"। जहां तक मेरी योग्यता है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूं कि तुलसी दास जी ने रामायण लिखते वक्त शुरू में ही लिख दिया है :

"भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा" तुलसीदास जी ने राम और सीता के उज्ज्वल चरित्र का चित्रण करते हुए भक्ति मार्ग को दर्शाया है, ज्ञान मार्ग को दर्शाया है और कर्म मार्ग को भी दर्शाया है और योग मार्ग की भी बातें की हैं। उसकी तह में मैं जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि इन तमाम धर्मों की तह में जाकर मैंने प्रवेश नहीं किया है और न ही मुझे इन मार्गों का अध्ययन है। कुछ ऊपर ही ऊपर पढ़ सकी हूं। आपने मुझे से अधिक विद्वतापूर्ण भाषण दिया। मुझे आपके प्रति श्रद्धा है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि आपने श्रृंगार रस को क्यों छोड़ दिया, अद्भुत रस को क्यों छोड़ दिया, वात्सल्य रस को क्यों छोड़ दिया वीर रस को क्यों छोड़ दिया और सीधे वीभत्स् रस पर क्यों उतारू हो आए यदि वे उन अध्यायों को भी यहां पर रख देते तो कुछ आनन्द आ जाता और डागा जी जैसे माननीय सदस्य भी औरों के साथ-साथ आनन्द विभोर हो जाते। मैं सोनकर जी आपको बताना चाहती हूं कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है, वह समुद्र के मुख से कहलवा रहे हैं। तुलसीदासजी स्वयं नहीं कह रहे हैं। जब राम विह्वल होकर समुद्र लांघ कर श्रीलंका नगरी में प्रवेश कर रावण को पराजित करके सीता को अशोक वाटिका से निकालना चाहते थे, तब उन्होंने बाण को उठाकर कहा है कि समुद्र तुम सूखो। उस समय समुद्र बोल रहा है—"ढ़ोल गंवार शूद्र पशु नारी थे सब ताड़न के अधिकारी"। समुद्र जड़ है और राम चेतन है। जड़ चेतन और क्या कर सकता है? वह तो

जड़ता की ही न बात करेगा दूसरी पंक्ति में कहा है—"नारी स्वभाव सत्य कवि कहहिं, अवगुण आठ सदा उर धरहिं।" यहां पर रावण मन्दोदरी को कह रहा है, एक राक्षस ने राक्षसीको कहा है, एक राक्षस से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। जब रावण राम से युद्ध करने उद्यत् होता है तो मन्दोदरी रावण के पांव पकड़ विह्वल स्वर से अनुरोध करती है कि तुम भगवान से मत लड़ो। इस पर रावण क्रुद्ध होकर मन्दोदरी को ऐसा कह रहा है। तुलसीदास जी के बारे में किसी कवि ने लिखा है :—

5.00 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)**

ओ महाकवि गा गये तू,
गति जीवण के मरण के।
भाव पूरक मुक्त मन के,
सत्य शिव सौंदर्य वाहक।

कवि अपने काल की स्थिति को उद्घोषक हुआ करते हैं। माननीय सदस्य श्री काबुली जी ने फरमाया—इनका इन्टरप्रेटेशन तरह-तरह से होता गया है। इन्टरप्रेटेशन सही तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन कठिनाई यह है कि हर मनुष्य अपने-अपने ढंग से इन्टरप्रेटेशन करता है और हम उसके भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने जो योग मार्ग, भक्तिमार्ग और ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में—जैसे थाईलैंड, सुरीनाम, मारिशस, फिजी आदि देशों में भी पहुंची हुई है। वहां भी रामायण की कथा बड़ी श्रद्धा से पढ़ी जाती है, तस्वीरें आदि भी निकलती हैं। इसीलिए आपको धर्म और मजहब के पचड़े में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं—

यहीं हमारे मन्दिर मसजिद सिखों का गुरुद्वारा है,
यहीं हमारा ताजमहल है और कुतुबमीनारा है।
इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है,
दूर हटो ऐ दुनियावालो, हिन्दुस्तान हमारा है।

बहस के दौरान यह भी कहा गया कि इन्दिरा जी मन्दिरों में जाती हैं वहां के पुजारी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं जहां वे मन्दिरों में जाती हैं वहीं हरिजनों की झोपड़ियों में रोशनी जलाती जाती हैं गरीबों की दशा में सुधार करती जाती हैं। मुझे भी एक पंक्ति याद आ गई है :—

स्मृतियों के पटल पर रंगे चित्र कितने,
किसी ने बनाये किसी ने मिटाये।

1928 ई० की बात है मैं उस समय एक छोटी बालिका थी, लेकिन गांधी जी और जवाहलाल

जी के आजादी के नारे पर हमारा सारा परिवार कुरबान था। हम लोक हरिजनों की कालोनी में जाते थे, वहां पिता माता के साथ उन्हें सफाई और शिक्षा का संदेश देते थे। उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करते थे। मेरे पिताजी ने हनुमान जी का मन्दिर बनवाया था। जेल से छूटने के बाद मन्दिर का दरवाजा हरिजनों के लिये खोला जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा की। इस पर हम लोगों को जाति से निष्कासित किया गया था, लेकिन बाद में जब उन्हें ध्यान आया तो वे हम लोगों के रास्ते पर चलने लगे।

मैं आपको एक बात और बतलाती हूं। हमारे यहां एक "मनुष्यमारा" नदी थी, जो सीतामढ़ी जिले में थी। वह इतनी भयंकर नदी थी कि उसमें पांव रखते ही मनुष्य दो घन्टे में मर जाता था। 1937 में जब कांग्रेसी हुकूमत कुछ दिनों के लिये आई तो मिनिस्टर लोग और दूसरे नेता गण वहां के लोगों को त्रास दिलाने के लिये वहां गये। बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद जब वे वहां से चलने लगे तो लोगों की इच्छा हुई कि चाय पी जाय। उस जमाने में चाय सब जगह नहीं होती थीं। वहां एक "हरि" साहब थे जो क्रिश्चियन थे, उनका एक नौकर था जो हरिजन था जो चाय बनाकर लाया और मेरे पति ठाकुर मंगल किशोर सिंह ने चाय की व्यवस्था वहीं करायी। लोगों ने चाय पिया। साथ-साथ मेरे पति ने भी चाय पीया, इस पर 10 वर्षों के लिए हम लोगों को जाति से निष्कासित कर दिया गया। गांधी जी, जवाहरलाल जी, मौलाना, लाला शास्त्री जी, सरोजनी जी और इन्दिरा जी का क्या कहना है, ये लोग हमारी आजादी के अग्रणी नेता थे और हैं। मैं तो यही कहूंगी—गीता में लिखा है—

"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे"

यह मनुष्य धर्म है, इसका मतलब न हिन्दू से है, न मुसलमान से है, न सिख या ईसाई से है, न शूद्र से है, न वैश्य से है, न क्षत्रिय से है, और न ब्राह्मण से है, यहां मानव धर्म से इसका सम्बन्ध है।

हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

हम भारतवासियों की यह खुशकिस्मती है कि एक ही सदी में गांधी जी का नेतृत्व मिला, जवाहर लाल जी का नेतृत्व मिला, शास्त्री जी, सरोजनी जी और मौलाना का नेतृत्व मिला और आज हम इंदिरा जी के नेतृत्व से चमत्कृत हो रहे। यदि इस विधेयक में हमारे उन नेताओं की बात आई है, इन्दिरा जी पर कोई फब्ती कसी जाती है तो मुझे बेहद दुःख होता है मैं कुटु शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहती लेकिन मेरी जो मृदु बाणी है वह मुझे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। गांधी जी ने हरिजनों के लिए क्या किया, देशवासियों के लिए क्या किया और किस तरह उन्हें जगाया। ये तमाम बातें यहां कहने की नहीं हैं। ये हम सभी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कुछ नहीं किया और इन्दिरा जी क्या कुछ कर रही हैं, यह सब जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की पुत्र वधु और राजगोपालाचारी, जो जाति के ब्राह्मण थे और उनके कुल में पैदा हुई थी उनकी पुत्री लक्ष्मी गांधी, जब ब्याह करके लाई गई, तो दिल्ली की भंगी कोलोनी में उतारी गई और वहीं वे हरिजनों की सेवा रत हो गई। उनके घरों की सफाई करने लगी। उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने लगी। जवाहरलाल जी, ने जिन्होंने आजादी के लिए आन्दोलन की रोशनी से सारे देश को प्रकाशित किया वे हरिजनों और आदिवासियों के लिए दर दर की ठोकरे खाते चले थे। पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे जंगलों में भारत के लाखों गांवों में पहुंचकर उन्होंने, स्वावलबन, शिक्षा, हिम्मत और देश भक्ति का पाठ पढ़ाया और आज इन्दिरा गांधी उसी काम को

लेकर आगे बढ़ रही हैं। आप मनु स्मृति की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के जरिये और छठी पंचवर्षीय योजना के जरिये आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके कल्याणार्थ क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। इसमें आपका भी सहयोग मिलना चाहिए। केवल सरकारी मशीनरी से ही यह सब काम नहीं हो सकता। जब तक आप तमाम लोगों का इसमें सहयोग नहीं होता। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब न कोई शुद्र हैं, न कोई वेश्य है न कोई क्षत्रिय है और न कोई ब्राह्मण है। अगर ऐसी बात होती, तो मैं कहूंगी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं मैं वेश्य हूं, मैं शुद्र हूं। पर मैं न तो ब्राह्मण हूं, न वेश्य हूं और न क्षत्री नहीं शुद्र मैं तो भारत की एक नागरिक हूं और एक इन्सान हूं। यही गांधी जी ने बतलाया और यही जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया और इन्दिरा जी ने उसी पथ का प्रदर्शन किया है। विश्व शान्ति की मसीहा इन्दिरा गांधी आज बहुत सारे राष्ट्रों की अग्रदूत हो गई हैं और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी हैं। दुनिया में जो अविकसित मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, गुलाम मुल्क हैं, वे तमाम उनके नेतृत्व की रोशनी से प्रकाशित होना चाहते हैं और वे इसमें अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए और सरकार की जो नीति है, जो हमारी पालिसी हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनमें आपको योगदान करना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमारा योगदान मांग रही हैं। यह आप विधेयक पर बोल रही हैं, आप बीस-सूत्री कार्यक्रम का प्रचार रही हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : विकास के कार्यक्रमों में योगदान की बात मैंने कही है। समाजवाद की बात सम्भवत: शास्त्री जी के दिमाग में उन दिनों न रही हो लेकिन मेरे दिमाग में यह है। मैं आप को यह बताऊं कि पंत जी एक ब्राह्मणों कुल में पैदा हुए थे लेकिन वे एक ब्राह्मण होकर काव्य रचना नहीं करते थे और न ही ब्राह्मणों के लिए रचना करते थे। उन्होंने उस जमाने में लिखा था जब हम गुलाम थे।

जग पीड़ित रे अति दु:ख से
जग पीड़ित रे अति सुख से
मानव जग में बंट जाए
सुख दु:ख से और दु:ख सुख से।

इसलिए इस वाद-विवाद के अन्तर्गत शास्त्री का राष्ट्र नेताओं और महाकवियों एवं लेखकों के ऊपर जातिवाद का नकाब जबर्दस्त पढ़ाने का प्रयास बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, गांधी जी किसी भी समुदाय से सम्बन्धित नहीं हैं। यदि आप ठीक से कहना चाहते हैं तो वह "वैश्य" थे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : जी हां, महोदय, अपने सीमित समय में मैंने कुछ बोल दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 'वैश्य' थे, किन्तु वह किसी जाति से सम्बन्धित नहीं थे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : हमें उनके विचारों और कार्यों से सरोकार है, न कि उनके जन्म से।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है। किन्तु यदि आप तकनीकी तौर पर देखें तो वस 'वैश्य' थे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह कोई तकनीकी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके संशोधन को स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे सहमत हूं। इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने भी गांधी जी के बारे में थोड़ा पढ़ा है। उनका कहना है, "मैं हिन्दू हूं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी धर्म के विरुद्ध हूं।" उन्होंने यह कहा, "मैं सच्चा हिन्दू हूं।" उन्होंने इस बात को कभी नहीं नकारा। (व्यवधान) किन्तु उनका कहना था था कि उनकी किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : धर्म के बारे में उनके विचार हमारे अब के विचारों से अलग थे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मेरी बात सुनिये। हम लोग कर्तव्य परायण रहे हैं। जहां तक कवि का सवाल है, महाकवि बच्चन ने कहा है :

मन्दिर मस्जिद लड़वाते हैं
मेल कराती मधुशाला।

इन बातों से हमें सब लेना चाहिए। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और कार्य भी किया है। गांधी ने बतलाया है, जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है और हमारी नेता इन्दिरा गांधी ने भी बतलाया है। हमारा 'मोटो' है। हमारा आदर्श है। हमारा धर्म और कर्म मानवता की सेवा है। हम मानववादी अवश्य हैं और हम जिस राह के राहगीर हैं वह है :—

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम वतन है, सारा जहां हमारा ॥

महोदय, मैं शास्त्री जी सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वास्तविक हस्तक्षेप तो अब शुरू हुआ है। वह तो सब तात्कालिक था।

श्री रामदुलारी सिन्हा : बहस किसने शुरू की थी।

महोदय, यदि हम शास्त्री जी से एक पल के लिए सहमत भी हो जाते हैं, दलील के वास्ते, कि कुछ हिन्दू धर्मग्रन्थों और अन्य धार्मिक साहित्य में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो प्रत्यक्षत: यह नहीं दर्शाते कि सभी पुरुष समान है, हम यह नहीं कह सकते कि ऐसे पुरातन ग्रंथ आज हिन्दुओं के एक वर्ग के प्रति भेदभाव

और घृणा फैलाते हैं, यह कहना उससे भी कठिन है कि ऐसे साहित्य को जब्त कर दिया जाये अथवा उन्हें सेंसर किया जाये । महोदय, इस प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण यह है कि यह उचित नहीं होगा कि ऐसे श्लोकों का पता लगाने हेतु एक आयोग गठित किया जाये और उनके द्वारा धार्मिक पुस्तकों का संशोधन किया जाये ।

भारत का संविधान, जिसके द्वारा भारत के लोगों ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी धर्म लोकतन्त्रात्मक गणराज्य स्थापित करने का संकल्प किया गया था, अपने लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है । हमारे राष्ट्रीय जीवन को मूल आधार जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है और जिनका वर्णन काफी सदस्यों ने किया है, इस प्रकार है :—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा

उपासना की स्वतन्त्रता ;

प्रतिष्ठा तथा अवसर की सभ्यता

प्राप्त कराने के लिए

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए ।

इन मूलभूत धारणाओं की गारन्टी प्रदान करने के लिए संविधान में विशेष उपबन्ध किए गए हैं ।

इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति लिंग तथा जन्म स्थान के आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है । अस्पृश्यता जोकि जाति-प्रथा की बहुत बड़ी बुराई समझी जाती है अनुच्छेद 17 द्वारा उसका भी उन्मूलन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि संविधान के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी अध्याय में उल्लिखित समानता या भेदभाव के निषेध सम्बन्धी उपबन्धों के बावजूद राज्य इन वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सके । अतः जाति भेद को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न उपबन्धों को प्रेरक बल प्रदान किया गया है ।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 25(1) में यह व्यवस्था है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबन्धों के अद्यधीन, सभी व्यक्ति अन्तरात्मा के अनुसार कार्य करने के लिए समान रूप से स्वतन्त्र हैं और अपने धर्म को स्वतन्त्र रूप से मानने तथा उसका प्रचार करने के हकदार हैं । अतः धर्म के प्रकाशन निर्वाह तथा प्रचार में केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के हित में पाबंदी लगाई जा सकती है । यहां मैं इस बात का जिक्र करूंगी कि सरकार, प्रकाशनों के रूप में प्रचार करने वाले लोगों पर संगठनों के क्रियाकलापों पर केवल तभी नजर रखती है जबकि ये क्रियाकलाप सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भारी खतरा पैदा कर देते हैं या ये अन्यथा गैर-कानूनी है । ऐसी स्थिति में उन्हें रोकने के लिए मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं ।

प्रस्तावित विधेयक में बताया गया है कि विगत काल में लिखी गई कतिपय धार्मिक पुस्तकों में दिये गए श्लोक संविधान के उपबन्धों का पूर्णत: उल्लघंन करते हैं। ऐसे किसी विधेयक पर विचार करना उचित नहीं होगा जिसमें किसी शास्त्रीय साहित्य में संशोधन की व्यवस्था की गई है क्योंकि यह हमारे पास उपलब्ध ऐसे शास्त्रीय साहित्य की ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यह बेहतर है कि जन-मानस में अपेक्षित सुधारकों पर छोड़ा जाए जोकि पहले से ही बड़ी सफलतापूर्वक इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

यह सुविदित है कि सूत्र, स्मृतियां आदि प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तथा यह आम धारणा यही है कि ऐतिहासिक महत्व की पुस्तकें दोबारा नहीं लिखी जाती हैं।

महोदय, विगत काल में व्यक्त मत उस युग की भावनाओं के दर्पण हैं तथा यह हो सकता है कि ये अनुभूतियां समय की कसौटी पर और शताब्दियों से निरन्तर बदलते राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिप्रेक्ष में खरे न उतरे हों। तथा सभी युगों में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता रही है तथा हमारी वर्तमान सामाजिक बुराइयों का निराकरण, सही जन मत तैयार करने के हमारे संगठित तथा सम्बद्ध प्रयास में निहित है ताकि सामाजिक असमानताओं तथा भेदभावों के विरुद्ध स्वत: स्फूर्त तिरस्कार की भावना पैदा हो। यह सुनिश्चित करने के बहुत थोड़े प्रमाण हैं कि धर्मशास्त्रों के कुछ पद्य अभी भी आधुनिक विचारधारा तथा सामजिक व्यवहार को प्रभावित करते भी हैं तो हमें इस सामाजिक पृष्ठभूमि में वर्तमान जनसाधारण का रुख आधुनिक मूल्यों की प्रणालियों की ओर करना है, जैसाकि संविधान में निर्दिष्ट है। हमें उसे उन धारणाओं से दूर रखना है जो कि इस युग के लिए असंगत हैं। अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से जोर देकर यह अपील करती हूं कि वे उन प्रथाओं तथा विश्वासों के विरुद्ध लड़ने को तत्पर रहें जो कि वर्तमान समय में पूर्णत: निरर्थक हो गए हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पाठ्य पुस्तकों का चयन किसी भी तरह के साम्प्रदायिक या द्वेषपूर्ण प्रचार के विरुद्ध शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय एकता परिषद के अधीन गठित शिक्षा सम्बन्धी समिति के निदेशों के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है।

महोदय, उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दिए गए उदाहरण मुख्यत: प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में जाति की समस्या के विषय में हैं। मैं यह जोर देना चाहती हूं कि अस्पृश्यता की प्रथा की वास्तविक समस्या के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 4 तथा 7 में पर्याप्त उपबन्ध किए गए हैं। इनका पाठ इस प्रकार है :—

> "धारा 4 कोई भी व्यक्ति जो 'अस्पृश्यता' के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्न-लिखित के सम्बन्ध में कोई अयोग्यता प्रवर्तित करता है।
>
> × × ×
>
> (दस) किसी सामाजिक या धार्मिक रीति के पालन-निर्वाह या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने या न लेने पर,
>
> × × ×
>
> एक माह से अन्यून और छह माह से अनधिक अवधि के कारावास तथा 100 रुपए से अन्यून तथा 500 रु० से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

इसी तरह धारा 7 (ग) का पाठ इस प्रकार है :—

धारा 7 (एक) कोई भी व्यक्ति जो—

× × ×

(ग) बोल कर या लिखित शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्यमान प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा, किसी व्यक्ति से या जन समूह को या जन सामान्य को किसी भी तरह के 'अस्पृश्यता' के व्यवहार के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करता है तो,

× × ×

6 माह से अन्यून अवधि कारावास तथा 100 रु० से अन्यून तथा 500 रु० से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

महोदय, इस समय 'अस्पृश्यता' का प्रचार करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई इन उपबन्धों तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्य उपबन्धों के तहत की जा सकती है। इसी तरह, ऐसा कोई लेख जो कि साम्प्रदायिक प्रथा का प्रचार करता है उसकी भारतीय दण्डसंहिता तथा अन्य अधिनियमों के उपयुक्त उपबन्धों के अधीन जांच की जा सकती है। वस्तुतः प्रस्तावित आयोग स्थापित करने से तनाव पैदा हो सकता है तथा विवाद बढ़ सकते है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि हमारा देश प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, **धर्मनिरपेक्ष** लोकतांत्रिक गणराज्य है, सरकार का किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक न्याय के लिए यह हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। मैं यह महसूस करती हूं कि माननीय सदस्य द्वारा एक आयोग नियुक्त करने का जो सुझाव दिया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, इन परिस्थितियों में, मैं माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

अपने मूल्यवान मत तथा सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी गम्भीरता के साथ लगभग पांच-छह घण्टे इस बिल पर अपने विचार प्रकट किए। बहुत से साथियों ने शंकाएं और कुछ ने बड़े उत्साह से इन धर्म ग्रंथों की समीक्षा की, मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा मन या इस बिल के माध्यम से मेरी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं किसी धर्म ग्रंथ अथवा हिन्दू धर्म ग्रंथियों का अपमान करूंगा अथवा हाऊस में या देश में गलत ढंग से चर्चा का विषय बनूं। मुझे खुशी है कि मेरे दिल में जो पीड़ा थी, उस पर हमारे साथियों ने यहां बड़ी अच्छी तरह ध्यान दिया। यदि किसी धर्म ग्रंथ में दो हजार मंत्र है तो निश्चय ही यह हमारे अतीत और वर्तमान के प्रतीक हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा वाक्य लिखा हुआ है जो हमारे सारे के सारे जीवनक्रम को या सारे धर्म की पवित्रता को नष्ट कर देता है। इस बिल को लाने का मतलब यही था कि उस वाक्य को निकाल दिया जाए। मनु-स्मृति मेरे पास है। यह

हिन्दू धर्म का ग्रंथ है और कानून की किताब है। इसका मैं उतना ही आदर करता हूं कि जितना कि हिंदू समाज आज तीन हजार वर्षों से करता आ रहा है।·····(व्यवधान)

इस मनु-स्मृति में ऐसे शब्द हैं जो मन को चोट पहुंचाते हैं और कोई भी अपने को इंसान कहने वाला व्यक्ति इसको फूंकने के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि इसको न फूंका जाए। इस पार्लियामेंट और देश के विभिन्न स्थानों में भी इसको फूंका गया है। मैं चाहता हूँ कि इस पर पूजा के दो फूल चढ़ाए जाएं। यह तभी संभव होगा जब हम इसमें से अनर्थकारी शब्दों को निकाल दें। आपने प्रधान मन्त्री के बारे में कहा। वे हमारी भी प्रधान मंत्री हैं और देश की प्रधान मन्त्री हैं। हम पार्लियामेंट में आलोचना या प्रत्यालोचना करते हैं लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनके कार्यों में सहयोग पहुंचाएं। मुल्क की आजादी की रक्षा हो और मुल्क का काम चलता रहे। मैं ऋग्देव देख रहा था। उसमें एक जगह लिखा हुआ है अइन्द्रा, जो इन्द्र को आराध्य नहीं मानते थे। अवज्ञा, जो यज्ञ नहीं करते थे या जो दीक्षित लोग होते थे उनकी हत्या कर दी जाए। इसका मतलब है इस मुल्क के अंदर जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म को मानने वाले जैसे काबुली साहब यहां हैं, इनकी हत्या कर दी जाए। कैसे कह सकते हैं कि यह सहिष्णुता की बात है। मैं ऋग्वेद को भगवान की वाणी मानता हूं। लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसमें यह कहा जाए कि दूसरे धर्म मानने वालों की हत्या कर दी जाए। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि यदि मेरी कही हुई एक भी बात गलत निकल जाए तो मैं तुरन्त संसद से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। क्या हमारे दिमाग का बौद्धिक दिवालियापन हो गया है।

हमारे यहां गायत्री मंत्र हैं, जिसका हम आदर करते हैं। लेकिन एक मामूली सी बात है, गायत्री मंत्र ज्यादातर लोग पढ़ते हैं·····

प्रो० एन० जी० रंगा : यह चार हजार वर्ष पहले की बात है। आपको अब उसके बारे में चिंतित होने की क्या जरूरत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें तब की लिखी हुई है जब लोग उतने सभ्य नहीं थे जितना कि हम लोग हैं। वह आदिम युग था। वह इस समय लागू नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जी नहीं, वे कहीं अधिक सभ्य थे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : तो आप आदिम युग में लिखित साहित्य को अपनाएं। आपको सभ्य लोगों के साहित्य को क्यों न अपनाना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गायत्री मंत्र अच्छा है और हमारे लोग भी उसको महत्व देते हैं। मैं गायत्री मंत्र का विश्लेषण कर रहा हूं। हमने अभी एक विद्वान को बुलाया था जो ब्राह्मण थे, हमने कहा हम संस्कृत नहीं जानते हैं आप जरा अर्थ बताओ। तो जो अर्थ निकला उसके अनुसार गायत्री मंत्र किरोसिन गैस है, ब्लीचिंग पाउडर का काम करता है। फिर कोई दूसरी बात की जरूरत नहीं है। आप उससे हैलीकाप्टर बना सकते हैं, वायुयान भी बना सकते हैं। रेलगाड़ी भी चला सकते हैं और लोगों की गरीबी भी दूर कर सकते हैं। फिर बताइए पार्लियामेंट की क्या जरूरत है ?

विदेशों के लोग भी देखते होंगे, दूसरे लोग भी देखते होंगे, तो उन पर क्या असर पड़ता होगा कि

यह हिन्दुस्तान है जहां गायत्री मंत्र में ही सारी की सारी दुनिया समायी हुई है। हम नहीं कहते गायत्री मंत्र न पढ़ा जाय । जिस इच्छा हो वह पढ़े। हिन्दू धर्म ग्रन्थों से कुछ वाक्यों को हमने निकालने के लिए जो प्रस्ताव दिया है अगर उनको नहीं निकाला गया तो आने वाले वक्त में हमको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आज हमारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री परेशान हैं दहेज से क्योंकि दहेज की वजह से तमाम औरतें मारी जा रही हैं।.....

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण के आरम्भ में आपने सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला था। अब कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें। कुछ अन्य सदस्य अपना प्रस्ताव रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको उन्हें मौका देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी सरकार और दोनों पक्ष के लोग और देश के लोग सभी परेशान हैं और चाहते हैं कि दहेज प्रथा का अन्त हो। रोजाना लड़कियां मर रही हैं, और हमारा अथर्ववेद क्या कहता है : हे स्त्री तू दहेज पर आरोहण कर और इसे शुभकारी बना। यह हमारे वेद का 81वां मंत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि आपने ये सारी बातें पढ़ी हैं। हमने ये सब कभी नहीं पढ़ा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं इसीलिए इन्हें आपके फायदे के लिए पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कई सदस्यों ने इसे नहीं पढ़ा है।

श्री सन्तोष मोहन देव : इन्हें पढ़कर आप और नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हम इनके बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंडल 6 सूत्र 27 और मंत्र 8 ऋगवेदों में और मंडल 8, सूत्र 68 और मंत्र 17 यह कहते हैं कि परिजनों और पुरोहितों को सुन्दर स्त्रियों से भरे रथ दान में दिए जाएं। यानी तमाम सुन्दर स्त्रियों को, जीवित स्त्रियों को रथ में बैठाकर दान दिया जाये।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम ये सब बातें नहीं जानते हैं। आप यह सब बताकर और नुकसान कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप अपने पाप से क्यों घबड़ा रहे हैं, बैठकर सुनें।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : आज हमने समाज को बदल दिया है। कांग्रेस मूवमेंट ने ये सारी चीजें बदल दी हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आपने इतना बदल दिया कि आज एक भी औरत दहेज के अभियोग में नहीं मर रही है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में मुकदमें नहीं चल रहे हैं न कोई मर रहा है? यह केवल सरकार की ही बात है कि दहेज में मौतें हो रही हैं। यदि यह है तो मैं अपनी बात बन्द कर देता हूं?

आप तो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं तो अपने विचार रख रहा हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं यही कहना चाहती हूं कि जो बातें आज हो रही हैं, हमने आज समाज को बदल दिया। आप पुरानी बातें उखाड़ कर ला रहे हैं, हमने सबको बदल दिया है। हम इन पर विश्वास नहीं करते।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम यही सोच रहे हैं कि अगर आपने पुरानी सारी बातों को गाड़ दिया होता तो ठीक था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इन्हें गाड़ा नहीं गया है। यह ऊपर ही ऊपर सड़ रहा है और इतना कि इसमें बदबू आ रही है। नाक पर रुमाल रखें···

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया गया था। उस वक्त भी लोग मारे जाते थे, आज भी हत्यायें होती हैं। इसके यह मायने नहीं हैं हत्याएं बन्द हो गई होतीं। जो चीज गलत है, वह गलत है। गलत को हम नहीं मानते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : बुरी वृत्ति से घृणा करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम तो और भी कहना चाहते थे, लेकिन हम सोचते हैं कि बात न बढ़े, शांतिपूर्ण ढंग से काम हो जाए।

अभी-अभी इस हाउस में आपकी चेयर वे बैठने वाले ने क्या कहा, यह भी एक मिसाल है और इतिहास इसको बताएगा। हिन्दू धर्म-ग्रन्थ के बारे में बात हो रही थी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि यहां कुछ लोगों को बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। काश ! आप उस समय कुर्सी पर होते।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहती हूं। उस वक्त समय की कमी थी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप चेयर पर होतीं तो मैं कहता ही नहीं। प्रो० वी० डी० सिंह को नहीं बोलने दिया गया, श्री सत्यनारायण जटिया को बोलने नहीं दिया गया। इसलिए हमने यह कहा है।

श्री हरीश रावत : यह ओबेजक्शनेबल है तो हमारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइए।

लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं। इसके लिए ये सदस्य गवाह हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जो लिस्ट में नाम हैं, सबको बोलने दिया गया है। शास्त्री जी की कुछ ऐसी आदत है। एक दिन मैं हाउस में नहीं थी, इन्होंने कह दिया कि मैं हरिजन के हाथ का पानी नहीं पीती। मेरे घर का नौकर हरिजन है, मैं रोज उसके हाथ का पानी पीती हूं। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप लोग ही छेड़ देते हैं, हम तो धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं। हम तो हकीकत कह रहे हैं। वैसे हम आपके प्रति पूरा आदर रखते हैं। हमारी किसी के प्रति कोई

दुर्भावना नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में, जो बातें मेरे मन में थीं, सामने हैं उनको मैंने साफ कर दिया है।

मैं दहेज की बात कर रहा था। ऋग्वेद और अथर्व वेद में बहुत से ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनसे दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है। रामायण की बात चल रही थी, उसका एक दोहा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

जसि रघुबीर ब्याह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहिं करनी,
कहि न जाइ कुछ दाइज भूरी, रहा कनक मनि मंडप पूरी,
कंवल वसन विचित्र पटोरे, भांति-भांति बहुमोल न थोरे,
गज रथ तुरग दास अरु दासी, धेनु अलंकृत कामदुहा सी,
वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा, कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा।

मैं माननीय गृह-मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां तो जड़ समुद्र ने कह मारा, किसी राक्षस ने कह मारा। इसको पढ़ने से ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दहेज-प्रथा में विश्वास रखना चाहिए और दहेज लेना-देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी उनका अनुसरण नहीं कर सकता है। कृपया इसका हिन्दी अनुवाद करें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह ब्रजभाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उसका अनुवाद नहीं मिल रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हर बात का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : रामायण में आगे कहा है :—

दाइज अमित न सकिय कहि दीन विदेह बहोरि,
जो अलवोकत लोकपति लोक सम्पदा थोरि।

इसका मतलब है कि इतना ज्यादा धन और दहेज दिया गया कि उसके सामने लोकपति इन्द्र और कुबेर आदि की सम्पत्ति, यानी सारी दुनिया की सम्पत्ति, थोड़ी मालूम होती थी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह वाक्य रहेगा, तब तक दहेज को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि यह रामायण मारिशस, इंगलैंड और दुनिया के हर मुल्क में पढ़ी जाती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया वाले हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या सोचते होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों को इन ग्रन्थों से निकाल देना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : क्या इतिहास के तथ्यों को बदला जा सकता है?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आज हमारी प्रधान मन्त्री, और हम लोग, देश भर में घूम-घूम कर किसानों को अच्छी खाद और अन्य चीजें देने के लिए कहते हैं, उनको रियायतें देते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि मनुस्मृति में कृषि-कर्म को बुरा कहा गया है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या आपने मनुस्मृति पर शोध किया है?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने सोशालोजी पढ़ी है। मैंने शोध नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य बात कहें। समय पूरा हो गया है, हमें इसे पूरा करना है। समय आधा घंटा बढ़ाया गया था। अब आधे घंटे से भी अधिक समय हो चुका है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मनुस्मृति के अध्याय 10, श्लोक 33 में कहा गया है कि वैश्य वृत्ति से जीता हुआ ब्राह्मण या क्षत्रिय हिंसा वाली पराधीन कृषि को त्याग दे। आश्चर्य होता है कि खेती न करने का उपदेश दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आजकल जाति-प्रथा पर कोई विश्वास नहीं करता है। मुझे यह पता नहीं कि मैं किस जाति का हूं। कृपया अपनी बात खत्म करें; आपके पास फिर एक बड़ा प्रलेख मौजूद है। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं पर कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरी अर्ज यह है कि मैं अपना उत्तर अगले दिन दे दूंगा। अभी मुझे आध घंटा लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव को पर्याप्त समय दिया गया। हम पांच घंटे पहले ही खर्च कर चुके हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी मुझे बहुत इम्पार्टेन्ट बातें कहनी हैं। अभी मैंने 40 मिनट बोलना है। मेरा सुझाव है कि पहले माननीय सदस्य को अपना बिल पेश करने का अवसर दे दिया जाए और फिर मेरा रेप्लाई हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब दूसरे सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उस दिन मैंने यह कहा था कि मैं तैयार नहीं हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब अपना भाषण समाप्त करें। आप कुछ तथ्य प्रकाश में लाना चाहते थे। मैंने इसकी अनुमति दी।

श्री रतनसिंह राजवा : उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही बात उनसे कह रहा हूं। आप अगले 3-4 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। पर मैं आपको अधिक समय नहीं दूंगा। आपको हमसे सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको प्रदान किया समय पहले ही पूरा हो चुका है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। तीस मिनट में ही।

आजकल गो-हत्या के मामले में बड़ी चर्चा है। अभी वोट क्लब पर गो-हत्या के बारे में अनशन किया गया था। हिन्दू धर्म में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो आज भी गो-हत्या को बढ़ावा देने की बात करते हैं। एक तरफ तो पुरोहित चिल्लाते हैं कि गो-हत्या बन्द की जाए और दूसरी ओर हिन्दू धर्म में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। अभी मैंने एक पत्रिका में लेटेस्ट कोटेशन पढ़ा है। (व्यवधान) मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन गन्दी चीजों को वहां से निकाल नहीं दिया जाता है और उनको वैसे ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में देश के सामने बड़ी खराब परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जाए। मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक बिल यहां पर लाया जाए जिससे कि ऐसी सभी बातों को समाप्त किया जा सके और हमारे संविधान की जो अवहेलना होती है उसको रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आधा घंटा पहले ही बीत चुका है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें, आपको दिया गया समय पूरा हो गया है। आप फिर कभी बोल सकते हैं। हम पहले ही 5 घंटे खर्च कर चुके हैं। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको हमेशा मुझसे सहयोग करना चाहिए क्योंकि मैं पीठासीन हूं। यदि आप मुझसे सहयोग करेंगे तो मैं फिर कभी आपको समय दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि इस मुल्क के 87 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जिन पर इन धर्म ग्रंथों का कोई भी प्रभाव नहीं है। केवल 15 परसेंठ लोगों को ही इन धर्म ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। उनके से भी जो स्त्रियां है उनको भी शूद्र के बराबर माना गया है इसलिए उनमें से 7 परसेन्ट स्त्रियों को भी इन धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। सारांश में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में केवल 3 परसेन्ट लोगों को ही इन धर्म ग्रंथों की जरूरत है और अगर इन शब्दों को वहां से निकाल दिया गया तो केवल 3 परसेन्ट लोगों की भावनाओं को ही चोट पहुंचने की सम्भावना हो सकती है। जो बाकी 97 परसेंट लोग हैं उनको इन धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कई मंत्रियों को भी यहां से इस्तीफा देना पड़ जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस पुस्तक को न छुएं। वह अपना भाषण खत्म कर रहे हैं। वह बहुत ज्ञानी पुरुष है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इन धर्म ग्रंथों से बहुत काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है और आज एक बहुत बड़ा समाज, करोड़ों का समाज कष्ट का अनुभव कर रहा है। इन धर्म ग्रंथों के कारण आज बड़ा अनाचार और पापाचार फैल रहा है। उनमें इस तरह की ज्यादा प्रेरणायें हैं। मैं समझता हूं कि मैंने इसमें कोई बुरी बात नहीं कही है। मैंने एक आयोग बनाने की मांग की है। मैंने इसमें लिखा है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले, एक जैन धर्म को मानने वाले और इसके साथ ही तीन हिन्दू धर्म के मानने वाले और उसमें विद्वान और प्रोफेसर हों। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे सिर्फ 18 पुराण हैं और तीन-चार वेद हैं तथा कुछ स्मृतियां हैं। इनको ले लीजिए, यह काम सिर्फ एक साल का है वे लोग

इसको पढ़ डालें और पढ़ने के बाद उस में से इन शब्दों को निकाल दें। मैं समझता हूं कि इससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे किसी साथी ने कहा कि इससे स्थिति खराब हो जाएगी। यह तो संविधान के खिलाफ एक आचरण हैं। हमारे डागा जी ने कहा था कि ये बहुत पुरानी बातें है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पुरानी बातें नहीं हैं। अभी भी काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में एक लड़की को वेद पढ़ने से रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थी। अब मैं आपका ध्यान अखबार की कटिंग के बारे में दिलाना चाहता हूं। काशी में विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर है। विष्णु मंदिर में सोना चोरी हो गया। इसके बारे में लोग अपना बयान दे रहे थे। इस पर हमसे किसी ने कहा कि आप ब्यान नहीं दे रहें हैं, मैंने कहा सोना चोरी हो गया तो हो गया, सरकार इसकी खोज करे। लेकिन जब बातें और आगे बढ़ गई तो मैंने एक बयान दे दिया—इनके चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। उसी समय इत्तिफाक से काशी नरेश का वक्तव्य जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 28 बरस से इस मंदिर में जाना बन्द कर दिया है। आगे स्पष्टीकरण दिया है कि इस मंदिर से देव का लोप हो गया है। मैंने उसी समय बयान दिया कि नहीं साहब देव का लोप नहीं होता है, देवता तो पवित्र रहता है। उसका लोप नहीं होता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए काशी की गरिमा रहनी चाहिए और देश की गरिमा रहनी चाहिए। इसके बाद एक ब्राह्मण ने फतवादे दिया, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह बहुत ही दुःख का विषय है। उन्होंने कहा है—सोनकर ऐसे साधारण एवं कल्पित नेता शास्त्र ज्ञान शून्य महाराज श्री काशी नरेश से स्पष्टीकरण मांगने का दुःसाहस करें यह कार्य सोनकर ऐसे कुलीन अनुरूप ही है।···(व्यवधान)···आपकी खोपड़ो पर चढ़कर आपको गाली दे रहे हैं और जिनको आप पैंशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, शास्त्र ज्ञान वाले पंडित ने, इस पर शास्त्र के अनुसार क्षमा मांगनी चाहिए। हम काशी नरेश की आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम किसी ब्राह्मण की आलोचना नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, और वह भी शास्त्रों के अनुसार जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। डागा जी ने कह दिया कि यह बात बहुत पुरानी हो गई है, गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़े जायें। मैं भी नहीं चाहता हूं कि गढ़े मुर्दे उखाड़े जायें। यह बहुत ही शर्म और लज्जा की बात है। घटिया साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक कह दिया, जिस पर बाद में बातें हुई। हमारे माननीय बूटा सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने कहा था किसी शंकराचार्य जी ने फतवा दे दिया है कि शुद्र को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। हमने कहा कि कौन शंकराचार्य ने कहा, तो कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन वह बात अखबारों में बहुत छपी 2 मैं डागा जी से पूछता कि बीस दिन पहले शंकराचार्य ने फतवा दे दिया है कि शूद्र यज्ञ में नहीं बैठेगा, यह कैसे संभव है। अभी भी प्रधान मन्त्री जी को दक्षिण भारत, पुरी में जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि प्रधानमन्त्री नहीं जाएंगी,** यह कैसे बरदाश्त होगा? आप अपने प्रधान मंत्री की बेईज्जती, अपमान बरदाश्त करें, लेकिन मैं तो अपने प्रधानमन्त्री की बेइज्जती बरदाश्त नहीं कर सकता···

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह कहां हुआ है?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अखबार में छपा है।

इसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि ये बातें पुरानी हो गई हैं, गड़े मुर्दे क्यों खोदे जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री श्री वैष्णों देवी के मन्दिर में नहीं जाती हैं? क्या हमारे लोग वैष्णों देवी के मन्दिर में नहीं जाते हैं? क्या हमारे लोग···

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यक्ति विशेष को इस विवाद में न लाए !

श्री संतोष मोहन देव : पुरी के बारे में इस समाचार का प्रधानमन्त्री द्वारा खंडन किया गया है। अतः इसे कार्य-वृत में शामिल नहो किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्य-वृत पर गौर करूंगा। व्यक्तिगत मामलों को इसमें न लाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप के यहां लायब्रेरी में अखबार हैं उसको देख लीजिए। इत्तिफाक से उसकी कटिंग इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : अखबार में जो बात छपती है, सब सही नहीं होती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रधानमन्त्री गई थीं, तीन महीने पहले गई थी और उनको जाने नहीं दिया गया था। प्रधानमन्त्री हर जगह जाती रहती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्य-वृत देखूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं है। आप अपनी बात पूरी करें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आप के सामने एक चौपाई पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : **

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी गृहमंत्री इतनी उत्तेजित हो गई हैं।...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखना। कृपया आप फिक्र न करें। यहां कुछ शालीनता बनाए रखनी चाहिए। मैं किसी तरह के व्यक्तिगत हवाले देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं एक और दोहा आपको सुनाता हूं।

(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : महोदय समय पूरा हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, समय पूरा हो चुका है। श्री डागा क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, महोदय मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन, माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है ?

**कार्यवाही वितांत में सम्मलित नहीं किया गया।

** अध्यक्ष पीठ आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां,

(संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। मैं बस अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके भाषण की भी कोई सीमा है, उसमें शालीनता बरती जानी चाहिए। ऐसी बातें सभा में करने लायक नहीं है, आपको सभा में शालीनता बनाए रखनी चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो यह चाहता हूं और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और इस हाऊस से निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला बहुत ही सेसेंटिव है और तरह के जो वाक्य लिखे हुए हैं, उनसे किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाता है। अगर इस तरह के वाक्य न लिखे होते, तो ऐसी बात न होती। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए और आप के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार का कोई बिल अपनी ओर से लाए, जिससे करोड़ों लोगों को रहत मिले और हमारे धर्म ग्रंथ बड़े पवित्र और सुन्दर और आदर्श माने जाएं।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि**

लेकिन मेरा मतलब किसी को अपमानित करने का नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री मैं समझता हूं कि आप विधेयक के लिए जोर नहीं दे रहे। क्या आप उसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं इसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि हिंदू धर्मशास्त्रों तथा अन्य धार्मिक साहित्य की जांच करने तथा इस प्रयोजनार्थ एक आयोग स्थापित करने और उससे सम्बन्धित मामलों पर धर्मशास्त्रों तथा अन्य धार्मिक साहित्य में से उन शब्दों, वाक्यों अनुच्छेदों श्लोकों, अध्यायों आदि का पता लगाने तथा उन्हें हटाने या उनमें संशोधन करने, जो कि भारतीय संविधान में व्यक्त सिद्धान्तों तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित भारत की जनता के कृत संकल्प का उल्लंघन करके नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्म स्थान के आधारों पर घृणा, भेदभाव, असमानता को उकसाते हैं या उनका प्रचार करते हैं, का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया गया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.58 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रतनसिंह राजदा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

5.59 म० प०

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों की (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक, 1980

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बिल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्विसेज में रिजर्वेशन को एक्ट के द्वारा इम्पलामेंट करने के लिए है। स्व० बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टीकिल 335 और आर्टीकल 16 (4) में इसके बारे में लिखा है लेकिन बदकिस्मती की बात है कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। अपने बिल के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल रात को 9 बजे को हिन्दी न्यूज में और पौन 10 बजे की अंग्रेजी की न्यूज में टी० वी० पर जो खबर दी गई, उसको में पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "पिछले 17 वर्षों में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह बात गृह मंत्रालय की कार्य और प्रशासक सुधार विभाग की 1983-84 की रिपोर्ट में बताई गई है···

जनवरी 82 में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लगभग 5 लाख 21 हजार कर्मचारी थे जो कि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या का 16,67 प्रतिशत है। संविधान में यह कहा गया है कि कुल सरकारी कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं मिनिस्टर आफ इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग से पूछना चाहूंगा कि उनकी इन्फार्मेशन का स्रोत क्या है? होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहीं भी इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि बहुत-सारी जगहों पर तो जीरो परसेंट है। यह चूंकि मेरा रिजोल्युशन आना था, इसलिए गलत इम्प्रेशन बनाने के लिए कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार 11 बजे म० प० तक स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 26 मार्च, 1984/6 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित